छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **षष्ठम् सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025
(आषाढ़ 27, शक सम्वत् 1947)

[अंक 05]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025

(आषाढ़ 27, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तो कल बहिर्गमन समाप्त कर दिया था। लगता है कि विपक्ष के सदस्यों को पता नहीं लगा है कि आपने बहिर्गमन बहाल कर दिया था, क्योंकि वह अभी तक आये नहीं हैं। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल। श्री विनायक गोयल जी अपना प्रश्न करेंगे।

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रांतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें एवं खाद्यान्न गोदाम

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

1. (*क्र. 769) श्री विनायक गोयल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने ग्रामों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं कितने ग्रामों में खाद्यान्न गोदाम हैं तथा कितने में नहीं हैं? **(ख)** खाद्यान्न गोदाम नही हैं या जर्जर अवस्था में हैं तो वहां कब तक बना लिये जावेंगे? **(ग)** खाद्यान्न गोदाम हेतु आबंटन कहां से मिलता है? **(घ)** चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्टॉक में कमी पाये जाने पर कमी की पूर्ति करने हेतु क्या प्रावधान किया गया है? **(ड)** चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खाद्य विभाग के कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं, पदवार विवरण देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 159 ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित है। इनमें से 134 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान सह गोदाम भवन है तथा 20 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के

दुकान सह गोदाम भवन नहीं है। 05 उचित मूल्य दुकानों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन निर्माणाधीन है। **(ख)** विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने उपरांत उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन स्वीकृत किया जा सकेगा। **(ग)** उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन निर्माण हेतु राशि का आबंटन विभागीय बजट अथवा जिले की विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत किया जाता है। **(घ)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों में स्टॉक में कमी पाये जाने पर संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर प्रावधान अनुसार वसूली के संबंध में कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। **(ड)** चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती दिव्यारानी कार्यान्त, खाद्य निरीक्षक श्री शेख अब्दुल कादिर तथा श्री उमेश चौधरी पदस्थ हैं।

श्री विनायक गोयल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय खाद्य मंत्री जी से प्रश्न है। (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने ग्रामों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं कितने ग्रामों में खाद्यान्न गोदाम हैं अथवा कितने में नहीं हैं? (ख) खाद्यान्न गोदाम नहीं हैं या जर्जर अवस्था में हैं तो वहां कब तक बना लिये जायेंगे? (ग) खाद्यान्न गोदाम हेतु आवंटन कहां से मिलता है? (घ) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्टॉक में कमी पाये जाने पर कमी की पूर्ति करने हेतु क्या प्रावधान किया गया है?

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी, आप केवल एक ही प्रश्न करिये। आप ज्यादा लंबा प्रश्न मत करिये। मैं आपको दोबारा अवसर दूंगा। आप एक-एक करके छोटे-छोटे प्रश्न करते जाइये और उनके जवाब सुनते जाइये और फिर उनसे अन्य प्रश्न करते जाइये। आपको एक साथ पूरे प्रश्न नहीं पूछने हैं। आप छोटे-छोटे प्रश्न करिये। मंत्री जी।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में कुल 159 राशन दुकानें हैं, जिनमें से 134 दुकानें स्वयं के भवन में संचालित हैं तथा 25 राशन दुकानें शेष हैं, जहां भवन नहीं है।

श्री विनायक गोयल :- माननीय मंत्री महोदय, खाद्यान्न गोदाम हेतु आवंटन कहां से मिलता है?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें खाद्यान्न गोदाम की विभागीय स्वीकृति तो नहीं, मनरेगा के तहत डी.एम.एफ. फण्ड व अन्य मदों से इसकी स्वीकृति कराते हैं।

श्री विनायक गोयल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्टॉक में कमी पाये जाने पर कमी की पूर्ति करने हेतु क्या प्रावधान किया गया है?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राशन कार्ड से पात्रतानुसार राशन दिया जाता है। यदि कहीं गबन या अन्य कारणों से राशन कम मिलता है तो अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था है। यह कलेक्टर की अनुशंसा से जारी किया जाता है और वहां पात्रतानुसार राशन दिया जाता है।

श्री विनायक गोयल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य विभाग में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं? पदवार विवरण देवें।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में हमारे विभाग के 3 अधिकारी पदस्थ हैं- सहायक खाद्य अधिकारी, श्रीमती दिव्यारानी कार्यान्त, खाद्य निरीक्षक, श्री शेख अब्दुल कादिर तथा श्री उमेश चौधरी पदस्थ हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। प्रश्न क्रमांक-2, श्रीमती संगीता सिन्हा।

उपार्जित धान एवं संग्रहण केन्द्रों में शेष धान की मात्रा

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (*क्र. 967) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर कितनी-कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई? उपार्जन केन्द्रवार जानकारी देवें? **(ख)** कण्डिका 'क' में उपार्जित धान को किन-किन संग्रहण केन्द्रों में कितनी-कितनी मात्रा में संग्रहित किया गया तथा दिनांक 24.06.2025 की स्थिति में उक्त संग्रहण केन्द्रों में धान की कितनी-कितनी मात्रा शेष/संग्रहित है? धान को धूप एवं बारिश से बचाने हेतु क्या प्रबंध किये गये हैं?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर 2,22,500.48 मे.टन धान की खरीदी की गई है। उपार्जन केन्द्रवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख)** कण्डिका 'क' में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उपार्जित धान को जिले धान संग्रहण केन्द्रों में कुल संग्रहित धान एवं दिनांक 24.06.2025 की स्थिति में संग्रहण केन्द्रों में शेष/संग्रहित धान की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार†[1] है।** खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में बालोद जिले में संग्रहण केन्दों में कुल 262219.36 मे.टन भण्डारित किया गया है एवं दिनांक 24.06.2025 की स्थिति में 209961.33 मे.टन धान उठाव हेतु शेष है। संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित धान के स्टेक को धूप एवं बारिश से बचाने हेतु जल निकासी हेतु उचित व्यवस्था किया गया है एवं धान के स्टेक को कैप कव्हर से सुरक्षित ढक कर रखा गया है।

[1]† परिशिष्ट ''एक''

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी के लिखित उत्तर में जानकारी आयी है कि दिनांक 24.06.2025 की स्थिति में जिला बालोद में धान संग्रहण केन्द्रों में कुल 2,09,961.33 मीट्रिक टन धान उठाव हेतु शेष था, जबकि खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में अलग आंकड़ा दिखा रहा है। मेरे पास खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी उपलब्ध है, जिसमें इसी तारीख को धान की शेष मात्रा 2,58,454.28 मीट्रिक टन दर्शायी गयी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इन दोनों आंकड़ों की मात्राओं में 48,492.95 मीट्रिक टन धान का अंतर आ रहा है। लिखित उत्तर के अनुसार संग्रहण केन्द्रों में 48,492.95 मीट्रिक टन धान का शार्टेज हो रहा है, जिसका लागत मूल्य 184 करोड़ 27 लाख 32 हजार रूपये होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूं कि यह धान कहां गया और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीया विधायक जी का जो प्रश्न है, मैं उसका डिटेज उत्तर देना चाहता हूं। आपका प्रश्न संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र का है, जहां 4 उपार्जन केन्द्र हैं। यहां कुल 2 लाख 22 हजार 5 सौ 48 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई थी। इसमें से मिलर को 1 लाख 69 हजार 781.67 मीट्रिक टन धान दिया गया है। अब मैं सिर्फ संजारी बालोद का बता रहा हूं कि अब संग्रहण केन्द्र में 51 हजार 691.26 मीट्रिक टन धान शेष है। आपके यहां इतना धान था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खरीदी केन्द्र से 2 लाख 21 हजार 472.93 मीट्रिक टन धान का निराकरण हो गया है। संजारी बालोद में शेष 1,027.55 मीट्रिक टन धान शेष है, जो मिलान प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का प्रश्नोत्तरी में उत्तर आया है, वह सिर्फ 2 लाख 09 हजार 961.33 मीट्रिक टन का आया है। मैं आपके खाद्य विभाग की वेबसाइट से तारीख 24.06.2025 की ही जानकारी निकाली हूं। उसमें 2 लाख 58 हजार 454 मीट्रिक टन लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस तारीख की जानकारी को सही मानू या आप जो जवाब दे रहे हैं, उसको सही मानू ? मैं यह जानकारी आपकी वेबसाईट से निकाली है, जहां 1 किलो का भी अंतर नहीं हो सकता है। मंत्री जी का उत्तर है, जिसमें दर्शाया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप ही बता दीजिये कि कौन से उत्तर को सही मानू ? वेबसाईट की जानकारी को सही मानू या आपके अधिकारी लोग यहां उत्तर दिए हैं, उसको सही मानू ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान संग्रहण केन्द्र से धान का उठाव हो रहा है। प्रतिदिन आकड़ा बदलते रहता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह सतत् प्रक्रिया है, यह मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन एक ही तारीख का दो-दो अलग उत्तर हैं, दो-दो जवाब हैं, आपका उसी दिनांक का 9 लाख मीट्रिक

टन वाला जवाब आया और उसी तारीख का वेबसाइट वाला जवाब आया है। मैं प्रश्न यह कर रही हूं कि कौन सा जवाब सही है ? आपके अधिकारी द्वारा उत्तर सही है या वेबसाइट वाला जानकारी सही है ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बताया हूं कि यह आकड़ा बदलते रहता है। वहां से प्रतिदिन धान का उठाव होते रहता है और वह आकड़ा कम होते रहता है। मैं तो स्पष्ट बताया हूं कि कल दिनांक 17.07.2025 की स्थिति में उन संग्रहण केन्द्रों में 1 लाख 58 हजार 791.38 मीट्रिक टन धान उठाव हेतु शेष है। यह चारों संग्रहण केन्द्रों की जानकारी है। आपका प्रश्न आपके विधानसभा क्षेत्र का है और यह पूरे जिले का आकड़ा है। जो चारों संग्रहण केन्द्र है, मैं उसका बता रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जिला स्तरीय उत्तर आया है, जबकि मैने अपने विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न किया था, लेकिन आपका जिला स्तरीय उत्तर आया है और मैं वेबसाइट की जानकारी दे रही हूं वह जिला स्तरीय जानकारी है। अध्यक्ष महोदय, यह छोटा-मोटा अंतर नहीं है। 1 करोड़ 84 लाख 27 हजार रूपये का मामला है और यह किसान की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, please इसको गंभीरता से लें और इसका मुझे सही जवाब दें तो अच्छा होगा।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। माननीय विधायक जी का प्रश्न विधान सभा क्षेत्र का है और वहां 4 संग्रहण केन्द्र जगतरा, भानुपपरी, खुण्डाभांठा और भालूघोरी हैं। इन चारों संग्रहण केन्द्रों में जिला स्तरीय, ये चारों जिला स्तरीय खरीदी केन्द्र हैं, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। ये चारों संग्रहण केन्द्र है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, वह सभी गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं आते हैं, वह डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। इसमें जो उत्तर आया है, वह जिला स्तरीय ही है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मंत्री जी, आप गोलामोल जवाब दे रहे हैं। आप गोलमोल जवाब मत दीजिये। ठीक है कि जिला स्तरीय जवाब आया है, मैं उसी में जा रही है। मैं आपके वेबसाईट और प्रश्नोत्तरी के उत्तर से मिलान कर रही हूं कि मैं कौन सा सही मानूंगी? उसके बाद मैं प्रश्न में आगे बढ़ूगी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, माननीया विधायक जी हर पूछत हावय कि ए दोनों मा कोन सही हे या दोनों सही नई हे?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक आंकड़ा बता रहा हूं। मैंने बताया भी है कि यह संजारी-बालोद विधान सभा का ही प्रश्न है। मैंने उसका उत्तर डिटेल में बताया है। संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ 1027.55 मीट्रिक टन धान मिलान हेतु बचा है। वह जिले का बता रहे हैं तो मैं जिले की जानकारी भी बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप आगे प्रश्न पूछिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छोटा या छोड़ने वाला प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्रीमती सिंगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, अगर जिले के उत्तर में अंतर आ रहा है। जिला का उत्तर आया है। मंत्री महोदय जी के पास जिला का उत्तर होगा। जब जिला का भी उत्तर आया है तो आप बता दीजिये कि इन दोनों में अंतर क्यों है? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वेबसाईट का रिकॉर्ड है। आप बोलेंगे तो मैं पटल पर रख दूंगी और हम मंत्री जी को भी दे देंगे। माननीय मंत्री जी, दोनों में अंतर आ रहा है, आप उसका जवाब दे दीजिये।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24.06.2025 की स्थ्िाति में 2,09,961.33 मीट्रिक टन धान उठाव हेतु शेष था, उसके बाद लगातार धान का उठाव हो रहा है। इसलिए डाटा कम होगा ही।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मंत्री जी जो जानकारी दे रहे हैं, वही सही है। चलिये, आप आगे बढ़िये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा दूसरा प्रश्न था कि संग्रहण केन्द्रों में धान को धूप एवं बारिश से बचाने हेतु क्या प्रबंध किये गये है? इसका उत्तर आया है कि धान के स्टेक को कैप कव्हर से सुरक्षित ढक कर रखा गया है और जल निकासी हेतु नाली बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास फोटो है। मैं उन धान संग्रहण केन्द्रों में गई थी। वहां पर धान पूरा खुला पड़ा है। मैं यह फोटो को पटल पर रखूंगी और मंत्री जी को भी दूंगी। वहां पूरा धान भीगा हुआ है। धान में 4 से 14 इंच तक चरई आ गया है। उसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कि जराई आ गया है। उसमें जरई आ गया है, इसलिए कृषि मंत्री जी लगातार चिल्लाते रहते हैं कि नैनो खाद-नैनो खाद, अब वह डालने वक्त आ गया है। उसमें जराई बहुत बड़ा हो गया है, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान के स्टेकों को डबल लेयर डबल प्लास्टि बोरी में भूषा भरकर ऊपर सुरक्षित रखा गया है। माननीया विधायक जी जो फोटो बता रही हैं। मैं भी संग्रहण केन्द्रों में गया हूं और मैंने भी वहां देखा है। वह जरई की बात कर रहे हैं। नीचे में जो भूषी है, उसमें वह जरई है। (हंसी) बाकी धान सुरक्षित है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मैं फोटो को पटल पर रखूंगी और मंत्री जी को भी दूंगी। यह जरई धान में हुई है। (फोटो को दिखाते हुए)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, धान के रख-रखाव के लिए सरकार एक तरफ खर्चा कर रही है और उस राशि का दुरूपयोग हुआ है। धान सुरक्षित नहीं है, धान सड़ चुका है। जिनकी लापरवाही से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या आप उन अधिकारी/कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, यह जराई धान में स्पष्ट रूप से है। मेरे पास में फोटो है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये। आप विवरण क्यों दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही कर रही हूं। माननीय मंत्री जी, आप यह बता सकते हैं कि वहां कितना सूखत हुआ है और कितना धान सड़ा हुआ है?

अध्यक्ष महोदय :- हाँ, ऐसा प्रश्न आएगा, तभी तो जवाब आएगा। आप विवरण दिये जा रहे हैं।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मिलान होने के बाद ही पता चलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, धान को धूप के लिए बीच-बीच में खोला भी जाता है। माननीय सदस्या फोटो दिखा रही हैं, वह ऐसा ही हो सकता है। लेकिन धान में कोई खराबी नहीं आया है। मैं स्वयं वहां की व्यवस्था को देख कर आया हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, पर्याप्त है। भूपेश जी, आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊपर के बोरी में जो जरई जर्मिनेट हुआ है, उसको माननीया सदस्य ने दिखाया है। उसके बाद भी माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि धान को धूप दिखाने के लिए खोला जाता है तो उसमें जर्मिनेशन और बड़ा हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने जो आंकड़ा दिया है। मैं संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र का ही पूछना चाहूंगा, जिसमें 1000 मीट्रिक टन धान उठाव हेतु बचा है। यह अभी आपने अपने मौखिक उत्तर में दिया है। इसमें सारे धान को राईस मिलर्स ने उठा लिये हैं। अब इसमें कितने एफ.सी.आई. नान को देने के लिए है और आपने कितना नीलामी किया है, नीलामी वाला धान कितना है और एफ.सी.आई तथा नॉन को देना है, जो मिलर को दिये हैं, वह कितना है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संजारी-बालोद विधान सभा का स्पष्ट रूप से बताया है कि वहां कुल धान खरीदी 2,22,500.48 मिट्रिक टन हुआ था, उसमें हमने 1,69,781.67 मिट्रिक टन मिलर को दिये हैं । संजारी-बालोद में जो धान बचा है, वह मात्र 51,691.26 मिट्रिक टन है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वहां पर यह बताना चाहता हूँ कि 2,21,472.93 मिट्रिक टन धान खरीदी केन्द्र से उठ गया है और वहां 1027.55 मिट्रिक टन ही संजारी बालोद में है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी जो बताया है उसमें खरीदी केन्द्र में मात्र 1027.55 मिट्रिक टन धान बचा है और जो टोटल धान बचा है, वह 51,691.26 मिट्रिक टन है और 1,69,781.67 मिट्रिक टन धान आपके अनुसार राईल मिलर उठा लिये हैं । अध्यक्ष महोदय, जो धान राईस मिलर ने उठाये हैं और सरकार ने जो नीलामी की है, उसकी मात्रा कितनी है ? दूसरा,

एफ.सी.आई. और नॉन को आपने मीलिंग करने के लिये दिया है, वह ऑकड़े कितने हैं ? आपने कहा कि धान खरीदी केन्द्र से उठ गया है तो धान है कहॉ ? आपने कहा कि धान खरीदी केन्द्र से उठा है आपने बताया है कि 1,69,781.67 मिट्रिक टन धान राईस मिलर उठाये हैं और 51,691.26 मिट्रिक टन धान शेष है, अब 1027.55 धान खरीदी केन्द्र में है, इसका मतलब 51,691.26 मिट्रिक टन धान है, वह धान कहां है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी इसी बात को बताया है कि जो 51,691.26 मिट्रिक टन धान है, यह चारो संग्रहण केन्द्र में गया है और वहां से 1027.55 ही शेष है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, हो गया, पर्याप्त है । ठीक है, बैठ जाईये । अटल जी, क्रमांक 3 ।

जिला बिलासपुर अंतर्गत धान का उठाव

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 760) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिले में वर्ष 2024-25 2025-26 में एवं जून, 2025 तक कितने क्विंटल धान की खरीदी की गई है? **(ख)** कितने क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है? **(ग)** कितने क्विंटल धान का उठाव होना शेष है? धान का उठाव नहीं होने वाली समिति का नाम, कुल खरीदी गये धान की मात्रा एवं उठाव हेतु शेष धान की मात्रा क्या है? उक्त समितियों से धान का उठाव नही होने के कारण क्या है? **(घ)** उठाव हेतु शेष समिति में कितना धान का शार्टेज हुआ है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :(क) बिलासपुर जिले में प्रश्नांकित अवधि तक खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 6919834.80 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। **(ख)** बिलासपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 6908948.63 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। **(ग)** बिलासपुर जिले में उपार्जन केन्द्रों से 10886.17 क्विंटल धान उठाव हेतु शेष है। धान का उठाव नहीं होने वाली समिति का नाम, खरीदी मात्रा एवं उठाव हेतु शेष का विवरण निम्नानुसार है: -

(मात्रा क्विंटल में)

क्रमांक	वर्ष	उपर्जान केन्द्र का नाम	खरीदी की मात्रा	उठाव हेतु शेष मात्रा	उठाव नहीं होने का कारण
1	2024-25	मल्हार	79632.40	9122.40	धान की कमी
2		रिस्दा	40879.20	1763.77	

(घ) समिति लेखा मिलान का कार्य प्रगति पर है। अंतिम लेखा मिलान उपरांत धान की शार्टेज की स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि वर्ष 2024-2025 और वर्ष 2025-2026 जून तक कितने क्विंटल धान की खरीदी की गई और कितने क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है, कितने क्विंटल धान का उठाव होना शेष है, धान का उठाव नहीं होने वाली समिति का नाम, कुल धान खरीदी और उठाव की मात्रा कितनी है तथा समितियों में धान उठाव नहीं होने का कारण क्या है ? माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बिलासपुर में 140 धान उपार्जन केन्द्र है, आपने बताया है कि केवल 2 मल्हार और रिसदा में 10,886 की कमी आई है । इस धान की कीमत 4 करोड़ 13 लाख रूपये है और इसके लिये कौन उत्तरदायी है, इसमें क्या कार्यवाही की गई है, अब अंतिम लेखा मिलाकर प्रतीक्षा करेंगे कि कार्यवाही करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में मल्हार और रिसदा इन सोसायटियों में 10,886.17 क्विंटल धान कम पाया गया है और हम इन दोनों सोसायटियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज किये हैं और एफ.आई.आर. जो है, पंजीयक के माध्यम से दर्ज किया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय :- एफ.आई.आर. हुआ है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, इस बात की जांच करायेंगे कि धान खरीदी जो बताई जा रही है, उतनी नहीं की गई है या धान की अफरा-तफरी की गई है ? जो 10,886.17 क्विंटल धान खरीदी बताई गई है, क्या वह खरीदी हुई है और अगर खरीदी हुई है तो 3100 रूपये मिले हैं, वह कहां है और यदि नहीं हुई है तो क्या अफरा-तफरी की गई है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इन दोनों सोसयाटियों में कार्यवाही किये हैं । इसमें एफ.आई.आर. दर्ज किया जा चुका है और 10,886.14 क्विंटल धान कम पाया गया है । यह जांच का विषय है, अभी एफ.आई.आर. तो हो गया है, इसमें कार्यवाही तो हम लोग कर ही रहे हैं, यह अतिम मिलान में और स्पष्ट हो जायेगा । अध्यक्ष महोदय, वैसे आपके यहां बिलासपुर में आपके जिले के 140 जो धान खरीदी केन्द्र हैं, वहां लेखा मिलान के तहत 132 केन्द्र में जीरो शार्टेज आया है, 140 खरीदी केन्द्र के 132 में जीरो शार्टेज आया है तथा 6 धानी खरीदी केन्द्रों का लेखा मिलान प्रगति पर है और सिर्फ दो केन्द्र मल्हार और रिस्दा के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 10886 क्विंटल धान जो कम है, क्या उसे खरीदी मानेंगे या उसकी पूरी राशि 31 सौ रूपए प्रति क्विंटल की दर से सोसायटी से वसूल करेंगे और खरीदी की बताई जा रही मात्रा में से कम करेंगे? आप इनमें से क्या करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज करा दिया गया है और मिलान होगी, उसके बाद कार्रवाई निश्चित है, कार्रवाई होगी ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वसूली कहां करेंगे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आप किस स्तर के अधिकारी-कर्मचारी के ऊपर आपने एफ.आई.आर. दर्ज कराया है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के जो समिति प्रबंधक हैं, वहां पर जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, यह छोटा-मोटा मामला नहीं है ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, मल्हार और रिस्दा मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र का ही मामला है । मैंने मल्हार और रिस्दा के संबंध में पिछली बार भी प्रश्न किया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो मस्तूरी का प्रश्न ही नहीं है, पिछली बार का प्रश्न आज क्यों कर रहे हो ?

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें मल्हार और रिस्दा का उल्लेख हुआ है । यह धान कहां गया, उसकी वसूली कैसे होगी ? किसानों के मेहनत की कमाई है । मंत्री जी कैसे निर्णय कर रहे हैं, आप यह तय करिए । मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने बताया है कि जो शार्टेज है, उसकी जांच हो रही है । जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसमें कार्रवाई करेंगे, ऐसा मंत्री जी ने स्पष्ट बोल दिया है ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, इतना बड़ा घोटाला है । 10 हजार क्विंटल धान गायब है । क्या आपके एफ.आई.आर. दर्ज कराने से काम होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, अपना प्रश्न करें ।

आंगनबाड़ी केंद्रों में सामग्री वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

4. (*क्र. 931) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जून, 2025 तक विधान सभा क्षेत्र तखतपुर स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामग्री वितरण हेतु कितनी- कितनी राशि स्थानांतरित की गई तथा उसके अंतर्गत कौन-कौन सी सामग्रियों का वितरण किया जाना था? कितनी राशि उन सामग्रियों की खरीदी में व्यय की गई? विकासखण्डवार बताएं? **(ख)** कंडिका "क" की सामग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई है तथा उन शिकायतों के आधार पर कितने आंगनबाड़ियों की जांच की गई तथा कितनी शिकायतें सही सही पाई गई ? **(ग)** क्या कंडिका "क" में पूछे गए प्रश्न अनुसार सामग्री के वितरण के पूर्व या खरीदी या आपूर्तिकर्ता की आपूर्ति के पूर्व कमेटी से जांच कराई

जाती है ? यदि हां तो कब-कब जांच कराई गई? **(घ)** कंडिका "ख" के अनुसार कौन-कौन दोषी पाए गए हैं एवं उन पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है? विकासखण्डवार बताएं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[2] अनुसार है। **(ख)** आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामग्री की गुणवत्ता अथवा केन्द्र संचालन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** जी हां। सामग्री प्रदाय उपरान्त परियोजना स्तरीय क्रय समिति द्वारा सामग्री का सत्यापन किया जाता है। **(घ)** प्रश्नांश 'ख' के प्रकाश में शेष जानकारी निरंक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसे संशोधित कर दिया गया है । मैंने कल रात को ही देखा । मैंने प्रदेश के पूरे जिलों के बारे में प्रश्न पूछा था और इसमें सिर्फ तखतपुर लिख दिया गया है । मैंने तखतपुर के बारे में तो प्रश्न पूछा ही नहीं है । मैं आपसे विनती करता हूं कि इसको अगले सत्र के किसी दिन रख लीजिएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, इसको अगले सत्र में ले लेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- धन्यवाद ।

समाज कल्याण विभाग से जिला महासमुंद को विभिन्न मदों मेंप्राप्त राशि

[समाज कल्याण]

5. (*क्र. 937) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला महासमुंद में वर्ष 2023-24 से दिनांक 20/06/2025 तक किस किस मद से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि को किन-किन कार्यों में खर्च किया गया है?कार्य के नाम सहित मदवार जानकारी दें? **(ख)** क्या उपरोक्त समयावधि के दौरान सामग्री क्रय की गई है ? यदि हां तो किस किस प्रकार की सामग्री किस दर पर क्रय की गई है?क्या सामग्री क्रय में गड़बड़ी या अनियमितता के मामले सामने आए हैं? यदि हां तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है? वर्षवार बताएं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :(क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ**[3] अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब** अनुसार है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया जी से पूछना चाहथौं कि कतका अकन सामाजिक संस्था मन अनुदान बन आवेदन करे हवय और कौन-कौन संस्था ला अनुदान दिए जात हवय ?

---

[2] परिशिष्ट "दो"

[3] परिशिष्टि "तीन"

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का जो प्रश्न है, वह उससे अलग से हटकर प्रश्न पूछ रही हैं । उन्होंने मद के बारे में जानकारी चाही थीं, लेकिन अभी संस्था से संबंधित प्रश्न पूछ रही हैं । मैं बताना चाहूंगी कि फार्चून फाउन्डेशन द्वारा संचालित फार्चून नेत्रहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करमापटर, महासमुंद और शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित आशियाना वृद्धा आश्रम दलदली रोड, महासमुंद । ये दो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फार्चून फाउन्डेशन एन.जी.ओ. ला 2023-2024, 2024-25 और 2025-26 मा कतका अनुदान दिए गे हवय, यह मैं माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहथौं ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फार्चून फाउन्डेशन को 2023-24 में 23,59,440 रूपए, 2024-25 में 23 लाख रूपए और 2025-26 में 23,32,112 रूपए का अनुदान दिया गया है ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया के द्वारा जो उत्तर मोला उपलब्ध कराए गे हे, ओ उत्तर मा अभी मंत्री महोदया बोलिन कि 23 लाख समथिंग उपलब्ध कराए गे हे, लेकिन मोला जो प्रश्नोत्तरी में उत्तर दिए गे हे, ओमे 2023-24 में 21 लाख रूपए, 2024-25 मा 11 लाख रूपए और 2025-26 में 10 लाख रूपए दे के जानकारी हे । तो ये मंत्री महोदया के मौखिक उत्तर अउ मोला जो लिखित उत्तर मिले हे, ओमे अंतर काबर हवय ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में जो उत्तर मुझे मिला है, जो 11 लाख के बारे में माननीय सदस्या बता रही हैं, वह 23 लाख के दो किस्तों में दिया गया है, इसलिए उसमें 11 लाख दर्शाया गया है।

श्रीमती चातुरी नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोला जेन जवाब मिलथे, वो गलत जवाब मिलथे, फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदया जी से निवेदन करिहॉ कि ऐखर एकबार जॉच करा लिहीं। मोर अगला सवाल हे, संस्था के कार्यालय कहॉ हावय और संस्था द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान के का उपयोग करे गे हावय? येला माननीय मंत्री महोदया बताये के कष्ट करिही?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संस्था फॉर्चून नेत्रहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कर्मापटपर, महासमुंद में है। माननीय सदस्या, ओखर बजट के उपयोग ला पूछथस?

अध्यक्ष महोदय :- कहॉ-कहॉ खर्च किए?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हर संस्था में अलग-अलग मांग रहती है, उसमें वेतन का भी रहता है, वस्त्र का भी रहता है, भोजन का भी रहता है।

अध्यक्ष महोदय :- इनको डिटेल उपलब्ध करा देंगे। पूरी जानकारी माननीय प्रश्नकर्ता को दे देंगे कि किस-किस मद में कितना-कितना दिया गया।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी बिल्कुल। हम लोग डिटेल उपलब्ध करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आपका मूल प्रश्न है, आखिरी प्रश्न पूछिए।

श्रीमती चातुरी नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहत हों कि का फॉर्चून फाऊंडेशन सरईपाली विधान सभा के केंदूढार में संचालित हावय अऊ ओखर द्वारा अनुदान लिए जात हावय?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार संस्था का नाम पुन: दोहरायेंगी?

अध्यक्ष महोदय :- संस्था का नाम बताइए?

श्रीमती चातुरी नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फॉर्चून फाऊंडेशन सरईपाली विधान सभा के केंदूढार में संचालित हावय का?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फॉर्चून नेत्रहीन विद्यालय, बस एक ही जगह कर्मापटपर, महासमुंद में ही संचालित है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक, पर्याप्त हो गया। अऊ बाचे हे?

श्रीमती चातुरी नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अऊ बाचे हे। मोर क्षेत्र के बात हे, त दू मिनट मोला समय देवव।

अध्यक्ष महोदय :- हॉ-हॉ। चल भई, छोटे-छोटे पूछ ले।

श्रीमती चातुरी नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय मोला विधान सभा सत्र के दौरान ये जवाब उपलब्ध कराये गे रहिसे कि फॉर्चून फाऊंडेशन सरईपाली के केंदूढार में चलत हावय और वहॉ ओमन ह अनुदान देवथे लेकिन ये सिर्फ कागज में ही संचालित हावय। का मैडम जी, ऐखर ऊपर कार्रवाई करिहीं?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ कर्मापटपर पर ही संचालित है और अगर माननीय सदस्या को ऐसा लग रहा है कि पूर्व सत्र के दौरान उनके प्रश्न में ऐसा विषय आया है, तो मैं उसे एक बार चेक करवाऊँगी।

अध्यक्ष महोदय :- कोई शिकायत है, तो आप दे दीजिए, जांच करा लेंगी। धन्यवाद।

श्रीमती चातुरी नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एकठन नानचुन सवाल हे।

अध्यक्ष महोदय :- तोर तो सबे बात के जवाब दे डारिस ना। जांच बर बोल डारेहे, सब बोल डारेहे। अऊ का बाकी हे?

श्रीमती चातुरी नन्द :- बस, एकेठन नानचुन सवाल हे।

अध्यक्ष महोदय :- चल, आखिरी।

श्रीमती चातुरी नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर क्षेत्र में एक संस्था 'उड़ान' करके संचालित हॉवय अऊ ऐला एक महिला ह संचालित करत हॉवय अऊ लगभग दस साल हो गेहे। 'उड़ान' के नाम से वो संस्था संचालित होवथे लेकिन ओ संस्था ला आजतक अनुदान नई मिल पाये हे। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहहूँ कि मोर क्षेत्र के वो संस्था ला भी अनुदान दिए जाए। अईसे मैं निवेदन करत हों।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, परीक्षण करा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री भईया लाल राजवाड़े जी।

विकलांग पेंशन योजना के प्राप्त आवेदनों का निराकरण

[समाज कल्याण]

6. (*क्र. 887) श्री भईया लाल राजवाड़े :- क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया में शासन द्वारा प्रदाय विकलांग पेंशन योजना के लिए वर्ष 2002 सर्वे सूची में नाम नहीं होने पर पेंशन हेतु अपात्र किया जाता है? यदि हॉ तो किस नियम के तहत किया जाता है? क्या सर्वे कराकर छूटे हुए विकलांग लाभार्थी का नाम जोड़ने हेतु कोई प्रावधान विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिससे छूटे हुये लाभार्थी का नाम जोड़ा जाकर योजना का लाभ दिया सके? (ख) विकलांग पेंशन योजना में शासन के किस प्रावधान के तहत पात्रता निर्धारित की जाती है? (ग) बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया में विकलांग पेंशन योजना हेतु वर्ष 2018 से 2025 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? (घ) कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है जिसमें कितने पात्र एवं कितने अपात्र हुए और अपात्र होने का कारण क्या है? (ड) विकलांग पेंशन योजना हेतु हितग्राहियों का नाम जोड़ने कब-कब सर्वे किया गया है? (च) संबधित विभाग द्वारा छूटे हुये विकलांग पेंशन योजना के हितग्राहियों हेतु क्या-क्या प्रावधान किया जा रहा है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- (क) जी हाँ । छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग का निर्देश क्रमांक ऍफ़ 7-03/2014/सक/26, दिनांक 28/04/2014 के अनुसार किया जाता है । जी नहीं, वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है । (ख) दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजना में छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग का निर्देश क्रमांक एफ 7-03/2014/सक/26, दिनांक 28/04/2014 के अनुसार पात्रता निर्धारित किया जाता है । (ग) बैकुंठपुर, जिला-कोरिया में दिव्यांग पेंशन हेतु वर्ष 2018 से 2025 तक 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं। (घ) सभी प्राप्त 21 आवेदनों का निराकरण किया गया है, जिसमें सभी पात्र हैं । (ड.) दिव्यांगजनों के लिए संचालित पेंशन योजना में हितग्राहियों का नाम जोड़ने हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया है। (च) दिव्यांगजनों के लिए संचालित पेंशन योजना से छूटे

हुए हितग्राहियों के लिए विभाग द्वारा जन जागरूकता शिविर आयोजित कर पात्रता अनुसार अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री भईया लाल राजवाड़े जी विधान सभा के इस सत्र में आज पहिली बार खड़े हुए हैं और आपको पूरा छत्तीसगढ़ चश्मा और टोप के साथ देखना चाहता है, तो आप थोड़ा अच्छे से प्रश्न करिए।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- पहिले से डरवा दे रहे हो आप। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष जी, इनका बहुत जबरदस्त मूवी बन रहा है। (हंसी)

श्री भईया लाल राजवाड़े :- वह आपके साथ बन रहा है क्या? (हंसी)

श्री अनुज शर्मा:- वह रोल फाईनल हो गया है, ये हम सारे युवा विधायकों को कॉम्प्लेक्स देते हैं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :-इनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शिकारी की भूमिका के लिए सलेक्शन हो गया है।

श्री रामविचार नेताम :- अभी सूटिंग स्थल से ही सीधे आ रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- और अगर भईया लाल जी के प्रश्नों का सही उत्तर मंत्री जी देंगे, तो ये टोपी निकालकर डिंग-डांग करेंगे। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न करिये।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया की ओर से मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया है लेकिन इसमें कुछ सही है और कुछ गलत भी है। मैं मंत्री महोदया जी को गलत नहीं मानता बल्कि मैं उनके विभाग को गलत मानता हूं कि उन्होंने गलत जानकारी दी है। मैंने जो पूछा था उसके हिसाब से सही जानकारी नहीं मिली है। मैंने यह पूछा था कि विकलांगों के लिए कितने आवेदन आये थे। उन्होंने जवाब में बताया कि वर्ष 2018 से वर्ष 2025 तक मात्र 21 आवेदन आये हैं और 21 के 21 आवेदनों का निराकरण हो गया। यह क्या है ? क्या और आवेदन नहीं आये थे ? यदि गलत जानकारी देकर मंत्री जी को फंसाने का काम करते हैं तो विभाग वाले करते हैं। मेरी तरफ से सब ठीक है। मैं मंत्री जी से ज्यादा पूछताछ नहीं करूंगा। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग एक ही जिले के हैं।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो जवाब आया था कि 21 आवेदन ही आये हैं, वह उन्हीं के विभाग का जवाब है। उसमें उन्होंने 3 आवेदन को रिजेक्ट किया है। आपने उनको क्यों रिजेक्ट किया ? जब आपने 21 में से 21 आवेदनों का निराकरण कर दिया तो 3 आवेदन रिजेक्ट क्यों हो गये ? क्या यह आवेदन सपने में आ गये ?

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, अब ओकर बाद में हर का प्रश्न करहूं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप यहां तो केवल प्रश्न ही कर सकते हैं।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- मैं ओखर से कुछू नहीं पूछु।

अध्यक्ष महोदय :- आप या तो उनसे प्रश्न पूछिये या तो उन्हें आशीर्वाद दे दीजिये।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, मैंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। हो गया।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या- 7। श्री ब्यास कश्यप।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब देना चाहती है। मैंने तो कार्यवाही आगे बढ़ा दी थी।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विभाग मेरे पास है और माननीय सदस्य इसमें इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं इसलिए मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। यह माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं और यहां हमारे मार्गदर्शक भी हैं। उनके प्रश्न में यह था कि बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में दिव्यांगों के कितने आवेदन आये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सिर्फ बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के बारे में पूछा था। चूंकि बैकुण्ठपुर नगर पालिका है और नगर पालिका में सिर्फ 21 आवेदन आये हुए हैं और 21 आवेदन पात्र पाये गये हैं इसलिए हमने जवाब में यह बताया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बढ़िया है। ठीक है।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, मैं नगर पालिका की बात नहीं कर रहा हूं। मैं विधान सभा की बात कर रहा हूं कि विधान सभा क्षेत्र में कितने आवेदन आये हैं। आपने बताया कि 21 आवेदन आये। क्या 21 आवेदनों के अतिरिक्त और आवेदन नहीं आये ? अभी सुशासन तिहार में इतने आवेदन आये हैं। (हंसी) उनका निराकरण कहां हुआ है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बैकुण्ठपुर से सिर्फ 21 आवेदन प्राप्त हुए थे और अगर मैं बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत की बात करूं तो वहां से 368 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उसमें से हमने 265 आवेदन पात्र किये हैं और 103 आवेदन अपात्र किये गये हैं।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में 21 आवेदन बताया है और यहां 368 आवेदनों की जानकारी दे रही हैं। मैंने तो प्रश्न में पूछा है कि हमारे विधान सभा का ही आंकड़ा बता दीजिये तो आपने जवाब में बताया कि केवल 21 आवेदन आये थे और पूरे 21 आवेदनों का निराकरण हो गया। तो यह 3 आवेदन कहां से आये हैं ? मैंने उसी में से निकलवाकर मंगाया है। 21 के बाद 3 कितने होते हैं ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भईयालाल जी का कोई आवेदन आया है और उसका निराकरण हुआ कि नहीं हुआ, वह महत्वपूर्ण है।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो उस संबंध में पूछ ही नहीं रहा हूं। आज कितने प्रकार के विकलांग होते हैं, वह मैंने अभी पूछा कहां है ? (हंसी) अध्यक्ष महोदय, अब इस विषय को समाप्त कीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है। ब्यास कश्यप जी।

विधान सभा क्षेत्र जांजगीर-जांपा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित केन्द्र

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

7. (*क्र. 978) श्री ब्यास कश्यप :- क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कितने केन्द्र संचालित हैं? संचालित केन्द्रों में कितने स्वयं दुकान सह गोदाम युक्त हैं तथा कितने भवनविहीन हैं? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के अनुसार क्या नगरपालिका क्षेत्र जांजगीर-नैला एवं चांपा में नये केन्द्र प्रारंभ करने की योजना है? यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- (क) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 106 शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित है। इनमें से विकासखण्ड नवागढ़ में 25 उचित मूल्य दुकान में दुकान सह गोदाम हैं तथा 55 उचित मूल्य दुकान में स्वयं के दुकान सह गोदाम नहीं हैं। विकासखण्ड बलौदा में 07 उचित मूल्य दुकान में दुकान सह गोदाम हैं तथा 02 उचित मूल्य दुकान में स्वयं के दुकान सह गोदाम नहीं हैं। विकासखण्ड बम्हनीडीह में 17 उचित मूल्य दुकान में स्वयं के दुकान सह गोदाम नहीं है। **(ख)** जी हां, नगरपालिका क्षेत्र जांजगीर-नैला में नवीन उचित मूल्य दुकान प्रारंभ करने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। नवीन उचित मूल्य दुकान के लिए जारी विज्ञापन के संबंध में दायर प्रक्ररण में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने के कारण अग्रिम कार्यवाही स्थगित है। नगरपालिका चांपा में 01 नवीन उचित मूल्य दुकान प्रारंभ करने हेतु प्रक्रिया प्रचलित है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यख महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसमें जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राशन दुकान के संबंध में जो जानकारी आयी है, वह छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी चिंताजनक विषय है कि मोदी जी की गारंटी और 3-3 महीने तक..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं वाक्यांश पूरा कर देता हूं। मोदी जी की गारंटी और विष्णु का सुशासन।

श्री ब्यास कश्यप :- हां ठीक है। अध्यक्ष महोदय, हम सुशासन से चाह रहे हैं कि अब काम भी हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे 106 दुकानों की जानकारी मिली है जो जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित हो रही हैं परंतु गोदाम की इतनी कमी है कि 106 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में मात्र 32 ही गोदाम है और आज भी 74 गोदाम नहीं बन पाये हैं। कई दुकानदार जो गोदाम में नहीं है, प्राईवेट में हैं। इस बार बरसात के पहले आप लोगों ने उनको 3-3 महीने का राशन दिया है तो उसे रखने की भी समस्या है। माननीय मंत्री महोदय, क्या उनके लिए गोदाम उपलब्ध करा पायेंगे?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी यह बता रहे हैं कि आज भी 74 राशन दुकानों में भवन नहीं है। यह बात सही है। उन 74 राशन दुकानों में 34 निजी भवन में और 40 अन्य शासकीय भवनों में चल रहा है। माननीय विधायक जी की भवन स्वीकृति के संबंध में चिंता है। तो इसकी मनरेगा और डी.एम.एफ. फण्ड या समग्र योजना के तहत स्वीकृति होती है और हम इस पर भी देखते हैं, अभी हम विभागीय अधिकारी से चर्चा करेंगे कि यह कहीं हो सकता है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि माननीय मंत्री जी ने चिंता की है कि मनरेगा से स्वीकृत हो, किंतु मनरेगा तो चल ही नहीं रहा है। मनरेगा से तो भवन स्वीकृति की बात ही नहीं है। यदि डी.एम.एफ. फण्ड की बात करते हैं तो आप एक निश्चित सीमा तक डी.एम.एफ. फण्ड खर्च कर सकते हैं। मैं तो यह चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी जितनी भी राशन दुकानें संचालित हैं, उन सभी राशन दुकानों के लिए गोदाम की व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोगों ने भी 3-3 महीने के लिए राशन उपलब्ध कराया है उसे रखने की व्यवस्था नहीं होने के कारण, बरसात में खुले में चावल पड़ा हुआ है और वह सड़ रहा है। मैं जांजगीर-चांपा ही नहीं, वरन् छत्तीसगढ़ में ऐसी जितनी भी राशन दुकानें संचालित हैं, आप कृपा करके, उनके लिए एक पूरी योजना बना दीजिए। किसी भी योजना के तहत् उन राशन दुकानों के लिए भवन हो जाए। सरकार आती-जाती रहती है, परन्तु छत्तीससगढ़ में राशन व्यवस्था गारण्टी या खाद्य सुरक्षा गारण्टी लागू है, उनको तो चावल, शक्कर देना ही देना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सदस्य महोदय, एक मिनट। जब आपका शासन आया था तो प्रदेश में जितनी राशन दुकानें थीं तो उनको केवल तिरंगा रंग में पोताई करवाएं थे, एक भी नयी राशन दुकान नहीं बनवायी। आप समझ गये। आप यहां लम्बी-लम्बी मांग कर रहे हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप प्रदेश की राशन दुकानों को दो रंगा, रंग में पोताई करवा लीजिए। आपको उन दुकानों को पोताई करवाने के लिए कौन मना कर रहा है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अपने कार्यकाल में आप लोगों ने एक भी नयी राशन दुकान नहीं बनवायी, केवल तीन रंगों में पोताई करवाई थी।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पोताई करवाई थी, लेकिन आप लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उसे मनरेगा और डी.एम.एफ. फण्ड से बनाने की बात करते हैं। मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए योजना की बात कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य महोदय, आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही प्रश्न है कि क्या किसी एक निश्चित योजना से 74 दुकानों में बता दीजिए कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में इस योजना से गोदाम तैयार हो जाएंगे। मेरा यही आग्रह है कि आप यही घोषणा करवा दीजिए।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां जो 74 दुकानें हैं, वहां पर भवन ही नहीं है। हमारे विभाग में भी इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है। इसलिए विधायक जी जो बात कह रहे हैं उसमें हम माननीय पंचायत मंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि समग्र विकास की योजना से जो कुछ 2-4 भवन बनते हैं, वह स्वीकृत करें।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों में एक ही का उत्तर आया है। जांजगीर नैला नगर पालिका, जहां 60 हजार की आबादी है। वहां के लोग लगभग-लगभग राशन के लिए मात्र 8 दुकानों पर ही आश्रित हैं। वहां पर एक-एक दुकानदार 5-5, 7-7 राशन दुकानों का संचालन कर रहे हैं। अभी 3 महीने का चावल लेना है या वहां एक महीने का भी लेने जाना पड़ता है तो मजदूर भाई अपनी रोजी-रोटी को मारकर, सामान्यत: लाईन लगाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप आज मत आना, कल आना और परसों आना। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करता हूँ कि जब वहां हितग्राहियों और राशन दुकानों की संख्या अधिक है तो हमें दुकानों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जब वहां पर 25 वार्ड हैं और वहां मात्र 8 दुकानें संचालित हैं। वहां कई लोग तो 9-9 वार्ड के दुकान के मालिक बन बैठे हैं और वह एक ही जगह से संचालित होते हैं, जहां लम्बी लाईनें लगती हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप भविष्य में राशन दुकानों की संख्या बढ़ायेंगे या नहीं?

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भविष्य में राशन दुकानों की संख्या बढ़ायेंगे या नहीं?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर नैला में राज्य शासन युक्तियुक्तकरण के तहत् नवीन राशन दुकानों का प्रारंभ करता है। जांजगीर नैला में 08 एवं चांपा में 01, इस प्रकार कुल 09 नवीन राशन दुकानें जारी करने विज्ञापन दिनांक 24.12.2020 को जारी किया गया था जिसमें जांजगीर-नैला की 8 दुकानों में उच्च न्यायालय से स्थगन है। इस तरह नये दुकान खोलने की प्रक्रिया स्थगित है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, न्यायालय में प्रकरण है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 में विज्ञापन निकला था। चांपा में

स्थगन हुआ था तो चांपा में नवीन दुकान आवंटन के लिए पेपर में विज्ञापन आ चुका है। पर वर्ष 2022 के बाद अब 2025 चल रहा है, न्यायालय का स्थगन कब तक रहेगा? स्थगन की भी एक सीमा रहती है। स्थगन तो कब का समाप्त हो गया है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि क्या नये सिरे से विज्ञापन जारी किये जायेंगे?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण उच्च न्यायालय में है। इसमें चर्चा नहीं हो सकती, वहां से जब तक ये प्रकरण का निराकरण नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, न्यायालय से प्रकरण का निराकरण करायें। दलेश्वर साहू जी।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- हो तो गया।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि अगर 8 दुकान से संचालित हो रहे हैं, संचालनकर्ता व्यक्ति 8 लोग हैं, 25 वार्ड हैं। हाईकोर्ट को जो निर्णय आयेगा, बाद में आयेगा। क्या वही दुकानदार उन वार्डों में अपनी राशन दुकान खोलेंगे ? आप उन्हीं को सौंप दीजिए ताकि उनकी दुकानों की संख्या बढ़ जाये। हाईकोर्ट का मामला भी खत्म हो जायेगा, जनता को सुविधा भी बढ़ जायेगी।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोर्ट का प्रकरण है।

प्रदेश में स्थापित फोर्टीफाईड राइस कर्नल (एफ.आर.के.) मैन्यूफैक्चरिंग मिल

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (*क्र. 951) श्री दलेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- 1 मई, 2025 के पूर्व राज्य में कितने फोर्टीफाईड राइस कर्नल (एफ.आर.के.) मैन्यूफैक्चरिंग मिल स्थापित थे? क्या जून, 2025 तक उक्त मैन्यूफैक्चरर से एफ.आर.के. की खरीदी की जा रही है? पूर्व में पंजीकृत या स्थापित मिलों से एफ.आर.के. क्रय नहीं किये जाने का क्या प्रमुख कारण है? सरकार के पास उन मिलरों के लिए क्या योजना है? 1 मई, 2025 के पूर्व में एफ.आर.के. खरीदने की क्या व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में बदलाव कर टेंडर करने के क्या कारण हैं? जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : 1 मई, 2025 के पूर्व राज्य में 94 फोर्टीफाईड राइस कर्नेल (एफ.आर.के.) मैन्यूफैक्चरिंग मिले पंजीकृत थे। 01 मई 2025 से केवल निविदा के माध्यम से छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों से चयनित एवं सूचीबद्ध एफ.आर.के. आपूर्तिकर्ताओ से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल क्रय कर एफ.आर.के की व्यवस्था मिलिंग हेतु की जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु राज्य शासन द्वारा जारी कस्टम मिलिंग नीति दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से विपणन संघ द्वारा फोर्टिफाईड

राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की व्यवस्था एवं खरीदी के लिए टेंडर के माध्यम से दर निर्धारित किये जाने तथा उक्त निर्धारित दरों पर एफ.आर.के व्यवस्था संबंधी निर्देश दिए गए। तदानुसार विपणन संघ द्वारा निविदा जारी तिथि 30.11.2024 उपरांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निविदा के माध्यम से चयनित एवं सूचीबद्ध एफ.आर.के. आपूर्तिकर्ताओ को एफ.आर.के. आपूर्ति हेतु दिनांक 01 मई 2025 को कार्य आदेश जारी किया गया। निविदा मे सफल निविदाकारों को कार्यादेश जारी किया जाता है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। 1 मई, 2025 के पूर्व राइस फोर्टिफिकेशन हेतु आवश्यक एफ.आर.के की व्यवस्था मिलरों द्वारा विभिन्न एफ.आर.के निर्माताओं से भिन्न-भिन्न दरों पर क्रय कर किया जाता था। शासन द्वारा जारी कस्टम मिलिंग नीति अनुसार उक्त व्यवस्था में बदलाव कर टेन्डर कार्यवाही की गई।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न प्रदेश में स्थापित फोर्टीफाईड राइस कर्नेल (एफ.आर.के.) मैन्यूफैक्चरिंग मिल के संबंध में है। मेरा प्रश्न है कि राज्य में 94 फोर्टीफाईड राइस कर्नेल (एफ.आर.के.) मैन्यूफैक्चरिंग मिल पंजीकृत हैं और स्थापित भी हैं। शासन द्वारा जारी कस्टम मिलिंग नीति अनुसार 1 मई 2025 को व्यवस्था में बदलाव कर टेंडर की कार्यवाही की गई जिसमें आपने राज्य के अधिकतम मिलरों को छोड़कर अन्य राज्य जैसे पंजाब को शामिल करने का क्या कारण है? हमारे राज्य में 94 फोर्टीफाईड राइस कर्नेल (एफ.आर.के.) मैन्यूफैक्चरिंग मिल स्थापित हैं, पर हमारे को आधे को छोड़कर आपने अन्य पंजाब जैसे राज्य को टेंडर में शामिल करने का मौका दिया, इसका मैं कारण जानना चाहता हूं ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी की चिंता है कि 1 मई 2025 के पूर्व राज्य में राज्य में 94 फोर्टीफाईड राइस कर्नेल (एफ.आर.के.) मैन्यूफैक्चरिंग मिल पंजीकृत थे। वर्ष 2024-25 के पूर्व की कस्टम मिलिंग में राज्य शासन द्वारा एफ.आर.के. खरीदी का प्रावधान मिलर को था। राइस मिलरों द्वारा एफ.आर.के. निर्माताओं से एफ.आर.के. खरीदकर फोर्टिफाईड चावल कस्टम मिलिंग में जमा किया जा रहा था। उक्त प्रक्रिया में राइस मिलरों को अधिकतम 73 रुपये प्रति किलो एफ.आर.के. हेतु दिया जा रहा था।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि आपने अन्य राज्य को मौका क्यों दिया ? हमारे यहां राज्य में 94 फोर्टीफाईड राइस कर्नेल (एफ.आर.के.) मैन्यूफैक्चरिंग मिल स्थापित हैं और आपने 54 को शामिल किये। 54 के साथ में 94 को भी नीति निर्देश में शामिल कर लेना था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बाहर के राज्य को शामिल करने का क्या कारण है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग अनुसार एफ.आर.के. व्यवस्था का प्रावधान मार्कफेड द्वारा निविदा के माध्यम से किया गया। दिनांक 30.11.2024 को निविदा जारी की गई एवं 30.12.2024 को निविदा की दर ऑनलाईन बोली के माध्यम से निर्धारित थी, किन्तु उच्च न्यायालय का स्थगन होने के कारण पूरी प्रक्रिया दिनांक

15.4.2025 को पूर्ण कर ली गई। उसके बाद मैं हमारे आदरणीय विधायक जी को कहना चाहूंगा कि एफ.आर.के. की टेंडर प्रक्रिया में पूरे राज्य के 33 जिलों को 19 ग्रुप में बांटा गया जिसका उद्देश्य अधिकतम मिलों की भागीदारी सुनिश्चित करना था । इस 19 ग्रुप में कुल 54 एफ.आर.के. निर्माताओं को एफ.आर.के. सप्लाई हेतु सूचीबद्ध किया जिसमें से 43 निर्माता छत्तीसगढ़ राज्य के हैं और 11 बाहर के हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय विधायक जी को यह बताना चाहूंगा कि इसमें हमने सभी भागीदारी के लिए निविदा नियमों में अनुभव, टर्नओवर, अमानक एवं सुरक्षा निधि में छूट, किराए के मिलों को भाग लेने की अनुमति का प्रावधान किया ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार भी कर लिया कि हमने अन्य 10 राज्यों को शामिल किया । ठीक है, अगर आप हमारे ही प्रदेश के मिलरों को प्राथमिकता देते तो शायद यह प्रश्न उठता भी नहीं लेकिन आपने हमारे ही मिलरों का गला घोंटकर अन्य प्रदेश के मिलरों को शामिल करके अर्थात् आपका योजनाबद्ध तरीका क्या था ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस व्यूहरचना में आपका क्या योगदान था ? चलिये, ठीक है । मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूं न । मैं इसमें उत्तर दे देता हूं ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, आपने उत्तर तो दे ही दिया है । इसमें शामिल तो कर ही लिया है ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और उत्तर दे देता हूं कि क्यों किये हैं । इन 19 ग्रुप में जो एफ.आर.के. निर्माता सबसे कम एल-1 पर काम करने को तैयार थे उसे भी सूचीबद्ध कर काम दिया गया है और मैं इसमें स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान व्यवस्था से एफ.आर.के. क्रय एवं उसके मीलिंग हेतु मात्र 53 रूपये प्रति किलोग्राम व्यय हो रहा है जिससे इस वित्तीय वर्ष में लगभग हमारी सरकार का 100 करोड़ रुपए बचत का अनुमान है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया न । बहुत जवाब दे दिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब रेट बता दिया है तो मैं वही पूछना चाह रहा हूं । चूंकि आप वित्तीय घाटे की बात कर रहे हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले वर्ष 2023-24 में जो खरीदा । खरीफ विपणन वर्ष 2024-2025 के पूर्व केंद्र शासन द्वारा राज्य शासन पी.डी.एस. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से एफ.आर.के. के प्रति किलो की दर क्या निर्धारित थी और कितने में खरीदते थे और अभी वर्तमान में जो आपने निविदा प्रक्रिया के तहत अन्य राज्यों को और कुछ अपने ही

राज्य को ही शामिल किया है उसमें रेट में कितना अंतर है ? आप यह बता दीजिए कि केंद्र शासन कितने में खरीदना चाह रहे थे, प्रति किलो कितना था और फिर आपने कितने में खरीदा और अभी वर्तमान में कितने में खरीद रहे हैं, बस इन तीनों का बता दीजिये ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विधायक जी को बताया है कि यह 73 रूपये प्रति किलो पूर्व की व्यवस्था में था । वर्तमान में जो है इसका अभी जो रेट आया है उसमें 46 रूपये औसत दर है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत हो गया ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष महोदय :- बता तो दिये, सब बता दिये । हो गया । अजय चंद्राकर जी ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । मैं यह पूछना चाहता हूं, मेरा बस एक आखिरी प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- सारे प्रश्न आ गये । लंबा मत करिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे-छोटे प्रश्न हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने पूरे जवाब दे दिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, अधूरा है ।

अध्यक्ष महोदय :- इससे ज्यादा और क्या बतायेंगे ?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूं । माननीय मंत्री महोदय, आपने जो 71 रूपये रेट बताया है । क्या उस रेट में व्यापारी को दिया है ? मुझे यस-नो में उत्तर चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने 71 रूपये जारी किया है, आप जो 71 रूपये बता रहे हैं तो क्या व्यापारी को 71 रूपये दिये हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- यस या नो ? हां या नहीं ?

श्री दलेश्वर साहू :- यस या नो ?

श्री दयालदास बघेल :- आप पूर्व की बात कर रहे हैं । पूर्व में...।

श्री अजय चंद्राकर :- यस बोल दे न ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि केंद्र शासन ने 71 रूपये में मांगा कि हम 71 रूपये प्रति किलो देंगे लेकिन क्या आपने व्यापारी को 71 रूपये प्रति किलो दिया है ?

श्री दयालदास बघेल :- नहीं, अभी तो नहीं । मैं तो पूर्व की बात कर रहा हूं ।

श्री दलेश्वर साहू :- नहीं, अभी का तो नहीं । पूर्व में 71 रूपये दिये हैं ।

श्री दयालदास बघेल :- उस समय 73 रूपये के हिसाब से भुगतान किया था।

अध्यक्ष महोदय :- रेट कम हो गया।

श्री दयालदास बघेल :- अभी नयी व्यवस्था में उसका रेट बहुत कम है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपने व्यापारी को 71 रूपये दिये हैं क्या? Yes or No इतना ही उत्तर चाह रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- Yes या No, हां या नहीं।

श्री दलेश्वर साहू :- आपने दिया है क्या? केन्द्र सरकार ने 71 रूपये तय किया, उसमें आपने व्यापारी को किसी भी समय में पैसा दिया है क्या?

श्री दयालदास बघेल :- उसको दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री दलेश्वर साहू :- बस, यही पूछना चाह रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी। प्रश्न संख्या 9

रायपुर में संचालित शासकीय दिव्यांग महाविद्यालयका स्वीकृतसेटअप एवं संचालन

[समाज कल्याण]

9. (*क्र. 30) श्री अजय चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय, रायपुर अंतर्गत सेटअप स्वीकृत है?यदि हां तो सेटअप अनुसार कौन-कौन से पद भरे व रिक्त हैं? कौन-कौन से विषयों में अध्यापन कराया जा रहा है और कितने दिव्यांग छात्र अध्यनरत है? **(ख)** उक्त महाविद्यालय अंतर्गत अध्ययनरत छात्रों को अन्य क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं? **(ग)** उक्त महाविद्यालय के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था तथा राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गयी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :(क) जी, हाँ। भरे रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र †[4]'अ' अनुसार** है। शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय में दो विषय (1) बी.पी.ए. (बैचलर ऑफ परफार्मिंग आर्ट) मुख्य विषय हिन्दुस्तानी गायन एवं तबला तथा (2) बी.एफ.ए. (बैचलर ऑफ फाईन आर्टस) चित्रकला विषय में कक्षाएं संचालित है, विषयवार सूची **संलग्न प्रपत्र'ब' अनुसार** है। वर्तमान में 130 छात्र-छात्राएं अध्यनरत है। **(ख)** उक्त महाविद्यालय में अध्यनरत छात्रों को प्रदाय की जा रही सुविधाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'स' अनुसार** है। **(ग)** उक्त महाविद्यालय के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक प्रदाय किया गया बजट प्रावधान तथा व्यय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र'द' एवं 'इ'** अनुसार है।

---

4 † परिशिष्ट "चार"

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि प्रश्न के परिशिष्ट को आप भी देखिए और मैं इसमें कोई प्रश्न नहीं करना चाहता। मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूं और बहुत संवेदनशील विषय है। जब आप मुख्यमंत्री थे। पंचायत और समाज कल्याण का एक डायरेक्ट्रेट होता था तब हमने इस स्कूल को खोला था। इसमें आप देखेंगे, आपसे संरक्षण चाहता हूं, पढ़ देता हूं। फिर मैं पूछूंगा। जो 31 स्वीकृत पद हैं, उसमें दिव्यांगों के स्कूल में एक प्राचार्य को छोड़कर 30 पद खाली हैं। 23 पद प्लेसमेंट एजेंसी से हैं और प्लेसमेंट एजेंसी को मैं डिटेल करूंगा। अब आप प्रपत्र ब को पढ़ लीजिए, क्या-क्या पढ़ाते हैं, इसमें दिया है। बैचलर ऑफ फाईन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाईन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाईन आर्ट्स के विषय अलग-अलग दिए हैं। उसमें हिंदी भाषा, पर्यावरण आप देखेंगे। दो उसमें तबला सब है। फिर आप प्रपत्र स देखिएगा कि क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं और प्रपत्र द में आप देखिएगा कि दिव्यांगों के स्कूल का अनुदान प्रतिवर्ष कम हो रहा है। इस साल 2025-26 में 57 लाख रुपये है और आखिरी जो प्रपत्र है, उसमें क्या खर्च हुआ है, वह है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक प्रश्न था। माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, आप हैं। आपके समय में यह स्कूल खुला, प्लेसमेंट एजेंसी के पंजीयन, मैन सप्लाई इसकी निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? तो श्रम मंत्री ने जवाब दिया था कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ में किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी को नहीं जानता जो तबला वादक या चित्रकला सिखाने वाले मैन पावर की सप्लाई करता हो। पूरे के पूरे पद खाली हैं। अब आप खर्चे को देखेंगे तो हर साल सिर्फ फर्नीचर खरीद रहे हैं और भोजन में व्यय हो रहा है या पेट्रोल-डीजल में व्यय हो रहा है। माने विकलांगों के स्कूल के साथ मजाक हो रहा है। यदि बजट लगातार कम हो रहे हैं, मैं आपसे आग्रह इतना ही करूंगा। इसमें क्या पूछूंगा? क्या पूछने लायक है और मैं इसमें क्या आश्वासन लूंगा? मैं आपसे यह चाहता हूं कि यदि सरकार इसको नहीं चलाती, चीफ सेक्रेटरी महोदय भी सुन रहे हैं, नहीं चला सकते तो इसको किसी एन.जी.ओ. को दे देना चाहिए । लेकिन मुझको एक लाइन भर बता दे कि कौन सा ऐसा एन.जी.ओ है जो तबला वादक और जो-जो इसमें कला है, फाईन आर्ट्स के चित्रकला के मैन पावर को सप्लाई करता हो। उस एन.जी.ओ. का नाम बताएं और उससे मैं मिलना चाहता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- यही डबल इंजन के प्रभाव हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- का चीज संवेदनशील हे, ते सब चीज ला गरवा चरई समझ लेथेस।

श्री रामकुमार यादव :- मेहा गरवा भी चलाथव, अउ लाठी भी चलाथव।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, इसमें कोई प्रश्न..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसमें कुछ बोलना चाहें, कुछ करना चाहें तो वे जानें, मैं सदन के सामने इस बात को लाना चाहता था या तो इसको बंद कर दें या किसी

एन.जी.ओ. को दे दें और चलाए तो ठीक से चलाए और ठीक से चलाने के लिए यदि कुछ कदम उठा रहे हो तो बता दें। नहीं तो इससे अतिरिक्त मेरा कोई प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, बताना चाहें तो बता दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकई में माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न लगाया है, काफी संवेदनशील है, इस प्रश्न में काफी गहराई है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब आप मुख्यमंत्री थे, उसी टाइम महाविद्यालय के पद स्वीकृत हुए थे। यह प्रश्न आने के बाद मैं भी आश्चर्यचकित हुई कि इतने लंबे समय के बावजूद भी इस पद को क्यों नहीं भरा गया? सिर्फ एक पद भरा गया है, बाकी सब खाली हैं। मुझे भी इस बात की काफी तकलीफ है। हम दिव्यांग बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। अब किसकी गलती है, मैं नहीं जानती। लेकिन कहीं न कहीं हम दिव्यांग बच्चों की भावनाओं को शायद नहीं समझ रहे हैं। इतने लंबे समय तक ऐसा विषय आ रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष 2017 की बात है, जब पद स्वीकृत हुई। 5 साल, बात तो वहीं तक लाना पड़ता है कि 5 साल इस पद में क्योंकि वर्ष 2018 में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, इस पर पूर्ववर्ती सरकार की जो विभागीय मंत्री हैं, इस पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की, इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया? मैं भी अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझती हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब आपको डेढ़ साल से ऊपर हो गए ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- मैं भी वही कह रही हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- पिछली सरकार और अगली सरकार की बात नहीं करनी है, आपका मंत्रालय और आप उस पर क्या कर सकती हैं, आगे बढ़ने की बात करिये । पीछे जो हुआ है उसकी ग़लती के लिए आज विवरण नहीं देना है । आप भविष्य में क्या करेंगी, उतना ही बता दीजिए । उतना ही पर्याप्त होगा ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- मैं उसी बात पर आ रही थी कि मुझे विभागीय अधिकारियों के माध्यम से शायद जानकारी प्राप्त नहीं हुई या मैं उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाई । मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूं । अब मुझे माननीय सदस्य के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है । वैसे हम अभी फिलहाल में चूंकि पहली प्राथमिकता में छोटे बच्चों के पद भी खाली थे तो इस डेढ़ साल में हमको 112 पद की स्वीकृति कुछ दिनों पहले मिली है । अब यह बात संज्ञान में आई है तो जल्द ही हम फाइल बढ़ाकर रिक्त पदों को भरेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अनुदान क्यों घट रहा है ? प्लेसमेंट की जांच कीजिए, मैं ऐसी कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं जानता जो तबला वादक सप्लाई करे, संगीत की पेटी बजाने वाला सप्लाई करे या चित्रकला सिखाने वाला सप्लाई करे । मैं छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं जानता और लगातार इसका अनुदान क्यों घट रहा है, यह बताइए ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम में जो बजट स्वीकृत हुआ था, उसमें अधिकतर प्लेसमेंट में ही चल रहे हैं तो खर्चे भी कम हो रहे हैं । इसलिए बजट में कमी आ रही है और बाकी चीज मैं माननीय सदस्य जी को उपलब्ध करा दूंगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले को पूरा सदन जाने, मुझे कुछ नहीं जानना है, संवेदनशील मामला है इसलिए मैंने उल्लेख किया, दोनों उप मुख्यमंत्रीगण भी बैठे हैं, चीफ़ सक्रेटरी साहब का भी उल्लेख किया । आपका प्लेसमेंट शुरू से चल रहा है । पद तो शुरू से ही रिक्त हैं तो फिर 97 लाख से 57 लाख क्यों आ गया ? प्लेसमेंट तो शुरू से चल रहा है । क्या कारण है कि आप उसका अनुदान घटवा रही हैं ? जो स्थिति में चल रहा है वह तो खुला उसी स्थिति में चल रहा है, यह तो आपने स्वीकार किया तो आप कब तक इस पूरे मामले को देखकर ठीक करेंगी, यह बता दीजिए ? अवधि बताइए, अन्यथा विज्ञापन निकालकर इसको प्रायवेट को दे दीजिए । दोनों में से एक रास्ता तय कीजिए । कितने दिनों में ठीक होगा ? दिव्यांगों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पद रिक्त हैं और पद की रिक्तता के कारण वेतन मद में कमी आ रही है । मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि विषय गंभीर है और हम जल्दी ही इस पर कार्यवाही करेंगे, भरेंगे इस पद को ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, जलदी कार्यवाही कीजिए ।

<u>उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के लंबित प्रकरण</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

10. (*क्र. 803) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कितने प्रकरण लंबित हैं? **(ख)** प्रदेश में गठित राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्यों के कितने पद रिक्त हैं?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :(क) प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 461 प्रकरण तथा विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में 8,741 प्रकरण लंबित है। **(ख)** राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्यों के 03 पद तथा जिला उपभोक्ता आयोगों में सदस्यों के 20 पद रिक्त है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैंने उपभोक्ता आयोग के राज्य एवं जिला आयोग के रिक्त पदों की जानकारी चाही थी । समय कम हैं, मैं आपसे प्वाइंटेड सवाल पूछ लेता हूं । कितने ज़िलों में इसका गठन नहीं किया गया है और जो रिक्त पद हैं, 20 और 03, जिनकी जानकारी आपने दी है । चूंकि उपभोक्ता परेशान हैं । ये पद कब तक भर दिए जाएंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, विभाग की भी पूर्ण मंशा है और विभाग भी चाहता है कि नियुक्तियां की जाएं । चूंकि 31.05.2025 के पूर्व तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी । इसीलिए भर्ती नहीं हो पाई है । मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगा कि दिनांक 31.05.2025 को माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा भारत सरकार को 4 माह के भीतर नवीन भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए हैं और भारत सरकार से नवीन भर्ती नियम प्राप्त होने के पश्चात् समय सीमा में भर्ती की कार्यवाही की जाएगी ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, इतना बता दें कि जिन जिलों में नहीं है, वहां अतिरिक्त प्रभार देकर वहां पर उपभोक्ताओं की बात को सुना जाएगा ?

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात को बताया है कि अभी आप जो पूछ रहे हैं, न्यायालय का प्रकरण है । अभी तो यहां...।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12.00 बजे

अध्यक्षीय व्यवस्था

प्राप्त प्रश्नों की सूचनाएं प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के अध्याय 7 एवं अध्यक्ष के स्थाई आदेश के अंतर्गत प्रश्नों की ग्राह्यता संबंधी नियमों व शर्तों के अंतर्गत ग्राह्य किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आज माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह ने अपने तारांकित प्रश्न क्रमांक 4 (क्र. 931) के संबंध में अनुरोध किया था कि उनका प्रश्न पूरे प्रदेश के सभी जिलों की जानकारी हेतु था। परंतु उन्हें तखतपुर विधान सभा क्षेत्र की जानकारी संशोधित होकर प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह सहित सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि प्राप्त प्रश्नों की सूचनाएं प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के अध्याय 7 एवं अध्यक्ष के स्थाई आदेश के अंतर्गत प्रश्नों की ग्राह्यता संबंधी नियमों व शर्तों के अंतर्गत ग्राह्य किये जाते हैं। मेरे द्वारा माननीय सदस्य की अधिकाधिक प्रश्न ग्राह्य हो सकें, इस हेतु वृहत जानकारी संबंधी प्रश्नों को यथावश्यक संशोधित कर ग्राह्य किया जाता है ताकि माननीय सदस्य की कम से कम उनके विधान सभा क्षेत्र और जिले की जानकारी प्राप्त हो सके। माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह जी ने उक्त प्रश्न के संदर्भ में विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वांछित जानकारी करीब-करीब 90 हजार से 1 लाख पृष्ठ से अधिक थी। नियम अंतर्गत संशोधित कर माननीय सदस्य के विधान सभा तखतपुर तक ही सीमित किया गया था और ग्राह्य किया गया था।

समय :
12.01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 2 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 2 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल) पटल पर रखता हूं।

(2) दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-4

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-4 पटल पर रखता हूं।

(3) दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2005 का प्रतिवेदन, संख्या 3

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2005 का प्रतिवेदन, संख्या 3 पटल पर रखता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23 (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023)

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23 (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023) पटल पर रखता हूं।

(5) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024)

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की

अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल की सूचनाएं। मैं जिन माननीय सदस्यों को अनुमति दूंगा वे जनहित में अपनी बात रखेंगे। माननीय नेता जी।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा कि धर्मजीत सिंह जी ने एक अशासकीय संकल्प लाया था, उसमें ये था कि हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉकों को रद्द किया जाए। हम लोगों ने उसे सर्वानुमति से उसे पास किया था। उसे पास करने के बाद पूरे भारत देश के ही नहीं बल्कि विश्व के भी प्रकृति प्रेमी लोगों ने, जैव विविधता के प्रेमी लोगों ने आपकी हमारी सबकी यहां भूरी-भूरी प्रशंसा की। इसे हमारे जमाने में, हमारे कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में पूरी तरीके से अमल में लाया गया। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयले के लिए खुदाई होने लगी है। सर, यहां कोयला ही तो है न, कोई सोना नहीं है, कोई चांदी नहीं है, कोई हीरा नहीं है, हमारे पास कोयला की और इतनी सारी खदानें हैं, जहां आपकी प्रकृति को नुकसान नहीं हो सकता, जहां हमारे वातावरण को नुकसान नहीं हो सकता, जहां किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती। उन स्थानों पर आप खोदाई करें। हसदेव में कोई अमृत है तो उसको खोद कर निकालिए, हम लोगों को बांटिए तो समझ में आता। आज जिस ढंग से आप कोयले की खुदाई कर रहे हैं, अभी तमनार क्षेत्र में 61 गांवों को जिस ढंग से लगातार खुदाई करके वहां लगी हुई फसल को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, उसको देखकर उस क्षेत्र की हमारी विधायक श्रीमती विद्यावती सिदार व वहां के पूर्व विधायक ने वहां जाकर उसका विरोध किया। उसका विरोध करना उनका अधिकार भी है। उससे गांव वालों को परेशानी होगी, क्योंकि उसमें वन भूमि मात्र 225 एकड़ ली गई है और राजस्व भूमि 2200 एकड़ में है। उस 2200 एकड़ भूमि में इतने सारे गांव बसे हुए हैं, लेकिन उन गांवों को आप उजाड़ना चाहते हैं। हमें यह समझ में नहीं आता है कि आप उन गांवों को क्यों उजाड़ना चाहते हैं? हम तो आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि गारेपालमा क्षेत्र में जो कोल ब्लॉक लिया गया है, उसको निरस्त करते हुए वहां के वातावरण, वहां के व्यक्तियों, वहां के किसानों तथा वहां के जन-जीवन को जिंदा रहने दिया जाये। इसका विरोध ऑलरेडी N.G.T. ने कर दिया है। हमारे जितने भी पर्यावरण के संरक्षक हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। वहां के ग्रामीणों ने भी उसका विरोध किया है। यहां उसके विरोध में अभी तक उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं हुआ है। आप जानते हैं

कि आदिवासी क्षेत्र होने के कारण उनको विशेषाधिकार है। वहां के गांव वालों से भी पूछा नहीं गया और न ही उसको गांव के लोगों की स्वीकृति मिली, उसके बाद भी आपने अचानक वहां खुदाई चालू कर दी है। इससे उनके पूरे जन-जीवन और हम सब में रोष व्याप्त है। छत्तीसगढ़ में रोष व्याप्त है। किसानों में रोष व्याप्त है और विशेषकर हमारी प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है, उसके कारण हमारे साथियों ने इसका विरोध किया है। मैं चाहता हूं कि इसके संबंध में हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसे आप स्वीकृत करें और स्वीकृत करके उसपर यहां चर्चा करा लें, ताकि हमारे लोगों के बारे में आपको पता लग सके और छत्तीसगढ़ की रक्षा आपके हाथों हो सके।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग मुड़ागांव गये थे। जिस तरह से वहां के विधायक, पूर्व विधायक व वहां के लोगों को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया और जिस प्रकार से वहां फोर्स लगाकर पेड़ों को कांटा गया, जबकि यह पेसा कानून के अंतर्गत आता है। गांव वालों ने हमें बताया कि DFO लोगों को ग्रामसभा की जो कॉपी दिखा रहे हैं, उस ग्रामसभा का प्रस्ताव ही फर्जी है। उसमें ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं, जो उस गांव में रहते ही नहीं हैं। किसी संतराम राठिया के नाम से वहां अध्यक्ष का साइन है, जो कि वहां निवासरत ही नहीं है। जब भी पर्यावरण में पेड़ की कटाई होती है तो जो कंपनी होती है उसको उतनी जमीन पेड़ लगाने के लिए खरीद कर देनी पड़ती है, लेकिन अडानी ने जो जमीन दी है, वह जमीन स्वयं फर्जी है और वह जमीन सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन को अडानी इसके नाम से दे रहा है। इस तरह से बहुत सारी परतें हैं और हम बहुत सारी बातों का खुलासा करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस स्थगन को ग्राह्य कर लीजिये और इसपर हमसे चर्चा करवाइये, ताकि हम लोग इसमें अपनी बहुत सारी बातें रख सकें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- विद्यावती सिदार जी। आपका क्षेत्र है।

श्रीमती विद्यावती सिदार (लैलूंगा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। एक बार मुझे प्रश्नकाल में बोलने का मौका मिला था और आज मैं शून्यकाल में मेरे क्षेत्र में हो रहे अन्याय पर अपनी बात रखूंगी। जिस तरह से मेरे पास शासन के लोगों के द्वारा मेरे गृह ग्राम कोंजेबुरा और उसके बगल की पंचायत मुड़ागांव में पेड़ काटने की सूचना आई थी और उस सूचना के संबंध में मेरे पास गांव वालों का फोन भी आया था। उनका यह कहना था कि हमारे जंगल कट रहे हैं। जब मैं घटनास्थल पर पहुंची और पुलिसकर्मियों से पूछताछ की तो पूछताछ में उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे यह सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार "एक पेड़ मां के नाम" लगाती है और मैं भी एक मां हूं और मां की संवेदना को समझती हूं। इसी संवेदना को समझते हुए जहां पर पेड़ कटवाये जा रहे हैं, मैंने उस पर सवाल किया तो मुझे पुलिस द्वारा बहुत ही बर्बरतापूर्वक घसीटते हुए पुलिस वेन में बैठाया गया।

समय
12.10 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वन विभाग के रेस्ट हाऊस में पुलिस बल के साथ बैठाया गया था। मैं इस शून्यकाल के माध्यम से मेरे ऊपर, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, एक महिला विधायक पर पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए अत्याचार, अन्याय को इस सदन के माध्यम से शून्यकाल में लाई हूं। मैं इस पर चर्चा चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे रायगढ़ जिले में एक तमनार ब्लाक है, वह एक पड़ोसी विधान सभा क्षेत्र में है। वहां पर फर्जी तरीके से एक प्रस्ताव पारित करवाया गया। वहां पर जो व्यक्ति नहीं है, उसके नाम से फर्जी दस्तखत करवाया गया। वहां पर गरीब, आदिवासी और किसान लोग रहते हैं। वहां पर 5वीं अनुसूची लागू है। उस पूरे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति लोग निवास करते हैं। उनके जीविका का मुख्य साधन जल, जंगल और जमीन ही है। वहां के लोग डोरी, चार, चिरौंजी, महुआ पर आश्रित हैं। उसी से उनका जीवन-यापन, खाने-पीने की व्यवस्था होती है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तब हम लोगों ने इस सब कार्य के लिए एक प्रस्ताव लाया था कि हम लोग जंगल की कटाई नहीं होने देंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया था।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि वहां के लोगों की पीड़ा है। वहां इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। वहां पूरे गांव के गांव के लोगों को उठाकर नजरबंद रखे थे, वहां जाकर मशीनों से अंधाधुंध पेड़ों को काटा जा रहा है। हम लोग एक तरफ अभी बरसात के दिनों एक अभियान चला रहे हैं कि हम पौधे लगायेंगे, एक पेड़ मां के नाम से लगा रहे हैं। वह चाहे अपनी मां हो या धरती मां हो। मां तो मां है। पेड़ किसके नाम से काट रहे हैं, बाप के नाम से या किस नाम से काट रहे हैं, वह सरकार जाने। यहां सारे सम्मानित विधायक, जनप्रतिनिधि हैं, उनको बलपूर्वक उठा लिया जाता है, गांव के लोगों को उठा लिया जाता है। इसलिए इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। वे गरीब आदिवासी लोग हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। वह भी एक व्यक्ति है, एक इंसान है। उनके साथ न्याय होना चाहिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

समय
12.13 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तमनार ब्लाक में जंगल को उजाड़ा जा रहा है, जंगल तो उजाड़ा जा रहा है। इस वैज्ञानिक युग में सरकार धनराशि से उद्योग

स्थापित कर सकती है, कई नये-नये क्षेत्र स्थापित कर सकती है। लेकिन जंगल ही एक ऐसा जगह है, जहां से पानी मिलता और ऑक्सीजन भी मिलता है। छत्तीसगढ़ वह राज्य है, जहां पर पर्याप्त बिजली है, पर्याप्त खदान है। उसके बाद भी किसी एक उद्योगपति को केवल और केवल लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जंगल उजाड़ा जा रहा है। इस विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की जमीन को ही अडानी कम्पनी के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी में गोलियां चल रही हैं, चाकूबाजी हो रही है, उसके लिए पुलिस बल नहीं है और वहां पर ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी थी, लेकिन 2 हजार पुलिस बल उस जंगल को उजाड़ने के लिए गये थे। वहां किस अधिकार के तहत 2 हजार पुलिस बल पहुंची ? यह जांच और चर्चा का विषय है। इसलिए मैं आपसे जांच का निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री विक्रम मण्डावी।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का लगभग 44 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र में आता है और उसी पर हमारा आिदवासी जन भी आश्रित रहते हैं। वन से जो भी उपज होते हैं, उनसे वे जीवन जीते हैं। वन के साथ-साथ हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन रायगढ़ जिले का जो तमनार क्षेत्र है, वहां की स्थानीय आदिवासियों की बात को नहीं सुना जा रहा है। उन आदिवासियों की दर्द को सरकार के द्वारा समझने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। उस क्षेत्र के हमारे मौजूदा विधायक जी ने भी बात को रखा कि किस तरीके उस क्षेत्र के आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी बातों को, वहां की ग्राम सभाओं की बातों को अनसुना करते हुए, वहां पर सरकार के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए आदिवासियों को बेदखल करने का काम किया जा रहा है। सिर्फ उद्योगपतियों को, अडाणी को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यह गलत है। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आदिवासियों की दर्द को समझते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री रामकुमार यादव जी।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आजकल कई झन मंत्री के घर जाथव ता एक ठन स्लोगन देखथौं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ओला पढ़िहौ त कतका सुंदर लागथे। एक तरफ ये मन जंगल ला काटत हे, त ये मन पहिली ओ स्लोगन ल मिटावय। एक समय म हमर पुरखा मन अपन लइका ला जेतका मया करय ओतके कन अपन पेड़ ला भी मया करय। लेकिन आज जेन प्रकार से पूरा प्रदेश म ये मन जंगल ला उजाड़े जावत हे। अध्यक्ष जी, आप बहुत ही संवेदनशील हौ। आप ये मन ला सीखाववौ कि जंगल ला कतका मुश्किल से बनाय जाथे। ये प्रदेश म 42 प्रतिशत जंगल हे। इहां कतका खुबसूरती हे। दूसरा प्रदेश के आदमी मन कइथे कि इहां जंगल भी हे, मैदान भी हे, इहां हर प्रकार के प्राकृतिक धन-धरती से परिणूर्ण चीज दे हावय। ये प्रदेश नदी-नाला से

परिणूर्ण हावय। येला आप मन उजाड़ौ मत। आप ल सत्ता सरकार मिले हावय, एखर मत ये नई हे कि तुमन कुछ भी कर दिहा। आने वाला इतिहास हर आ मन ला माफ नई करय। अध्यक्ष महोदय, एखर लिए आपसे निवेदन हे कि आप ए विषय म चर्चा कराववौ अउ आप ये मन ला बताववौ कि ये मन ला अइसनहा नई करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- अनिला जी, आप बोलिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौण्डीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तमनार ब्लॉक हमारा आदिवासी ब्लॉक है। वहां पर 5वीं अनुसूची लागू है। वहां पर आदिवासियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आदिवासियों की जनसंख्या खत्म करने की कोशिश की जा रही है। (शेम-शेम की आवाज) हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। आपके निर्देशन में आदिवासी एक्ट के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें आदिवासी विधायक सुरक्षित नहीं है। आज रायपुर जैसे शहर में बहुत अपराध हो रहे हैं, वहां पुलिस बल नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन हमारे आदिवासियों के खिलाफ पुलिस बल लगाकर उनके साथ अन्याय किया जा है। यहां हमारे आदिवासी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। यहां आदिवासी मूल निवासी हैं। इसका मतलब ऐसा लगता है कि आप लोग आदिवासियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग जल-जंगल-जमीन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस विषय को स्थगन प्रस्ताव में लाकर चर्चा करानी चाहिए, ताकि हम अपनी बात रख सकें।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा ही।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हम एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने भी नवनिर्मित विधान सभा में जाकर पेड़ लगाया है। लेकिन आज हम एक ओर पेड़ लगा रहे हैं और एक ओर पेड़ काट रहे हैं। मैं भी ग्राम मुड़ागांव में गई थी। दौरे के दरम्यान पता चला कि एक ही रात में 200 कटर आया और 200 कटर द्वारा 71 एकड़ जंगल को रातों-रात काटा दिया गया। हमने वहां के गांव वालों से चर्चा की तो पता चला कि गांव वालों को नजरबंद कर दिया गया था। सरपंच का कहना था कि मैंने उनको एन.ओ.सी. नहीं दिया था। यदि हम अपने क्षेत्र में एक पेड़ काटते हैं तो हमको शासन से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन वहां पर हजारों पेड़ों की कटाई हुई है। उसमें छोटे-छोटे पेड़ नहीं थे, बल्कि उसमें शागौन, शीशम, यह सब पेड़ थे। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय है। इसमें स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी जी।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां की जंल-जंगल-जमीन आदिवासियों का है। वहां पेसा एक्ट कानून भी लागू हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां की

ग्रामवासियों से नहीं पूछा गया है और वहां की ग्रामीणों को जेल में डाला गया है। हम देखते हैं कि एक आदिवासी जंगल में सूखी लकड़ी जलाने के लिए लाता है तो उसको पकड़ कर जेल अंदर कर दिया जाता है। वहां लाखों-करोड़ों पेड़ काटे गये हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा कराई जाये।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- अध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में 26 जुलाई 2022 को संकल्प पारित किया गया कि- सदन का यह मत है कि हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किया जाये । अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है कि सदन के अंदर जो संकल्प पारित किया जाता है, उसकी भी अनदेखी की जाती है, मैं सदन से जानना चाहता हूँ कि सदन के भीतर संकल्प पारित करने का औचित्य क्या है ? वहां किसी भी ग्राम पंचायतों से सहमति नहीं मिली है, उसके बावजूद भी इस तरह की कार्यवाही हुई है, यह हमारे लोगों के लिये घोर अन्याय है । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में जो स्थगन लाये हैं, उस पर चर्चा कराई जाये।

अध्यक्ष महोदय :- जी । श्रीमती अम्बिका मरकाम ।

श्रीमती अम्बिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो तमनार में घटना हुई है, यह बहुत शर्मनाक घटना है । जंगल की सुरक्षा आदिवासी लोग ही करते हैं, आज जो पूरा जंगल सुरक्षित है, वह आदिवासियों की वजह से है, लेकिन आदिवासियों के साथ इस तरह से अत्याचार होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । आपसे निवेदन है कि हमारी महिला विधायक के साथ इस प्रकार की घटनायें हो जाती है, हम लोग इसकी निन्दा करते हैं और इस पर चर्चा कराई जानी चाहिये, क्योंकि जंगल को बचाने की बहुत आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- देवेन्द्र यादव जी ।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में जो हालात हैं, वह सभी के सामने है । छत्तीसगढ़ के पर्यावरण को खत्म करने की प्लॉनिंग है । आप देखिये, सर्व आदिवासी समाज, पूरे प्रदेश भर का आदिवासी समाज, कहीं न कहीं बहुत आहत है और उनकी जो जंगल, जंगल और जमीन की लड़ाई है, उनकी लड़ाई में हम सब साथ है, लेकिन जिस तरह का कानून है उसका उल्लंघन करके और लगातार डॉमिनेट करने का काम प्रशासन कर रहा है, यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर विस्तृत चर्चा कराई जाये, ताकि हम अपना पक्ष रख सकें ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी हमारे सदस्यों ने तमनार में जो घटना घटी है और पेड़ कटाई हुआ है, इसके बारे में स्थगन लाये हैं । हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इसमें विस्तार से चर्चा कराई जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पेसा कानून का सीधा-सीधा उल्लंघन है, एनजीटी के निर्देशों का सीधा-सीधा उल्लंघन है, जो विधान सभा में संवेद स्वर में

पारित हुआ है उसका उल्लंघन है । अध्यक्ष महोदय, हम लोग वहां गये थे, वह जमीन जहां पेड़ काटा गया है, भारत सरकार के वर्ष 2006 के जो कानून है, उसके तहत उन गांव वालों को 75 एकड़ जमीन सामुदायिक दावे के पट्टे के लिये दिये गये हैं । वह निरस्त भी नहीं हुआ है और वहां पेड़ काट दिये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि यह महाजैन को मिला हुआ है और एम.बी.ओ. अडानी है, वहां 2000 से अधिक जवानों ने गांव के जंगल को घेर लिया गया है, वहां महिलाओं ने बताया कि हमें पानी-पेशाब तक जाने को रोका गया, लोगों को डिटेन करके रखा गया, महिला विधायक के साथ बद्धतमीजी की गई, उसको गिरफ्तार करके रखा गया, पूर्व विधायक हृदयराम राठिया को गिरफ्तार करके रखा गया, जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने बताया कि वहां 200 कटर गये थे, वन विभाग के पास 200 कटर हैं, सवाल इस बात का है ? अध्यक्ष महोदय, गांव वालों ने बताया कि वन विभाग के लोग तो गये थे, एस.डी.एम. और प्रशासन मूकदर्शक बना रहा, वन विभाग के लोगों के साथ अडाणी के लोग जाकर पेड़ कटाई किये हैं, (शेम-शेम की आवाज) अडाणी के लोग पेड़ कटाई किये हैं ? वनों में प्रवेश करने का विरोध करते हैं, निषेध करते हैं, यह कानून है ? उसके बाद भी प्रशासन खुद होकर यदि कटाई करने की अनुमति दे और काटने के लिये व्यवस्था करे, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि यह पूरा प्रदेश, आप भले ही कुछ भी नारा लगायें कि एक पेड़ माॅ के नाम, और सारा जंगल बाप के नाम । यह स्थिति है, हम ही संवारेंगे और हम ही काटेंगे, यह आपका नारा है ? अध्यक्ष महोदय, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं ? आपसे आग्रह है कि इस विषय में आज आखिरी दिन है और चूँकि जंगल का मामला है और अडानी के खिलाफ अभी जिस प्रकार ने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने उदाहरण देकर बताया कि हसदेव को किस प्रकार से काटा गया ? जब विधान सभा में पारित हो गया, सरकार ने लिखकर दे दिया कि पेड़ कटाई नहीं करना है । सरकार बनी नहीं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं लिया, उसके पहले हसदेव कट गया । आखिर यह सरकार कौन चला रहा है ? यह स्थिति है । यह बहुत गंभीर मामला है, बड़ा मामला है और आपसे आग्रह है कि सारे काम रोककर इस विषय पर चर्चा कराएं क्योंकि छत्तीसगढ़ में वन अधिनियम लागू है, पर्यावरण अधिनियम लागू है, जैव विविधता है, पेशा कानून है, पंचायती राज है । सारे नियमों को बलात् ताक में रखकर अडानी को सुविधा मुहैया कराई गई है । इसलिए आपसे आग्रह है कि सारे काम रोककर चर्चा कराएं, यह आपसे निवेदन है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात को काटना नहीं चाहता था । विपक्ष के लोग तो अलग-अलग गुट में गए थे । इनके साथ 20 लोग थे, इनके साथ बाकी लोग थे । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम सब साथ-साथ हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष नहीं गए थे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप भेदभाव कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी जांच को भटका रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी नहीं गए थे । पहले तो आप ऑकलन कर लीजिए कि किसका स्थगन है, कौन से गुट का स्थगन है ? यह पहले तय हो जाये । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, जंगलों को लगातार काटा जा रहा है, जांच को भटका रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, जंगल को उजाड़ कौन रहा है, पहले यह देखिए । (व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सरकार के प्रतिनिधि को जाना चाहिए था, सरकार के लोगों को जाना चाहिए था । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा, उस पर विचार कर लीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए तो ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी विषय को भटका रहे हैं । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वरिष्ठ सदस्य विषय को भटकाने का काम करते हैं, भेदभाव पैदा करने का काम करते हैं । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ये मन ऐती अउ ओती के बीच में पड़े हवय । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी, बैठिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- हसदेव पर वीडियो वायरल हुआ था । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए, महत्वपूर्ण विषय पर बात है ।

समय :-
12:28 बजे

अध्यक्षीय व्यवस्था

"गारे पेलमा कोल ब्लॉक से कोयला उत्खनन हेतु वृक्षों की कटाई के संबंध में "

अध्यक्ष महोदय :- आज माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत जी एवं प्रतिपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा **"गारे पेलमा कोल ब्लॉक से कोयला उत्खनन हेतु वृक्षों की कटाई"** के विषय में दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना मुझे आज प्रातः ही प्राप्त हुई है, जिसका मैंने अवलोकन किया।

प्राप्त सूचना में गारे पेलमा कोल ब्लॉक क्षेत्रान्तर्गत जिला रायगढ़ के तमनार तहसील में वृक्षों की कटाई, जनसुनवाई तथा ग्राम सभा के फर्जी दस्तावेज तैयार करके स्वीकृतियां प्राप्त की जानें, वन

अधिकार अधिनियम एवं एन.जी.टी. के आदेशों के उल्लंघन कर वृक्षों की कटाई व कोयला उत्खनन, छ.ग. विधान सभा में दिनांक 26 जुलाई, 2022 को हसदेव क्षेत्र में सभी आवंटित कोल ब्लॉक रद्द किए जाने हेतु पारित अशासकीय संकल्प, दिसम्बर, 2023 में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा हसदेव क्षेत्र में सरगुजा वन मंडल अंतर्गत ग्राम परसा और केते, तहसील-उदयपुर के संरक्षित वनभूमि में खड़े 15307 नग वृक्षों के विदोहन की प्रदत्त स्वीकृति, पूरे प्रदेश में वन एवं राजस्व भूमि में वृक्षों की कटाई, आई.सी.एफ.आर.आई. एवं डब्ल्यू. आर. आई. की जैव विविधता अध्ययन रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं का पालन न किए जाने आदि एकाधिक विषय समाहित किए गए हैं।

प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना के संबंध में शासन से प्राप्त जानकारी अनुसार स्थगन की सूचना में अन्तर्निहित विषयों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रकरण विचाराधीन हैं, अतः मैंने प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना को छ.ग. विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम **55 (2) जिसके अनुसार - "एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी।"**

नियम 55 (3) जिसके अनुसार "प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय पर सीमित रहेगा", एवं नियम 55 (7) जिसके अनुसार "प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा, जो प्रदेश के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो,

के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुपालन में अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाईकोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है और विचाराधीन विषय पर चर्चा हो सकती है । आपसे आग्रह है कि इसे ग्राह्य करके चर्चा कराएं । इसमें कोई बाध्यता नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय खड़े हैं, तब तो बैठना चाहिए ।

पृच्छा

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो न्यायालय में मामला है, अभी तो केवल आवेदन दिए हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हमारे नियमों में यह प्रावधान है कि यदि आपको किसी बात पर शंका हो तो कक्ष में बुलाकर परीक्षण कर सकते हैं। ये आपके पास अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष जी ने इस पर दस्तखत किया है या जबरदस्ती दस्तखत किया है या करवाया गया है, इसकी आप जांच करवाइए। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अडाणी के दबाव में सब बातें हो रही हैं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

श्री सुशांत शुक्ला :- क्या जो हुआ था, वह भी अडाणी के दबाव में हुआ था?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्राकर जी, जानबूझकर इस विषय को बदलना चाहते हैं। माननीय चन्द्राकर जी, जानबूझकर इस प्रकरण को गोल-मोल करके अपने पक्ष में करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी अडाणी जी का कुछ न कुछ ख्याल है।

श्री उमेश पटेल :- नेता जी, शायद इनको (अजय चन्द्राकर की ओर इशारा) उधर (मंत्री की सीट की ओर इशारा) बैठने का इशारा मिल गया है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, हो सकता है। मैं विधान सभा में प्रतिपक्ष का नेता हूं। मैंने साइन किया है, मेरा हस्ताक्षर है, उसमें लोगों का साइन है। आपने जो शंका व्यक्त की है, तो पहले यहां पार्टी के अध्यक्ष जी गए, अध्यक्ष जी को पहले ही जाना चाहिए, वह गए थे, वह सुनकर आए। दूसरे में मुझे जाना था, उसी दिन मेरा कमर खराब हो गया, मैं नहीं गया, तो माननीय हमने..।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन ये जानना चाहता है कि अभी आपके कमर की क्या स्थिति है?

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, स्थिति तो अभी ठीक है। हमने भूपेश भाई से चर्चा की कि आप स्वयं जाइए और कुछ लोगों को लेकर जाइए। तो हम दोनों में, हम तीनों में, हम चारों में किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं है। कांग्रेस एक साथ है, एक साथ रहेगी। आज यहां जंगल उजाड़े जा रहे हैं, नाम अडाणी का लिया जा रहा है। अडाणी के चलते क्या आप पूरा छत्तीसगढ़ बेच देना चाहते हैं? क्या अडाणी को पूरा छत्तीसगढ़ दे देना चाहते हैं? अदाणी के लिए आप एक-एक आदमी....।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी....।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप नेता प्रतिपक्ष जी की बात शांति से सुन तो लीजिए। महोदय, हमारे नेता को बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय:- अजय जी, जब नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट रूप से हाऊस के अंदर कह दिया कि हम सब एक हैं, तो आपको शंका नहीं करना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने एक बात कही कि अडाणी से मुझे क्या मिला है, तो उसमें मैं बता रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जब नवीन जिंदल कांग्रेस में थे..। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आपको अडाणी ने कुछ दिया ही नहीं है। आपको मिला ही नही है।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाईन। मेरा नाम लिया है कि मुझे अडाणी से कुछ मिला है, उसमें बोल देता हूं। नवीन जिंदल जी जब कांग्रेस के सांसद थे, रायगढ़ के कॉंग्रेस के विधायक विधानसभा में उनके प्लेन से आते थे और उनके प्लेन से जाते थे और उनको वह खिलाते-पिलाते थे, यह स्थापित तथ्य है। उद्योगपति से उपकृत ये लोग हुए, हम नहीं हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अभी जिंदल कहाँ हैं?

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

पृच्छा

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [xx][5] और जिस प्रकार से विषय को derail करने की कोशिश की जा रही है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। किस प्रकार से हम लोगों के बीच में बंटवारा हुआ, इसके बारे में चर्चा हो रही है। हम लोग 24 विधायक गए थे, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात ये है कि छोटी-छोटी बातें मीडिया में आती हैं, लेकिन 24-24 विधायक गए, एक खबर नहीं। कितना दबाव है। (शेम-शेम की आवाज) यहाँ किस प्रकार से दबाव है, इसे देखा जा सकता है। अडाणी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पास नेता जी से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, ये स्थापित तथ्य है। आपके पास ज्यादा विधायकों का समर्थन है, हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- जब आप मंत्री थे, तो एनसीएल को आपने दिया था, दंतेवाड़ा में फर्जी ग्राम सभा हुई थी, हमने उसको निरस्त किया। उसको नहीं जाने दिया। आपके साथ बगल में बैठे विधायक, वह अशासकीय संकल्प लाए, उसे हम लोग सर्वसम्मति से पारित किए। उसका परिणाम क्या हुआ? वहां 8 से 10 कोयला खदान प्रभावित हुए और जिसके कारण अडाणी नाराज हो गये और अभी जिस प्रकार से तमनार में हुआ, उसके कारण अडाणी नाराज। आज यह स्थिति है कि पूरे प्रदेश में चाहे वह प्रशासन हो, चाहे वह मीडिया हो और सदन में भी इस प्रकार से दबाव महसूस किया जा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि अडाणी के सामने (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपके रहते यह आपत्तिजनक है। (व्यवधान) यह आपत्तिजनक बात है। (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- यह अपमानजनक बात है। आप जिस ढंग से अध्यक्ष महोदय से बात कर रहे हैं यह अपमानजनक है। (व्यवधान)

---

[5] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ को हमने ही बनाया है और हम ही बिगाड़ेंगे। आप लोग यही सोच रखिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, एक वीडियो वायरल हुआ था तब (व्यवधान) हसदेव की अनुमति किसने दी ? विपक्ष के लोगों को आज सदन में यह भी बोलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह तो आपके .. (व्यवधान) कि सदन में । (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा निरंतर नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.37 से 12.48 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय
12.48 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे दो बातें कहनी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब हम आगे बढ़ गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातें कहनी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अजय जी, मैं अब ध्यानाकर्षण में आ रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने विपक्ष की बातें सुन ली।

अध्यक्ष महोदय :- अब, मैं अब ध्यानाकर्षण में आ गया हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरा, आपसे आग्रह है कि आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे अनुमति देंगे तो, मैं आपकी अवेहलना नहीं करूंगा।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि [xx] [6] और यदि [xx] तो आप संचालन करते हैं, यह आपके ऊपर, आसंदी के ऊपर आक्षेप होता है। [xx] । भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, छत्तीसगढ़ का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि [xx] श्री देवेन्द्र यादव :- आप अडानी के बारे में क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं ? यहां पेड़ कट रहे हैं, उसमें बोल नहीं पा रहे हो, इसके बाद यहां बातें कर रहे हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो इस शब्द को वापस लें। दूसरा, आप रिकॉर्ड चेक करवाईये, [xx], यह शब्द उपयोग हुआ है। आप रिकॉर्ड दिखवा लीजिए और वह माफी मांगें।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है।

---

[6] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

श्री विक्रम मण्डावी :- उसमें किसी का नाम कहां लिखा, किसी को नहीं बोला।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप रिकॉर्ड दिखवा लीजिए। भूपेश बघेल जी, उस शब्द का वापस लें कि [xx] है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने मेरा ध्यानाकर्षित किया है। मुझे जो-जो शब्द लगता है कि यह असंसदीय तरीके से बोला गया है तो मैं उस शब्द को दिखवा लेता हूँ और उन सबको विलोपित कर दूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विलोपित का नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वह यदि कहते हैं कि [XX][7] तो यह लोकतंत्र के ऊपर आक्षेप है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोला गया है। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने आपत्ति दर्ज की है और मैंने कहा कि [XX]। मैं उस शब्द का वापस लेता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सरकार दबाव में है। यह सरकार पूरे दबाव में है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये कहिये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां लोकतंत्र है या मोदी जी का कोई विशेष तंत्र हमारे सदन के भीतर, हमारी सरकार के भीतर काम कर रहा है, यह हम लोग कहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम आप पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं। इस तरह से यहां जो भी कार्यवाही जनहित में, किसानों के हित में, हमारे आदिवासी भाईयों के हित में हम उठाते हैं और आज भी इस प्रस्ताव को रखा है। आपने सुना होगा कि इस बीच ई.डी. ने भूपेश बघेल जी के घर में जो दबाव डाला है, ई.डी. ने छापेमारी की है। ई.डी. जिस ढंग से उनके परिवार को परेशान कर रही है। मैं जानता हूं कि ये विषय यहां का नहीं है। हम जो कहेंगे बाद में कहेंगे। मगर जिस ढंग से ई.डी. का दबाव बाहर से आ रहा है, यहां आप लोग [XX]। ई.डी. का दबाव आप सबको, हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। सरकार किस तंत्र के दबाव में यहां है, उसको विचार करना जरूरी हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। हमारे ऊपर जिस ढंग से व्यवहार किया जा रहा है, ई.डी. के छापे मारे जा रहे हैं, हमारे घर परिवार को परेशान किया जा रहा है। हमारे बच्चे का आज जन्मदिन है, आज जन्मदिन के दिन उनको उठाने का प्रयास हो रहा है बल्कि उठा लिया गया है। इन सबके खिलाफ सरकार उसमें शामिल है। यह मानते हुए हम आज के पूरे कार्यवाही का विरोध करते हैं और इस विधान सभा की कार्यवाही से हम सब लोग बहिष्कार करते हुए जा रहे हैं।

---

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

समय
12.52 बजे

बहिष्कार

सरकार के विरोध में।

(नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिष्कार किया गया।)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 109 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक- 22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

पहले क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेगी।

(1) बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली-पोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क क्रमांक-130 ए अत्यंत जर्जर होना।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली-पोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क क्रमांक-130 ए जो कि तखतपुर के शहर के मध्य से गुजरती है, जो वर्तमान में अत्यंत जर्जर एवं गड्ढानुमा हो गया है, जिसके कारण रोड में चलना मुश्किल एवं दूभर हो गया है। रोड के जर्जर एवं गड्ढानुमा होने के कारण आये दिन दुर्घटना हो

रही है, पैदल चलना मुश्किल हो रहा है, दोपहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन गड्ढे में फंस रहे हैं एवं पलट रहे हैं। उक्त मार्ग जर्जर एवं गड्ढेनुमा है, जिसके लिए नगर के लोग आंदोलन कर रहे हैं। उक्त मार्ग को विभाग द्वारा 31.01.2024 को मरम्मत हेतु 2.46 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी निविदा प्रशासनिक उदासीनता की वजह से नहीं खोली गयी। उक्त मार्ग मार्ग हेतु दिनांक 14.02.2025 को पुन: निविदा लगाया गया जिसको क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण 17.05.2025 को पुन: निविदा खोलने की तिथि बढ़ा दी गई है। उक्त मार्ग के पुन: अनुमोदन हेतु अथवा सड़क की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नवीन बी.टी. पैच प्राक्कलन (तखतपुर एवं मुंगेली हेतु) 4.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को विभाग द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर आजपर्यंत कार्यवाही नहीं होने के कारण सड़क निर्माण को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है । तखतपुर शहरी भाग के बी.टी. पैच कार्य हेतु विभाग द्वारा 23.43 लाख रूपए के प्राक्कलन अनुमोदन हेतु 10.02.2025 से लंबित है । वर्तमान में तखतपुर शहर के मध्य जो मार्ग जर्जर, क्षतिग्रस्त और गड्ढ़ेनुमा हो गया है जो विभाग के अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता है । जिसके कारण आमजन एवं शहरवासियों में सरकार एवं प्रशासन के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर, तखतपुर, मुंगेली, पंडरिया, पोंड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130ए जो कि तखतपुर शहर के मध्य से गुजरती है, जो वर्तमान वर्षा ऋतु से तखतपुर शहर में जलभराव होने के कारण कुछ स्थानों पर गड्ढे निर्मित हो रहे हैं जिसे विभागीय तौर पर समय-समय पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है । यह कथन सत्य नहीं है कि रोड के जर्जर और गड्ढानुमा होने के कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है । सत्य यह है कि मार्गो का मरम्मत कार्य निरंतर किया जा रहा है और आवागमन संचालित है ।

उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130ए के अंतर्गत तखतपुर, मुंगेली, पंडरिया, पोंड़ी शहरी भाग कुल लंबाई 22.181 कि.मी. के मरम्मत हेतु स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित की गई थी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रायपुर के द्वारा 2.46 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 31.01.2024 को प्रदान की गई परंतु तखतपुर, मुंगेली, पंडरिया एवं पोंड़ी में बायपास निर्माण हेतु मुख्य एजेंसी को कार्यादेश जारी हो जाने के कारण एवं विद्यमान मांग का मरम्मत उनके स्कोप में होने के कारण मरम्मत कार्य का कार्यादेश जारी नहीं किया गया ।

तखतपुर बायपास निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रक्रिया में विलंब होने के कारण निर्माण एजेंसी को कार्यक्षेत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं उक्त तखतपुर बायपास को अनुबंध से हटाने हेतु प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दिनांक 30.05.2025 को प्रेषित किया गया है । वर्तमान में तखतपुर बायपास निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के कारण एजेंसी द्वारा तखतपुर शहरी भाग पर किसी भी प्रकार का संधारण कार्य नहीं किया जा रहा है । उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में स्वीकृत मरम्मत

कार्य के अनुसार त्वरित मरम्मत हेतु दिनांक 14.05.2025 को पुनः निविदा आमंत्रित की गई एवं किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लेने के कारण दिनांक 28.07.2025 तक निविदा डालने की तिथि बढ़ाई गई है ।

वर्ष 2023-24 में मरम्मत हेतु स्वीकृति प्राप्त राशि 2.46 करोड़ मार्ग की वर्तमान स्थिति के अनुरूप दीर्घकालीन मरम्मत कार्य के लिए अपर्याप्त था । अतः मार्ग में वर्तमान संधारण की आवश्यकता को देखते हुए तखतपुर एवं मुंगेली के विद्यमान डामरीकृत शहरी भाग के संधारण हेतु 4.72 करोड़ का प्राक्कलन क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 10.06.2025 को प्रेषित किया गया है । स्वीकृति अपेक्षित है ।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा स्वत: संज्ञान याचिका क्रमांक WPPIL 39/2024 के परिपालन में तखतपुर शहरी भाग के बी.टी. पैच कार्य हेतु 23.43 लाख का प्राक्कलन क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 10.02.2025 को प्रेषित किया गया है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

समय :
1.00 बजे

संधारण कार्यों के अतिरिक्त सभी चार शहरी भागों में सड़क के मजबूतीकरण हेतु राशि रूपए 64.54 करोड़ का प्राक्कलन वार्षिक योजना 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 13.06.2025 को प्रेषित किया गया है । भारत सरकार, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के योजना, विकास एवं अनुरक्षण/मरम्मत से संबंधित कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अधीन रहकर आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य शीघ्र कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

तखतपुर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत गड्ढों को विभागीय रूप से लगातार मरम्मत किया जा रहा है। यह सत्य है कि कुछ स्थानों पर जलभराव एवं जल निकासी के अभाव के कारण पुनः गड्ढे निर्मित हो रहे हैं, जिन्हें सतत् रूप से मरम्मत किया जा रहा है। अतः वर्तमान में जनता में कोई रोष व्याप्त नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, तखतपुर शहर के अंदर से होकर यह राजमार्ग जा करके मुंगेली के बरेला से होते हुए मुंगेली, पंडरिया और पोंड़ी तक के जा रहा है और इन सभी पेच में जो 42 किलोमीटर आपने बताया, 22 किलोमीटर जो भी है, उसमें इतनी जर्जर स्थिति है। तखतपुर शहर के अंदर एक वकील का गाड़ी पलट के उसका हाथ कट गया। गैस का सिलेंडर सड़क पर पलट गया। आए

दिन कोई बुजुर्ग आदमी चलता है। इतना बड़ा-बड़ा गड्ढा है कि उसमें गिर-गिर कर लोग परेशान हो रहे हैं और यह एन.एच. की लापरवाही के कारण है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग कभी-कभी जुलूस निकाल कर वहां पर बात करते हैं जो आज तक के ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीते। वहां की विधायक का पति सुपर विधायक जुलूस निकाल कर बोलता है कि विष्णु देव साय, अरूण साव और धर्मजीत सिंह सोए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम यह आरोप क्यों सुनेंगे? नेशनल हाइवे के अधिकारी कर क्या रहे हैं? आपके पूरे उत्तर में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि आपने एक रुपया की भी मंजूरी उस सड़क के मरम्मत के लिए दी है। एक भी लकीर में कहीं नहीं लिखा है। आप यह कह रहे हैं कि बायपास का काम नहीं हुआ तो उसको हम बाहर करना चाहते हैं। आप कर दीजिए या मत करिए, लेकिन बायपास के कारण हमारी सड़क न बने, यह कहां का न्याय-संगत निर्णय है। हमको जनता के बीच में रहना है। लोग उल्टी-सीधी बातें करते हैं। हमारे विष्णु देव साय की सरकार में आप काम कर रहे हैं। आपका विभाग ने ही मेरे तखतपुर क्षेत्र में खुद चार सड़कों का पैसा दिया। उसमें काम चल रहा है। यह कहां से नेशनल हाइवे पैदा हो गया है? कौन सी दुनिया का है और इसको इतना क्या अधिकार है कि वह हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दे और हम उनको बचा भी नहीं सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारा बायपास है, वह बनेगा या नहीं बनेगा और बायपास के चक्कर में हमारी सड़क का आप मरम्मत कब कराएंगे, कब तक कराएंगे? अगर वह टेंडर नहीं होता है तो मत हो। आप डिपार्टमेंटल करवाइए। यह जनता के हित में बहुत जरूरी है। वहां के लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए जरूरी है और बदनामी से भी बचने के लिए जरूरी है। इन अधिकारियों के आगे-पीछे टेंडर बढ़ाने के लिए हम वहां विधायक नहीं बने हैं। इन अधिकारियों के भरोसे में हम वहां राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। हमको वहां जिंदा रहना है। हमको अपने लोगों का विश्वास जीतना है तो हमको हमारी सड़क का मरम्मत करके आप दे दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर बहुत ही स्पष्ट बताइए और यह सब इसको भेजा गया, उसको भेजा गया इससे हमको कोई मतलब नहीं। तीन बार टेंडर खुला, नहीं खुला। हमको क्या लेना देना है? मेरे विधायक बनने के पहले वहां पुल में 49 लाख रूपया पी.डब्ल्यू.डी. ने पुल की मरम्मत के लिए दिया और वह सुपर विधायक का भाई ठेका लिया है। उसकी भी जांच जरा करवा लीजिए। एक तरफ वह ठेका करके गड़बड़ी करते हैं, दूसरी तरफ आंदोलन करके नेतागिरी भी करते हैं तो यह सब नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी, यह बहुत संवेदनशील है। मैं इसको इसलिए उठाया हूं कि तखतपुर, मुंगेली, पंडरिया और पौंड़ी की जनता को आप राहत दो। आप तो खैर मुंगेली तक तो जाते ही हैं, लेकिन एक बार पंडरिया और पौंड़ी तरफ भी चले जाइए। दोबारा आप कभी नहीं जाएंगे। मैं भी उस रोड में नहीं जाता । आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि इस पर आप अभी निर्णय करके बताइए कि वहां मरम्मत कैसे होगी?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने आपको बताया कि चार बायपास रोड जब मैं लोकसभा सांसद था तो उसी समय की यह स्वीकृति है। क्षेत्र की जनता में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चार

बायपास जो हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और शहरी भाग के मरम्मत का भी टेंडर उसी टेंडर के साथ था। 144 करोड़ रूपए की राशि का वह चारों एकल टेंडर से हुआ है । चारों जगहों का शहरी भाग तखतपुर, मुंगेली, पंडरिया और पोड़ी ये उसी में शामिल था । इसलिए जो मरम्मत का टेंडर किया गया था, उसी समय चारों बायपास के निर्माण के लिए 24.01.2024 को कार्यादेश जारी हुआ परंतु भू-अर्जन की कार्यवाही अलग-अलग प्रकार के विवादों के कारण नहीं हो पाई । फिर अब उसकी मरम्मत के लिए लगातार प्रक्रिया हो रही है, मेरे संज्ञान में है । मैं लगातार अधिकारियों के सम्पर्क में रहा हूं । मुंगेली जाता हूं तो मुंगेली के उस भाग में जहां दिक्कत है, उसको लेकर खबर आती है । उसके मरम्मत के लिए पंडरिया के विधायक जी का भी बार-बार फोन आया और चिट्ठी भी आई है। माननीय मोहले जी का भी बार-बार आग्रह आता था कि पड़ावपारा का इलाका बुरी तरह से खराब है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पंडरिया तक को ठीक नहीं कराएंगे तो मुंगेली तक को ज़रूरी ठीक करवा दीजिए ।

श्री अरूण साव :- सभी को ठीक करेंगे, सभी को ठीक करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं तीनों माननीय सदस्यगण को भरोसा दिलाता हूं कि शीघ्र ही मरम्मत, पेंच रिपेयरिंग, गड्ढों के रिपेयरिंग का काम हम प्रारंभ करेंगे, किंतु इसका स्थायी समाधान वन टाइम मेंटेनेंस है, उसके लिए 64 करोड़ रूपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है । मैं व्यक्तिगत् रूप से भी प्रयास करके कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसकी स्वीकृति मिले । ये चारों शहरों के बायपास रोड और शहर के अंदर का निर्माण जल्दी हो । मैं लगातार अधिकारियों के सम्पर्क में हूं । मुंगेली में भू-अर्जन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, तखतपुर के बायपास की नहीं हो पा रही है, पंडरिया और पोंडी में भी थोड़ी-थोड़ी दिक्कत है । भू-अर्जन में जो परेशानियां आ रही हैं उसे भी जल्दी समाप्त करके जल्दी भू-अर्जन करें और चारों शहर के अंदर का वन टाईम मेंटेनेंस के काम की भी स्वीकृति जल्दी मिले, इसके लिए मैं व्यक्तिगत् रूप से प्रयास करूंगा । यह सही है कि वर्तमान में स्थिति बहुत खराब है, वह जो हिस्सा छूटा हुआ है, चाहे वह तखतपुर का हो, मुंगेली का हो, पंडरिया का हो, पोंड़ी का हो लेकिन तत्काल उसके लिए मरम्मत का काम हम प्रारंभ करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने तखतपुर बायपास का कार्य प्रारंभ न होने से इसको हटाने के लिए क्यों लिखा है ?

श्री अरूण साव :- जो मरम्म्त का काम बायपास निर्माण के टेंडर में साथ में है, उसे पृथक करने का भी प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा हुआ है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हटाने के लिए ?

श्री अरूण साव :- जी । जो मरम्मत का हिस्सा है उसे इस बायपास के निर्माण से अलग करके वन टाइम मेंटेनेंस हमें स्वीकृति प्रदान कर दे, यह प्रस्ताव दिया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था कि बायपास में लैंड एक्वीजीशन नहीं हुआ करके पूरे बायपास को ही थोड़े ही खत्म कर रहे हैं । बायपास बनेगा ना ? अगर बनेगा तो माननीय मंत्री जी केवल इतना बताइए कि यह कार्य कब तक करा देंगे । कुछ तो समय सीमा बता दीजिए और दूसरी बात यह है कि हम लोग फोन करते हैं, कहां ई.ई. बैठते हैं, कौन एस.डी.ओ. है कुछ पता ही नहीं चलता है । नेशनल हाईवे ही कुछ अंतरिक्ष यान जैसा मामला हो गया है, सुभांशु मिश्रा जैसा । इनको बोलिए धरती पर उतरें, हम लोगों से भी मिलें, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कुछ मांगते तो हैं नहीं । हमसे मिलेंगे तो कुछ सलाह करेंगे । आपकी बात जनता तक पहुंचाएंगे, जनता की बात उन तक पहुंचाएंगे । यह दुनिया भर का बेमतलब का प्रपंच होता है, उससे आप हमको बचाइए और इसको बनवाइए ।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपने अधिकारियों से भी बात की है । मरम्म्त का काम, जो गड्ढा पाटने का काम है, वह हम शीघ्र ही प्रारंभ कर लेंगे । चारों शहरों के बीच का जो वन टाईम मेंटेनेंस का काम है, 64 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है, इसकी जल्द स्वीकृति हो इसके लिए मैं व्यक्तिगत् रूप से भी प्रयास करूंगा और यह सही है कि अभी बहुत दिक्कत है और लगातार मेंटेनेंस के लिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मोहले जी छोटा प्रश्न कर लो ।

श्री पुन्नू लाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने तो स्वीकार किया है । उदाहरण के लिए तखतपुर, पोंड़ी और मुंगेली मार्ग में, अगर मैं पुल की बात करूं तो माननीय विधायक तखतपुर और दोनों का पुल और मुंगेली से लगा हुआ तखतपुर का पुल ही ज्यादा जर्जर है । इसको जल्दी कराइए, एक बार आपने मरम्मत कराया था, जब हम दोनों आ रहे थे। इतनी जर्जर है कि उसमें बहुत लोगों का पैर टूट रहा है, गिर रहे हैं और आने-जाने में समय अवरूद्ध हो रहा है। बाखामुड़ा के पास भी मुंगेली मार्ग अवरूद्ध है, मुंगेली शहर में अवरूद्ध है, पुलिया के पास भी अवरूद्ध है, वैसे ही आपकी शेपगंगा में है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप जरूर बोल रहे हैं, जल्द करायेंगे। आप तत्काल विभागीय मद में या अन्य मद में करके कराएं, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसक कार्य को जल्दी करायेंगे, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं। उसमें मुआवजा का भी प्रकरण है, आपने मुआवजा भी नहीं दिया है, पिछले समय विभागीय बजट से हुआ था, उसमें भी मुआवजा दीजिए, अगर केन्द्र सरकार नहीं दे रही है तो राज्य सरकार से करायेंगे, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विषय के बारे में तखतपुर विधायक जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। जो एन.एच. के अधिकारी हैं, वह वाकई में बिल्कुल जादू जैसे हैं, न कभी दिखते हैं, न कभी फोन उठाते हैं, न कोई रिस्पांस करते हैं, इसमें स्थिति यह हो गई है कि जो रोड स्वीकृत हुआ है, पहले पंडरिया के अंदर से आना था लेकिन अब चूंकि 2 किलोमीटर का बाईपास स्वीकृत हो गया तो बाईपास स्वीकृत होने से एक तो भूमि अधिग्रहण के लिए काफी सारा विषय वहां पर पेंडिंग

है, क्योंकि फंड की व्यवस्था नहीं है, ऐसे कई सारे बहाने वे बना रहे हैं। एक तो बाईपास का काम रूका हुआ है और दूसरा पहले जहां से एन.एच. निकलना था, वह अभी तक लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं हुआ है। उसमें दिक्कत यह आ रही है कि बारिश में अगर आप पी.डब्ल्यू. डी. को बोलें कि यहां पेंचवर्क कर दीजिए तो जो गड्ढे हैं, वह चलने लायक हो जाए तो उनका कहना है कि अभी एन.एच. के पास है। एन.एच. के पास जाकर बोल रहे हैं कि आप इसको पी.डब्ल्यू. डी. को हस्तांतरित कर दीजिए तो वह न मिलते हैं, न बात करते हैं। आदरणीय सी.एम. साहब का कार्यक्रम था और हम लोग 6 दिन तक घूमते रह गए कि कौन इस रोड की मरम्मत करेगा, वहां पर गड्ढे इतने हैं कि अगर मैं भी वहां पर खड़ी हुई तो शायद उसमें कमर जितना पानी आ जाएगा, पहला विषय यह था। दूसरा, जहां से एन.एच. जा रहा है, वहां पर भूमि अधिग्रहण के पैसे रूके हुए हैं, उस कारण से काम भी रूका हुआ है। तीसरा, पोड़ी से जहां तक का भी रोड बना है, उसकी गुणवत्ता बिल्कुल जीरो है, हम लोग लगातार उस रोड से आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, शिकायत करने के बाद भी ठेकेदार की इतनी मनमानी है, उनका कहना है कि मैं जिस लेवल का ठेकेदार हूं, मुझपर हाथ डालना मुश्किल है। इस तरह से वक्तव्य आते हैं, यह कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि और आम जनता को भी परेशान करने वाला है। पहला ठेकेदार पर उचित संज्ञान में लेकर कार्रवाई हो। दूसरा, भूमि अधिग्रहण का विषय है। तीसरा, पी.डब्ल्यू.डी. को हस्तांतरित करना है, ये तीनों प्रमुखता से संज्ञान में आए। मुझे आपसे यही निवेदन करना था।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर के कलेक्टर के साथ आप स्वयं एक बार बैठक कर लीजिए। वे अपने अधिकारियों को बोले, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। वह जो रेवेन्यू की जमीन लेने का सिस्टम है, उसको थोड़ा गति दे दे तो आराम से बन जाएगा, जमीन ही तो चाहिए, मंजूरी हो रही है। उनकी बात और हमारी बात का जवाब दे दीजिए। साहब, हम लोगों को मदद करिए, हमारी जनता बहुत तकलीफ में है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों की स्थिति से मैं व्यक्तिगत रूप से वाकिफ हूं। इसको लेकर अधिकारियों से मेरी लगातार बातचीत होती रही है। अभी भारत सरकार के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है। बहुत शीघ्र ही मरम्मत के लिए राशि मिलेगी और मरम्मत का काम बहुत जल्दी करायेंगे। हम आगे की प्रक्रिया भी करेंगे। अधिकारियों को चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधियों का फोन भी उठाएं, आपके लिए उनसे बातचीत करना मददगार होगा। निश्चित रूप से मैं इस बात से भी सहमत हूं।

(माननीय सदस्य, श्री गुरू खुशवंत साहेब द्वारा हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आप पंडरिया आ गए।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- नहीं, मेरे नगरपालिका मंदिर हसौद में भी एन.एच. का ओव्हरबिज बन रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आज ध्यानाकर्षण दूसरा है।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- उसी में एन.एच. का ही था। ओव्हरब्रिज बनने के कारण स्वामी आत्मानंद स्कूल है, उसकी बाउंड्रीवाल को तोड़ दिए हैं, आश्वासन दिया गया था कि बाउंड्रीवाल बना देंगे, वह बाउंड्रीवाल अभी तक नहीं बना है। उसको भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, मंत्री जी दिखवा लेंगे।

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री रामदास अठावले, भारत शासन के केन्द्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री

अध्यक्ष महोदय :- आज अध्यक्षीय दीर्घा में भारत शासन के केन्द्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, माननीय श्री रामदास अठावले जी उपस्थित हैं, मैं सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

(ध्यानाकर्षण संख्या 2 के प्रस्तुतकर्ता सदस्य की अनुपस्थिति के कारण सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(3) साईंस कॉलेज रायपुर में आयोजित बोरे बासी कार्यक्रम में अनियमितता की जाना।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

दिनाँक 1 मई, 2023 को रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में श्रम विभाग द्वारा बोरे बासी कार्यक्रम का आयोजन कर बिना बजट प्रावधान, बिना मद के प्रावधान करोड़ों रुपये व्यय किया गया। असंगठित मजदूरों के लाभार्थ आयोजित इस कार्यक्रम में कितनी संख्या में क्या सामान बांटे गये? बजट में इस कार्यक्रम के लिए कितनी राशि प्रावधानित थी? इसका कोई विवरण श्रम विभाग के पास नहीं है। दैनिक समाचार पत्रों में लगातार इस आशय की खबरें छपीं कि कार्यक्रम में बिना बजट प्रावधान बिना मद के केवल मंच बनाने, डोम बनाने, टोपी पहनाने कुर्सियां लगाने, खाना खिलाने, पानी पिलाने और आए अतिथियों को मोमेन्टो देने के सिवा कुछ नहीं हुआ न तो किसी असंगठित मजदूर को कोई सामग्री मिली, न कोई राशि उनके खाते में आई। केवल विभिन्न मदों में अनाप-शनाप खर्च दिखाकर 8.14 करोड़

रुपये की राशि की श्रम विभाग के अधिकारियों ने मिलकर अनियमितता की है और यह कार्य तत्कालीन श्रमायुक्त तथा अन्य सभी उच्च पदासीन लोगों की मिली-भगत से किया गया। इस फर्जीवाड़े की जांच कर दोषियों से राशि रिकव्हरी करने, उन्हें दंडित करने के बजाय बस मिल-जुल कर उन्हें बचाने में लगे हैं, इससे जन-साधारण में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि 1 मई, 2023 को रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में श्रम विभाग द्वारा बोरे बासी कार्यक्रम का आयोजन कर बिना बजट प्रावधान, बिना मद के प्रावधान करोड़ों रूपये व्यय किया गया। अपितु 01, मई 2023 को साईंस कॉलेज मैदान, रायपुर में श्रम विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों की कल्याणकारी योजनाओं से श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने एवं मंडल में पंजीयन तथा योजनाओं के लाभ लेने के प्रति श्रमिकों को जागरूक किये जाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 2023-2024 हेतु शिविर/सम्मेलन कार्यशाला मद में रूपये 10 करोड़, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में श्रम सम्मेलन मद में रूपये 50 लाख एवं छत्तीसगढ़ असंगठित-कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में रूपये 25 लाख बजट प्रावधानित था। उक्त कार्यक्रम आयोजन हेतु छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के आकस्मिक व्यय मद से राशि रूपये 10 लाख, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के श्रम सम्मेलन मद से राशि रूपये 25 लाख तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के शिविर/सम्मेलन कार्यशाला मद से राशि रूपये 8,62,46,399 (8 करोड़ 62 लाख 46 हजार 399 रूपये) प्रावधानित मद से संबंधित जिला श्रम कार्यालय को आबंटित किया गया।

यह कहना सही नहीं है कि असंगठित मजदूरों के लाभार्थ आयोजित इस कार्यक्रम में कितनी संख्या में क्या सामान बांटे गये? बजट में इस कार्यक्रम के लिए कितनी राशि प्रावधानित थी? इसका कोई विवरण श्रम विभाग के पास नहीं है। अपितु उक्त सम्मेलन में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के 6457 संगठित श्रमिकों को राशि रूपये 3,08,53,249/- (3 करोड़ 8 लाख 53 हजार 249 रूपये) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा कल्याण मंडल द्वारा 13,499 (13 हजार 499 रूपये) असंगठित कर्मकारों को राशि रूपये 22,02,81,310/- (22 करोड़ 2 लाख 81 हजार 310 रूपये) तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 80,649 (80 हजार 649 रूपये) निर्माण श्रमिकों को राशि रूपये 29,83,88,518/- (29 करोड़ 83 लाख 88 हजार 518 रूपये) इस तरह कुल 1,00,605 (1 लाख 605 श्रमिक) संगठित/असंगठित/निर्माण श्रमिकों के खाते में मंडलों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की राशि रूपये 54,95,23,077 (54 करोड़ 95 लाख 23 हजार 77 रूपये)

डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांतरित की गई। लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण विभागीय पोर्टल में संधारित है।

यह कहना सही नहीं है कि कार्यक्रम में बिना बजट प्रावधान, बिना मद के केवल मंच बनाने, डोम बनाने, टोपी पहनाने, कुर्सियां लगाने, खाना खिलाने, पानी पिलाने और आए अतिथियों को मोमेन्टो देने के सिवा कुछ नहीं हुआ। न तो किसी असंगठित मजदूर को कोई सामग्री मिली न, कोई राशि उनके खाते में आई। अपितु उक्त सम्मेलन में मंडलों की योजनाओं के अंतर्गत कुल 1,00,605 (1 लाख, 605 श्रमिक) संगठित/असंगठित/ निर्माण श्रमिकों के खाते में राशि रूपये 54,95,23,077 (54) करोड, 95 लाख, 23 हजार 77 रूपये) डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांतरित की गई। भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 22.03.2021 के द्वारा सामग्री मूलक योजनाओं के तहत सामग्री के स्थान पर डी.बी.टी. किये जाने के निर्देश के परिणामस्वरूप सामग्री का वितरण न किया जाकर उसके स्थान पर हितग्राहियों के खाते में राशि डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

उक्त श्रम सम्मेलन में श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों को कुल 1,30,000 (1 लाख, 30 हजार श्रमिक) श्रमिकों को शामिल होने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरूद्ध लगभग 50,000 (50 हजार) से अधिक श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए। उक्त श्रम सम्मेलन स्थल पर श्रमिको के बैठक व्यवस्था हेतु डोम पंडाल, चेयर, कुलर, भोजन, पानी, मठा, कैप, श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, विभागीय योजनाओं की प्रदर्शनी, पंजीयन शिविर के साथ-साथ अतिथियों हेतु मंच, बुके एवं अतिथियों के साथ-साथ तीनों मंडलों के संचालक मंडलों के सदस्यों के लिए प्रतीक चिन्ह की व्यवस्था की गई थी तथा श्रमिकों के साथ बैठकर अतिथियों के भोजन (बोरे बासी) ग्रहण करने की व्यवस्था की गई थी।

यह कहना सही नहीं है कि केवल विभिन्न मदों में अनाप-शनाप खर्च दिखाकर 8.14 करोड़ रूपये की राशि को श्रम विभाग के अधिकारियों ने मिलकर अनियमितता की है और यह कार्य तत्कालीन श्रमायुक्त तथा अन्य सभी उच्च पदासीन लोगों की मिली भगत से किया गया। अपितु विभागीय निर्देश पर सहायक श्रमायुक्त, रायपुर द्वारा समिति गठित किया जाकर समिति द्वारा अनुशंसित संस्थान से सम्मेलन की व्यवस्था कराई गई।

सही यह है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आने वाले श्रमिकों के लिये बैठक व्यवस्था हेतु डोम निर्माण, प्रचार-प्रसार मंच निर्माण, कुर्सी टेन्ट, स्टॉल, स्वल्पाहार भोजन आदि व्यवस्था की गई, जो कार्यक्रम आयोजन पर होने वाले कार्यों पर व्यय की गई है।

अतः यह कहना सहीं नहीं है कि इस फर्जीवाड़े की जांच कर दोषियों से राशि रिकवरी करने, उन्हें दडित करने के बजाय बस मिलजुल कर उन्हें बचाने में लगे हैं इससे जन साधारण में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और समझना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आपने जिस संस्था को काम दिया, उसका चयन किस प्रकार से किया ? दूसरा, आपने उत्तर में कहा कि हमने उसमें लगभग 1 लाख लोगों को आमंत्रित किया तो क्या विभाग ने आंकलन किया था कितने स्वेयर फीट का डोम लगेगा ? आपने आइटम वार रेट बुलवाया क्या ? क्या आपने लमसम काम दिया ? तीसरा, आपने कहा है कि हमने मजदूरों के खाते में पैसा डी.बी.टी. के माध्यम से अन्तरित किया तो कब-कब किया ? उस दिन के कार्यक्रम में कितने खातों में पैसा अन्तरित किया ? आप यह जरा स्पष्ट कर दें।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, 2023 को सफल आयोजन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 24.04.2023 को श्रम विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, परिवहन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, संस्कृति विभाग, संचालक जनसम्पर्क, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विभागीय सचिव एवं कलेक्टर रायपुर तथा आयुक्त नगर निगम की उपस्थिति में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग से परिचर्चा उपरांत दायित्व एवं व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम का समिति सदस्य भी बनाया गया। सदस्य के रूप में अनिल कुजुर सहायक श्रम आयुक्त, आर.एस. राजपूत सहायक श्रम पदाधिकारी रायपुर, अमित कुमार वरू , श्रम निरीक्षक, रायपुर, श्री ए.डी. पटेल, श्रम निरीक्षक, रायपुर, यह सभी समिति के सदस्य थे। इसका गठन माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई थी। आप जो डी.बी.टी. करने की बात कह रहे हैं, उसको मैं बताना चाहूंगा। मूणत जी, श्रमिकों को जो डी.बी.टी. किया गया है, खर्च किया गया है, उसको पूछ रहे हैं?

श्री राजेश मूणत :- नहीं। मैंने तीन चीज पूछा है कि आपने एजेंसी का चयन कैसे किया, उसमें कितने स्क्वेयर फीट का डोम लगा था और उसमें किन-किन चीजों का प्रावधान था? आपने उस कार्यक्रम के एवज में 8 करोड़ 14 लाख रूपये खर्च किया है। मैं उसमें लंबा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं। आपने जो कमेटी बनाई है, उसकी भी मेरे पास रिपोर्ट है। उस कमेटी में सब चीज क्लियर है कि किसके जिम्मे में काम दिया गया, वह काम किसने किया, उन्होंने कितना काम किया? आप लोगों ने बिल की भी जांच की कि उसमें कितने लोग आये थे, कितने लोग नहीं आये थे। यह सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उसकी चयन प्रक्रिया और स्पॉट के बारे में किसने निर्णय लिया? जिस दिन वह कार्यक्रम हुआ था, उस दिन आपने मजूदरों के खाते में कितना पैसा ट्रांसफर किया?

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, मजदूरों के खाते में जो पैसा ट्रांसफर किया गया, उसको पहले ही मैंने अपने उत्तर में बता दिया है।

श्री राजेश मूणत :- नहीं, आपने किन-किन तारीख में कितना-कितना पैसा ट्रांसफर किया है?

श्री लखनलाल देवागंन :- उसी दिन ही सभी को ट्रांसफर किया गया है।

श्री राजेश मूणत :- उसी दिन ट्रांसफर नहीं हुआ था। आप तरीख ले लीजिये। अलग-अलग तारीखों में पैसा का ट्रांसफर किये गये हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पूरी डिटेल ले लीजिये।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, दिनांक 01.05.2023 को ही डी.बी.टी. के माध्यम से श्रमिकों के खाते में राशि ट्रांसफर किया गया है।

श्री राजेश मूणत :- कितना पैसा ट्रांसफर किया गया है?

श्री लखनलाल देवांगन :- मैंने आपको उत्तर में बताया है कि 55 करोड़ रूपये।

श्री राजेश मूणत :- ठीक है।

श्री लखनलाल देवांगन :- और आप पूछ रहे हैं कि अलग-अलग मदों में खर्चा हुआ है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि संपूर्ण टेंट, डोम व इवेंट की व्यवस्था रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 2,43,26,668 रूपये, संपूर्ण भोजन व्यवस्था में 1,18,80,000 रूपये, संपूर्ण बाइंडिंग इवेंट में 1,72,79,950 रूपये, संपूर्ण प्रिंट व्यवस्था में 1,23,44,500 रूपये, संपूर्ण माईक साउंड व्यवस्था में 19,46,110 रूपये, संपूर्ण इलेक्ट्रिशियन कार्य में 11,92,975 रूपये, संपूर्ण सजावट बुके, माला की व्यवस्था में 7,25,000 रूपये, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डेकोरेशन की व्यवस्था में 8,70,000 रूपये, जी.एस.टी. कर देय 1,27,05,445 रूपये, इस प्रकार उसमें कुल योग 8,32,61,248 रूपये का व्यय किया गया है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे सीधा-सीधा प्रश्न पूछा है। जो पैसे का व्यय किया गया है, उसकी मुझको पूरी जानकारी है। मुझे सिर्फ इतनी ही जानकारी चाहिए कि उसमें कितने स्क्वेयर फीट का डोम लगा था? उस इवेंट के लिए एजेंसी का चयन कैसे किया गया, यह स्पष्ट कर दीजिये? आपने कहा कि स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी डोम लगाने का काम करती है?

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण काम व्यापक इंस्टीट्यूट को दिया गया था।

श्री राजेश मूणत :- माननीय मंत्री जी, मैं संस्था का नाम नहीं पूछ रहा हूं। आपने एजेंसी का चयन कैसे किया? हमें संस्था से कोई लेना-देना नहीं है। किसने काम किया है, रामलाल, श्यामलाल, मुक्कुलाल, चुक्कुलाल, उससे कोई लेना-देना नहीं है। (हंसी) मुझे यह जानकारी चाहिए कि उसकी चयन की क्या प्रक्रिया थी? अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वर्ष 2018 के बाद इस प्रदेश में इवेंट के नाम पर धंधा चला है। हम लोगों ने भी वर्ष 2003 से लेकर 2018 तक बड़े-बड़े कार्यक्रम कराया है, लेकिन कभी भी इवेंट के नाम पर करोड़ों रूपये खर्च नहीं हुआ है। आश्चर्य का विषय है कि वह गरीब परिवार, मजदूर, जिसका 1 प्रतिशत पैसा काटकर उसके रोजगार की दृष्टि से, उसे कभी साईकिल देते थे, सिलाई मशीन देते थे, राज मिस्त्री का औजार देते थे, उनके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था करते थे, गरम-गरम भोजन भी आपके कार्यकाल में

प्रारंभ किया था, उसे ना करके 8 करोड़ रूपया, 8 करोड़ 14 लाख रूपया इवेंट के नाम पर खर्च कर दिया । अध्यक्ष महोदय, अगर आप बातचीत करेंगे कि कितना डोम लगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल 16 हजार वहां पर कुर्सी लगी है । यह आपके विभाग ने गणना की है और अगर 8 करोड़ रूपया खर्च होता है तथा 40 हजार लोग भी होते हैं तो 2000 रूपया प्रति व्यक्ति गरीब परिवार के उन लोगों के ऊपर खर्च किया, यह बोरे-बासी अपने आप में इतिहास है । इसे हम घर-घर में खाते हैं, सिर्फ उसी के लिये पूर्व सरकार ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था, यह आश्चर्यजनक है । अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए प्रश्न किया है कि उस एजेंसी का चयन किसने किया है ? इसकी प्रक्रिया क्या है, आप इतना बता दें ?

श्री लखनलाल देवांगन :-माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी पैनल रायपुर के द्वारा किया गया था...।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी का काम क्या है, वह पढ़ लो, पहले समझ लो ।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, अब इस तरह से पूरा अलग-अलग व्यय जो किया गया है, जब यह प्रिंट मीडिया में आया तो इसका प्रारंभिक जांच भी मैंने विभाग में किया है । माननीय सदस्य महोदय द्वारा इसमें गड़बड़ी की संभावना जाहिर की गई है, हम निश्चित तौर पर इसका विभाग स्तरीय जांच करायेंगे और जांच में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो आगे और बढ़ेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रथम दृष्टया है, पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बनाने के लिये यह काम किया था । माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ कि उस दिन जो डोम लगा था, उसमें एक कार्यक्रम नहीं हुआ है, दूसरे दिन अन्य विभाग का और कार्यक्रम हुआ, उसके बाद तीसरे विभाग का फिर कार्यक्रम हुआ, एक ही जगह पर, एजेंसी चाहे कोई भी हो उससे कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अगर इस कार्य की योजना बनाई, आपने स्मार्ट सिटी में चयन किया, स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट के तहत प्रायवेट लिमिटेड कंपनी है, जो रायपुर नगर निगम के अंदर काम कर रही है, जिसका काम इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है । अगर एस.ओ.आर. के अंदर अगर रेट है तो पी.डब्लू.डी. में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी तक का कार्यक्रम पी.डब्लू.डी. करती है । स्मार्ट सिटी के माध्यम से डोम लगाना यह आश्चर्यजनक विषय है । इसे आपने कहा और आपकी कमेटी ने कहा है और ऊपर के निर्देश पर कमेटी में चिन्हित किया है । अध्यक्ष महोदय, इसमें आपके अधिकारी का बयान है, मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछ लो ना ?

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट कहना है कि चयन कैसे हुआ, मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है । वह घूम-घूम कर बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, इसमें चयन की प्रक्रिया क्या थी, कितनी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, क्या रेट कान्ट्रेक्ट में 5 पार्टियॉ थी, उसमें इतने को दिया, इतने स्कवेयर फीट का डोम लगा, इतनी कुर्सियॉ लगी, कुल स्कवेयर फिट कितना था, यह बता दें ? अध्यक्ष महोदय, यही तो अनियमितता है ।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य सचिव स्तर पर बैठक हुई और कार्यक्रम का निर्णय लिया गया तो इसमें से मुश्किल से 5-6 दिवस का समय था, इसलिये अलग-अलग एजेंसी के माध्यम से, जो सरकार की एजेंसी है उसके माध्यम से और पूर्व में अलग-अलग विभागों द्वारा इंम्पलॉड एजेंसी में से सहमति के आधार पर चयन किया गया है । समयाभाव की वजह से एजेंसी का चयन टेण्डर के माध्यम से नहीं किया जा सका है और इस कारण से अन्य विभाग का इम्प्लायमेंट संख्या से चयन किया गया है और चयन पूरी प्रक्रिया के तहत हुई । मैं तो कह रहा हूं कि माननीय सदस्य को इसमें शंका है तो हम निश्चित तौर पर विभाग स्तर पर इसकी जांच कराएंगे । अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी तो आगे भी और अच्छी तरह से उसकी जांच कराएंगे ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि जांच कराएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बिन्दु लिखकर दे दीजिए, वे जांच कराएंगे । आपके प्रश्न का उत्तर तो आ ही गया है ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न का उत्तर पूछा, आपने कह दिया कि उसके माध्यम से चयन किया । पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सरकार की एजेंसियां तय हैं । डोम बनाने का काम कितने स्कवेयर फीट का डोम होगा, किस व्यक्ति या संस्था का चयन करने के पहले उसे काम दिया जाता है । आप इवेंट के माध्यम से इवेंट कर रहे हैं, डोम भी वही बनाएगा, खाना भी वही खिलाएगा, माला भी वही लेकर आएगा, फोटो ग्राफर भी वे लेकर आएंगे तो छत्तीसगढ़ के जितने बेरोजगार नौजवान है, वे कहां जाएंगे । इस प्रदेश के अंदर पूर्व सरकार ने इवेंट के नाम पर यह धंधा चलाया था । माननीय अध्यक्ष जी, आप भी 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, विभागों का कार्यक्रम होता रहा, पर कभी ऐसा खर्च नहीं हुआ । एक कार्यक्रम में 8-10 करोड़ रूपए खर्च हो रहे थे, ये चिंता है। आपने 150 मोमेंटो मंगवाए, 10 हजार रूपए का एक मोमेंटो । अब इसको किसे बांटें ? श्रमिक, वे बेचारे मजदूर जिनका पैसा आपके मद आता है, उसके आधार पर आप काम कर रहे हैं । बोरी बासी कार्यक्रम में एक मजदूर खाने को नहीं बैठा था। 36 लाख रूपए का सिर्फ व्ही.आई.पी. डोम बना था, जहां बैठकर बोरे बासी खाया गया, वह भी चम्मच से खाए । यह रिकॉर्ड में है, मैं नहीं बोल रहा हूं । यह भी आश्चर्य की बात है । अध्यक्ष महोदय, मैं इतना चाहता हूं कि क्या विधायक दल से एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएंगे ? दूसरा, इसी में एक विषय है । मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में एक चीज

और लाना चाहता हूं । आपके विभाग के एक कारनामे पूर्व सरकार ने किए, वह भी मैं आपको बता देता हूं और उसके अंतर्गत नियमों के विपरीत जाकर कितना बड़ा खेल किया गया । गरीब परिवार, जो कृषक मजदूर हैं । उनका 1 प्रतिशत पैसा कटकर एकाउन्ट में आता है, श्रम विभाग उस योजना का संचालन करती है । सूचना के लिए श्रम विभाग ने एक कॉल सेन्टर चालू किया । माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं । मैंने एक पत्र पहले भी आलरेडी भेजा है। उस कॉल सेन्टर के माध्यम से 3 साल में 60 करोड़ रूपए सिर्फ फोन और सूचना देने के नाम पर खर्च किए गए । पॉच साल के कार्यकाल में दो साल कोविड कॉल आ गया। माननीय मंत्री जी, पुराने सरकार के कारनामे हैं, सिर्फ फोटो छपा और चांद सुहाना लगता है, दिल पुराना लगता है । बिल बनाओ अभियान । माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि हम छोटी-छोटी चीजें लेकर वित्त विभाग के पास जाते हैं..।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखकर दे दीजिए, मंत्री जी जांच करा लेंगे ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के पैसे का सदुपयोग हो । जो करोड़ों अरबों रूपए इवेंट के नाम पर बरबाद हो रहे हैं, इसको जरूर रोकना चाहिए, यह मेरा आग्रह है । क्या मंत्री जी विधायक दल की कमेटी से जांच कराएंगे ? मेरा इतना ही कहना है ।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसकी जांच प्रक्रियाधीन है और अभी इसके लिए समिति गठित करके हम कड़ाई के साथ में जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उसको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- राजेश जी को एक दिन घर बुलाकर बोरे बासी खिलाईए न।

श्री प्रबोध मिंज :- 2500 रूपए एक आदमी का एक बोरे बासी का हो गया ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना महंगा खाना तो बेबीलॉन में नहीं मिलता ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं दो दिन पहले ही बोरे बासी का प्रश्न पूछा था। उसमें 8 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बोरे बासी 1700 रुपए प्लेट पड़ा है। यदि 1700 रुपए नगदी लिफाफा में भरकर दे देते तो मजदूर ज्यादा खुश रहता। कहां का बोरे बासी, काहे का टेंट और काहे का कुछ। यदि बोरे बासी खिलाना है, तो बोरे बासी खिलाओ ना। बोरे बासी के नाम से पूरे प्रदेश को बोरने का काम क्यों कर रहे हो?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बोरे अलग चीज़ है, बासी अलग चीज़ है।

श्री धर्मजीत सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, बोरे बासी का आयोजन हो, वहां तक कोई आपत्ति नही है, लेकिन अब आयोजन वह आदमी कराया था, जो जीवन में कभी बोरे बासी खाया ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बताइए कि वह 1700 रुपए प्लेट लगा है, कितना क्रिमिनल वेस्टेज़ ऑफ मनी है।

मंत्री जी, यह आपके समय का तो है नहीं, जोर-जोर से बोलो ना कि जांच कराऊंगा। आप धीरे-धीरे क्यों बोल रहे हैं?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोला तो हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर जांच प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और अभी समिति गठित करके हम उसकी और तेज गति से जांच करायेंगे और जिसे भी दोषी पायेंगे, उसे बख्सा नहीं जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेश जी ने जो पूछा है, मैं उससे एक कदम और आगे बढ़ जाता हूं। जो बिल विभाग में आया, उस बिल में कांट-छांट की गई और उस बिल को फिर से सुधारा गया। कितनी बार सुधारा गया, वह किसी को नहीं मालूम। कार्यक्रम के सारी चीज़ों के बिल को ऐसे ही किया गया। अब माननीय मंत्री जी सबमें कह रहे हैं कि विभाग जांच करेगा। हम और उच्चस्तरीय समिति बनायेंगे। उच्च स्तरीय समिति क्या होती है, कौन विभाग जांच करेगा? उसे वही विभाग कैसे जांच करेगा? जांच ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। इसके लिए विधायकों की समिति या सदन की प्रश्न एवं संदर्भ समिति में से किसी जांच की आप घोषणा करेंगे क्या? यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं, तो आपको चीज़ बता दूं कि बोरे अलग चीज़ है और बासी अलग चीज़ है। आप मुझे यह भी बताएं कि आप बोरे खिलाए हैं या बासी खिलाए हैं? जो ऑर्डर दिए थे, वह बोरे का दिए थे या बासी का दिए थे? आप सदन की समिति या प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जांच करायेंगे क्या? विभागीय जांच की कोई विश्वसनीयता नहीं है। उसी विभाग ने गड़बड़ की है, वही विभाग उसकी क्या जांच करेगा?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति भोजन का 150 रुपए था और 50 हजार श्रमिक भोजन ग्रहण किए हैं। बोरे बोसी अन्य अतिथियों के भोजन के लिए 1500 रुपए था। उसमें क्या था कि अतिथि लोग बोरे बासी खाए थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बोरे या बासी क्योंकि दोनों अलग-अलग चीज़ है?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बोरे बासी तो बोल रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बोरे बासी नहीं बोलते, बोरे अलग चीज़ है, बासी अलग चीज़ है। आप किसी भी छत्तीसगढ़ के आदमी से पूछ लो। रात को डुबाकर खायेंगे तो वह बासी है। तत्काल भात को डुबाकर खायेंगे, वह बोरे है।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये बोरे बासी खिलाने का समय क्या निर्धारित था? कितने समय खिलाए थे?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। आप बोरे खिलाए थे या बासी खिलाए थे, ये बताओ और सदन की समिति से या प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जांच करायेंगे क्या?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बोरे बासी में तो मैं गया नहीं था, तो समय को तो नहीं बता पाऊंगा कि कितने समय खाए थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- कितने समय खिलाए थे, मैं वही तो पूछ रहा हूं, तो मैं बता दूंगा कि बोरे है या बासी है? आप समय बताएं? आप समय बता सकते हैं क्या कि कितने समय खिलाए थे?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोरे बासी में नहीं गया था, तो मैं समय नहीं बता पाऊंगा कि वह 2.00 बजे खाए थे या 3.00 बजे खाए थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसलिए आप बोरे बासी में अंतर नहीं बता पा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप सब चीजें छोड़िए। आप सदन की समिति से या प्रश्न एवं संदर्भ समिति से या विधायकों की समिति से जांच करायेंगे क्या? विभागीय जांच की कोई विश्वसनीयता नहीं है, न हम उसको स्वीकार करते हैं। ये लीपापोती मानी जाएगी।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पूर्ण रूप से समिति बनायेंगे और समिति के माध्यम से उसकी जांच करायेंगे। अगर जांच में कोई ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस विभाग में ये गड़बड़ी दिख रही है, वही विभाग उसमें क्या जांच करेगा? उसकी क्या विश्वसनीयता रहेगी?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय के कोई अधिकारी नहीं हैं, सारे नए अधिकारी आ चुके हैं। निश्चित तौर पर उसकी सही ढ़ंग से जांच होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है कि यह बहुत संवेदनशील विषय है और अपने तरह की पहली घटना है, इसलिए इसकी सदन की समिति से या प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जांच कराई जाए। माननीय मंत्री जी, आपको इसमें क्या है, आपके कार्यकाल का थोड़ी है। क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इसे प्रश्न संदर्भ समिति में देने की सहमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बहुत आग्रह हो गया। मंत्री जी जो बोल रहे हैं, उसे सुन लीजिए।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार अपने विभागीय समिति के माध्यम से जांच हो जाए, उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी दिखती है।

अध्यक्ष महोदय :- फिर आपसे आग्रह है कि आप जांच भी मत कराओ, वापस ले लो। आप वापस ले लो, आप जांच भी मत कराओ। जांच मत कराइए, जांच को वापस ले लीजिए और ऐसा होने दीजिए। इस जांच की कोई विश्वसनीयता नहीं है। इससे अच्छा है कि आप खड़े होकर, घोषणा कर दीजिए कि मैं जांच वापस लेता हूँ। इसमें ऐसी जांच का कोई प्रभाव नहीं है, उसमें वही विभाग गड़बड़ करे और वही जांच करे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने उस बिल को चेक किया। उसी कमेटी ने उसमें लिखा है कि उस बिल में यह-यह कमी पायी गयी। उसका बिल ज्यादा प्रस्तुत हुआ। जब विभाग वाले दो-दो, तीन-तीन बार उस बिल के ऊपर लिख चुके हैं, कमेन्ट्स लिख चुके हैं, अगर उसके बाद में यह कहते हैं कि अगर विभाग से कमेटी की जांच है। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी

बैठे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं और हमारा यही तक का संदेश नहीं है । पूर्व कार्यकाल में जो इवेंट के नाम पर जो दुर्दशा हो रही है। माननीय वित्त मंत्री जी आपने प्रिंटिंग प्रेस वालों से कह दिया कि आप संवाद के माध्यम से करवाएं। छोटी-छोटी प्रिंटिंग प्रेस में मजबूरी में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवान, वहां जाएगा और यह इवेंट करने वाले करोड़ों-अरबों रूपये के नाम पर जो बिल बना रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ के पैसे को लूटने का धंधा बन रहा है। इसमें जरूर विचार होना चाहिए। हमारा कोई लेना-देना नहीं है कि इसमें क्या होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां आप हैं। इसमें विभागीय जांच का कोई औचित्य नहीं है। जिन लोगों ने गड़बड़ की है, वही लोग क्या जांच करेंगे ? यह हमारे समय का नहीं है, जब यह गड़बड़ी स्वीकार कर रहे हैं तो उसको विभाग क्या जांच करेगा?

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 सालों तक उन लोगों ने गोरखधंधा चलाया, वह नहीं होना चाहिए। यहां इवेंट के नाम पर जो धंधा चल रहा है, यह छत्तीसगढ़ में बंद होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी सदन की समिति से या प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जांच होनी चाहिए। इसमें विधायकों की समिति या प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जांच होनी चाहिए नहीं तो इसकी जांच मत हो।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मुद्दा है। हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्यों की मांग है कि इसमें हमारे विधायक दल से जांच होनी चाहिए तो निश्चित तौर पर हम विधायक दल के माध्यम से जांच करवा देंगे। (मेजों की थपथपाहट)

ध्यानाकर्षण संख्या 4 (अनुपस्थित)

समय
1.47 बजे **नियम-167(1) के अन्तर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना।**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, श्री रामकुमार यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री ब्यास कश्यप, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इन्द्रशाह मण्डावी, श्रीमती चातुरी नंद, श्री इन्द्र साव, श्री संदीप साहू, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्री ओंकार साहू, श्री अटल श्रीवास्तव, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, श्री भोलाराम साहू, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री दलेश्वर साहू एवं श्री बालेश्वर साहू (कुल 21) द्वारा श्री सुनील नामदेव के विरूद्ध प्रस्तुत अवमानना तथा विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 02/2025 दिनांक 06.01.2025 को विचारोपरांत मैंने अग्राह्य कर दिया है।

ध्यानाकषर्ण सूचना (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- कार्यसूची के पद 3 के उप पद (5) से (109) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जाएंगे। सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा।

5. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, संदीप साहू
6. श्री अजय चन्द्राकर, श्री धर्मजीत सिंह
7. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह
8. श्री अजय चन्द्राकर
9. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, रिकेश सेन
10. श्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, रिकेश सेन
11. डॉ. चरणदास महंत, श्री विक्रम मण्डावी, श्री जनक ध्रुव
12. श्री इंद्रशाह मंडावी
13. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
14. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
15. श्री अंबिका मरकाम
16. श्री अंबिका मरकाम
17. श्री अंबिका मरकाम
18. श्री अंबिका मरकाम
19. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
20. डॉ. चरणदास महंत, श्री रिकेश सेन
21. डॉ. चरणदास महंत, श्री रिकेश सेन
22. श्री विक्रम मण्डावी
23. सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, कुंवर सिंह निषाद, जनक ध्रुव
24. श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती शेषराज हरवंश
25. श्री बालेश्वर साहू
26. श्री उमेश पटेल
27. श्री संदीप साहू
28. श्री संदीप साहू
29. श्री इंद्र साव

30. श्री इंद्र साव
31. श्री बघेल लखेश्वर
32. श्री देवेन्द्र यादव
33. श्री दलेश्वर साहू, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
34. श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती अनिला भेंडिया
35. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री भूपेश बघेल
36. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
37. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
38. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
39. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
40. श्री भोलाराम साहू
41. श्री भोलाराम साहू
42. श्री सुशांत शुक्ला
43. श्री सुशांत शुक्ला
44. श्री बालेश्वर साहू
45. श्री दिलीप लहरिया
46. श्री दिलीप लहरिया
47. श्री दिलीप लहरिया
48. श्री दिलीप लहरिया
49. श्री दिलीप लहरिया
50. श्री भूपेश बघेल
51. श्री इंद्र साव
52. श्रीमती चातुरी नंद
53. श्रीमती चातुरी नंद
54. श्री कुंवर सिंह निषाद, श्री भोलाराम साहू
55. श्री चैतराम अटामी, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
56. श्री चैतराम अटामी
57. श्री चैतराम अटामी,
58. श्री चैतराम अटामी,
59. श्री इंद्र साव

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

60. श्री धर्मजीत सिंह
61. श्री धरमलाल कौशिक
62. श्री धरमलाल कौशिक
63. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
64. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
65. श्री सुशांत शुक्ला
66. श्री द्वारिकाधीश यादव
67. श्रीमती चातुरी नंद
68. श्रीमती चातुरी नंद
69. श्री फूलसिंह राठिया
70. श्री लालजीत सिंह राठिया
71. श्री जनक ध्रुव
72. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
73. श्री अजय चन्द्राकर, श्री धर्मजीत सिंह
74. श्री अजय चन्द्राकर
75. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह
76. श्रीमती अंबिका मरकाम
77. श्रीमती अंबिका मरकाम
78. श्री रामकुमार यादव
79. श्रीमती शेषराज हरवंश
80. श्री विक्रम मण्डावी
81. श्री बालेश्वर साहू
82. श्री उमेश पटेल
83. श्री राजेश अग्रवाल
84. श्री बघेल लखेश्वर
85. श्री देवेन्द्र यादव
86. श्री देवेन्द्र यादव
87. श्री कुंवर सिंह निषाद
88. श्री कुंवर सिंह निषाद
89. श्री दलेश्वर साहू

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

90. सर्वश्री देवेन्द्र यादव, इंद्र साव
91. श्रीमती भावना बोहरा
92. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
93. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
94. श्री सुशांत शुक्ला
95. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
96. श्री अटल श्रीवास्तव
97. श्रीमती संगीता सिन्हा
98. सुश्री लता उसेण्डी
99. सुश्री लता उसेण्डी
100. श्री द्वारिकाधीश यादव
101. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
102. श्री ओंकार साहू
103. श्री ओंकार साहू
104. श्री अटल श्रीवास्तव
105. श्री भूपेश बघेल
106. सर्वश्री इन्द्र शाह मंडावी, जनक ध्रुव
107. श्री भूपेश बघेल
108. श्री धरमलाल कौशिक
109. श्रीमती संगीता सिन्हा

समय
1.49 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क"(2) को शिथिल कर आज दिनांक 18 जुलाई, को मैंने सदन में 22 सूचनायें लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे।

1. श्री लालजीत सिंह राठिया
2. श्रीमती शकुंतला पोर्ते(2 सूचनाएं)
3. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (2 सूचनाएं)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

4. श्री कुंवर सिंह निषाद
5. श्री चैतराम अटामी
6. श्री दलेश्वर साहू
7. श्री रिकेश सेन
8. श्री बघेल लखेश्वर (3 सूचनाएं)
9. श्रीमती चातुरी नंद
10. श्री द्वारिकाधीश यादव
11. श्री देवेन्द्र यादव
12. श्री संदीप साहू
13. श्री गजेन्द्र यादव (2 सूचनाएं)
14. श्रीमती अनिला भेंड़िया
15. श्री जनक ध्रुव
16. श्री ब्यास कश्यप
17. श्री ईश्वर साहू

समय
1.49 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

अध्यक्ष महोदय :- मैंने, छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए निम्नांकित विधेयकों को आज ही पुर:स्थापन करने की अनुमति प्रदान करते हुए चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

		निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025)	30 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025)	30 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025)	1 घंटा
4.	छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025)	1 घंटा
5.	छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार	

अशोधित प्रकाशन के लिये नहीं

विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025(क्रमांक 25 सन् 2025) 30 मिनट

6. छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक 26 सन् 2025) 1 घंटा
7. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) 30 मिनट

मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(1) छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025)

वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी विपक्ष नहीं है। मैं थोड़ी सी बात आपको भविष्य के लिए बोल देता हूं। आप कार्यसूची देखियेगा, बहुत सारे नये विधेयक हैं। जैसे ये मेरे हाथ में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2005 है। विधान सभा में बहुत कम अवसर आते हैं जब मूल विधेयकों में चर्चा होती है, बहुत कम समय आते हैं। अधिकांशतया विधान सभा में हम विधान सभा में संशोधनों विधेयकों में ही चर्चा करते हैं। मूल विधेयक उसी दिन बंटते हैं, यह तो कल शाम को बंटा, जब विधान सभा छूट गई थी। आज ही पुर:स्थापित मूल विधेयक होगा और आज ही चर्चा होगी। मैं पुर्नस्थापन में आपत्ति नहीं ले सकता क्योंकि मैं सत्तारूढ़ दल का सदस्य हूं। लेकिन विधान सभा में कम से कम सरकार के लोग भी बैठे हैं। विधायक दल विधान सभा में आयेगा। इसमें विधान सभा में देखा जाता है क्या त्रुटि है, क्या नहीं है, नियम, प्रावधानों में किसी चीज का वायलेंस तो नहीं कर रहा है, संविधान की किसी कंडिका का या concurrent subject के किसी विषय का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, ये सब इसमें परीक्षण होता है। अब ये मूल विधेयक रात को प्रस्तुत करते हैं और दिन को चर्चा होती है। ये प्रवृत्ति हमारी विधान सभा में आपके रहते रोका जाना चाहिए। मैं तो ये आग्रह करूंगा कि जो मूल विधेयक हैं उसको अगले सत्र के लिये रखा जाये। इतना जरूरी नहीं है ये जो एस.सी.आर. बना रहे हैं। ऐसे 3 विधेयक हैं जो बिल्कुल नये हैं और आज प्रतिस्थापित होंगे, आज चर्चा होगी। कल बंटा है। इसको पढ़ा होगा तो किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। कोई सुझाव नहीं दे सकते। सरकार ने जो भाषण बांटा होगा, उसको पढ़ देंगे। पर यदि सुझाव देना होगा तो बिना पढ़े वह दे नहीं पायेंगे। अब आपके ऊपर इस बात को छोड़ता हूं। लेकिन नये विधेयक विधान सभा में बहुत कम रेयरली प्रस्तुत होते हैं, अधिकांश में संशोधनों विधेयकों में चर्चा करते हैं। अब इसमें कोई व्यवस्था आप देंगे तो अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का क्या कहना है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो तीनों मूल विधेयक हैं। जो हमारे विभागों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, पेंशन विधेयक, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक या एस.सी.आर. वाला जो विधेयक है, तीनों राज्य के महत्वपूर्ण हित के विषय हैं और निश्चित रूप से सम्माननीय सदस्य ने जो कहा है कि पर्याप्त समय मिलना चाहिए, वह अत्यंत आवश्यक है और आगे हम लोग विधानसभा सचिवालय से पूरा Coordination करके पूरा प्रयास करेंगे कि समय पर सदस्यों को मिल जाए और यह अत्यंत महत्व के विषय हैं । राज्य के बेहतर भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और कई में

Implementation में जितनी द्रुत गति आएगी उतना अधिक लाभ मिलेगा तो इसलिए मेरा आग्रह है कि इस बार विधेयक को पुर:स्थापन करने की, चर्चा करने की और अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति सम्माननीय सदस्य...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, इस बार कर लेते हैं । आगे के लिये आपने सचेत किया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । मेरी बात सुन लीजिये । मैंने कहा कि आपके रहते यह परम्परा मत बने ।

अध्यक्ष महोदय :- परम्परा नहीं बने । करेक्ट ।

श्री अजय चंद्राकर :- कि उसी दिन बांटें, उसी दिन करें । आप पूरे कार्यकाल में देखियेगा कि कितने मूल विधेयक आते हैं । आप देख लीजियेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक । मैं सहमत हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कम से कम एक प्रेसीडेंसी बन जाये कि जो मूल विधेयक हैं वह पहले दिन प्रस्तुत हों और वितरित हों। मेरा आपसे यह आग्रह है कि कम से कम मूल विधेयक में चर्चा के नियम बनें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक । आपने यह जो आग्रह किया और मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया, भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- सरकार पक्ष का तो वह रहेगा ही कि मेरे बिजनेस तुरंत समाप्त हो जायें करके ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(4) छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(5) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(6) छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक-26, सन् 2025)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक-26, सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक-26, सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक-26, सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं ।

समय :

2.00 बजे

(7) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं।

(8) छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय अजय चन्द्राकर जी। माननीय अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- जी-जी, भाई साहब, इतना सारा विधेयक है कि खोजना पड़ रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, यहां इतनी तैयारी है कि ये खोज रहे हैं कि कौन सा निकाले।

अध्यक्ष महोदय :- ये लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम मंत्री जी का छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 है। आप निकाल लें।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी-जी।

अध्यक्ष महोदय :- आपको फाइनेंस मिनिस्टर डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए आपको क्षमा कर रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- सर, मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे न, इसलिए मैंने भी डिस्टर्ब कर दिया। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- इतना सारा विधेयक है, कौन से क्रम में है, उसे जमाना बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने इस सरकार के साथ इतनी उदारता दिखायी, आपकी उदारता की जितनी प्रशंसा की जाये उनता कम है।

श्री राजेश मूणत :- आप बोलना क्या चाहते हैं? (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शब्द पूरी दुनिया में प्रचलित है और राज्यों के बीच में मुकाबला है, देश में भी वह वातावरण बना रहा है। मोदी जी जब आए तो उन्होंने 1700 कानूनों को खत्म कर दिया, क्योंकि ये सब लोगों के लिए अड़चन पैदा करते हैं। तो ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने हेतु, यही है न माननीय लखन लाल जी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप बढ़ा रहे हैं तो लगभग आप पढ़ेंगे, यह जनविश्वास कानून बहुत मोटा है, 142 आठ विभाग के, और मुझे यह समझ में नहीं आया कि यह किन कारणों से आया है, आप उत्तर में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम, 1973, छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, ऐसे छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसाइटी अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकाल सेवा अधिनियम।

समय:
2.03 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, इन सब में जन विश्वास ईज ऑफ डूइंग, यह तो बनाना ठीक है। पर माननीय मंत्री जी, ये सात विभाग के भारसाधक विभाग तो अलग-अलग हैं। अलग-अलग विभागों का संशोधन आप कैसे ला सकते हैं? मैं संशोधन का स्वागत कर रहा हूं, पर भारसाधक विभाग तो अलग-अलग हैं। सभी विभाग अलग- अलग हैं तो आप उसको कैसे सब मिलाकर ला रहे हो? कौन सी प्रक्रिया के तहत ला रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, सात विभाग में संशोधन है। सातों अलग-अलग विभाग हैं। सातों के भारसाधक विभाग अलग-अलग हैं। तो आखिर उद्योग विभाग इन सातों का कैसे ला सकता है? क्या उद्योग नीति में आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप सबके नियमों को संशोधन कर सकते हैं? पहले इसको स्पष्टीकरण दे दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है और सभी विभाग के भारसाधक मंत्रियों से अनुमोदन प्राप्त है। यह प्रस्ताव कैबिनेट में भी गया था। पूरे मंत्रिमंडल सदस्य भी उसमें सम्मिलित थे और इसका प्रस्ताव हम लोगों ने विधान सभा में लाया

है। आप जो पूछ रहे हैं कि भार साधक मंत्री अलग-अलग हैं । उन विभागों से ही यह प्रस्ताव हमारे पास आया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- विभाग से प्रस्ताव आया है तब आपने लाया है, वह मैंने मान लिया । मैं यह कह रहा हूं कि क्या उद्योग नीति में या केबिनेट ने उद्योग विभाग को अधिकृत किया कि हम भार साधक विभाग अलग होकर एक विभाग को अधिकृत करते हैं, कौन सी प्रक्रिया तय हुई, जिसके तहत् आप 8 विभागों का प्रस्ताव एक साथ ला रहे हैं, यह बताइए ? सब विभाग अलग-अलग ला सकते थे ।

श्री लखनलाल देवांगन :- सभापति महोदय, इसको शासन ने ही उद्योग विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है और सभी भार साधक मंत्रियों के द्वारा अनुमोदन प्रस्ताव आया है उसके बाद हम लोग इसे केबिनेट में ले गए और केबिनेट की स्वीकृति के बाद विधान सभा में आया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इस पर ज्यादा बोलूंगा नहीं ।

सभापति महोदय :- छोड़िये ना, आगे बढ़िए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यह विधान सभा है । विधान सभा में कानून बनते हैं और यही विधान सभा का मूल काम है । बाकी प्रश्नोत्तर काल तो अपनी जगह है । क्योंकि मुझे वास्तव में उस स्पष्टीकरण के बाद भी समझ में नहीं आया कि 8 विभाग के प्रस्ताव को जन विश्वास के नाम से एक विभाग कैसे ला सकता है ? दूसरा, 8 विभागों का प्रस्ताव आया और इसमें लिखा है जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन । तो पहले हमने कभी इस विधेयक पर चर्चा नहीं की है कि 8 विभाग का जन विश्वास नाम का कोई विधेयक है और यदि इसको संशोधन विधेयक कहा गया तो दूसरी बात यह बता दीजिए कि यह संशोधन विधेयक है या नया विधेयक है ?

श्री लखनलाल देवांगन :- सभापति महोदय, जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंशा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, ओला छोड़ ना ।

श्री लखनलाल देवांगन :- अरे भइया, बताए देबे कि बोलेच न नइ देबे ? तहीं बोलबे, मैं बोलबेच नइ करवं तो कइसे समझबे तैं हा ?

सभापति महोदय :- आप बोलिए, बोलिए, वो सुनेंगे ।

श्री लखनलाल देवांगन :- देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में जो छोटे-छोटे कानून थे और उसके तहत लोग परेशान होते थे । जेल की सजा का प्रावधान था, उसको खत्म करना चाहते हैं और उसको पेनाल्टी, जुर्माना के रूप में लागू करना चाहते हैं, ताकि लोग ज्यादा परेशान हो, इसके लिए यह विधेयक लाया गया है । जिसमें मैं आपको कॉपी दे दूंगा, सभी विभागों का अनुमोदन है, उसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें कितने सुंदर प्रावधान किये गये हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके । इसके लिए यह प्रावधान लाया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मैंने पूछा एक लाईन । वे झल्ला रहे थे । केवल उसी का उत्तर नहीं दिया । वे झल्लाए जरूर ।

श्री लखनलाल देवांगन :- नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने कहा । मैं झल्ला नहीं रहा था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, आपने मुझे रोका है तो सही उत्तर दीजिए। मैंने पूछा कि यह नया विधेयक है या संशोधन विधेयक है ।

श्री लखनलाल देवांगन :- आप अपना भाषण दे दीजिए, फिर हम जवाब देंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नया विधेयक है या संशोधन विधेयक है ?

श्री लखनलाल देवांगन :- विधेयक, जो पुराने नियम कानून बने थे उनका यह संशोधन एक तरह से विधेयक है और 30 जून की मंत्रि परिषद् में निर्णय लिया गया कि उद्योग विभाग विधान सभा में प्रस्तुत करेगा इसलिए उद्योग विभाग के द्वारा प्रस्तुत हुआ है और वैसे 8 विभागों का जो अलग-अलग प्रावधान है, जनविश्वास । आप चाहेंगे तो मैं आपको उसकी कॉपी दे दूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे कुछ नहीं चाहिए भइया ।

सभापति महोदय :- आप भाषण दीजिए ना । हो गया उनकी बात सुन लिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें भाषण के लायक कुछ नहीं है ।

सभापति महोदय :- तो जो बोलना है बोलिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप भाषा को सुनिएगा । जो उत्तर आया है उसको देखिए, एक तरह से संशोधन विधेयक । एक तरह से । जब कानून बनते हैं तो विधान सभा में ऐसी भाषा नहीं चलती । इसमें ठोस भाषा चलती है, एक तरह से वाली भाषा नहीं चलती । बहरहाल, 8 विभागों के 142 संशोधन हैं और उसमें मुख्य रूप से शास्तियों को या कारावास के प्रावधानों को कम किया गया है । जैसे एक संशोधन को पढ़ देता हूं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में - साधारण कारावास जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, जो जुर्माना 50 हजार तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा । उसको दण्डनीय को हटकार 50 हजार रूपए तक की शास्ति से दण्डित किया जाय । वैसे ही दूसरे में 3 माह है, इन सबको पढ़ूंगा तो 8 विभाग के 142 संशोधन है । इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यह सरलीकरण जरूरी है। मेरा इस विधेयक के प्रावधानों में विरोध बिल्कुल नहीं है, एक-एक को पढ़ूंगा तो समय लगेगा। विभाग ने प्रक्रिया अपनाई और कानूनों को एकत्र करके 8 विभाग से जो सरलीकरण किया है, निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप, माननीय मुख्यमंत्री जी की शानदार पहल, माननीय उद्योग मंत्री 8 विभाग के नोडल मंत्री बने हैं, 8 विभाग को देख रहे हैं, उसके लिए उनको बधाई। लेकिन कानून बनने के बाद इस प्रदेश में कई कानून ऐसे आए हैं, जो इज़

ऑफ डूईंग बिजनेस को प्रभावित करते हैं। आपको 8 विभाग की जगह 9 विभाग रख लेना था। चौधरी जी चले गए क्या, अभी शायद आएंगे। बैंक गारंटी के लिए जो शुल्क होता था, उसको कई गुना बढ़ा दिए। ये इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुकूल है या प्रतिकूल है। सरकार में इसका विरोधाभास नहीं दिखना चाहिए, उसको 9 कर लेते। एक छोटा सा व्यापारी बैंक गारंटी लेगा, स्टाम्प जमा करेगा, वह 25, 50 रूपये था, उसको आप सीधा 2500 रूपए कर दिए हो, ज्यादा लेगा तो वह उसी हिसाब से बढ़ेगा। इज़ ऑफ डूइंग स्टेट की बात, आप 8 विभाग का कानून एकत्र करते हो, एक तरफ दूसरी चीज बढ़ा देते हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें वित्त मंत्री जी से बात करके जो बैंक गारंटी बनाने के स्टाम्प लगते हैं उसमें जो अप्रत्याशित वृद्धि की गई, आप उसको भी यथावत रखिए। इन शास्तियों में जो संशोधन किया गया है, उनका मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, चूंकि 8 विभाग मिलाकर 142 है, 142 को पढ़ूंगा तो समय लगेगा। इसलिए शास्तियों को कम किया गया है, सुगम बनाया गया है, मैं सभी प्रयासों की सराहना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, आपको बधाई देता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, यह जो छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक, 2025, माननीय मंत्री जी के द्वारा लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से हम जन विश्वास विधेयक के रूप में इसको पहली बार देख रहे हैं लेकिन उसके साथ संशोधन जोड़ा गया है, मुख्य प्रश्न यही आया कि जब नया विधेयक है तो संशोधन क्यों ? यह संशोधन है तो फिर इसको अलग-अलग विभागों के बजाए मंत्री जी बताएं कि कैबिनेट के द्वारा सरकार की जो मंशा है, उसके हिसाब से इसको लाया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो विषय लाया गया है, उस विषय में सरलीकरण करने का प्रयास किया गया है। इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देते हुए अपराधों के अपराध मुक्तकरण और तर्क संगतीकरण के लिए कतिपय अनियमितताओं में संशोधन है। इसमें संशोधन के बारे में दिया गया है कि 42 केन्द्रीय कानूनों में 180 संशोधन से अधिक धाराओं का अपराधीकरण समाप्त किया गया, उसी क्रम में हम छत्तीसगढ़ में लाए हैं। 8 राज्य अधिनियमों के कुल 163 धाराओं एवं उपधाराओं में सुधार कर रहे हैं, जिसमें राज्य में व्यापार करना सरल होगा और आम नागरिकों का जीवन आसान बनेगा। इसमें मुख्य रूप से आम नागरिक, उद्यमी, सहकारी संस्था, छोटा व्यापारी, ये छोटी-मोटी प्रक्रियागत त्रुटि होती है, तकनीकी त्रुटि होती है, उसके कारण इसमें सजा का भी प्रावधान रखा गया है। उसमें सजा का प्रावधान रखा गया है तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद उलझते हैं, उलझने के कारण जो उनको लाभ मिलना चाहिए, हमारा प्रोत्साहन इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का है, ये कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। यह प्रभावित हो रहा है, उसके कारण संशोधन लाया गया है, उसमें कुछ जगह जो कारावास की सजा है , उसको इसमें समाप्त किया गया है और उसके बजाय अर्थदण्ड की सजा में वृद्धि की गई है। इसमें एक जगह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा-36 (क) में उल्लेख है कि वह कारावास से जिसकी अवधि 1

वर्ष तक हो सकेगी, वह जुर्माने से 5 हजार रूपये तक से कम का नहीं होगा, किन्तु जो 25 हजार रूपये तक का हो सकेगा, यह दोनों से दण्डनीय होगा। यानी उसको अर्थदण्ड भी होगा और कारावास की सजा भी होगी। उसमें संशोधन दिया गया है कि उसके स्थान पर प्रथम अपराध के लिए कम से कम 5 हजार रूपये की शास्ति से दण्डनीय होगा। यह प्रस्थापित किया जाये और जो कारावास की सजा है, उसको समाप्त किया गया है। जिससे लोगों को कोर्ट में जाने की उलझन न हो और उनको पेशी में न जाना पड़े और अपने व्यापार और व्यवसाय को छोड़कर किसी संस्था, व्यक्ति या उद्यमी को कोर्ट के चक्कर न काटना पड़े। इसी प्रकार से नगरपालिका का भी दिया गया है कि नगर पालिका में जो सजा का प्रावधान किया गया था, अब उसमें केवल अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार इसमें अलग-अलग बहुत सारे प्रावधान किये गये हैं। यदि मैं इस पूरे संशोधन को पढ़ना शुरू करूंगा तो मुझे इसको पढ़ने में 1 घण्टे का समय लगेगा। इसलिए इसके सारे प्रावधानों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने औद्योगिक नीति के संबंध में कहा कि इसमें 8 धाराओं में संशोधन किया गया है और 8 धाराओं में संशोधन करके नई धारा-93 (क) जोड़ी जा रही है। इसके तहत श्रमिक नियमों के उल्लंघन पर अब सीधे शास्ति के माध्यम से समाधान संभव है। अब कारावास की सजा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है और उसको वही पर अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है। आपके सामने ग्राम निवेश का उदाहरण भी आया है। इसके साथ ही अग्निशमन वाले में भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण में भी दिया गया है। ऐसे अलग-अलग विधेयकों में दिया गया है तो कुल-मिलाकर इसका आशय यही है कि यह संशोधन विधेयक राज्य में सुशासन, निवेश आकर्षण, न्याय प्रणाली की सहजता और नागरिक केन्द्रित प्रशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल ease of doing business में वृद्धि होगी, बल्कि ease of living भी सुनिश्चित होगी। जैसे मैंने कहा कि यह संशोधन विधेयक छोटे व्यापारियों, उद्यमियों, सहकारी संस्थाओं व आम नागरिकों के लिए शासन को अधिक सुलभ और भरोसेमंद बनायेगा। जिससे उनमें सरकार के प्रति विश्वास जागृत होगा। मूल रूप से यह जो छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 लाया गया है और इसमें जितने भी संशोधन व प्रावधान किये गये हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास की दिशा में खासकर उद्योगों यानी औद्योगिकीकरण की दिशा में व विकास की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हो सके, उसके लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री मोतीलाल साहू।

समय :

2.19 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 लाया गया है, मैं इसका संशोधन करता हूं। यह संशोधन विधेयक सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जनता व शासन के बीच एक बड़ी कड़ी तथा एक बड़ा विश्वास है और उस विश्वास को बनाये रखने के लिए ही यह संशोधन विधेयक लाया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है क्योंकि अधिकांशत: देखा गया है कि कई ऐसे छोटे-छोटे अपराध होते हैं, जिनमें कानूनी प्रावधान में उलझन के कारण बड़े लंबे समय तक लोग न्याय पाने के लिए कोर्ट-कचहरी में दस्तक देते रहते हैं और उसके दरवाजे तक जाते हैं। इससे कहीं न कहीं नागरिकों में कानून और सरकार के प्रति एक अविश्वास की स्थिति निर्मित हो जाती है। इन परिस्थितियों में छोटे-छोटे अपराधों के लिए बडी-बडी धाराओं या सजाओं का कानून में प्रावधान किया गया है, इसमें संशोधन किया जाता है तो आम नागरिकों को बहुत ज्यादा राहत महसूस होगा कि सरकार जनता के प्रति, नागरिकों के प्रति कितना उत्तरदायी है। सभी त्रुटियों को अपराध नहीं मानते, छोटे-छोटे अपराधों को समाप्त करके उन्हें मुक्त किया जा सकता है। जैसे तकनीकी, प्रतिक्रियात्मक, ऐसी छोटी-छोटी गलतियां होती है, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी होती है। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। यह संशोधन बहुत जरूरी था। इससे ease of living and doing का पालन होगा, उपयुक्त होगा। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 का समर्थन करते हुए, खासकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में किए जा रहे प्रावधानों की जानकारी देना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। ये संस्थाएं किसानों, मजदूरों और महिलाओं से जुड़ी हुई होती हैं। इस संशोधन विधेयक के आने से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि इस संशोधन विधयेक आने से, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि किसानों, श्रमिकों, कारीगरों और महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण हेतु औद्योगिक क्षेत्रों सहकारी क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में काम करना होता है। अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, उसमें कोई छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं, अगर उसमें किसी जरूरी कागजात की जरूरत है, जो नहीं दिया है और सहकारी शब्द गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है तो इतनी छोटी-छोटी त्रुटियों के लिए उन्हें कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस अधिनियम के आने से अब उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस मामले में सम्बन्धित अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी होंगे, वे इन मामलों का त्वरित निराकरण करेंगे। इसमें सजा का कोई प्रावधान नहीं होगा और जुर्माना देकर इन समस्याओं से राहत मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, आम नागरिकों को इन सहकारी संस्थाओं के नियमों का पालन करने की समझ बढ़ेगी और उसमें कानूनी झंझटों से भी राहत मिलेगा। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं और इसे एक ऐतिहासिक कदम मानती हूं। इस संशोधन विधेयक के लिए सरकार और माननीय उद्योग मंत्री जी का हृदय से समर्थन करती हूं। यह बहुत अच्छा कदम है। इसमें सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक आसानी से पहुंच सकेगा। सहकारी संस्थाएं, बिना भय के कार्य कर सकेंगी। अक्सर देखा गया है कि छोटी-मोटी समस्याओं के लिए आम जनता कोर्ट जाकर सुबह से शाम तक बैठी रहती है, कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता है। उनके समय की भी बचत होगी और उन्हें इस परेशानी से राहत मिलेगी। इसलिए मैं इस संशोधन विधेयक का बहुत हृदय से समर्थन करना चाहती हूं और अपने उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक, 2025 के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए अवसर दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में जन विश्वास विधेयक, 2025 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक सरकार की सोच को दर्शाता है, जिसमें आम नागरिकों को अनावश्यक कानूनी अड़चनों और उलझनों से बचाकर एक सरल और पारदर्शी तथा उत्तरदायी प्रशासन देने का प्रयास किया गया है। आज छोटे-छोटे अपराधों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अन्य कोई अड़चन आती है, दस्तावेज समय पर नहीं मिलने जैसे मामलों के सम्बन्ध जेल भेजने के बजाय उन्हें आर्थिक दण्ड देने का प्रावधान करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। हम न्यायिक प्रणाली का बोझ भी कम करते हैं और जनता को राहत भी देते हैं। ऐसे विधेयक पर जनता और सरकार के बीच जो भरोसा है, उस भरोसे को बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस कदम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी और इस सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस सरकार के दूरदर्शी प्रयास के लिए बधाई देते हुए और इस जन विश्वास विधेयक, 2025 का भरपूर समर्थन करते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक नया है, क्योंकि इसमें अलग-अलग विभागों के कानूनों में सरलीकरण के लिए संशोधन किया जा रहा है। इसलिए इसमें नया नाम संशोधन शब्द है, परंतु यह विधेयक नवीन है। भारत सरकार में भी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसा कानून लाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य में भी उद्योग विभाग द्वारा ऐसा संशोधन किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 एवं भारत सरकार के द्वारा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2023 भी किया गया है। मैं इस सदन के

समक्ष छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 को प्रस्तुत करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूं। यह विधेयक हमारे शासन की उस दूरदृष्टि को साकार करता है, जो नागरिकों व उद्यमियों के साथ विश्वास, पारदर्शिता और सुशासन पर आधारित है।

मानानीय सभापति महोदय, विगत डेढ़ वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कई सुधार किए हैं। हमने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है एवं अनुपालन के बोझ को कम किया है। यह विधेयक केन्द्र सरकार द्वारा पारित जन विश्वास अधिनियम, 2023 से प्रेरित है, जिसके तहत 42 केन्द्रीय कानूनों की 180 से अधिक धाराओं पर अपराधीकरण समाप्त किया गया है। उसी क्रम में हम छत्तीसगढ़ में 8 राज्य अधिनियमों की कुल 163 धाराओं एवं उप धाराओं का सुधार कर रहे हैं, जिससे राज्य में व्यापार करना सरल होगा और आम नागरिकों का जीवन आसान बनेगा। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि कोई भी आम नागरिक, उद्यमी, सरकारी संस्था या छोटे व्यापारी केवल तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक चूक के लिए आपराधिक कार्यवाही के डर में न रहें, इसलिए अब दण्डात्मक जुर्मानों और प्रशासनिक कार्यवाहियों के माध्यम से ऐसे मामूली चूक का समाधान किया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रणाली और बोझ कम होगा तथा शासन अधिक उत्तरदायी बन सकेगा। किसी प्रावधान के उल्लंघन करने वाले के प्रति दो प्रकार का नजरिया हो सकता है। एक, यह कि हम उसे अपराधी मान ले और उसकी कारावास की कार्यवाही के लिए सोचा जाये। दूसरा, यह हम विश्वास करें कि सुधार हो सकता है, यह हम विश्वास करें कि उल्लंघन करने वालों को कारावास में नहीं डालकर भी प्रभावी कार्य हो सकता है। इस विधेयक के सुधार का विश्वास करने का विधेयक है। इस विधेयक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 की 58 धाराओं में सुधार किया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को पहले दण्डनीय अपराध माना जाता था, जिसमें आपराधिक कार्यवाही का प्रावधान था। अब इसे 250 रूपये के प्रशासनिक पेनाल्टी में बदला गया है। यह परिवर्तन साफ-सफाई को बढ़ावा देता है, अनावश्यक मुकदमों से न्याय व्यवस्था को मुक्त करता है। इससे शहरी नागरिकों को सीधी राहत मिलेगी और नगरीय निकायों को कार्यवाही में भी सरलता होगी। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की 46 धाराओं में इस विधेयक के अंतर्गत संशोधन किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर किराये में वृद्धि की सूचना नगर पालिका को न देना एक दण्डनीय अपराध था। अब इसे 1000 रूपये की प्रशासनिक पेनाल्टी राशि से निपटाया जा सकता है। ऐसे छोटे-मोटे प्रशासनिक उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर एक नागरिक सुलभ व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (4) में बदलाव किया जा रहा है । 2 नवीन धारायें जोड़ी जा रही है, ऐसे निरीक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेज को प्रस्तुत न करने पर पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा चलता था, 20 से 50 हजार के प्रशासनिक पेनॉल्टी सुलझाया जा सकेगा । इससे न केवल रजिस्ट्रार की प्रभावशीलता बढ़ेगी, बल्कि सहकारिता संस्थानों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित होगा ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं में संशोधन प्रस्तावित है, उदाहरणस्वरूप पहले अवैध शराब की दुकान चलाने पर अब सीधे 5000 से 25,000 की शास्ति लगाई जा सकेगी या न्यायालय में लंबी कार्यवाही के स्थान पर तत्काल दण्ड व्यवस्था की स्थापना करता है, जिसे राज्य शासन त्वरित कार्यवाही कर सकेगा और साथ ही छोटे उद्यमियों को सुधार का अवसर मिलेगा । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 की 8 धाराओं में संशोधन हेतु नई धारा में (3) जोड़ी जा रही है, जिसके तहत श्रमिकों के नियमों का उल्लंघन पर अब सीधे सस्ते माध्यम से समाधन संभव है । इससे श्रम विभाग में दक्षता वृद्धि होगी और उद्योग पर अनावश्यक मुकदमेबाजी का भार नहीं पड़ेगा । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नगर ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की 2 धाराओं की 5 उपधाराओं को संशोधित किया जा रहा है । जैसे कि निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारी को संपत्ति में प्रवेश से रोकने से पहले 3 महीने की सजा का जुर्माना था, अब केवल 50 हजार तक प्रशासनिक दण्ड होगा । इससे पहले प्लॉनिंग निरीक्षण की प्रक्रिया सरल होगी तथा नागरिकों को भयमुक्त वातावरण मिलेगा । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपात सेवा अधिनियम 2018 में भी धाराओं में संशोधन किया जा रहा है । इसमें विभागीय कार्यों में बाधा डालने या बिना अनुमति अन्य सेवा स्वीकार करने पर पहले आपराधिक मुकदमें चलते थे, अब इन्हें आंतरिक विभागीय प्रक्रिया दण्ड व्यवस्था के माध्यम से निपटाया जायेगा या अग्निशमन आपदा प्रबंधन की तत्परता को बढ़ायेगा । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 की 4 धाराओं में बदलाव किया जा रहा है । अपराध के संबंध हेतु एक नवीन धारा 39 (क) जोड़ी जा रही है, जिससे हम अपराध का सम्मन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं । इस नये प्रावधान के अनुसार 16/4 27, 28, 31 के अंतर्गत यदि कोई सोसायटी पदाधिकारी अथवा व्यक्ति पहली बार उल्लंघन करता है तो रजिस्ट्रार के समक्ष 5 हजार की राशि का भुगतान करके मुकदमें से बचा जा सकता है और जैसा कि हमारी सरकार महिला सशक्तीकरण के लिये प्रतिबद्ध है । महिला स्व-सहायता समूह के लिये यह राशि केवल 2 हजार निर्धारित की गई है । माननीय सभापति महोदय, इससे न केवल मुकदमेंबाजी में कमी आयेगी, बल्कि प्रक्रियायें भी त्वरित होगी, संस्थायें अपनी त्रुटियों को सुधारने का अवसर पा सकेगी और इसके साथ ही जुर्माने की राशि बढ़ाई जा रही है, परन्तु स्व-सहायता समूहों को इससे राहत दी गई है । यह संशोधन समाज पंजीकृत संस्थाओं में उत्तरदायित्व समयपालन को प्रोत्साहित करेगा । सभापति महोदय, यह विधेयक राज्य में सुशासन, निवेश, आकर्षण, न्याय प्रणाली की सहजता, नागरिकों को केन्द्रीय प्रशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम, इससे न केवल इज अप डूइंग बिजनेस में वृद्धि होगी, बल्कि इज ऑफ लिविंग में भी सुनिश्चित होगी । यह छोटे व्यापारियों, उद्यमियों, सहकारी संस्थाओं और आम नागरिकों के शासन को अधिक सुलभ और भरोसेमंद बनाया जायेगा । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिमण्डल के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक की आवश्यकता को

समझते हुए इस कार्य में पूर्ण सहयोग किया है । सभापति महोदय, मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि इस जनोन्नमुखी विधेयक को पारित कर छत्तीसगढ़ के भरोसेमंद एवं प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें । मैं सभी सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित करें ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 4 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) पारित किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(मेजों की थपथपाहट)

(9) छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने संशोधन विधेयक लाया है, यह अच्छा संशोधन है । मध्यप्रदेश से लेकर आजतक बहुत से प्रकरण ऐसे हैं, जिनके ऊपर बहुत सा टैक्स बकाया है और टैक्स के साथ-साथ जो विभागीय प्रक्रिया है, ब्याज एवं दंड की, वह लगातार चलती रहती है, लेकिन बहुत प्रकरण हैं और इसमें विभाग वसूली की भी कार्रवाई करती है । कई तो मिलते नहीं है, कई की देहावसान हो गया । ऐसी बहुत सी कठिनाइयां हैं और वह विभाग के रिकॉर्ड में बकाया लिखा रहता है। इसलिए समय-समय पर सारे प्रकरणों का एकमुश्त निपटारा हो जाए, ऐसे उपाय निरंतर होते रहें। अगर हम इस विधेयक को ही देखेंगे, तो इस विधेयक में जो वर्ष 2023 तक आवेदन देने की सीमा थी, उसे 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 26359 प्रकरणों और वर्ष 2024-25 में 4247 प्रकरणों यानि अगर हम देखें तो 30000 प्रकरणों का निराकरण इस संशोधन के माध्यम से पहले हुआ है और इसकी तिथि बढ़ाई गई है। इसमें राजस्व ना के बराबर ही आता है लेकिन इसके बाद भी अगर देखेंगे तो विभाग को इसमें ब्याज और शास्ति सब माफ करके वर्ष 2023-24 में 142 करोड़, वर्ष 2024-25 में 257 करोड़ की राशि भी प्राप्त हुई है। इस बार का हमारा जो बजट आया था, उसमें भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि हम 25 हजार तक का माफ करेंगे और उसी के अनुपालन में आज ये संशोधन विधेयक आया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और साथ ही मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बहुत पुराने केसेस हैं और वर्षों से लंबित हैं लेकिन भविष्य में हमारा विभाग इतना सचेत रहे, क्योंकि एक बार जब विलंब होता है, तो उसके बाद कभी राशि लौटती नहीं, तो तात्कालिक रूप से जो बकाया रहता है, उसी समय अगर हम आंकलन करके ये प्रयास करें, तो इस प्रकार के विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हो भी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में जो त्वरित बैलेंस है, उसके लिए अगर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे, तो इस प्रकार के विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये विधेयक सही विधेयक है और जरूरी भी है, मैं इसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा काम कि लोगों को राहत भी मिले और सरकार के अधिकारी भी फुर्सत पाएं ताकि वे और भी काम कर सकें। मैं जो विधेयक लाया गया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद):- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, इसका तो आपने ऑर्डिनेंश किया है? इस बकाया का ऑर्डिनेंश किया है ना? इसका तो ऑर्डिनेंश हुआ है और ऑर्डिनेंश का ही अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो विषय है, उसे अमर जी ने बता दिया। आर्डिनेंश है, यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा, चूंकि भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो रहा है, तो इसका अनुसमर्थन ही करना है। दूसरा, जो बात कही गई कि इतने सारे लोगों का 25 हजार रूपए बकाया है और लगभग 62 हजार प्रकरण समाप्त होंगे, 40 हजार व्यवसायियों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री जी, अभी आपकी जो छवि है, वह मोगेम्बो की बन गई है। आप जीएसटी में भारी धन संग्रह कर रहे हैं, उसका बयान भी देते हैं कि इतना संग्रह बढ़ गया है। जब आप 62 हजार लोगों को राहत देंगे ना, तो आपकी जय-जयकार होगी, सरकार की जय-जयकार होगी। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर रहे हैं, तो उसे तत्काल जैसा आग्रह हुआ, वैसा करें। अनुपालन के अतिरिक्त इसमें और कुछ नहीं है। मैं इसका समर्थन करता हूं, बधाई देता हूं और सरकार जो तेजी के साथ इस तरह के काम कर रही है, उसे मैं अपनी ओर से प्रशंसित करता हूं। धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक , 2025 लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अधिनियम, 2023 के अंतर्गत जब इसमें निपटान हुआ, तो सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है और इसके साथ ही अभी वर्ष 2025 में यह संशोधन विधेयक लाया गया है। संशोधन विधेयक, 2025 की मूल भावना और उद्देश्य यही है कि अनावश्यक कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत न पड़े। ऐसी जो राशि है जिनके लिए अभी चर्चा हुई है, विभाग के लोग उनको ढूंढ रहे हैं और वह नहीं मिल रहे हैं। उसमें जो छोटी-छोटी राशि वाले मामले हैं, वह मामले 10 साल के ऊपर के हैं और उसमें जो राशि और ब्याज की राशि है उसके लिए उनको आवेदन देने की भी जरूरत न पड़े और बिना आवेदन दिये उसका निपटान किया जा सके उसके लिये यह विधेयक लाया गया है। इससे निश्चित रूप से काफी लोगों को लाभ मिलेगा। इसकी जो मूल भावना है इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम प्रस्तावित है। मैं मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि यदि हम प्रदेश को एक तरफ विकास की दिशा में ले जाना चाहते हैं तो यह जो छोटे-मोटे बहुत सारे मामले हैं, इसमें हम उनसे जितनी राशि वसूलने जाये उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जायेगा। उसमें समय अलग जायेगा और उनको भी कोर्ट जाना पड़ेगा और उस प्रकरण के कारण अनावश्यक मामला लंबित होगा । इस प्रकार की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को लाया गया है। मैं इस विधेयक का सर्मथन करता हूं और माननीय मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2017 से पूरे देश भर में जी.एस.टी. की व्यवस्था लागू की गयी है और यह व्यवस्था आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के बड़े कर सुधारों में से है। यह व्यवस्था One Nation One Tax के अंतर्गत है। पहले अलग अलग टैक्स रहते थे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर रहती थी, जिसके कारण देश में व्यापार करना किसी भी बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता था इसलिए मोदी जी ने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत की दिशा में ले जाने के जो बड़े-बड़े प्रयास किये उसमें जी.एस.टी. व्यवस्था को भी एक चरण माना जाता है और उसी का परिणाम है कि आज देश में जी.एस.टी. लगभग 2 लाख करोड़ प्रतिमाह टच करने जा रही है। उसी कारण से सारी वेलफेयर स्कीम, कल्याणकारी योजनाएं, सड़क का निर्माण, रेल का निर्माण, पुल का निर्माण जैसे काम हो पा रहे हैं। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा इतनी बढ़िया टैक्स की व्यवस्था पूरे देश में लागू की जा रही है। लेकिन मैं इसमें विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि जो जी.एस.टी. आने के पूर्व की टैक्स व्यवस्थाएं थीं। जैसे पहले वैट कर लगता था, प्रवेश कर लगता था, सेंट्रल सेल टैक्ट लगता था, वाणिजय कर लगता था और प्रोफेशनल टैक्स लगता था। इस तरह अलग अलग प्रकार से 17 प्रकार के टैक्स लगते थे तो उसके कारण लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अलग-अलग केल्कुलेशन, अलग-अलग फॉर्म भरना, यह सब कुछ करना पड़ता था इसलिए हमारी सरकार ने और हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया कि इसमें रिफॉर्म होना चाहिए और जो हमारी सरकार का दूसरा बजट था, उसमें हमने प्लान किया था और बजट भाषण में भी जिक्र हुआ था कि 10 साल पुराने जी.एस.टी. पूर्व के जो टैक्स है और यदि किसी व्यापारी का 25 हजार रूपये से कम का टैक्स है तो उसको एकमुश्त बकाया कर माफ योजना लागू करके समाप्त कर दिया जायेगा। सभपति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसे 40 हजार से अधिक व्यापारियों के लगभग 65 हजार के आस पास प्रकरण थे और अभी नये-नये कई प्रकरण और निकले हैं। इसमें लगभग 65 हजार ऐसे प्रकरण हैं जिसमें 25 हजार से कम का बकाया है। इसमे किसी का पता नहीं मिल रहा है तो कोई राज्य से बाहर जा चुका है और ये 10 साल पुराने केस है। इसमें जो 40 हजार व्यापारी भाइयों के 65 हजार केस है, उनसे कुल मिलाकर सरकार को टोटल 9-10 करोड़ रूपये ही आने हैं। उसमें न पता मिल रहा है, न व्यक्ति मिल रहा है। यदि हमारे विभाग के कर्मचारी इसको वसूलने जायेंगे तो उससे ज्यादा खर्चा हो जायेगा। जैसे धरमलाल कौशिक जी और आदरणीय अमर अगव्राल जी ने बताया कि उससे ज्यादा खर्चा तो डीजल पेट्रोल और सरकार की गाड़ियों का हो जायेगा। इसलिए यह कर माफी योजना को लाया गया है। इसमें जो लोग हैं, मैं उनको यह भी नहीं बोलता कि उनको बहुत बड़ा टैक्स का लाभ मिल जायेगा क्योंकि किसी का 10 हजार रूपये होगा, किसी का 12 हजार रूपये होगा तो किसी का 15 हजार रूपये होगा। यह सब 25 हजार से नीचे के ही प्रकरण हैं। उनको बहुत ज्यादा राशि का लाभ नहीं मिलेगा लेकिन यदि

किसी को प्रकरण समाप्त करवाना है तो उसके लिए ऑफिस के चक्कर काटना, वकील करना, जाकर आवेदन देना, इन सब चक्करों से व्यापारी भाइयों को मुक्ति मिलेगी। इसलिए यह योजना 40 हजार से अधिक व्यापारी भाइयों की दृष्टि से है। बजट भाषण में भी इसका जिक्र हुआ था और हमारी सरकार ने पूरी क्षमता के साथ काम करते हुए बजट सत्र के तत्काल बाद आदरणीय राज्यपाल महोदय से अध्यादेश जारी करवाया और हम लोगों ने इसका तत्काल अनुपालन प्रारंभ किया ताकि तत्काल राहत दी जा सके और पूरी क्षमता के साथ इस संशोधन विधेयक को जस्ट बजट के अगले सत्र मतलब इस मानसून सत्र में लाया गया है। इसके अलावा भी मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि बल्क डीजल में जो 23 प्रतिशत टैक्स लगता था उसे घटाकर 17 प्रतिशत किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में टैक्स 17 प्रतिशत ही था, जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ के जो बल्क डीजल के उपयोगकर्ता हैं, वह लोग गुजरात और उत्तरप्र देश से डीजल ले आते थे और उससे राज्य को बहुत ज्यादा कर का नुकसान होता था। इसलिए 23 प्रतिशत को घटाकर मैचिंग करते हुए 17 प्रतिशत किया गया। इससे पिछले 6 महीने में बल्क डीजल से 74 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पेट्रोल की दर में 1 रूपये वैट कर की कमी की थी। हमारे प्रदेश में एक साल में 11 लाख किलो लीटर पेट्रोल की खपत है, जिससे छत्तीसगढ़ के आम लोगों को 110 करोड़ रूपए की राहत दी गयी है। बाईक वगैरह में पेट्रोल का उपयोग होता है और आम लोग उसका उपयोग करते हैं।

सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह 40 हजार से अधिक व्यापारी साथियों के 65 हजार से अधिक प्रकरणों को समाप्त करने वाला संशोधन विधेयक है और राज्य के लिए भी कोई कर का नुकसान नहीं है। इससे राज्य को टोटल 9-10 करोड़ रूपये मिलते लेकिन उससे ज्यादा तो डीजल का खर्च हो जाता। व्यापारी साथियों को वकील करना पड़ता, ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते, इससे उन्हें मुक्ति मिली है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाये और जो अध्यादेश आया है उसके अनुपालन में यह प्रस्तुत किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(10) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर(कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, जी.एस.टी. के प्रावधानों में संशोधन अमूमन जी.एस.टी. कौंसिल के परामर्श से ही होता है। एक बार मुझे उसकी बैठक में जाने का अवसर मिला था, केवल एक ही बार। बाकी फिर पुरानी सरकार में माननीय अमर जी उसके विशेषज्ञ थे। केन्द्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम, 2025 लाया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में ही हमारे जो छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार ने जो लाया था। माननीय मंत्री जी, क्यों, यही है न ? इस विधेयक की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं उसको आपको बता देता हूँ। पहला संशोधन है कि धारा 148 में जो नई धारा जोड़ी जा रही है। इसको परिभाषित किया गया है

यूनिक पहचान, माल वस्तु कर पैकेजिंग में कौन-कौन कैसे करेगा, इसकी जानकारी, इसी का प्रावधान है। धारा 122 बी में ट्रेस मेकेनिजम प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है जो पेनाल्टी 1 लाख रूपया माल के विक्रय में लगने वाले 10 प्रतिशत होगा। क्यों, यह इतना ही है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ना है मीडिया रिपोर्ट में देश में नकली सिगरेट का कारोबार लगभग 21 हजार करोड़ रूपये का है। जी.एस.टी. में यह प्रावधान जोड़ने से कम से कम इस तरह के यूरोपीय देश में इस तरह की चीजें को ट्रेकिंग करने का प्रावधान है। नकली तम्बाखू, सिगरेट आदि जो भी नकली चीजें हैं तो यह प्रावधान होने से हमारे यहां भी ट्रेकिंग हो जाएगी। नकली चीजों की जगह में असली चीजों का उपयोग करेंगे तो कम से कम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यह प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको इस प्रावधान के लिए बधाई दे देता हूँ। बी धारा 5 में 17 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बंटवारों और प्रितबंध का उल्लेख है। 17 (5) में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से प्रतिबंध का प्रावधान है। 17(5) डी में प्रावधान है कि अचल संपत्ति के निर्माण के लिए क्रय किए गए वस्तु और सेवा या मशीनरी को छोड़कर आई.टी.सी. की पात्रता व्यवसायी को नहीं है। उक्त धारा 17 (5) डी में प्लांट या मशीनरी के स्थान पर प्लांट या मशीनरी शब्द दोनों जोड़ रहे हैं। उसका कारण इतना ही है कि संयंत्र और मशीनरी दोनों शब्द होने परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी और इस विवाद की भ्रांति दूर होगी। केवल यह इतना ही है। तो यह भ्रांति अलग-अलग ढंग से इसको परिभाषित करते थे। संयंत्र और मशीनरी दोनों को एक में ले लेते थे तो इससे वह दोनों अलग-अलग ढंग से परिभाषित होगा। सी 2 एक एण्ड (6) में आई.एस.डी. की परिभाषा में संशोधन है और आई.टी.सी. के वितरण के प्रावधान में धारा 2 (1) 61 में संशोधन के कारण यह प्रावधान इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से ही संबंधित हैं। प्रावधान है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वह व्यक्ति होगा जो अन्य यूनिटों के लिए राज्य के भीतर माल सप्लाई के अनुरूप में सेवा क्रय करता था और इनपुट टैक्स क्रेडिट अन्य यूनिटों को वितरित करता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आई.एस.डी. के अन्य यूनिट तो इसमें यह जो 3-4 संशोधन हैं उसका प्रभाव यह होगा कि आई.एस.डी. यूनिट कई राज्यों में होते हैं और जहां पंजीयन होते हैं राज्य के भिन्न, राज्य में भी माल सेवा कर का सप्लाई वह करते हैं। पहले अंतर्राज्जीय संव्यवहारों में आई.एस.डी., आई.टी.सी. का उपयोग नहीं हो पाता था तो अब इस संशोधन से व्यापारियों का लाभ होगा। व्यावसायी और विभाग के बीच अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होगी जहां तक मैं समझता हूँ और सरकार को इससे कोई राजस्व नुकसान भी नहीं होगा। बल्कि इस संशोधन से व्यापारियों को लाभ ही होगा, इसमें विवाद की स्थिति नहीं बनने से। धारा 2 के (2) में 79 में स्थानीय प्राधिकारी की परिभाषा है, परिभाषा में नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण का प्रबंधन था। संशोधन में नगर पालिका के पश्चात् "निधि" शब्द जोड़ा गया है। स्थानीय निधियों और नगर पालिका निधि का स्पष्टीकरण प्रति स्थापित किया गया है। अब इसका प्रभाव यह होगा कि स्थानीय निधि, नगरपालिका निधि और जी.एस.टी. के प्रावधानों में स्पष्टता आ जायेगी। क्यों माननीय मंत्री जी, इतना

ही है न? उसमें स्पष्टता ही आयेगी। जो अस्पष्ट होने के कारण विवाद की स्थिति होती थी, उसमें स्पष्टता आ जायेगी। धारा-12(4) में वस्तु के सप्लायर द्वारा वाऊचर सप्लाई किये जाने से सप्लाई का समय क्या होगा, इसका प्रावधान है। पर धारा-13(4) में सेवा के सप्लायर द्वारा वाऊचर सप्लाई किये जाने पर सप्लाई का समय क्या होगा, इसका प्रावधान है। दोनों को निरषन किया जा रहा है और दोनों का निरषन करने का जो प्रभाव होगा, मैं प्रभाव को जान-बूझकर बता रहा हूं। माननीय मंत्री जी, आप जितना सरलीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बधाई देते हुए ये बात कहता हूं कि हम जितना सरलीकरण करेंगे, जो ईजी ऑफ डूइंग हो या विवाद की स्थिति हो या ट्रीपिकल की स्थिति हो, इससे व्यापारियों को सुविधा होगी और सुविधा होगी तो सरकार की प्रतिष्ठा होगी, राजस्व भी अच्छा होगा, चोरी कम होगी। टैक्स इनवाइट क्रेडिट नोट आदि के प्रावधानों के बीच वाऊचर के प्रावधान की जरूरत नहीं होने पर सप्लाई के समय और कर के देय की तिथि में ज्यादा स्पष्टता होगी। धारा- 34 में संशोधन है- सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट जारी किये जाने पर उनकी अपनी देयता, टैक्स लायबिलिटी जिसको बोलते हैं को एडजस्ट करने के समय का प्रावधान है, कम करने का प्रावधान है। उसमें संशोधन है कि क्रेडिट नोट जारी करने वाले सप्लायर को अपने देयता में कमी करने के लिये शर्त लगाई गई है। क्रेडिट नोट का प्रभाव जो होगा, क्रेडिट नोट जारी करना दिखाकर सप्लायर बाद में बिक्री कम बताकर टैक्स देयता कम कर देता है। ये बड़ी गंभीर चीज है। लेकिन ग्राहक पुराने बिल पर आई.टी.सी. लेते हैं और आई.टी.सी. इनपुट टैक्स जिसको बोलते हैं, वह रिवर्स नहीं करता। इससे राज्य में टैक्स का नुकसान होता है। यह गंभीर चीज है। ये संशोधन के बाद राज्य को टैक्स का नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से धारा 107, 142, 104 में अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील का प्रावधान है। धारा 112 में अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। अपील के प्रावधान के अनुसार केवल अपीलीय आवेदन के साथ 10 प्रतिशत टैक्स जमा करना है। किसी आदेश में सिर्फ शास्ति लगा है तो अपील के आवेदन के साथ कुछ जमा करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें संशोधन सिर्फ इतना है। अभी किसी आदेश में केवल शास्ति लगा है तो अपील के साथ शास्ति का 10 प्रतिशत जमा करना होगा। माननीय मंत्री जी, यही है न। शेड्यूल 3 में उन क्रियाकलापों की सूची है। जी.एस.टी. के हिसाब से न तो गुड्स की सप्लाई मात्रा और न सेवा की सप्लाई। इन सप्लाई पर जी.एस.टी. की देयता भी आती है। स्वयं के उपयोग के लिये किसी वेयर हाउस में रखे माल की सप्लाई का उल्लेख है। सेज के वेयर हाउस में किये गये सप्लाई के पहले शामिल नहीं है। अब इसमे संशोधन ये है। सेज की फीट रेटिंग वेयर हाउसिंग जोन में रखे वस्तु के संबंध में प्रावधान जोड़ा जा रहा है। सेज के प्रावधान को इसमें जोड़ा जा रहा है। इससे नियमों में स्पष्टता आयेगी। आपने जो सरलीकृत किया है, स्पष्ट किया है। राजस्व भी बढ़ेगा, स्पष्टता आयेगी। व्यापारियों को सुविधा होगी। विवाद की स्थिति कम बनेगी, राजस्व बढ़ेगा। मैं तो इस पक्ष का आदमी हूं। मैं मोदी जी को बधाई से शुरू करता हूं कि उन्होंने 1700 कानूनों को खत्म किया। कानून जितने कम हों और

जितने सरल हों, गवर्नेंश उतना अच्छा होता है। नागरिक जिम्मेदारी उतनी अच्छी बढ़ती है। किसी नागरिक जिम्मेदारी को हम कानूनी प्रावधान से प्रेरित करते हैं तो उसमें चोरी की ज्यादा संभावना होती है कि साहब, इसको नहीं करूंगा। जो स्वत: मोटीवेट होकर, मेरे राज्य का कानून सरल है, मेरे अधिकारी सरल हैं, मेरी व्यवस्था सरल है, ये दिमाग में एक बार बैठ जाता है तो लोग सहयोग की ओर बढते हैं। विष्णुदेव की सरकार ने, आपने, आपके विभाग ने संशोधन के माध्यम से ये जो वातावरण बनाने की कोशिश की है, उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में जी.एस.टी. 1 जुलाई 2017 को आया। सभापति महोदय, ये जी.एस.टी. पूरे देश का मैं ऐसा समझता हूं कि पहला आर्थिक के क्षेत्र में टैक्स था या व्यवस्था थी । जिसमें सारे राज्यों और केंद्र का पूरा संघीय ढांचा के अनुरूप एक टैक्स, एक कानून ।

माननीय सभापति महोदय, अनेकों बार चर्चा हुई है कि यह जो जी.एस.टी. कौंसिल है जिसमें सारे राज्यों के वित्तमंत्री, वाणिज्य कर मंत्री और यूनियन केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में एक कौंसिल बनी हुई है और इस जी.एस.टी. कौंसिल को बहुत से अधिकार पार्लियामेंट के भी हैं जो पहले पार्लियामेंट के अधिकार थे और बहुत से अधिकार विधानसभा के भी हैं । कौंसिल को इतने अधिकार नहीं हैं जितने अधिकार संपन्न यह जी.एस.टी. कौंसिल है । अब देश में नया टैक्स आया, नया एक्ट था और आज लगभग सातवां-आठवां साल चल रहा है तो काम करते-करते चूंकि इसमें सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है लगभग 3 माह में एक-बार बैठक होती है तो जो-जो कठिनाईयां राज्यों के सामने आती हैं उसकी चर्चा वहां पर होती है और उस चर्चा के आधार पर वहां अलग-अलग सेक्शन बने हुए हैं । रेट के लिये फिटमेंट कमेटी (Fitment Committee) है, लीगल के लिये लॉ डिपार्टमेंट की अलग-अलग स्टेटों के अधिकारियों की वह कमेटी बनी हुए है तो उसमें सारे विचार-विमर्श होकर यह जी.एस.टी. कौंसिल में सारे संशोधन होते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, वह संशोधन होकर फिर हमारे देश की संसद में जाता है और उसके बाद फिर विधानसभाओं में क्योंकि सबके राज्यों के एक्ट चूंकि वह एक ही है लेकिन अलग-अलग हैं उसके अनुपालन के लिये आता है तो यह जितने भी संशोधन आये हैं । जी.एस.टी. कौंसिल में सारी तरह से चर्चा होकर, अनुभव के आधार पर क्योंकि समय के साथ बहुत सी चीजें बदलती हैं तो उसके साथ सारे संशोधन भी आते हैं तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यह सारे संशोधन हैं । अजय चंद्राकर जी ने इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की है कि अनुभव के आधार पर जहां-जहां परेशानियां थीं, जहां-जहां कोर्ट के डेडिकेशन हो रहे थे उनको फिर से नये सिरे से कानून बनाना, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह संशोधन है ।

माननीय सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है । चूंकि जब देश में जी.एस.टी. की चर्चा प्रारंभ हुई तो वास्तव में इसमें जो एक्सपोर्ट स्टेट हैं जैसे छत्तीसगढ़ एक्सपोर्ट स्टेट । हमारा मिनरल जाता है, उनके लिये बहुत नुकसान था और इसीलिये 15-16 सालों तक इसमें कभी सहमति नहीं बन पायी और सहमति बनी कि 5 साल तक इसका कंपनसेशन (Compensation) अर्थात् राज्यों का जो भी नुकसान होगा वह जी.एस.टी. कौंसिल देगी और दिया भी, 14 प्रतिशत ग्रोथ के साथ यानी 14 प्रतिशत ग्रोथ के साथ 5 साल हमें जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति हमको मिलती रही लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि वास्तव में जो एक्सपोर्ट के राज्य थे तो हमेशा एक प्रश्न आता था कि 5 साल तक तो क्षतिपूर्ति हो जायेगी उसके बाद आय का क्या होगा ? चूंकि यह कंजप्शन टैक्स (Consumption Tax) है, जिस राज्य में जितना कंजप्शन होगा तो मैं उस समय भी कहा करता था कि यह वास्तव में हर राज्य के लिये चैलेंजस है कि ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन कैसे हो ? और ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन तब हो सकता है जब Per Capita income बढ़े । यह वास्तव में सारे राज्यों के लिये टैक्स तो है ही, यह सारे राज्यों के लिये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर आपको रेवेन्ये चाहिए तो आपको Per Capita income बढ़ानी पड़ेगी और उसके आधार पर अगर Per Capita income बनेगी तो राज्य समृद्ध भी होता है । माननीय सभापति महोदय, कल ही हमने हमारे विकसित छत्तीसगढ़, 2047 की सोच के साथ कि हमारी जी.एस.डी.पी. कैसे बढ़े, हमारी per capita income कैसे बढ़े और उसके लिए क्या-क्या रणनीति हो, कल ही हम सारे विधायक वहां उपस्थित थे, उन सारी चीजों का हमने एक विजन तैयार किया और जो स्टेट विजन के साथ आगे बढ़ता है, priority के साथ आगे बढ़ता है, वह स्टेट हमेशा विकसित होता है और हमारा छत्तीसगढ़ भी विकसित होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 14 परसेंट की ग्रोथ के साथ क्षतिपूर्ति मिलती है, उसका जिक्र किया। लेकिन अगर हम पिछले साल के आंकड़े देखें तो हमारे राज्य ने, हमारे प्रशासन की कुशलता से, हमारे मंत्री जी के लगातार मॉनिटरिंग से 18 परसेंट का ग्रोथ किया है, जो देश में सर्वाधिक है। जो इस बात को बताता है कि हमारी सरकार राजस्व के प्रति कितनी सजग है। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें लगभग-लगभग हमारा जो बजट आया था, 23 हज़ार 500 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा था। जब बजट आया और मैंने जब 18 परसेंट ग्रोथ देखा, क्योंकि इस विभाग में काम किया, मुझे भी लगा यह संभव नहीं है और यह आ नहीं पाएगा। लेकिन आया, निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा काम है। माननीय वित्त मंत्री जी के कारण हुआ और शत प्रतिशत थोड़ा सा कम समझ लीजिए 23 हजार 453 करोड़ का राजस्व आया, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। यह राजस्व जब भी बढ़ता है, हम और विकास के काम कर पाते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है। लेकिन आपने महसूस किया होगा, हालांकि यह सर्वसम्मत फैसला है, सारे राज्यों का प्रतिनिधि तो रहता है, सारे विभिन्न दलों की सरकार विभिन्न राज्यों में है और एकजाई फैसले होते हैं, लेकिन राजनीतिक प्लेटफार्म में जो जी.एस.टी. काउंसिल के

अंदर सहमति देते हैं, वह बाहर इसका विरोध करते हैं। यह बड़ी विचित्र विडंबना है कि यहां सर्वसम्मति से पास करें और बाहर जाकर हम विरोध करें। लेकिन वास्तव में आज भी जी.एस.टी. का विशेष एक राजनीतिक issue है। अगर आप देखेंगे तो आज जो विरोधी पार्टियां हैं, वह हर चुनाव में जी.एस.टी. को एक विषय बनाते हैं, हम सब ने महसूस किया होगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि जी.एस.टी. लगने का पहला चुनाव गुजरात का था और वहां सूरत में, इसमें भयंकर विरोध था। अब स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी का राज्य है, गृह मंत्री जी का राज्य है। तो व्यापारियों को समझाने के लिए हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को जाना पड़ा और बहुत से रिलैक्सेशन भी दिए और आज अगर देखें तो यह जी.एस.टी. पूरी तरह से मेच्योर हो गया। लेकिन आज भी एक धारणा है। इस जी.एस.टी. को लेकर एक राजनीतिक issue है। वैसे बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं एक दो बातों का आग्रह माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, इसमें जो रेड होते हैं, अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो इस 23 हजार 453 करोड़ के against में 65 करोड़ की रेवेन्यू मात्र रेड से है। मैं मानता हूं कि एक भय के लिए रेड जरूरी है, क्योंकि दूसरे लोग उससे रेवेन्यू के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत जरूरी हो तो यह कार्रवाई करना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम ऑफिस में बैठ कर ही पता कर सकते हैं कि कौन कहां खेल रहा है। दूसरा, इसमें मोबाइल चेक का अधिकार है, क्योंकि बैरियर तो सब समाप्त हो गए। जरूरी भी है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ये रैंडम होना चाहिए। तीसरा, जो मैंने सुना है, मेरे को नहीं मालूम कि विभाग में क्या हुआ है। मोबाइल चेक तक तो ठीक है, लेकिन मैंने जो सुना है शायद आपकी जानकारी में है या नहीं है कि अब सारे जिलों को वाहन को रिटेंशन करने का टारगेट दे दिया गया। सही है या गलत, मैं नहीं जानता । आप अधिकारी लेवल पर उसको पता कर लें । माननीय मंत्री जी, यह जो वाहन रिटेंशन वाला विषय है, इसको दिखवाइए । क्योंकि, जी.एस.टी. अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा है । मैं टैक्स की और संशोधन की बात नहीं करता । जी.एस.टी. में जहां भय की जरूरत है वह भी जरूरी है, मैं उसे इन्कार नहीं करता क्योंकि उसके बिना रेवेन्यू नहीं आ सकता । लेकिन अगर विभाग का बहुत ज्यादा नुकसान न हो तो बहुत ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप को जितना कम करेंगे उतना ज्यादा जी.एस.टी. का रेवेन्यू बढ़ेगा, वातावरण भी बनेगा और यह जो राजनीतिक इश्यू खड़ा होता है, यह भी समाप्त होगा । मेरा आपसे आग्रह है कि मैंने एक दो चीजों की तरफ ध्यान दिलाया है, उस पर आप विचार कर लें । मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं ।

सभापति महोदय :- कोई और माननीय सदस्य जो इस चर्चा में भाग लेना चाहें ।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय अजय चन्द्राकर जी का और माननीय अमर अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । दोनों वरिष्ठ सदस्यों ने अपने विचार रखे और इसस विधेयक का समर्थन किया और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये । जैसा कि

माननीय अमर अग्रवाल जी ने बताया कि जी.एस.टी. कौन्सिल बहुत ही सशक्त संस्थान के रूप में विकसित किया गया है और उसमें देश भर के सभी राज्यों के वाणिज्यिक कर मंत्री, वित्त मंत्री सदस्य होते हैं । वहां प्रावधान है कि कोई भी निर्णय तीन चौथाई बहुमत से ही लिया जाता है । सामान्य बहुमत या 51 प्रतिशत बहुमत से कोई निर्णय नहीं लिया जाता बल्कि न्यूनतम् 75 प्रतिशत बहुमत चाहिए । 100 में 75 लोगों का समर्थन होता है तभी वहां पर निर्णय लिया जाता है । भारत सरकार ने अपना वेटेज 1/3 ही रखा है और राज्यों को 2/3 वेटेज, लगभग 33 परसेंट का वेटेज भारत सरकार ने अपने पास रखा है और लगभग 66 परसेंट का वेटेज राज्यों को प्रदान किया है, उसके बाद निर्णय लिए जाने का प्रावधान किया गया है । यह भारत के सहाकारी संघवाद का माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ नमूना है और यह और खुशी की बात है कि आज तक कुछेक प्रकरणों को छोड़कर जी.एस.टी. कौन्सिल के जितने भी निर्णय लिए गए हैं, वे सर्वसम्मति से लिए गए हैं, कोई वोटिंग के आधार पर नहीं लिया गया है । लेकिन आदरणीय अमर अग्रवाल जी जैसा कह रहे थे कि विपक्ष द्वारा शासित जो राज्य है वे जब कौन्सिल की बैठक में अंदर जाते हैं तो अंदर टैक्स में कमी का घोर विरोध करते हैं, यदि केन्द्र कोई प्रस्ताव लेकर आता है कि इस टैक्स में हम कमी करेंगे तो उसका घोर विरोध करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा कर राजस्व कम हो जाएगा और बाहर आकर मीडिया में केन्द्र सरकार की उल्टी आलोचना करते हैं । ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को जानना, समझना बहुत जरूरी है और जो जी.एस.टी. है उससे पहले टैक्स में स्केडिंग इफेक्ट होता था । जैसे मान लीजिए गेहूं निकला, गेहूं के बाद उसकी पिसाई हो गई और आटा बना तो आटे पर टैक्स लगा, फिर ब्रेड बना तो ब्रेड पर फिर से टैक्स लग जाता था तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था । इसका स्केडिंग इफेक्ट था । जी.एस.टी. में टैक्स के ऊपर टैक्स को समाप्त करके एक अच्छी कर व्यवस्था लागू की गई और विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किया गया । चेक पोस्ट की समाप्ति की गई । आदरणीय अमर अग्रवाल जी ने जिक्र किया कि हमारा छत्तीसगढ़, देश में 18 प्रतिशत के साथ सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट लाने वाला राज्य बना है । उन्होंने भी जिक्र किया कि यह हम सबके लिए गर्व की बात है और हमारे छत्तीसगढ़ के सभी व्यापारी साथियों के लिए गर्व की बात है । साथ ही मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 90 प्रतिशत जी.एस.टी. साढ़े तीन हजार व्यापारियों के द्वारा ही दिया जाता है । अभी भी टैक्स का जो नेट विस्तारित होना चाहिए, उतना अच्छा नहीं हो पाया है । अभी भी 90 प्रतिशत टैक्स साढ़े तीन हजार व्यापारियों द्वारा ही दिया जाता है । जो भारत सरकार डिवोल्यूशन करती है, केन्द्र सरकार के पास जो सेंट्रल जी.एस.टी. के रूप में जाता है, 42 परसेंट शेयर के रूप में पूरे राज्यों को बांटा जाता है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ को 3.407 प्रतिशत हिस्सा मिलता है जबकि हमारी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग 2.2 प्रतिशत है। भारत सरकार बहुत उदारता के साथ फाइनेंस कमीशन ने फार्मूला फिक्स किया है, उसके

कारण हमारे राज्य को केन्द्र के राजस्व में जो हिस्सा मिलता है, वह ज्यादा मिलता है और अच्छे से मिलता है। इसके अलावा मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि हमारी सरकार के द्वारा जो दूसरा बजट लाया गया, उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने निर्णय लिया और बजट भाषण में भी इसका जिक्र किया गया था कि ई वे बिल पर जो 50 हजार की सीमा थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दिया गया है, अब 1 लाख रूपए तक का कोई ट्रांसपोटेशन कर रहा है, उसको ई वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी, ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इस तरह से 26 प्रतिशत ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। पहले 15 जिलों में ही GST ऑफिस थे, उसको बढ़ाकर सभी 33 जिलों में कर दिया गया है, क्योंकि किसी को पंजीयन कराना है, कोई काम कराना है तो आसानी से डोर स्टेप पर कार्यालय उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास किया गया है। आदरणीय अमर अग्रवाल जी ने विशेष रूप से जिक्र किया है कि इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाए, अजय चंद्राकर जी ने भी इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने की बात कही है। इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सेल का गठन अलग से GST विभाग में किया गया है। कन्टीन्यूज अलग-अलग स्टेक होल्डर के साथ लगातार मीटिंग करने का सिस्टम चालू किया गया है। जो कॉल सेंटर है, उसे बहुत इफेक्टिव बनाया गया है, पहले औसतन एक दिन में 60 कॉल तक आते थे, अब ये 200 कॉल तक बढ़ गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से कॉल सेंटर की व्यवस्था को लागू किया गया है। हर तरह से इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सारे प्रयास किये जो रहे हैं ताकि व्यापारी साथियों को सुविधा हो। जब हमारी सरकार आई थी तो पंजीयन में औसतन 13 दिन लगते थे, अब महज 2 दिन में पंजीयन हो जाता है, इस तरह से इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हमारे विभाग के अधिकारियों ने पूरे विभाग में प्रमोट करने का काम किया है। आदरणीय अमर अग्रवाल जी ने विशेष रूप से रेड का जिक्र किया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं भी हमेशा अपने विभाग में बोलता हूं और मानता हूं कि टैक्स टेरर जैसा माहौल प्रदेश में नहीं बनना चाहिए, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पहले कांग्रेस के समय में 2023 में लगभग 80 रेड किए गए थे, उसमें 5 करोड़ रूपए वसूल किए गए थे, जबकि पिछले साल लगभग 88 रेड किए गए थे उसमें 63 करोड़ रूपए हमारी सरकार के समय जमा हुए हैं। पिछले समय जो रेड होता था उसका पैसा राजनीतिक आकाओं के जेब में चला जाता था, इस तरह की स्थिति थी। हमने रेड कम करने की कोशिश की है, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का युग है, जैसा कि अमर अग्रवाल जी भी उस दिशा में सलाह दिए हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा।

समय :
3.23 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री राजेश मूणत :- माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, अभी आपने रेड के बारे में बात कही है। पूरे छत्तीसगढ़ में एक वातावरण बन गया, खास करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करता हूं, पहले जो मंत्री रहे हैं और पूर्व जो वित्त के सचिव रहे हैं, साल भर कौन-कौन से ट्रेड से कितना प्रतिशत आना चाहिए, अगर वह उसकी पूर्ति नहीं करता है, उस ट्रेड वाले को एक बार बुलाईए, उस ट्रेड वाले को कहिए कि इसके अंदर कमी आ रही है, अगर आप ठीक कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके यहां रेड मारी जाएगी। ये गोरखधंधा है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के अंदर धीरे-धीरे बिल खत्म हो गई, पहले ट्रांसपोर्ट के अंदर 100 प्रतिशत बिल लेकर आता था, किसी ट्रांसपोर्टर के यहां से अगर बिना बिल का माल पकड़ाया तो ट्रांसपोर्टर प्रतिबंधित हो जाता था। इसके उपर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि लोगों का स्वभाव है, हर व्यक्ति बोलेगा मेरा नुकसान होगा तो भी मैं लूंगा। लेकिन अमर जी ने सही बात बोली, इसीलिए आप ट्रेड वाले को बुलाईए। जो चेंबर बना हुआ है, उनको बुलकार बोलिए, पहले भी बोलते थे। आपके ट्रेड के अंदर इस चीज का इतना टैक्स कम हुआ है, आपका व्यापार बढ़ गया है, इतना ट्रेड वाले का समझा दीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर रेड मारूंगा तो मेरे पास मत आना।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य राजेश मूणत जी ने भी अपने सुझाव दिए हैं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि अब पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित सिस्टम स्थापित किया गया है। भारत सरकार का भी bifa system व bifa software है, उसका उपयोग कर रहे हैं। BIU (business intelligence unit) की स्थापना की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा कर अपवंचन कर रहा हो तो उसका रिस्क स्कोर अपने आप बढ़ता जाता है और रिस्क स्कोर ज्यादा होने पर रेड अलर्ट आने लगता है। भारत सरकार की जो central GST है व state GST है, उनको भी रेड अलर्ट आने लगता है और हमको भी रेड अलर्ट आने लगता है तो जो bifa software, BIU से रेड अलर्ट आते हैं, उन्हीं को संपर्क करने का काम किया जाता है। विभाग में जो नई परिपाटी प्रारंभ की गई है, जैसा कि आदरणीय अमर अग्रवाल जी कह रहे थे और आदरणीय मूणत जी ने भी कहा है तो उन दोनों तरह की चीजों को करने का प्रयास किया गया है और आगे और भी मजबूती से किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि bifa software और BIU में जो रेड अलर्ट आ रहे हैं, उन्हीं रेड अलर्ट वाले लोगों से पहले संपर्क करने का काम किया जाता है और अभी हमारे सदस्यों के पास जो फोन आता होगा कि रेड हुए हैं, GST वाले आये होंगे, इस तरह के भी अलर्ट आते हैं। मतलब, वह लगातार संपर्क करते हैं। वह mostly संपर्क करके बताते हैं कि आपकी यह-यह गड़बड़ी हुई है, इसको आप ठीक कर लीजिये। हमने प्रोसेस के साथ रेड को कम करने का बिल्कुल प्रयास किया है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ

सदस्य आदरणीय मूणत जी कह रहे थे कि हमने बहुत सारे सेक्टर के लिए किया है कि आपने पिछले साल जितना प्रतिशत जमा किया था, इतने प्रतिशत ग्रोथ के साथ आप जमा कर दीजिए, फिर हमको कोई लेना-देना नहीं है। आप इतना minimum tax दे दीजिए। हमने कई सेक्टर के लिए इस तरह की व्यवस्था लागू की है। मैं आपके माध्यम से सदन को और वरिष्ठ सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम विभिन्न सेक्टरों के लिए प्रावधान लेकर आएंगे कि एक नियत ग्रोथ के साथ जमा कर दे, उसके बाद विभाग उनको झांकने भी न जाए। हम इस तरह का system करेंगे, ताकि व्यावहारिक रूप से हमारा tax भी बढ़े और किसी को कोई दिक्कत भी न हो और किसी को इंस्पेक्टर राज करने का मौका न मिले।

माननीय सभापति महोदय, आदरणीय अमर अग्रवाल जी ने जो वाहन retention के target वाली बात कही है तो सामान्यत: वह पहले से ही विभाग में निकलती रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन और आदरणीय वरिष्ठ सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस प्रकार का अनावश्यक इंस्पेक्टर राज और दरोगाशाही का कल्चर नहीं करने देंगे।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं-नहीं, मैं मोबाइल चेक की बात नहीं कर रहा हूं। retention वाहन को जो एक-दो दिन रोक रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं। देखिये, मोबाइल चेक तो जरूरी है, क्योंकि बेरियर समाप्त हो गये हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वह जरूरी भी है, लेकिन मैंने अभी सुना है कि taget दिया गया है कि मोबाइल चेक करने के बाद यदि वह सही है तो उसको जाने दे। जो retention करने का target है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, रोकना केवल उसी को है, जो ऑलरेडी एविलेबल न हो। इसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत न होने देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ तुलनात्मक रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से कई राज्यों से पीछे माना जाता रहा है, लेकिन जब से GST व्यवस्था लागू हुई है, तब से हम आगे आ रहे हैं। पहले वाणिज्यिक कर मंत्री के रूप में हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अमर अग्रवाल जी काम करते थे। देश के वित्त मंत्री के रूप में उस समय अरूण जेटली जी काम करते थे। हमारे आदरणीय अमर अग्रवाल जी ने GST व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने में बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई थी और पूरे दिल्ली में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम को जाना जाता था। आज मैं उनके योगदान के लिए सम्माननीय सदन के समक्ष उनका अभिवादन करना चाहूंगा। अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ को GST council में बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। इसी का परिणाम है कि देश के जो group of ministers बनते हैं तथा विभिन्न विषयों पर विशेष राय अर्जित करने के लिए GST council में जब कोई महत्वपूर्ण विषय लाया जाता है तो उसके पहले GOM (group of ministers) बनता है तो हमारे छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री के रूप में अभी वर्तमान में 4 GOM में शामिल किया गया है। group of ministers on GST system reform, group of ministers on restructuring compensation cess, group of ministers on analysis of

revenue, group of ministers on revenue mobilization in case of natural calamities and disasters। इन 4 group of ministers में हमारे छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है। यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए pride की बात है। आने वाले समय में tax terrorism के system को कम व समाप्त कर तथा लोगों को facilitated करते हुए हम tax व्यवस्था को संचालित करेंगे। आज जो amendment आये हैं, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि GST council में निर्णय लिये जा चुके होते हैं, लेकिन ये अधिकार विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं और देश की संसद के हैं, इसलिए GST council में निर्णय के बाद संसद में भी ये reform व amendment पास होने के लिए जाते हैं और विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में भी पास होने के लिए आते हैं। उसी के तारतम्य में औपचारिकता स्वरूप यहां पर संशोधन विधेयक लाया गया है। मैं सभी सदस्यों से, सम्माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि इसे पास करने का कष्ट करें।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 14 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 14 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंगे बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(11) छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) पर विचार किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज माननीय मंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 लाया गया है, मैं इसकी प्रशंसा करना चाहूंगा। एक बहुत दूरगामी सोच के साथ प्रस्तुत किया गया है। केवल आज का समय नहीं है, मालूम नहीं कल किसकी सरकार रहेगी, 20 साल बाद छत्तीसगढ़ में कौन रहेगा। लेकिन इस राज्य की चिंता की गई कि आगे आने वाले समय में भी हमारे राज्य को तकलीफ ना हो, (माननीय सदस्य के बार-बार खांसने पर आसंदी से पानी पीने का आग्रह करने पर) नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय :- पानी ले लीजिये।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं, नहीं, पानी नहीं लगेगा। तो माननीय मंत्री जी ने उसकी चिंता की है। माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं। जब सारे राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई,

सभापति महोदय :- पानी लेकर आ रहा है। दो मिनट रूक जाईये।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं-नहीं, ठीक है। सारे राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो हमारे देश में चिंता हुई कि सरकारें चलेंगी कैसे ? माननीय सभापति महोदय, उसी में भारत सरकार ने Physical response budget management system लाया।

सभापति महोदय :- मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप ठीक से पानी पी लीजिये, फिर आप बोल लीजियेगा।

श्री राजेश मूणत :- अग्रवाल जी, आप दोनों एक ही विभाग के मंत्री रहे हैं और आप दोनों अनुभवी हैं। इसलिए भैया, आप वित्त मंत्री जी को लिखकर दे दीजिये, उसको एक-दूसरे का मान लेंगे।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं, यह माने हुए हैं। लेकिन सारे सदस्यों को भी जानना चाहिए, इसलिए सदन में चर्चा होती है। यह मंत्री जी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। माननीय सभापति महोदय, F.R.B.M. Act आया। उसमें बहुत से Reforms हुए कि Revenue expenditure कैसे कम करना, Loan कितना लेना है, उसमें यह सब Parameters तय हुए। उसमें जो एक बहुत बड़ा Reforms था, वह पेंशन का था। आंकलन किया गया कि आने वाले 20 साल में कई राज्य ऐसे होंगे, जहां के कर्मचारियों का वर्तमान वेतन से ज्यादा पेंशन होंगी। उसके आधार पर एक New pention scheme N.P.S. को लाया गया। इस scheme को भारत सरकार ने भी लागू किया। N.P.S. को लगभग सारे राज्यों ने लागू किया है। यह scheme बहुत अच्छा चलता रहा। ठीक है कि स्वाभाविक रूप से जब कोई नया नियम आता है, नई प्रक्रिया आती है, तब उसके कारण थोड़ी सी असुविधा होती है, उसका विरोध भी होता है, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसको बंद कर दिया गया। यदि हिमाचल प्रदेश में देखें तो हर घर में कर्मचारी है। यह N.P.S. को कैसे समाप्त किया जाये, इसकी मांग उठी। मैं तीन-चार राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे देश में आज भी N.P.S. लागू है। हमारे यहां भारत सरकार की बहुत से अधिकारी/कर्मचारी हैं और भारत सरकार में करोड़ के आसपास कर्मचारी हैं। सभापति महोदय, आप भी समाचार पत्र में पढ़ते होंगे कि आज भी N.P.S., O.P.S. का मुद्दा है। लेकिन कुछ बातों को राजनीति से परे हटकर राष्ट्रीय हित में सोचना पड़ता है। अगर आज हम उसका सामना को देखेंगे तो 11 साल से केन्द्र की सरकार में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी हर चुनाव में उसको फेस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि हमने कभी भी इसको भारतीय जनता पार्टी की मेनिफोस्टो में नहीं शामिल नहीं किया कि हम N.P.S. को समाप्त करेंगे और O.P.S. लायेंगे। (मेजों की थपथपाहट) आपने देखा होगा कि केन्द्र सरकार में तीन चुनाव करने के बाद भी आज भी N.P.S. लागू है। ठीक है कि इसमें Reform की कमेटी बनी। उसमें बहुत से Relaxation या आगे जो परेशानिंया जायेंगी, उसको सुधार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीतिक कारणों से वोट बैंक के लिए इसको उठाकर बदल दिया गया। O.P.S. देश में चार मात्र राज्यों में लागू हैं। उसमें से एक छत्तीसगढ़ राज्य भी है। वैसे हाऊस में कभी भी निजी बातों का जिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से मुझसे कहीं मुलाकात हो गई। जब हमारी आपस में राज्य के बारे में चर्चा होने लगी, तब मैंने उनसे कहा कि आप N.P.S. और O.P.S. की बात कर रहे हैं, यह राज्य के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यह जानता हूं। सभापति महोदय, मैं आपको उनका जवाब बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं यह जानता हूं कि इसके कारण आगे चलकर छत्तीसगढ़ में दिक्कत होंगी, लेकिन हम क्या करेंगे? हमको भी तो राजनीति करनी है और उन्होंने छत्तीसगढ़ में O.P.S. लागू कर दिया। वास्तव में इसके दुष्परिणाम आने वाले 20-25 सालों के बाद आयेंगे, क्योंकि यह सारे रिफार्म्स बहुत सोच-समझकर हुये थे । माननीय सभापति महोदय, लेकिन ठीक है जो निर्णय हो चुका है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, अच्छा

है या बूरा है जो निर्णय हुआ है वह हुआ । अब प्रश्न यह उठता है कि जो करना था, वह कर दिया और एक बार कोई चीज हो जाती है, उससे लौटना बहुत कठिन होता है । मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने इस बात की चिन्ता की है कि आगे छत्तीसगढ़ का क्या होगा ? यह नहीं सोचा कि हमको तो 5 साल राज करना है, 10 साल राज करना है, 15 साल राज करना है, 20 साल राज करना है, आने वाली पीढ़ी जानें और आने वाली सरकार जानें ? यही सोच-सोच कर तो सारे राज्यों का कबाड़ा हुआ था ? माननीय सभापति महोदय, हम उस पार्टी से आते हैं, जो आज वर्तमान को नहीं देखते हैं, राजनीतिक कारणों को नहीं देखते हैं, आगे जाने के लिये हमारी भावी पीढ़ी के लिये हम क्या छोड़ कर जायेंगे, कौन सा छत्तीसगढ़ छोड़ कर जायेंगे, इसकी चिन्ता हमारी सरकार करती है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज यह जो पेंशन फण्ड का विधेयक आया है, बाकी जगह तो एन.पी.एस. है, यह दूसरा या तीसरा या पहला राज्य हो सकता है, शायद यह पहला राज्य है क्योंकि 3-4 राज्यों में यह ओ.पी.एस. लागू है, हमारी सरकार ने कम से कम सोचा तो कि आगे छत्तीसगढ़ का क्या होगा, भावी पीढ़ी का क्या होगा, हम भावी पीढ़ियों के लिये कौन सा छत्तीसगढ़ छोड़कर जायेंगे ? माननीय सभापति महोदय, यह जो पेंशन फण्ड बनाया है, इसे बहुत ही दूरगामी सोच के साथ बना सकता है, दूसरा कोई आदमी बना भी नहीं सकता है । हमारी संचित निधि पर पेंशन का जो लोड है, वह न पड़े और हमारे छत्तीसगढ़ की विकास यात्र है, वह अनवरत चलती रहे, उस सोच के साथ यह पेंशन फण्ड बनाया है । माननीय सभापति महोदय, इस पेंशन फण्ड के बनने से यह लाभ होगा कि हर साल हम कुछ राशि देते रहेंगे तो उसी से सब निराकरण होता रहेगा और राज्य के बजट पर और संचित निधि पर इसका लोड नहीं पड़ेगा । यह हमारी सरकार की दूरगामी सोच है । माननीय सभापति महोदय, इसके सारे विधेयक के प्रावधान को देखें तो इसका संचालन कौन करेगा, इसका पैसा जो आयेगा उसका कंट्रोल कहां-कहां होगा, उसका कहां निवेश होगा, किस सीमा तक होगा, इन सारी बातों का इस एक्ट में प्रावधान है । सभापति महोदय, यह दूरगामी सोच के साथ जो विधेयक लाया गया है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी की बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूँ कि आपने छत्तीसगढ़ के 20-25 सालों के बारे में सोचा है और छत्तीसगढ़ अनवरत बढ़ता रहे और उसके लिये कल्पना की है, उन लोगों ने तो बिगाड़ने का काम किया था, उनके बिगाड़े हुये को आगे हम कैसे ठीक करें, उस दिशा में सोचा इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद है तथा मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

सभापति महोदय :- श्री खुशवंत साहब ।

गुरू खुशवंत साहेब (आरंग) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आज यहां सरकार द्वारा पेंशनरों के वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उठाये गये अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम छत्तीसगढ़ पेंशन फण्ड विधेयक 2025 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में

लगभग 1.50 लाख से भी अधिक पेंशनर हैं और पेंशनर परिवार हैं, जो अपनी सेवा के बाद अपनी पेंशनर पर निर्भर रहते हैं । पेंशनरों को पेंशन भुगतान के साथ समय-समय पर महंगाई राहत भी दी जाती है, जिससे कि उनके जीवन स्तर को बनाये रखना संभव होता है । माननीय सभापति महोदय, यह सरकार की संवेदनशीलता और कर्त्तव्यनिष्ठा को दर्शाता है । आने वाले समय में पेंशनरों की संख्या और बढ़ने वाली है, जिससे पेंशन व्यय में भारी वृद्धि होगी । इस चुनौती का सामना करने के लिये राज्य सरकार ने एक दूरदर्शी योजना बनाई है और छत्तीसगढ़ पेंशन फण्ड का गठन किया है । यह फण्ड न केवल वर्तमान में पेंशनरों के लिये वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि भविष्य में पेंशन दायित्व के बोझ को भी संतुलित करेगा । माननीय सभापति महोदय, इस फण्ड को एक औपचारिक संस्थागत ढॉचे में लाने के लिये छत्तीसगढ़ पेंशन फंड विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया गया है, जो इसके प्रबंधन, निवेश, उपयोग और योगदान को विनियमित करेगा । इस विधेयक के पारित होने से न केवल फंड का पारदर्शी प्रबंधन होगा, बल्कि यह वित्तीय स्थिरता भी सुनिश्चित करेगा ।

माननीय सभापति महोदय, यह हमारे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार है क्योंकि इससे हम देश में पेंशन निधि प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी बनेंगे । यह इस पहल की गंभीरता और स्थिरता को दर्शाता है । साथ ही हर वर्ष पेंशन भुगतानों का निर्धारित प्रतिशत इस फंड में निवेश किया जाएगा, जिससे फंड में निरंतन वृद्धि होगी। फंड का उपयोग केवल पेंशन भुगतान के लिए ही किया जाएगा, जिससे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी । यदि किसी वित्तीय वर्ष में पेंशन व्यय में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो अतिरिक्त राशि फंड से आहरित की जा सकेगी, जो पेंशनरों के बेहतर सेवा की गारंटी है । अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि सर्वसम्मति से इसे पारित करें । धन्यवाद ।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर अपनी बात रखूं, उससे पहले मैं सदन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जो हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे वित्त सचिव, डायरेक्टर, पेंशन और उनकी पूरी टीम ने मिलकर बहुत बड़ा काम किया है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में 1,50,000 पेंशनर और परिवार पेंशनर हैं । पेंशन का जो भार है, वह लगातार बढ़ता गया है । 2001-02 में पेंशन पर 457 करोड़ रूपए खर्च होते थे, इस साल लगभग 10 हजार करोड़ रूपए केवल पेंशन पर खर्च हो रहे हैं । पेंशन की सीमा को 10 हजार करोड़ रूपए पार कर गया है। मैं पेंशन के विषय पर आऊं, उससे पहले मैं हमारे वरिष्ठ सदस्य अजय चन्द्राकर जी का और सभी सम्माननीय सदस्यों और वरिष्ठ सदस्यों का ध्यानाकृष्ट कराना चाहूंगा, अजय चन्द्राकर जी का विशेष रूप से ध्यानाकृष्ट कराना चाहूंगा ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अजय जी, आपके लिए लिए बहुत कुछ है ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- सभापति महोदय, इस साल के पेंशन की गणना 10,293 करोड़ रूपए हुई थी और जो पेंशनर हैं, उनमें मध्यप्रदेश के समय के जो पेंशनर हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है, वह डिवाईड होती है । जो पेंशन देना है, वह बटता है । मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 हुआ, जिसमें आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ, उसमें जो पुराने कर्मचारी हैं, उन 26 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य का भार होता है और 74 प्रतिशत मध्य प्रदेश का भार होता है । इस प्रक्रिया में काफी तकनीकी त्रुटियां थीं तो इसका पूरा डिजीटल इलेक्ट्रानिक डेटाबेस हम लोगों ने तैयार कराया और इलेक्ट्रानिक डेटाबेस तैयार कराने पर हमें पता चला कि हम लोग प्रति वर्ष लगभग 1500 करोड़ रूपए मध्यप्रदेश को अतिरिक्त पैसा दे रहे है । इस साल इस चीज को हमारे पेंशन डायरेक्टर और वित्त सचिव ने इलेक्ट्रानिक डेटा बेस तैयार करके निकाला और केवल इसी साल 1685 करोड़ रूपए की बचत हुई है (मेजों की थपथपाहट) और आने वाले हर वर्ष के लिए लगभग 1 हजार करोड़ रूपए से 1500 करोड़ रूपए जो अतिरिक्त पैसा चला जाता था, उसकी बचत अधिकारियों की मेहनत के कारण हुई है और राज्य के लिए प्रति वर्ष केवल इसी इलेक्ट्रानिक डेटाबेस रिफार्म के आधार पर 1 हजार करोड़ रूपए से 1500 करोड़ रूपए बचाने का काम हमारे विभाग के अधिकारियों ने किया है। आज सदन के माध्यम से मैं आप सभी सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 साल हो गए । आपने जो काम किया, वह बहुत अच्छा है । सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। मेरे ख्याल से अब यह प्रयत्न करना चाहिए कि उस क्लाज़ को ही हटवा देना चाहिए, जो पुनर्गठन आयोग के समय पेंशन वाला क्लाज़ से अब 25 साल हो गए हैं। हमारे यहां जो कर्मचारी आये हैं, उनके यहां सब रिटायर हो गए । अब वह जो अनुबंध हुआ है, अगर उस क्लाज़ को ही प्रयास करके हटवा देंगे तो परमानेंट की झंझट खत्म हो जाएगा । दोनों का जो एग्रीमेंट है, वह हट जाना चाहिए।

श्री ओ.पी.चौधरी :- उस दिशा में भी निश्चित रूप से काम करेंगे।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापति महोदय, यह होना चाहिए।

समय :
3.50 बजे

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं)

श्री राजेश मूणत :- अमर जी ने कहा कि क्लॉज हटा देना चाहिए, हट जाना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन उस प्रपोज़ल में एक चीज़ जो बोली कि इतने सालों से चल रहा था। जिस चीज़ के ऊपर हमारे अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देना था, वे लोग ध्यान नहीं दिए और अगर वर्तमान में जिन अधिकारियों की मेहनत और परिश्रम से अगर छत्तीसगढ़ का हर साल 1500 करोड़ रुपए बचता है, तो उन अधिकारियों को भी छत्तीसगढ़ के सदन की ओर से धन्यवाद देना चाहिए कि ये एक अच्छी बात है।

अगर कोई भी अधिकारी अच्छा काम करता है तो उसे धन्यवाद देना चाहिए और मंत्री जी ने जैसा आज बोला कि जो अधिकारी उल्टा हो, उसे ठीक करना चाहिए। दोनों चीज़ें आप ही के पास हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- और अच्छा काम मंत्री जी और विधायक जी लोग करें, उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहिए?

श्री राजेश मूणत :- उन्हें तो हम लोग पहले ही दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे भाई, दयालदास बघेल जी सामने बैठे हैं, बाल कितना काला है? उतना काला आपका है क्या? धन्यवाद दे दीजिए। (हंसी) इधर देखो, (श्री पुन्नूलाल मोहले की ओर इशारा) सबकी उम्र को फेल कर दिए, अभी भी खोज रहे हैं। (हंसी)

श्री सुशांत शुक्ला :- अजय भैय्या, आप रंग-रोगन नहीं कर रहे हैं, इसलिए दूसरे को अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदया, मैं ये एक अलग विषय को सदन के समक्ष रखा। सम्माननीय सदन के समक्ष जो छत्तीसगढ़ पेंशन फंड विधेयक आज प्रस्तुत हुआ है, यह राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से लाया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी डेढ़ लाख के करीब पेंशनर और परिवार पेंशनर हैं। वर्तमान में लगभग 03 लाख 22 हजार शासकीय सेवक हैं और पेंशन दायित्व 457 करोड़ से बढ़कर अभी 8511 करोड़ हो चुका है, तो इसके लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि अमर जी ने विस्तार से जिक्र किया कि पिछली सरकार एनपीएस स्कीम के स्थान पर ओपीएस स्कीम (ओल्ड पेंशन स्कीम) लेकर आई। इसके पीछे उनकी मंशा कर्मचारियों का कोई हित-अहित नहीं था। आप सबको पता है कि एनपीएस में employer को हर महीने 10 प्रतिशत राशि contribute करनी पड़ती है। 10 प्रतिशत employ देता है और 10 प्रतिशत सरकार देती है। वह 10 प्रतिशत राकश न देनी पड़े, उस जिम्मेदारी से बच जाएं, यह पिछली सरकार का पहला टार्गेट था और ये पूरे वित्तीय भार को हमारे 15-20 साल बाद के छत्तीसगढ़ पर लादकर चले जाना चाहते थे। दूसरा इनका मूल उद्देश्य था कि वर्ष 2004 से जबकि ये मूल पेंशन स्कीम आई थी, तो वर्ष 2004 से 2018 तक क्योंकि 2018 से इन्होंने सिस्टम बदला, तब तक मोस्टली भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जिसने कि हर वर्ष employ के खाते में 10-10 प्रतिशत राशि जमा कराई थी, और ये टोटल राशि 19 हजार करोड़ रुपए देश के पेंशन फंड में जमा थी, उस 19 हजार करोड़ रुपए को भी ये निकालकर वर्तमान में भ्रष्टाचार करके खपा देना चाहते थे और इसीलिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आए थे। इनको हमारे कर्मचारियों के हित-अहित से कोई लेना-देना नहीं था। वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ ही हमारे मुख्य मंत्री जी, हमारी सरकार चल रही है। उसमें कोई छेड़छाड़ अभी हम नहीं कर रहे हैं, न ही करने की कोई मंशा है। लेकिन इनकी मंशा को बताना जरूरी है कि वे वर्तमान में दायित्व से बचना चाहते थे और जो पेंशन फंड में 19 हजार करोड़ रुपए थे, उसे ये खा

जाना चाहते थे। ये इनकी नीयत थी। आज अब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, तो आने वाले वर्षों में, आने वाले दशकों में छत्तीसगढ़ को संघर्ष न करना पड़े, हमारे छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिरता बनी रहे, एकाएक पेंशन भार के बढ़ जाने से राज्य की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से कोलेप्स न हो जाए, इसके लिए पेंशन फंड विधेयक को हमने लाया है और ये पेंशन फंड विधेयक लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य बनने जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) इसमें जो pension responsibilities हैं, उसका अधिकतम 5 प्रतिशत तक निवेश किया जाएगा और एक SPV (special purpose vehicle) या किसी अन्य रूप में इसे स्थापित कर एक संस्थागत ढाचा बनाकर इसका उचित निवेश करके इसका ग्रोथ कराते रहेंगे और जब किसी वर्ष 20 प्रतिशत से अधिक एकाएक पेंशन भार बढ़ जाता है तो उस वर्ष इस राशि के कुछ अंश को उपयोग किया जा सकेगा उसके लिए उचित नियम कानून बनाकर उसको ड्राफ्ट किया जायेगा। छत्तीसगढ़ इस रिफॉर्म को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है और यह छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए जो बर्बादी का काम किया था उसे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सुधारने की दिशा में काम कर रही है ताकि आने वाले दशकों में प्रदेश की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। इस सोच और विचार के साथ इस विधेयक को लाया गया है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि इस रिफॉर्म ओरियेंटेड बिल को छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य के लिए पारित करें और इसे सर्वसम्मति से अपना समर्थन दे। मैं यह निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 13 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 13 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदया, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) पारित किया जाये।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदया, यह भी एक रिकॉर्ड बन रहा है कि एक मंत्री ने एक बार में इतने सारे संशोधन विधेयक लेकर आये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदया, जिसमें 3 मूल विधेयक हैं।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदया, मेरे ख्याल से आज तक इतने विधेयक नहीं आये होंगे। अजय जी, आज शुक्रवार का सरकारी दिन है।

(12) छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- सभापति महोदया, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय मंत्री जी, आपका जो पिछला विधेयक था, वह भी नया विधेयक था, यह भी नया विधेयक है और इसके बाद जो एक और विधेयक आयेगा वह भी नया विधेयक है, जिनको हम मूल विधेयक कहते हैं। माननीय सभापति महोदया, जब आप इधर बैठी थीं और माननीय अध्यक्ष महोदय आसंदी में बैठे थे तो मैंने कहा था कि मूल विधेयक कब प्रस्तुत होता है और कैसे प्रस्तुत होता है। विभाग हमें कुछ बोलने के लिए दे और हम उसी में बोले, यह अलग विषय है और हम कोई सुझाव के लिये दे तो उसको पढ़ने का पर्याप्त अवसर मूल विधेयक में मिलना चाहिए। इस बात का खयाल रखा जाना चाहिए। आप पहली बार मंत्री बने हैं और जितने भी नए सदस्य हैं, वह यह देखेंगे कि विधान सभा में मूल विधेयक यदा कदा आता है। आज यह सौभाग्य है कि एक दिन में 3 मूल विधेयक

आये हैं। आपने जो दिया है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे जितना मिला है मैं उसे आपको बताता हूं।

समय
4.00 बजे

सभापति महोदय, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना, मैंने इस विधेयक को देखा। इसमें वित्त विधेयक तो लगा है वित्तीय ज्ञापन लगा है। यह अच्छा है। इसके उद्देश्य में राज्य में खनिज संपदा अन्य संसाधनों से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा निवेशित किया जाये। यह बढ़िया है और निवेशित किया जाये तो आर्थिक मंदी fluctuation जो आएगा, उस समय इससे स्थिरता प्रदान होगी। मेरे ख्याल से यह दोनों उद्देश्य हैं अब जो आपने जो विधेयक के खण्ड 3 के (1) में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना का प्रावधान है, विधेयक के खण्ड 4 में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना के उद्देश्य का प्रावधान है, उसमें उद्देश्य लिखा है । तो मैं उद्देश्य को पढ़ूं, यह अच्छा नहीं है, पर इसमें उद्देश्य है। यह जिन भी विधायकों को वितरित हुआ है, वह उद्देश्य पढ़ सकते हैं। खण्ड 5 में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का संरक्षण कैसे होगा, उसको आपने विस्तार से बताया है कि संरक्षण कैसे होगा। तो संरक्षण के प्रावधान को जितना देखा तो मुझे दुरूपयोग की संभावनाएं कम दिखती हैं। आपका वह प्रावधान अच्छा है। विधेयक के खण्ड 6 में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड में किस प्रकार की राशि का योगदान रहेगा तो आपने जितने प्रकार की राशि का उल्लेख किया है और आप सोचिए। उसमें और कुछ राशियों को जोड़ सकते हो तो। परिवर्तन, चिंतन तो रोज के विषय हैं। विधेयक के खण्ड 8 में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का उपयोग किस रूप में किया जायेगा। इसी का प्रावधान है आप इसमें और प्रकाश डाल दीजिएगा, आप इसे विस्तारित कर दीजिएगा। विधेयक के खण्ड 9 में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का निवेश किस प्रकार से कहां होगा, इसका यह सबसे संवेदनशील विषय है। संरक्षण और इसका निवेश, हम कहां करें, कैसे करें, जिसमें किसी प्रकार की क्षति की संभावना न रहे। पहले वाले में आपने भारत सरकार के किसी फण्ड में निवेश किया है इससे पहले जो विधेयक आया था, उसमें कोई पेंशन वाले में भारत सरकार के किसी फण्ड में निवेश किया है तो ऐसे निवेश में जो सुरक्षा रहे। यह सबसे महत्वपूर्ण है मैंने जितना पढ़ा, उतने में यह लगा। विधेयक के खण्ड 9 में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का निवेश है। मैंने विधेयक के खण्ड 9 को तो बोला। विधेयक के खण्ड 10 में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की निगरानी कैसे की जायेगी, इसके प्रतिवेदन के लिए सभा के समक्ष रखा जायेगा। माननीय महोदया, इस खण्ड की विशेष रूप से प्रशंसा करता हूँ कि जो भी हम legislation करते हैं या कोई कानून हमारे legislation से बनता है और उसका पालन प्रतिवेदन यदि सभा के पटल में रखने का प्रावधान है ऐसे बहुत सारे कानून हैं जैसे आपने पिछले कानून में सभा का प्रावधान नहीं रखा। जैसे हम यूनिवर्सिटी का करते हैं तो हम यूनिवर्सिटी का प्रतिवेदन रखते हैं। हम कैग का प्रतिवेदन पटल में रखते हैं। यह अलग बात है कि आज कल छत्तीसगढ़ की विधान सभा में

प्रतिवेदनों में चर्चा नहीं हो रही है। हमने एकाध बार यहां प्रतिवेदनों में चर्चा की है। यदि कोई सदस्य प्रतिवेदन में चर्चा करने के लिए इच्छुक है या उसे पढ़ता भी है तो आपने इसमें एक पारदर्शिता के लिए जो बात कही है, उसकी बहुत जरूरत थी। उसे लोग जाने और यदि सभा जान गयी मतलब प्रदेश की जनता जान गयी। विधेयक के खण्ड 11 में फंड के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण राज्य के महालेखाकार द्वारा किया जायेगा। आप इसका भी प्रतिवेदन रखेंगे। यह बहुत अच्छा प्रावधान है। जितनी पारदर्शिता होती है उतने आरोप-प्रत्यारोप कम होते हैं और आज कल पारदर्शिता का जमाना है। इसे पारित होने के बाद आप ए.आई. से पूछेंगे तो ए.आई. इसे बता देगा। महालेखाकार से परीक्षण और उसके प्रतिवेदन को रखना भी, इसका उल्लेख और प्रावधान करना बहुत अच्छा है। विधेयक के खण्ड 12 में राज्य सरकार को इस अधिनियम के उद्देश्यों को नियम बनाने की शक्ति दी गयी है। नियम बनाने की शक्ति तो होनी चाहिए और नियम, जब भी कोई नए विधेयक आते हैं। मैं कई नये विधेयक के उदाहरण बता सकता हूं जो आज तक लागू नहीं हुए। जिसमें मैं एक को तो लाया था, मैं आपको बता देता हूँ निजी महाविद्यालय स्थापना एवं संधारण, ऐसा कुछ नाम था, परसों मैंने भाषण में बोला था कि जशपुर में कालेज खोलना है या जहां जी.ई.आर. कम है तो कालेज खोलना है तो हम आपको 2 एकड़ जमीन देंगे, स्थापना व्यय इतने साल तक देंगे, बिल्डिंग के लिए इतना पैसा देंगे, उसका प्रावधान था। वह कभी लागू नहीं किया गया। हम कभी-कभी उत्साह में नये विधेयक लाते हैं। पर नियम, नियम के बाद उसके निर्देश, निर्देश के बाद उसका implementation, ये तीनों जो चीजें होती हैं, वह भगवान भरोसे मत रहे, क्योंकि मूल विधेयक है। जितनी सद्इच्छा के साथ आपने इसको लाया है, उस सद्इच्छा के साथ इसका नियम बनें, इसके निर्देश बनें और नीचे ग्राउण्ड तक इसका implementation हो, इस बात की चिंता करेंगे तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्देश्य हैं, शासन का जो उद्देश्य है, चिंता है, जब implementation फास्ट होगा तो आपके उद्देश्यों की पूर्ति उतनी अच्छी होगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि उद्देश्य और implementation में बैलेंस रहेगा। प्रदेश आगे बढ़ेगा। और आर्थिक अनिश्चितता के दौर में, मंदी के दौर में, किसी भी दौर में हमारा प्रदेश मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपको बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज का दिन इस छत्तीसगढ़ की विधान सभा के लिये मुझे ऐसा लगता है कि आगे 20-25 साल के रिफार्म्स का दिवस है। क्योंकि इससे पहले मैंने पेंशन निधि विधेयक पर चर्चा की, इससे पहले जो उद्योग का आया कि सारे कानूनों को रद्द करना, ऐसा लगता है कि आज का दिन जो विधान सभा का है, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन जायेगा कि इतने अच्छे-अच्छे रिफार्म्स लाकर हम उसका वैधानिक स्वरूप देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य खनिज आधारित राज्य है। अगर हम थोड़ा सा पहले चलें तो हमारे छत्तीसगढ़ में आयरन ओर, कोयला, बाक्साइट, मालूम नहीं कितने प्रचुर मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज हैं। आज से पहले हमारे राज्य को खनिज की केवल रायल्टी मिलती थी, कोयले, आयरन में और सारे जो मिनरल्स हैं, इनसे केवल हमको रायल्टी प्राप्त होती थी। और समय-समय पर मध्यप्रदेश के जमाने से लेकर आज तक हम रायल्टी बढ़ जाये, उसी के चक्कर लगाते थे। सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी रिफार्म्स हैं, आर्थिक स्थिति, समृद्धि के जितने भी प्रयत्न हैं, अगर इस छत्तीसगढ़ की 25 साल की यात्रा को अगर हम देखें तो 15 साल डॉ. रमन सिंह की सरकार और डेढ़ साल से विष्णु देव जी की सरकार, ये सारे रिफार्म्स अगर इस प्रदेश के हित में हुए हैं और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा है तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जाता है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय,

हमने उस समय बहुत आवाज उठाई कि यह मूल्य आधारित रॉयल्टी हमको मिलनी चाहिए । हमने कोयले की रॉयल्टी तो बढ़वा ही ली लेकिन मूल्य आधारित रॉयल्टी पहली बार आयरनओर में निरंतर छत्तीसगढ़ की आवाज उठाकर हमने जो मूल्य आधारित रॉयल्टी है उसके आधार पर हमने यह फॉर्मूला केंद्र सरकार से तय कराया और उसके बाद अगर हमारे खनिज की रेवेन्यू देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस जमाने में हजार- 1200 करोड़ रूपये हुआ करती थी, आज 13 या 14 करोड़ रूपये है लेकिन जब केंद्र में हमारी सरकार आयी । इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और एक विकसित भारत और जिसकी कल हमने भी शुरुआत की विकसित छत्तीसगढ़ तो जब हम विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे जो संसाधन हैं, उसमें जो Policy Paralysis Case से जो देश का दौर गुजरा है, उसको हम ठीक कैसे करें ? जब हम उस Reforms में जाते हैं तब विकसित भारत बनता है और तब विकसित छत्तीसगढ़ बनता है । इसके पहले जो Coal Mines एलॉट हुईं, इसके बाद जो आयरनओर एलाट हुईं, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता कि वर्ष 2014 से पहले सारे Corruption, भ्रष्टाचार और उसके बाद C.B.I. और जो-जो है, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा लेकिन उसके बाद एक Open Auction के माध्यम से विधि सम्मत, न्यायसम्मत हमारे देश में इन खदानों का ताकि हम ज्यादा खनिज का जो कहना चाहिए उपयोग है, वह कैसे करें ? नीति बनाई और उसके परिणाम आज देश के सामने हैं । माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारे खनिज उत्पादन बढ़े हैं । आप देखिए कि उसी हिसाब से हमारे यहां देश का औद्योगिकरण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है । अगर हम हमारे राज्य में ही देखें तो कभी हमारे यहां Coal Mines थीं । आज निजी क्षेत्रों में भी Coal Mines चालू हुई हैं तो यह जो Mines open हुईं उसके कारण production भी बढ़ रहा है, प्रगति भी बढ़ रही है लेकिन यह भी एक चिंता का विषय है कि हमारे एक राजस्व का बहुत बड़ा चूंकि जहां हम

एक तरफ Production बढ़ाते जा रहे हैं । पहले क्या है कि शॉर्टेज रहता था, कोयले का रहता था, आयरनओर का रहता था, दामों में तेजी आती थी लेकिन अगर आज देखें चूंकि हमको Globalization युग में World के साथ चलना है तो आज Production बढ़ने के कारण कीमतें भी कम हो रही हैं और आगे यह चुनौती हमारे सामने फिर आएगी तो वह चुनौती जब आएगी तो एक बहुत बड़ी चिंता, मैं तो यह कहता हूं कि क्यों इतनी दूर की सोचना जैसे कांग्रेस के लोग सोचते थे कि 5 साल राज करो, 10 साल राज करो, आने वाले जानें, उनका काम जानें । काहे के लिए माथा फोड़ी करना, 20 साल के लिए सोचना, 40 साल के लिए सोचना लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कभी कर नहीं सकता ।

श्री राजेश मूणत :- मतलब आपका यह कहना है कि दारू के अंदर करो, रेत में करो । यह कांग्रेसी लोगों के चक्कर में मत पड़ जाओ ।

श्री अजय चंद्राकर :- अमर जी, आप सुनिये । वह जो 2 साल पहले आदमी बैठे थे न वह ट्वंटी-ट्वंटी वाले थे और दयालदास और यह (माननीय सदस्य, श्री धरमलाल कौशिक और श्री पुन्नूलाल मोहले जी की ओर देखते हुए) बैठे हैं न । यह सब टेस्ट मैच वाले हैं । (हंसी) इंग्लैंड में सचिन तेंदुलकर और एंडरसन ट्रॉफी चल रही है न, दयालदास और ये लोग उसके प्लेयर हैं ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, तो दूर का सोचना । मुख्यमंत्री जी को लगा कि कल यदि हमारा राजस्व कम होगा तो राज्य को कल विकास में दिक्कत जायेगी या भावी पीढ़ी को परेशानी होगी। हमारा जो मंत्रिमंडल है, सारे साथियों ने बहुत अच्छे से, गहराई से विचार किया और छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक उसी गहराई का ही यह परिणाम है। यह फंड इसलिए बनाया गया कि कल मान लो हमारे राजस्व में कमी हुई तो आज तो राजस्व है। उसकी एक निश्चित राशि जो हमारा खनिज राजस्व है, उस निश्चित राशि को एक अलग कॉर्पस फंड में। यह नगरीय निकाय विभाग में सारे नगर निगम में मध्य प्रदेश के जमाने से यह आकस्मिक निधि एक फंड पहले से बना हुआ है। नगर निगम में जो एक निश्चित इनकम आती थी, उससे वह करते थे। नगरीय निकाय में वह निगम के बहुत काम आया था। आकस्मिक निधि का बाद में तो पैसा वैसा हुआ नहीं तो आकस्मिक निधि भी बंद हो गई। लेकिन समय रहते हुए, आज जितना हमारे पास है, मान लो यह फंड अलग चला जाएगा। इसका उपयोग दूसरी जगह अब नियम के तहत ही कर सकते हैं। यह रिजर्व फंड है, लोन के रूप में कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, वह खरीद सकते हैं, उसी में पेंशन का और इस फंड का उपयोग होगा । लेकिन हमारी संचित निधि से निकल गया। और अच्छा भी है कि यह फंड तो रिजर्व हो गया और अब खर्चे के लिए पैसा चाहिए तो वित्त मंत्री जी को रात भर नींद नहीं आएगी कि कैसे पैसा और कमाया जाए और यह वास्तव में अपने ऊपर भी एक बंधन है कि नए-नए संसाधन ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि यह फंड तो अलग हो गया तो अपने फंड को अलग रखकर एक्स्ट्रा अतिरिक्त वर्तमान के लिए भी हमको

पैसा चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यह प्रयत्न वही कर सकते हैं जो इस छत्तीसगढ़ के हित के बारे में सोचते हैं, भावी पीढ़ी के बारे में सोचते हैं। यह निर्णय वही कर सकते हैं। (मेजों की थपथपाहट) मैं प्रशंसा करता हूं कि इस दूरगामी सोच के साथ, वैसे तो मंत्री जी ने काफी सोच समझ कर इसके आगे का फंड का उपयोग कैसे होगा, उस एक्ट में प्रावधान हैं। तो इस फंड का उपयोग वर्तमान में हमारे विकास काम में न हो, बल्कि इस फंड में से जहां सेफ इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदने में जिसमें interest भी मिलता है, अगर उसमें होगा तो यह फंड भी और तेजी से increase करेगा। क्योंकि जो अलग से गवर्नमेंट बांड आते हैं, उसमें रेट ऑफ interest बहुत कम होता है। उसमें अगर हो तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि आगे आने वाले 20 साल के बाद भी यह छत्तीसगढ़ कभी भी आर्थिक रूप से कष्ट में नहीं आएगा। कभी भी आर्थिक रूप से नहीं पिछड़ेगा। बल्कि छत्तीसगढ़ बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, विरासत में हमको एक संपन्न छत्तीसगढ़ देकर गए हैं। यह इस सरकार की उपलब्धि होगी। मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री गुरू खुशवंत साहब। माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदया, जो आज का यह महत्वपूर्ण विधेयक हमारी सरकार के द्वारा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रस्तुत किया है। भारत को नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाने के लिए एक रोडमैप लेकर अमृत काल में आगे बढ़ रहे हैं। उसी के अनुकरण में, उसी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए हमने भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 और राज्य के दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समर्पित भाव से, एक प्रतिबद्ध भाव से हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रयास कर रही है। इसी प्रकार के विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, उन चीजों के लिए हम लोग नित नए-नए प्रयास कर रहे हैं। विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दृष्टि से जो सबसे बड़ी ज़रूरत है उसके लिए आने वाले वर्षों, आने वाले दशकों में वित्तीय स्थिरता अत्यंत आवश्यक है । इसी दृष्टिकोण, इसी विज़न के साथ अभी इससे पूर्व जो पेंशन फंड का विधेयक प्रस्तुत हुआ, वह भी उसी का परिणाम है और पेंशन फंड विधेयक लाकर उसे अधिनियम बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा । इसी तरह से दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने की दृष्टिकोण से ही छत्तीसगढ़ ग्रोथ एवं स्टेबिलिटी फंड विधेयक आज प्रस्तुत किया गया है । ये दोनों विधेयकों का जिक्र हमारी सरकार के दूसरे बजट में किया गया था । उसी के अनुपालन में पूरी तत्परता, पूरी इफिशिएंसी के साथ, बजट सत्र के बाद जैसे ही अगला सत्र मानसून सत्र हमें प्राप्त हुआ है, हम उसे तत्काल लेकर यहां उपस्थित हुए हैं । सम्माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि नया विधेयक है, मूल विधेयक है पूरी इफिशिएंसी के साथ आगे

उसके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में, उसके अंतर्गत बनने वाले नियमों की दिशा में प्रयास करें, हम वह भी सुनिश्चित करेंगे और पूरी इफिशिएंसी के साथ अगले ही बजट सत्र के बाद अगले मानसून सत्र में ही हम इस विधेयक को लेकर सम्माननीय सदन के समक्ष उपस्थित हुए हैं । हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अमीर धरती वाला राज्य है । प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार से संसाधनों से परिपूर्ण किया है, चाहे लौह अयस्क की बात हो, लोहा हो, कोयला हो, एल्युमीनियम हो, बाक्साइड हो, टिन हो, रेयर मिनरल्स में लिथियम के भंडार पाये जा रहे हैं । हमारे छत्तीसगढ़ की धरती रत्नगर्भा धरती है । इसके उचित दोहन से जो खनिज की रायल्टी प्राप्त होती है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि भी हुई है । 2001-02 में जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो हमारे राज्य का खनिज राजस्व लगभग 466 करोड़ रूपया था, वह बढ़ते हुए आज लगभग 14-15 हजार करोड़ रूपए तक पहुंचा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास वह विभाग है और उनके नेतृत्व में आने वाले समय में मिनरल्स रिफॉर्म्स, खनिज के भी बड़े बड़े रिफॉर्म्स की दिशा में हमारी सरकार काम करेगी । छत्तीसगढ़ राज्य की जनता जनार्दन के लिए राजस्व जुटाने का काम हमारी सरकार ईमानदारी के साथ करेगी । खनिज राजस्व में जिस तरह से वृद्धि हुई, यह लगभग 30 गुना की वृद्धि है । वहीं जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण आदरणीय अटल जी ने किया था उससे पूर्व जो मध्यप्रदेश राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता था । यहां की सड़कें, यहां के रेल नेटवर्क बहुत सारी समस्याएं थीं । उसके कारण इस राज्य को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत तेज पूंजीगत व्यय की आवश्यकता थी, केपिटल एक्सपेंडीचर की आवश्यकता थी । उसके अनुरूप 2001-02 में श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उस समय पूंजीगत व्यय लगभग 500 करोड़ रूपए का था । आज हमारा पूंजीगत व्यय 43 गुना बढ़कर 21 हजार करोड़ रूपए को पार कर चुका है । हमारी सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पूरे रिफार्म्स पर काम किया और भारत सरकार का पूरा जोर रिफॉर्म्स पर है । हर रिफॉर्म के पीछे भारत सरकार ने एस.सी.ए. स्पेशल केपिटल असिस्टेंस स्कीम बनाकर रखी हुई है और रिफार्म ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट को जो राज्य आगे बढ़ा रहे हैं, प्रत्येक रिफॉर्म के साथ 200, 400, 500 करोड़ रूपए का स्पेशल इंसेटिव लोन के रूप में स्पेशल केपिटल असिस्टेंस के तहत प्राप्त होता है । यह लोन जरूर है लेकिन 50 साल बाद इसको repay करना है और बिना ब्याज के इसको repay करना है । 50 साल के लिए बिना ब्याज का कोई लोन दे दे । कोई हमको आज एक करोड़ रूपया दे दे और कह कि 50 साल बाद एक करोड़ रूपए ही वापस करना । इस तरह की इंसेटिव स्कीम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने देश को राज्यों के लिए रिफार्म की दृष्टि से और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की दृष्टि से लागू किया है । आपके माध्यम से सम्माननीय सदन को अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्पेशल केपिटल असिस्टेंस के तहत रिफार्म ओरिएंटेड डेव्हलप करने के मामले में पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ देश का सबसे अग्रणी राज्य रहा है, हम एस.सी.ए. के अंतर्गत केन्द्र से 6195 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त करने में सफल हुए हैं।

आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 में 2023-24 की तुलना में पूंजीगत व्यय में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्वरूप है। इस तरह से हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूंजीगत व्यय में तेजी से वृद्धि करने का प्रयास किया है। पूंजीगत व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था में होता है तो उसका मल्टीप्लाय रिफेक्ट होता है, अगर हम रेल बनाते हैं, रेल का नेटवर्क खड़ा करते हैं तो उसमें लोहे की पटरियां लगती हैं, उससे लोहे का उद्योग भी चल निकलता है, जब लोहे का उद्योग चल निकलता है तो पॉवर का उद्योग भी चल निकलता है, गिट्टी का उद्योग भी सड़क के लिए काम में आता है, उससे लोगों को अलग-अलग तरीके से रोजगार मिलता है, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था को गति देनी है तो पूंजीगत व्यय अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी पूंजीगत व्यय को हम आने वाले समय में सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए आज इस विधेयक को ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड को लाया गया है। हमारे खनिज से जो राजस्व प्राप्त होती है, उसमें खनिज के दाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारणों से उपर नीचे होते रहते हैं, रेट में इनस्टेबिलिटी रहती है, अप डाउन होते रहते हैं, कभी खनिज के दाम अचानक गिर गए तो उससे जो मिलने वाला राजस्व है, वह भी प्रतिशत टर्म में होता है, खनिज के दाम गिरते हैं तो राजस्व की राशि भी कम हो जाती है, इससे हो सकता कि आने वाले समय में कभी भी पूंजीगत व्यय के लिए राशि कभी एकदम से कम पड़े, इस दृष्टिकोण से ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का प्रावधान किया गया है, इसका उल्लेख हमने हमारी सरकार के दूसरे बजट में किया था। इसके अंतर्गत न्यूनतम एक प्रतिशत और अधिकतम 5 प्रतिशत जो मिनिरल रायल्टी प्राप्त होगी, उसका इस फंड में जमा किया जाएगा। इस फंड का उपयोग कभी भी करेंगे उसके लिए नियम शर्तें निर्धारित की गई है, उसके लिए जिस भी प्रकार का खर्च होगा, उसे सम्माननीय सदन के समक्ष पटल में रखने का भी प्रावधान किया गया है। महालेखाकार द्वारा इसका ऑडिट भी हो सकेगा। उस प्रतिवेदन को भी सम्मानित सदन के पटल पर रखा जाएगा ताकि भविष्य में इसका किसी भी प्रकार की दुरूपयोग की आशंका न रहे, क्योंकि कई बार गलत तरह के लोग सत्ता में आ जाते हैं तो उस समय की स्थितियों को भी ध्यान में रखकर यह प्रावधान किया गया है। मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बताना चाहूंगा कि इस फंड का उपयोग केवल पूंजीगत व्यय के लिए ही किया जा सकेगा। किसी एक वर्ष में गत वर्ष तक निवेश पर अर्जित आय का अधिकतम 25 प्रतिशत ही पूंजीगत व्यय का उपयोग किया जाएगा, जो मूल राशि रहेगी उसका आहरण केवल उसी वर्ष किया जा सकेगा जिस वर्ष में खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी हुई हो। हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है और छत्तीसगढ़ को सुशासन के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार द्वारा DMF का किस तरह से दुरूपयोग किया जाता था और वर्तमान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दंतेवाड़ा जैसे जिले में DMF की 250 करोड़ रूपए की राशि से

मेडिकल कॉलेज तक का निर्माण किया जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) इस तरह से छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक भविष्य के लिए, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए, यह विधेयक अत्यंत दुर्गामी सोच के साथ, एक स्पष्ट विजन के साथ, रिफॉर्म के एजेंडे के साथ लाया गया है। इससे छत्तीसगढ़ की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को, दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय करके तीव्र आर्थिक विकास को अचीव करके विकासशील छत्तीसगढ़ को देश के अमृतकाल में विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक विधेयक है। जब देश आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ते हुए अमृतकाल में 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस विकास यात्रा में हमारा छत्तीसगढ़ कहीं पीछे न रह जाए, हमारे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जनार्दन, 3 करोड़ भाई बहन पीछे न रह जाए, इस दृष्टिकोण से यह विधेयक लाया गया है और विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दृष्टि से यह विधेयक अत्यंत आवश्यक है। मैंने पहले भी जो पेंशन विधेयक प्रस्तुत किया था, वह भी इसी दृष्टिकोण से लाया गया विधेयक है। मैंने सम्मानीय सदन के समक्ष आपके माध्यम से रखा कि कैसे डिजीटल रिकॉर्ड रखकर पेंशन के पैसे को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश को भेजा जाता था, उसमें प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ हजार करोड़ रूपये की बचत की गई है। हम इस तरह के बड़े-बड़े काम, technology oriented काम, technology को leverage करते हुए reforms के काम कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिरता और छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेंशन में भी हमारे विभाग ने काम करके दिखाया है और प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ हजार करोड़ रूपये की बचत राज्य के लिए होगी। जिसका उपयोग छत्तीसगढ़ की माताओं व बहनों के लिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए व समाज के आखिरी छोर पर खड़े वर्ग के लोगों के लिए किया जा सकेगा। हर तरह से दूरगामी सोच के साथ हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। यह growth and stability fund भी उसी का एक उदाहरण है। माननीय सभापति महोदया, छत्तीसगढ़ के उचित भविष्य और दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस विधेयक को सम्मानीय सदन पास करें, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदया :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 14 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 14 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025) पारित किया जाये।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदया :- माननीय मुख्यमंत्री, श्री विष्णु देवसाय जी। (मेजों की थपथपाहट)

(13) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025).

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय धरमलाल कौशिक जी।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) प्रस्तुत किया गया है। मूल रूप से इस प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की

धारा 11 की उपधारा 1 और उसके साथ में धारा 11 की उपधारा 8 में संशोधन करने के लिए यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसके पीछे केवल यह आशय है कि हम समय-समय पर इसमें संशोधन करते गये हैं और जो शिक्षा की गुणवत्ता है, उसका गुणात्मक विकास होना चाहिए। साथ ही हमारे जो युवा वर्ग हैं, उस युवा वर्ग को अच्छा शिक्षा मिल सके। मुख्य रूप से वह जिस विषय में काम करते हैं, वे उसके एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट होने के कारण उनके अनुभवों का लाभ मिलता है। उन अनुभवों के लाभ के कारण विश्वविद्यालय की गरिमा भी बढ़ती है, वहां के शिक्षा का स्तर भी बढ़ता है। शिक्षा के स्तर के साथ ही वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा का गुणात्मक विकास भी होता है। इस दृष्टिकोण से यह संशोधन लाया गया है। इस संशोधन में मुख्य रूप से कुलपति का चयन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। इसमें संशोधन लाया गया है कि किसी भी केन्द्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। इस संशोधन में प्रस्तावित किया गया है कि "सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न, केन्द्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए पत्रकारिता एवं जनसंचार (प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, विज्ञापन एवं जनसम्पर्क , फिल्म, न्यू मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी) के प्राध्यापक के रूप में अनुभव हो।' केवल यह पर्याप्त नहीं है कि उस क्षेत्र में किसी भी विषय में रूचि रखते रहे हों या उस क्षेत्र से आते रहे हों, उतना पर्याप्त नहीं है। बल्कि उनके पास 10 साल का प्राध्यापक के रूप में अनुभव हो। इसमें यह संशोधन प्रस्ताव रखा गया है कि "पत्रकारिता एवं जनसंचार के एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के प्रमाण के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ विशिष्ट शिक्षाविद् " प्रतिस्थापित किया जाये।

माननीय सभापति महोदया, दूसरा, मैंने कहा है कि धारा 11 की उप धारा 8 में संशोधन प्रस्तावित किया है " एक व्यवसायिक व्यक्ति जो या तो पत्रकारिता अथवा संचार मीडिया क्षेत्र की शाखा से हो, जिसके पास सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर में 20 वर्ष का अनुभव हो"। इसमें केवल अनुभव ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अनुभव के साथ ही किसी केन्द्रीय अथवा राज्य के विश्वविद्यालय में अध्यापन कराने का 10 वर्ष का अनुभव हो। उनका जो 10 वर्ष का अनुभव हो, उसमें कोई भी विषय हो सकता है, जिसमें "पत्रकारिता एवं जनसंचार (प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक, मीडिया, विज्ञापन एवं जनसम्पर्क , फिल्म, न्यू मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी) के प्राध्यापक के रूप में 10 वर्षों का अनुभव हो और एक शिक्षाविद् के रूप में व्यक्ति" प्रतिस्थापित किया जाये, यह मूल रूप से संशोधन है।

माननीय सभापति महोदया, इसके पहले जो स्थिति रही है, उन सारी बातों का अवलोकन किया गया है। यह देखते हुए कि उनका 10 वर्ष के अनुभवों का लाभ विद्यार्थियों को मिले, इस दृष्टिकोण से यह संशोधन लाया गया है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के बाद जो कुलपति नियुक्त होंगे, निश्चित रूप से उस विश्वविद्यालय का जो 10 साल का प्राध्यापक का अनुभव है, कुलपति के पद पर चयन

होगा, चयन भी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, उतनी ही पारदर्शिता होनी चाहिए। चयन होने के बाद उस विश्वविद्यालय का स्तर बढ़ेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह संशोधन विधेयक लाया गया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस संशोधन के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने एक अच्छा संशोधन आज के परिस्थिति के अनुरूप यहां लाया है। मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदया, यदि आप इस संशोधन विधेयक को पढ़ेंगे। हालांकि, इन्होंने सारे संशोधन को बोला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ दूसरा आग्रह करूंगा। उच्च शिक्षा में बात करने के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं। इसमें उल्लेख है कि एक व्यावसायिक व्यक्ति जो पत्रकारिता अथवा संचार मीडिया के क्षेत्र में हो, जिसके पास सार्वजनिक, निजी क्षेत्र का 20 वर्ष का अनुभव हो। यह नियम कब जुड़ा है? कौशिक जी, आप उस समय नेता प्रतिपक्ष थे। मैं आपको बता देता हूं कि माननीय भूपेश जी ने वर्ष 2019 में इस विधेयक को लाया था और उन्होंने इसमें व्यावसायिक शब्द को जोड़ा था। उन्होंने यह शब्द इसलिए जोड़ा था क्योंकि उनको अपने किसी आदमी को उपकृत करना था। (शेम-शेम की आवाज) यदि ये खरदूषण लोग यहां रहते तो मैं इस लाईन में ज्यादा बोला होता, मैंने उनका नाम लिया होता कि आपका कौन खास व्यक्ति था, जिसको आपने उपकृत करने के लिए उच्च शिक्षा में ऐसा प्रयोग किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो दो संशोधन विधेयक प्रस्ताव लाया है, मैं उसका बहुत समर्थन करता हूं और मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि हमारे जितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं, उसके आर्डिनेंस में कुलपति के लिए एकरूपता हो। मैं आपको उसका कारण बता रहा हूं। उस दिन आपके विभाग का प्रश्न था। वह प्रश्न 59वें मिनट में आया। उस दिन मैं आपसे ज्यादा नहीं बोलना चाहता था और आज भी ज्यादा नहीं बालूंगा। अभी बस्तर विश्वविद्यालय में जो कुलपति है, वह दैनिक वेतन भोगी से कुलपति बना है। उसकी चिट्ठी आनंदी बेन पटेल जी ने लिखा है। उसकी कॉपी भी मैं उस दिन आपको देता। मैं तो सत्तारूढ़ दल का आदमी हूं, इसलिए मैं उसको पटल में नहीं रखूंगा। आप उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करवा लेंगे कि दैनिक वेतन भोगी का आदमी कुलपति तक पहुंच गया है। दूसरी बात यह है कि दो-तीन विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जहां कुलपति ही नहीं है। वहां दूसरे कुलपति चार्ज में हैं। इसलिए कुलपति की नियुक्ति, उसकी अर्हता, उसकी योग्यता में एक व्यापक संशोधन हो और हमारे सारे आर्डिनेंस में, हमारे सारे राजकीय विश्वविद्यालय के लिए एकरूपता हो, इसकी जरूरत है। अब मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं कि हम कुलपति के लिए यह क्वालिफिकेशन नहीं रखेंगे। उस दिन एक भर्ती अधिनियम की जांच के लिए आपने कहा था कि खैरवार समिति जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ की पूरी यूनिवर्सिटी में, उसमें रायपुर यूनिवर्सिटी भी शामिल है, वहां पर एक पद में 20-25 लोग आ रहे हैं, उसके बाद भी किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। एस.सी., एस.टी. व

ओ.बी.सी. के पद खाली जा रहे हैं। यूनवर्सिटियों में हमारा जो अनुदान जा रहा है, वह राजस्व अनुदान जा रहा है। हमने सारी यूनिवर्सिटी नई बनाई है। Capital expenditure के लिए हम आजकल अनुदान नहीं दे रहे हैं। हमारे प्रदेश में जब हम शिक्षाविदों की फौज तैयार कर सकते हैं, हमारे पास सभी वर्गों के आदमी हैं। इसलिए यदि हम एकरूपता लायेंगे तो छत्तीसगढ़ के लोगों को अवसर मिलेगा। एक आदिवासी महिला श्रीमती गीतालक्ष्मी थीं, जिनको मैंने बस्तर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया था। एक खूंटे साहब थे। वे संस्कृत के प्रोफेसर थे और वे आदिवासी वर्ग के थे, उनको मैंने कुलपति बनाया था। आज जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आया है। किसी के कहने से वह एकेडमी का आदमी है, इसलिए हमने उनको कुलपति पद पर नियुक्त कर दिया। जबकि वह दैनिक वेतन भोगी का आदमी है। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था कहां जायेगी, कैसे जायेगी, इसकी चिंता आपको करनी है। आपकी सहजता, आपकी सरलता, छत्तीसगढ़ के बारे में विकास के लिए हर क्षेत्र में आपकी प्रतिबद्धता, आपका व्यापक राजनीतिक अनुभव, सामाजिक जीवन का अनुभव, सार्वजनिक जीवन का अनुभव, शैक्षणिक जीवन का अनुभव, जीवन के विपरित से विपरित परिस्थितियों का अनुभव, यह सब अनुभव छत्तीसगढ़ को काम देंगे। मैं आपसे सिर्फ यह आग्रह करूंगा कि यह जो संशोधन है, उसके तहत कुलपति के लिए, हमारे राजकीय विश्वविद्यालय के लिए एक कुलपति को नहीं लाकर यह आर्डिनेंस में एकरूपता होगी, तो अच्छा होगा। मैं इस संशोधन विधेयक का इसलिए समर्थन कर रहा हूं क्योंकि कुछ दूसरे नेचर की यूनिवर्सिटी है, जनसंचार यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारी जो सामान्य यूनिवर्सिटी है। यह हो सकता है कि हम खैरागढ़ यूनवर्सिटी में एकरूपता नहीं ला सकते, लेकिन दूसरे नेचर की जो सामान्य यूनिवर्सिटी है, उसके आर्डिनेंस का एक बार अध्ययन करके उसमें एकरूपता आये, इसके लिये काम करने की जरूरत है । आपने व्यावसायिक शबद को हटाकर एक बड़ी गलती को सुधारा है, मैं इसके लिये आपको बधाई देता हूँ, आपके विभाग को बधाई देता हूँ और बधाई देते हुये खरदूषण लोग जो ऐसा दुरूपयोग किये हैं, मैं उसकी निन्दा करता हूँ । सभापति महोदय, इन लोगों ने कुलपति के पद तक को राजनैतिक बना दिया था । आपके नेतृत्व में इस प्रदेश के शैक्षणिक जगत में बदलाव आयेगा, मैं इस अपेक्षा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदया :- श्री सुशांत शुक्ला ।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- धन्यवाद, सभापति महोदया । जैसा कि सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक के संबंध में अवगत कराया गया है, यह अपने आप में अद्भूत विधेयक है । पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में जिन्हें पढ़ाने को छोड़ सब आता था, वही कुलपति बनते थे और यह अनुशंसा शासन करती थी और उन्होंने अद्भूत परम्परा पूर्ववर्ती सरकार ने स्थापित की है कि जो शैक्षणिक पद होता है, उसे राजनीतिक पद की तरफ अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति करने की व्यवस्था बना दी । लक्ष्य की प्राप्ति के लिये समय-समय पर अधिनियमों में संशोधन भी कर दिये, इसी अनुक्रम में

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति संबंधी योग्यता निर्धारण में भी परिवर्तन करते हुये यह संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है । वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति पद हेतु योग्यता के अनुरूप एक व्यावसायी व्यक्ति जो या तो पत्रकारिता या संचार मीडिया के क्षेत्र में या शाखा में जिसके सार्वजनिक या निजी जीवन में वरिष्ठ स्तर पर 20 वर्षों का अनुभव हो, इसमें पात्रता जो़ड़ी गई है, यह अपने आप में स्वागतयोग्य कदम है । उक्त प्रावधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ता उच्चतर शिक्षा के मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम 2018 की कंडिका 7.3 के अनुसार संशोधन करने हेतु संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है । सभापति महोदया, राज्य में बहुत सारे विश्वविद्यालय भी हैं, जिन विश्वविद्यालयों के पास निर्माण के समय से ही शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर सेट अप की स्वीकृति भी नहीं हुई है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि उन विश्वविद्यालयों को भी मनोबल देने की आवश्यकता है, वह और पल्लवित हों, पुष्पित हों, छत्तीसगढ़ के छात्रों को पढ़ाने का काम करें, ऐसी व्यवस्था स्थापित हो सके । प्रस्तावित संशोधन से विश्वविद्यालय के लिये अधिक योग्य अनुभवी व्यक्ति का चयन कुलपति के रूप में पारदर्शिता के साथ हो, ऐसा संभव हो सके । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करूँगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें । धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदया :- माननीय मुख्यमंत्री जी । (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :-माननीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले तो हमारे वरिष्ठ विधायकगण श्री धरमलाल कौशिक जी, श्री अजय चन्द्राकर जी, सुशांत शुक्ला जी का धन्यवाद करना चाहूँगा ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुशांत शुक्ला पहली बार का है, वरिष्ठ हम दोनों हैं । (हंसी)

श्री विष्णुदेव साय :- ठीक है, मैं गलती मानता हूँ और जिन्होंने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2025 की चर्चा में भाग लिया है और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, इसलिये तीनों धन्यवाद के पात्र हैं । सभापति महोदया, यह संशोधन विधेयक जिस आशय से लाया गया है, इसमें धरम भईया भी विस्तार से चर्चा किये हैं, अजय चन्द्राकर जी भी चर्चा किये हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में एकरूपता हो, पारदर्शिता हो, ताकि विश्वविद्यालय की गरिमा भी बढ़े । इस आशय से यह संशोधन विधेयक लाया गया है । आदरणीय धरम भईया बता चुके हैं और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 में कुलपति की नियुक्ति से संबंधित धारा 11 (1) में प्रावधान है कि कुलपति की नियुक्ति उप धारा (2) या उप धारा (6) के अधीन गठित खोज समिति

द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम 3 पत्रकारिता से संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों की तालिका में से राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा की जावेगी, जिसमें "पत्रकारिता से संबंधित क्षेत्र के स्थान पर" संशोधन विधेयक में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। "सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न, केन्द्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए पत्रकारिता एवं जनसंचार (प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन एवं जनसम्पर्क फिल्म, न्यू मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी) के प्राध्यापक के रूप में अनुभव या पत्रकारिता एवं जन संचार के एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के प्रमाण-पत्र के साथ 10 वर्ष के अनुभव के साथ विशिष्ट शिक्षाविद" प्रतिस्थापित किया जाये । यह शब्द हम लोग नये संशोधन विधेयक में ला रहे हैं ।

उसी तरह से अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (8) में वर्तमान में "एक व्यावसायिक व्यक्ति, जो या तो पत्रकारिता अथवा संचार मीडिया क्षेत्र की शाखा से हो, जिसके पास सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर में 20 वर्ष के अनुभव का् प्रावधान है, इसकी जगह पर संशोधित प्रस्ताव है-"सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जाएगा । कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति केन्द्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए पत्रकारिता एवं जन संचार (प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन एवं जनसम्पर्क फिल्म, न्यू मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी) के प्राध्यापक के रूप में अनुभवी या पत्रकारिता एवं जन संचार की एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के प्रमाण के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ विशिष्ट शिक्षाविद् व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाये । उसी तरह से पूर्व में प्रावधान था कि केवल पत्रकारिता से संबंधित व्यक्ति के लिए ही जोर दिया गया था। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय पत्रकारिता के क्षेत्र का विश्वविद्यालय है । अत: इस विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, विज्ञापन एवं जनसम्पर्क, फिल्म, न्यू मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी विशिष्ट क्षेत्रों का शिक्षाविद होना आवश्यक है । चूंकि कुलपति के पद का दायित्व प्रशासनिक के साथ-साथ शिक्षा प्रबंधन का भी है । बेहतर शिक्षा प्रबंधन एवं विश्वविद्यालयीन प्रशासन पर कुलपति का नियंत्रण होना चाहिए । इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रस्तावित विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

इसी तरह पूर्व में 20 वर्ष का अनुभव पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखित था । वर्तमान में प्राध्यापक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव शिक्षा विद के रूप में प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन, 2018 के अनुरूप जिसमें 10 वर्ष अनुभव का उल्लेख है, यह संशोधन किया जा रहा है । समय-समय पर आवश्यकतानुसार अधिनियमों में संशोधन किये जाते रहे हैं । इन संशोधनों का मूल उद्देश्य अधिनियमों की कमियों को दूर कर पारदर्शी सरल एवं समानुरूप

उनका अधिक अद्यतन करना होना है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम) 2018 की कंडिका 7.3 के अनुसार कुलपति के चयन के लिए न्यूनतम अर्हता में संशोधन किये जाने और विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और बनाने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 11 की उप-धारा (1) एवं (8) में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तावित संशोधन से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय में कुलपति पद की योग्यता संबंधी नियम एवं विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन के संबंध में जो नियम प्रचलित है, उन नियमों की समानता को देखते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों के नियमों में भी एकरूपता आएगी । इस निमित्त इस संशोधन विधेयक को यहां पर लाया गया है । मैं सदन से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्य मंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- सभापति महोदया, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) पारित किया जाए।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदया, आपके ध्यान में उच्च शिक्षा से संबंधित एक बात ध्यान में लानी थी, कभी-कभी बोलने का अवसर आता है। कुछ राज्यों में कुलपति को एसीएस का दर्जा है, कुछ राज्यों में प्रोटोकॉल में प्रमुख सचिव का दर्जा है और कुछ राज्यों में सचिव का है। छत्तीसगढ़ में वे ज्वाईंट सेक्रेटरी लेवल के हैं और उनका दर्जा नहीं होने के कारण कोई सीनियर अधिकारी बैठकों में नहीं जाता और यदि सीनियर अधिकारी बैठकों में नहीं जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी की समस्याएं हल कैसे होंगी। तो प्रोटोकॉल में कुलपति को एक सम्मानजनक दर्जा मिले, इसकी भी व्यवस्था आप करिए, यह आपसे आग्रह है।

(14) छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक 26 सन् 2025)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक 26 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अब विधेयक पर चर्चा होगी। माननीय अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- सभापति महोदया, मैं इसे पढ़ रहा था, जब आप मेरी सीट पर आए थे, कोई आपका सरकारी भाषण कागज नही रखा हूं। वैसे मैं किसी में सरकारी कागज नही रखता।

माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी, मैं आप दोनों को बधाई देता हूं। दोनों को इसलिए बधाई देता हूं कि ये विषय मोदी जी की गारंटी में शामिल है। यह मोदी जी की गारंटी में शामिल है और इसमें त्वरित कदम उठाया गया। त्वरित कदम उठाया गया, ये एक बड़ी बात होती है।

समय:

4.59 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

माननीय मंत्री जी, अब हमारे शासनकाल में हम लोगों ने कुछ काम किए, उसे सुन लीजिए। हमने दो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाए। आप ही के अंडर में है। अरपा विकास प्राधिकरण, बिलासपुर उस प्राधिकरण में है, अमर अग्रवाल जी कहां चले गए? इसी प्रकार सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ललित सुरजन जी थे, उनकी संस्था से हमारा अनुबंध था कि यूनेस्को में जो शिवाजी के किलों को विश्व विरासत का दर्जा मिला है, सभी किलों की खुदाई करके उसको यूनेस्को से विश्व धरोहर की मान्यता दिलाएं, उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा ?

समय:

5.00 बजे

सभापति महोदया, मैं तो उसमें 2-3 महीने था और बाद में हट गया था। उसमें गठन के बाद से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय भूपेश बघेल जी ने एक बार उसमे एक विधायक की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की थी। उनको एक गाड़ी देनी थी। हर विधायक को कुछ न कुछ देना था तो दे दिया। अरपा में नहीं सिरपुर में। जब हम प्राधिकरण बनाते हैं तो मूल विधेयक इतना मोटा होता है। मैं सबको देख रहा था। आपने वित्त विधेयक लगाया है और क्या वित्त विधेयक में 5 करोड़ रूपये में आपका काम हो जायेगा या आपने सिर्फ औपचारिकता के लिए लगा दिया है कि यह मूल विधेयक है और वित्तीय पत्रक लगाना है इसलिए वित्तीय पत्रक में 5 करोड़ रूपये लगा देते हैं जिससे काम चल जायेगा ? मुझे तो नहीं लगता कि 5 करोड़ रूपये में काम चलेगा। इसमें अध्याय एक में संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ एवं परिभाषाएं हैं। अध्याय दो में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र की घोषणा, छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन, कार्यकारी समिति का गठन, प्राधिकरण के शक्तियों का प्रत्यायोजन। अब समितियां नियुक्त करने का अधिकार। मैंने जो एक लाइन में लगाया है। सलाहकारों से परामर्श करने तथा कार्यात्मक इकाइयां गठित करने की शक्तियां। जब हम सलाहकारों की शक्तियों को और योग्यताओं को परिभाषित नहीं करेंगे । क्या आपको मालूम है कि नई राजधानी के लिए हमने किसको कंसल्टेंट बनाया था ? हमने प्रतियोगिता करवाकर मुंबई की संस्था Citco को कंसल्टेंट बनाया था। भूपेश बघेल जी ने कितने लोगों को सलाहकार बनाया था ? उनकी क्वालिफिकेशन कितनी थी ? उनकी क्वालिफिकेशन थी सिर्फ कांग्रेसी होना और उनका खास आदमी होना। यदि टी.एस. बाबा का नाम लिखा जाता और वह क्वालीफाईड थे, तब भी वे नहीं बन सकते थे। जहां पर गैप होता है वहां हो सकता है कि आप उसे नियम में या निर्देश में परिभाषित करेंगे, यह आपकी योग्यता है परंतु जो चीजें हैं मैं आपको वह बता रहा हूं। अध्याय तीन में राजधानी क्षेत्र विकास योजना एवं निवेश योजना की तैयारी एवं

अंत:वस्तु। क्षेत्र विकास योजना/कार्य योजना तैयार करने की शक्ति। यह ठीक है कि आपको शक्ति मिलनी चाहिए। प्राधिकरण द्वारा विकास योजना की तैयारी। योजना का शासन द्वारा अनुमोदन। राजधानी क्षेत्र विकास योजना एवं निवेश योजना में संशोधन। आपको जितनी ताकत दी गयी है। मैं आपके भाषण में यह जरूर जानना चाहूंगा जैसे उदाहरण के तौर पर रायपुर है। नया रायपुर में नई राजधानी का प्राधिकरण, आर.डी.ए. है। रायपुर राजधानी जिसको बोलते हैं। आप एक उदाहरण देख लीजिए कि नई राजधानी में कितने ग्राम पंचायत हैं ? उनमें चुनाव होता है या नहीं होता है ? उनको पैसे कौन देता है ? नई राजधानी उसका विकास करती है या नहीं करती है ? इसके जो अधिकार और शक्तियां हैं, वह आपस में टकराएंगी या नहीं टकराएंगी ? आप आर.डी.ए. के उद्देश्य को देख लीजिए। आप नई राजधानी के उद्देश्य को देख लीजिए। आप नगर निगम की जो भी गतिविधि है, उसकी ताकत और पावर को देख लीजिए। नई राजधानी विकास क्षेत्र प्राधिकरण में किस तरह से प्रत्यायोजित होगी, जिसमें टकराव न हो ? अमूमन अब जैसे मैं प्रक्रिया की बात करता हूं। वहां माननीय विधायक, सुनील सोनी जी बैठे हैं। उसकी प्रक्रिया को कैसे सरल रखना है ? रायपुर का इतना-सा विषय है परंतु वह नगर निगम की सामान्य सभा में पारित होगा। अब सामान्य सभा साल में एक बार होगी या दो बार होगी वह नहीं मालूम। फिर इतना-सा विषय एम.आई.सी. में पारित होगा। एम.आई.सी. कितने दिनों मे होगी यह उनके इंटरेस्ट पर है। वह पारित होगा या नहीं होगा ? निर्वाचित संस्थाएं। पारित हो गये तो कितने विषय राज्य शासन में जायेंगे और कितने विषय नगर निगम में जायेंगे ? यह जो स्वीकृति की प्रक्रिया होती है। यह जो छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, वह इस Red tapism से बचे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले और बोला था कि आज का जमाना जो है वह तत्काल निर्णय और तत्काल execution का है। इसमें वह चीजें परिभाषित नहीं है। हो सकता है कि आप नियम, निर्देश बनायेंगे तो उसको परिभाषित करेंगे इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। विकास शुल्क का अधिरोपण, अध्याय 5 में जो चीजें हैं लगभग वही है, लेकिन इसमें भूमि विकास बैंक की स्थापना एवं प्रबंधन। आप भूमि बैंक कैसे बनायेंगे, आप किसानों से ही जमीन लेंगे। सरकारी जमीन कुछ होती है। उसके दरों का निर्धारण गाईड लाईन के हिसाब से होगा या राजधानी क्षेत्र के लिए अलग से होगा। क्योंकि सामान्य क्षेत्र हैं, वहां रेट दूसरे हैं। जब कोई बड़ी संस्था आती है जैसे जगदलपुर में नगरनार आयी तो वहां रेट दूसरा था, अब रेट दूसरा हो गया। वहां नगरनार आने के पहले रेट दूसरा था। उसमें किसानों को किसी तरह की क्षति न हो। भूमि बैंक बनाये बगैर उसका कोई औचित्य नहीं है। आप जितनी बड़ी संस्था बना लें, आपके पास भूमि बैंक नहीं है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। अब उसका संयोजन, आज की तारीख में जो पुनर्वास है तो व्यवस्थापन भी होगा। राज्य शासन का पुनर्वास नीति लागू होगा या आप पुनर्वास नीति के लिए नीति बनायेंगे। यह थोड़ा नियमों या कानून में आगे बढ़ते जाते हैं। फिर मुझे लेखा बजट अंकेक्षण में कुछ नहीं बोलना है। उप कर लगाने की शक्ति, इसमें एक बात बता देता हूँ मेरा पी.आई.एल. है, मैं उनसे बोलता

हूँ कि आप उसे हटा दीजिए। उसे 2, 3, 4 साल हो गया। वह सुनवाई के लिए भी नहीं लग रहा है। भूपेश बघेल जी ने जितने दारू और इत्यादि पर सेस लगायें, वह पूरा दस्तावेजी है। उन्होंने जिस लिये सेस लगाया और जितना सेस लगाया, आज तक उसका हिसाब नहीं हुआ। उन्होंने किसी चीज के लिए सेस लगाया और उसका उपयोग किसी चीज के लिए हुआ। मेरा सेस में और एक धान भण्डार में पी.आई.एल. है, यह उनको मालूम है। माननीय मंत्री जी, मेरा पी.आई.एल. है। तो यह सेस का दुरूपयोग, कृपा करके नियमों में इसको परिभाषित करें कि सेस किसमें लगायेंगे। आपको किसमें लगाने का अधिकार है। उसका उपयोग किस चीज के लिए होगा। आप सेस लगाकर एसी लगाते हैं, सेस लगाकर बिल्डिंग बनाते हैं तो वैसा सेस लगाने का कोई मतलब नहीं है। राज्य राजधानी क्षेत्र स्थानीय प्राधिकारों के मध्य संबंध, अभी मैंने इसको बोला है कि मध्य संबंध कैसे होंगे । नियम बनाने की शक्ति, आगे वह विषय आएगा, लेकिन अभी से प्रकाश डाल देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें अध्यक्ष होंगे। उसके बाद आपकी एक्जीक्यूटिव कौंसिल है। मुख्यमंत्री जी, जिसमें होंगे, उसमें कौन-कौन रहेंगे, आपने यह भी लिखा है, लेकिन नीतिगत फैसला मुख्यमंत्री जी की इंपॉवर कमेटी को, उस मिनिट्स के आधार पर नियम बनाने की शक्ति आपके एक्जीक्यूटिव कौंसिल को होगी तो निर्णय जल्दी होगा। मैं उसको किसी के अधिकार को कम ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी की कमेटी नीतिगत निर्णय ले। पर उसके एक्जीक्यूशन उसके नियम बनाना, निर्देश बनाना, जब आप नियम बनाने की शक्ति में देखेंगे तो उसके पास रहे। भले आप अनुमोदन के लिए उसके पास भेंज दें। आपने इसमें लगभग 9 अध्याय रखे हैं। मैंने इसमें कुछ जगह मार्किंग की है जैसे स्थानीय प्राधिकरण से अभिप्रेत आपने परिभाषाएं दी हैं आपने कहीं पर भी ग्राम पंचायत को शामिल नहीं किया है या आपने पंचायत ग्रामीण विकास को जो कमेटी बनायी है, उसमें भी शामिल नहीं रखा है। आप जहां पर भी भूमि बैंक बनायेंगे तो ग्रामीण विकास सचिव आपके सदस्य होंगे या प्रभावित क्षेत्र के कलेक्टर, ग्राम पंचायत के सी.ई.ओ. लेवल का आदमी रहेगा, यदि जिला सी.ई.ओ. रहेगा तो आप उसमें उसको प्राथमिकता दीजिए कि जो स्थानीय प्राधिकरण बनायेंगे, उसमें हो। इसमें परिभाषाएं "सुख-सुविधा", क्षेत्र विकास, "भवन", "भवन निर्माण कार्य", परिभाषाएं हैं। कुछ नगर निगमों, स्थानीय प्राधिकरण, लोक निर्माण, विद्युत निर्माण आपने बहुत सारे कार्यों को लिखा है। मेरे ख्याल से इसमें आप कौन-कौन सा कार्य करेंगे इसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कानून में कार्य उल्लेखित नहीं होने चाहिए कि हम यह काम करेंगे और यह काम नहीं करेंगे। उसका निर्णय बोर्ड करे, जो भी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता का बोर्ड है, आपकी अधिशासी समिति है, वह करे। कानून में आपको छोटे-छोटे कार्यों के लिये, क्योंकि कार्य रोज बदल रहे हैं। हम लोग भी यहीं से स्पेस में भेजेंगे, एलन मस्क हिन्दुस्तान तो आ गया है। अब हम यहां से भी भेजेंगे तो उसके लिए हमको फिर विधान सभा में आना पड़ेगा। तो कार्यों का जो उल्लेख है और यह जो आपने विद्युत लिमिटेड कंपनी, हाउसिंग बोर्ड, विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करना, प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, औद्योगिक विकास

निगम, इसमें जरूर पंचायत ग्रामीण विकास विभाग शामिल करिये। समितियां नियुक्ति करने, सलाहकार से परामर्श करने तथा कार्यात्मक इकाई गठित करने की शक्ति, इसमें मैंने बात की है। जो काम हैं, अध्याय-3 में राजधानी क्षेत्र विकास एवं निवेश हेतु विकास योजना, विकास कार्यों का जो नाम दिया है, मैं इस विषय को बोला हूं कि इसको विधेयक में नहीं रखना चाहिए। इसको तो मुक्त रखना चाहिए। योजना तैयार करने की शक्ति में जो आपने लिखा है वह ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं, यह मेरा सुझाव है। मेरे चाहने से क्या होगा ? जैसे हमने सिडको को नियुक्त किया था, उससे बड़ी चीज आप करने जा रहे हैं। आपके विभागीय अधिकारी बैठे हैं, मुझको आलोचना नहीं करनी चाहिए। आप एक भी नगर निवेश टाउन प्लानर मुझे छत्तीसगढ़ में बतायें जो आगामी समय के लायक टाउन प्लान कर सके। यदि ऐसा होता न तो रायपुर में ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी, रायपुर में जल भराव की समस्या नहीं होती। पूरे हिन्दुस्तान में जो आप टाप हैं अभी बता रहे थे न। वैसे मैं बता देता हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे मंहगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट छत्तीसगढ़ में है। जो हम, आप घोषणा पत्र के अंदर त्वरित कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन जनसुविधा की कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर आयेगी। आप मेट्रो, मोनो रेल बनायेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ या नहीं हुआ? आज की तारीख में आप पहले दिन उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो विमानतल से रेलवे स्टेशन जितनी देर में आप जायेंगे, जितने पैसे में आप जायेंगे, उतनी देर में नया बस स्टैण्ड जाकर आप उतने पैसे में नागपुर पहुंच जायेंगे। टिकट्स से मिलवा लीजिए यदि मैं असत्य बोल रहा हूं और एक भी टाउन प्लानर का नाम बता दीजिए। प्राइसवॉटरहाउस कुपर्स अध्ययन करती है, 3-4 संस्थायें हैं। आप मुझ से अच्छे से उसको जानते हैं। कोई भी संस्था जो इसको स्पेशलाईजेशन हो। आप जितने क्षेत्र को अधिसूचित करोगे। कल आपने दृष्टिकोण दस्तावेज लोकार्पित किया है। उस दृष्टिकोण दस्तावेज और भौगोलिक क्षेत्र और जिस दिन हिन्दुस्तान जनसंख्या और जरूरत में स्थिरीकरण होगा, 2047 में होगा या 2070 में होगा, जिस दिन स्थिरीकरण आयेगा, उस दिन के स्थिरीकरण के लायक योजना वह बनाकर रखें, implementation हों। दूसरी बात आपको दो उदाहरण देता हूं। नया रायपुर में कोई ordinances नहीं है। जो सरकार आती है, भू-उपयोग बदल देती है और वह अपने तरीके से सोचती है। आपको एक उदाहरण बता दिया। वह नियमत: होना नहीं चाहिए। जो जरूरत है, जो सेक्टर जिन चीजों के लिये जो जमीन पारित है, वह होना चाहिए। आपको एक उदाहरण बता देता हूं। रामविचार नेताम जी बैठे हैं, अभी संग्रहालय बना रहे हैं। जब हमने शुरू किया और कहा कि पुरखौती मुक्तांगन छत्तीसगढ़ का भारत का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा उसकी एक भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है कि क्या बनेगा ? जो मंत्री या जो अधिकारी आता है, वो वहां बना देता है। हालत ये है कि सब चीज के लिए, आदिवासी अनुसंधान परिषद के लिये जगह कहां है तो पुरखौती मुक्तांगन से ले लो। संग्रहालय के लिये जगह कहां है, पुरखौती मुक्तांकन से लो। ट्रिपल आई.टी. के लिये जगह कम पड़ रही है तो किससे ले जो, पुरखौती मुक्तांगन से ले लो। क्यों परिकल्पना करते हो कि हम दुनिया की

सबसे अच्छी चीज बनाने जा रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी चीज बना रहे हैं और जब बड़ी चीज बनाने की परिकल्पना करते हो, सोचते हो तो उसके साथ कोई खिलवाड़ क्यों करता है ? मान लो कि ट्रिपई आई.टी. या इसको बनाने के लिये जमीन की जरूरत है तो उसमें मैंने प्रस्ताव किया था कि बाजू में जंगल है । उसकी जमीन 50 एकड़ लिये हो तो उसको देना चाहिए । मेरा यह दोनों उदाहरण देने का मतलब यह है कि आपकी नयी राजधानी के क्षेत्र में आप जो अनुमोदित करेंगे उसको कैंसिल करने की प्रक्रिया स्थिरीकरण तक तय और सुनिश्चित होनी चाहिए । मैं आपको पूरे हिंदुस्तान में बता दूं, आप बी.एच.यू. भर का कैंपस छोड़ दीजिये । रायपुर का जो शैक्षणिक क्षेत्र है उतना बड़ा कैंपस संभवत: कहीं रायपुर पश्चिम में पड़ता है वह कहीं नहीं दिखेगा । आप आमापारा से शुरू करेंगे तो आखिरी तक जाओगे तो उतना बड़ा कैंपस हिंदुस्तान में और कहीं नहीं दिखेगा । यदि सभी संस्थाओं को जोड़ दोगे तो बी.एच.यू. भर का कैंपस उससे बड़ा दिखेगा । हम मोदी जी के सपनों के अनुरूप जो चीजें सोच रहे हैं, माननीय विष्णु देव साय जी के सपनों के अनुरूप उन चीजों को इन नियमों में इतना व्यवस्थित कीजिये कि उससे छेड़छाड़ न हो सके । मैंने आपको छेड़छाड़ के उदाहरण बताया ।

माननीय सभापति महोदय, नगर विकास योजना । मैंने नगर विकास योजना के लिये आपको बताया कि विभाग सक्षम नहीं है । टाऊन प्लानर एक भी नहीं है । विभाग में होगा, छत्तीसगढ़ में तो एक भी आर्किटेक्ट ऐसा नहीं है, जो हमारी एन.आई.टी. है उसमें भी कोर्स नहीं है । आशय की घोषणा में अधिसूचना का प्रभाव । यह कौन सा कॉलम है, आप देख लीजियेगा । यह पेज नंबर-33 का है, 2 नंबर है । आशय की घोषणा, अधिसूचना एवं प्रभाव । प्रारूप नगर-निगम योजना घोषित क्षेत्र में एक वर्ष के भीतर प्रभावित की जायेगी । आप इस तरह की चीजों को, अवधि को कानून में मत रखिये । इन सबको नियमों में रखिये । क्या-क्या काम करोगे, नियमों में रखिये, उद्देश्यों में शामिल कीजिये । कानून में उसको शामिल मत कीजिये और इसको कोशिश करिये, आप जब औद्योगिक क्षेत्र बनायेंगे । माननीय मोदी जी ने एक घोषणा करके रखी है कि वर्ष 2070 तक जीरो कॉर्बन उत्सर्जन को हम पालेंगे । आप पूछिएगा कि रायपुर में कितना प्रतिशत हरित क्षेत्र होना चाहिए । बम्बई-दिल्ली जैसे विकृत शहर हो चुके हैं उससे भी कम हरित क्षेत्र रायपुर में हैं । हम रायपुर में चैम्बर में रहते हैं । एक जगह नहीं है, आप रायपुर में मैदान बताईये । आप रायपुर में खुला क्षेत्र बताईये, जितनी जनसंख्या है उसमें पैदल चलने लायक जगह बताईये । कहीं भी चारों में एक जगह बताईये । बिलासपुर में बताईये, आपके निर्वाचन क्षेत्र रायगढ़ में बताईये । आप भी चैम्बर में रहते हैं तो जब यह ईको-फ्रेंडली हो, आज की जरूरत जो मैंने बोला कि इक्कीसवीं शताब्दी-बाईसवीं शताब्दी स्थिरीकरण तक यह जो एन.सी.आर. है यह सबसे ज्यादा अत्याधुनिक शहर क्षेत्र हो, रायपुर । यदि मैं दिल्ली एन.सी.आर. के बारे में बोलता तो बहुत समय हो गया है । दिल्ली एन.सी.आर. में भी जिन गांवों को शामिल किया है, गांव के विकास की योजना नहीं बनी है । आप कभी नजफगढ़ जाकर घूमियेगा और बाकी जो नई दिल्ली के बने हैं उसको देखियेगा। इन

अनुभवों को ध्यान में रखियेगा और बाकी फिर से अन्य प्राधिकरणों की तरह इसकी दशा मत हो कि हम पीठ थपथपाने के लिये, बताने के लिये कि हमने साहब प्राधिकरण बना दिया । लाये हैं तो करेंगे । हमने आपको सिरपुर का उदाहरण बताया। अरपा-पइरी प्राधिकरण का उदाहरण बताया, हमारे द्वारा बनाया गया प्राधिकरण है तो जो चीजें नियमों में रखनी चाहिए उसको नियम में रखिये और जो चीज निर्देश के लायक है उसको निर्देश में रखिये और जो कानून में है उसको कानून में रखिये और यदि आपको इसमें संशोधन की जरूरत महसूस होती है, आप भाषण में बतायेंगे तो हम इसको एक महीने बाद ला सकते हैं, दो महीने बाद ला सकते हैं । इसको आप प्रवर समिति वगैरह को मत भेजिये । यदि आपको लगता है कि विचार-विमर्श की जरूरत है तो आज केवल भाजपा है । मैं यह खर्दूशण की जगह मारीसुबाहू बोल देता हूं । यह मारीसुबाहू लोग चल दिये हैं । इनको परिचालित कर सकते हैं । चाहे तो आप पढ़कर प्राधिकरण के लिए कोई सुझाव देना चाहे, रायपुर शहर के चारों विधायकों को बिठा सकते हैं, यदि दुर्ग कैपिटल रीजन में शामिल हो रहा है तो दुर्ग के विधायक बैठ सकते हैं। चाहे तो अभनपुर हो। कोई भी क्षेत्र unknown है, आप कितना नोटिफाई करेंगे? यदि उनको परिचालित कर दें कि साहब, कोई आप एक्सपीरियंस बताएंगे, कोई अनुभव बताएंगे और तब तक आप बारीक तैयारी कर लें। क्योंकि यह मोदी जी और हमारे घोषणा पत्र का विषय है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है और आपको लगता है कि नहीं यह कानून के लायक है, जैसे मैंने समयावधि और कार्यों के उद्देश्य को कहा तो आप उसको वैसा करिए, लेकिन आपकी नीयत माननीय विष्णु देव साय जी की इच्छा शक्ति, मोदी जी की गारंटी के कदम, लेकिन आज आप मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। तीन में बराबर हो गए। मैंने एक दिन में तीन यूनिवर्सिटी का तीन मूल विधेयक लाया था, कुशाभाऊ ठाकरे, विवेकानंद और यहां बिलासपुर की सुंदरलाल शर्मा। आज चार लाते तो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बन जाता।

श्री राजेश मूणत :- आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा?

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत अच्छा विधेयक है। बाकी सभा के बीच में आपके उद्देश्यों की पूर्ति शीघ्र हो, अनुभव का हम लाभ लेकर आगे बढ़ें। इस भाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- आदरणीय सभापति महोदय, मोदी जी की इच्छा के अनुरूप हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने बहुत दूरदृष्टि का प्रयोग किया और एक इतना बड़ा संकल्प विधेयक के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया है, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। आज इसको जब हम पास कर रहे हैं तब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब यह अपना आकार लेगा, स्वरूप लेगा, जब यहां सुविधाएं बढ़ेंगी, जब यहां पर व्यवस्थाएं अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से दिल्ली के एन.सी.आर. की तुलना में ही यह रायपुर का राजधानी कैपिटल वाला विकास प्राधिकरण बनेगा और बड़ी सोच रखनी

चाहिए। हमारा छत्तीसगढ़ पूरे संसाधनों से लैस है। हम पूरी तरह से सक्षम हैं तो हमें अच्छी सोच, अच्छी व्यवस्था और अच्छा लक्ष्य रखकर चलने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। एक दिन में ही कोई काम तो होता नहीं, लेकिन एक दिन जरूर हर काम हो जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की इस सोच की और प्रयास की बहुत सराहना करता हूं कि छत्तीसगढ़ के बारे में यह बात तो बहुत पहले सोचनी चाहिए थी कि छत्तीसगढ़ का विकास प्राधिकरण राजधानी का यहां से चले।

समय :
5:23 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

कई बार इस सदन में हम लोगों ने भिलाई तक, दुर्ग तक मेट्रो चलाने की मांग की। आपने इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय का राजनांदगांव भी जोड़ दिया है। उसको तो डोंगरगढ़ तक के भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो छत्तीसगढ़ खत्म ही हो जाता है। आगे तो मध्यप्रदेश लग जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें आप एक समस्या के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। आपने लैंड बैंक बनाने के लिए इसमें लिखा है। मैं भी बिना कागज देखे पढ़ रहा हूं। देखिए। लैंड बैंक बनाएंगे तो पहले जब सरकारी जमीन में आप जाएंगे न तो उसमें सबसे ज्यादा बीमारी इस पूरे प्रदेश में छोटे झाड़ व बड़े झाड़ का जंगल है । और न वहां एक तिनका है, न घास है, न पता है। कुछ नहीं है। लेकिन छोटे झाड़, बड़े झाड़, बिजली के सब स्टेशन के लिए जगह नहीं मिलती, कॉलेज भवन बनाने के लिए नहीं मिलती। कोई सार्वजनिक काम के लिए जगह के लिए बहुत परेशानी होती है। तो कोई अगर नियम बनता हो न तो आप सबसे पहले इस बीमारी को खत्म करो। जहां जंगल है, वह जंगल रहे, लेकिन ये छोटे झाड़, बड़े झाड़ के जंगल की बीमारी को आप खत्म करिए। इस सदन में बैठे हुए हैं और जो अभी बहिष्कार करके चले गए हैं, ये सब उसी से ग्रसित हैं, परेशान हैं, त्रस्त हैं और दिमाग खराब होने लगता है। कोई चीज आती है, आप कॉलेज का बिल्डिंग के लिए पैसा दे दिए, तो जगह रहे तब तो बनवाएं। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें तो एक-एक एकड़, दो-दो एकड़, दस एकड़, पचास एकड़, सौ एकड़ का जो प्लाट होगा, वह छोटा झाड़, बड़ा झाड़ ही रहेगा। इसलिए अगर आप छोटा झाड़, बड़ा झाड़ की समस्या हल करेंगे तो आपको पैसा भी कम लगेगा और सरकार की जमीन आपको लैंड बैंक पर मिल जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह जो आप बना रहे हैं, यह तो बहुत बढ़िया है। हम भी राजधानी में आते हैं, हम भी राजधानी के हैं, हम चाहते हैं कि हमारा रायपुर, हमारा भिलाई, भिलाई तो वैसे भी सुंदर शहर है, इस सुविधा से उसको और सुन्दरता मिलेगी । राजनांदगांव भी बहुत बड़ा है, व्यापारिक केन्द्र है, संस्कारधानी है, उधर व्यवस्था तो हो जाए लेकिन कल जब मैं कल वी.वी.एस. सुब्रमणियम साहब का भाषण आपके विज़न 2037 का सुन रहा था तो उन्होंने भाषण देकर हमारे लिए भी एक आशा की किरण जगाई है । उन्होंने कहा कि हम बिलासपुर को भी देखेंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आज इसका समर्थन करते हुए यह मांग करना चाहता हूं कि

बिलासपुर के लिए भी, बिलासपुर न्यायधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन करने पर भी विचार करें । बिलासपुर के लिए आपको इसलिए भी करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा जब सुंदर होगा, सुविधाओं से युक्त रहेगा, वहीं हम बिलासपुर के लोग अगर सुविधा से वंचित रहेंगे तो वैसे ही लगेगा जैसे एक व्यक्ति को कमीज पहना दो और उसका एक हाथ गायब रहे और दूसरे हाथ में शर्ट टंगी रहे । छत्तीसगढ़ वैसा नहीं दिखना चाहिए । अगर आप बिलासपुर के लिए प्राधिकरण बनाएंगे तो कोरबा तक स्पेस है, एसईसीएल है, एनटीपीसी है, रेल्वे जोन है, बाल्को है और बहुत सी संस्थाएं हैं । अगर आप बनाएंगे चैतुरगढ़ है, रतनपुर है, मल्हार है । इसलिए इस पर विचार जरूर करिएगा । चिरमिरी पिकनिक स्पॉट है, बैकुंठपुर है ।

श्री अमर अग्रवाल :- कल आप कार्यक्रम में थे । नीति आयोग के सुब्रमणियम जी ने कहा है कि नेक्स्ट बिलासपुर में है, मंत्री जी भी वहां बैठे थे । चिंता मत करो वे उस बात को बोल देंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं वही बात उनको याद दिला रहा हूं । बोलना नहीं है, नेक्स्ट रहेगा मतलब 20 साल बाद रहेगा तो क्या मतलब ? हम तो पुण्यतिथी मना चुके रहेंगे (हंसी) । आप उसको थोड़ा जल्दी करिये, प्रोजेक्ट में ले आइए, हम लोग भी देख लें, उसका सुख मिल जाए । लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, यह विषय से थोड़ा हटकर है । वक्त तो मिला नहीं, कई तरीके से कोशिश करके देख लीजिए । आपने तो बहुत मौके दिये, पर आप कह दें तो इसी से जोड़कर बात कर देता हूं । अरपा नदी को बचाने के लिए बहुत संघर्ष चल रहा है । अरपा नदी के लिए हाईकोर्ट ने भी बात की है । अरपा विकास प्राधिकरण बना हुआ है उसको थोड़ा शक्तिशाली करके, कुछ वित्तीय संसाधन देकर और अरपा की हिफाजत करने के लिए, उसको ज़िंदा करने के लिए आप प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा । क्योंकि यह मामला बार-बार तूल पकड़ता है, अखबारों में आता है, हाईकोर्ट जाता है । एक बात और कहना चाहता हूं कि बिलासपुर में हवाई सेवा के बगैर, यह राजधानी की सेवा के बारे में आप बनाने जा रहे हैं, वह कमजोर रहेगा । बिलासपुर में सब कुछ है थ्री सी एयरपोर्ट है, इसको फोर सी एयरपोर्ट करने हमको दो तीन सौ एकड़ जमीन की जरूरत है । उसमें बहुत मुश्किल से 100 करोड़ रूपए की जरूरत पड़ेगी । वित्त मंत्री जी, आप थोड़ा इंट्रेस्ट लीजिए । आप रायगढ़ के जरूर हैं लेकिन आप बिलासपुर संभाग के हिस्से में आते हैं । यह आपका धर्म है कि वहां पर सेना को रूपया देकर 300 एकड़ जमीन लीजिए फिर उसमें 2200, 2800 मीटर लम्बा रनवे बनेगा तो फिर वह फोर सी एयरपोर्ट बन जाएगा । वहां बड़ा प्लेन भी उतरने लगेगा। बड़ा प्लेन उतरेगा तभी हमारे बिलासपुर का विकास होगा । जब बाहर के लोग बिलासपुर न्यायधानी आना चाहते हैं या कोई कार्यक्रम में आना चाहते हैं तो उनके पास प्लेन नहीं है । वहां आकर ही वे रायपुर आएंगे और रायपुर की व्यवस्था देखेंगे तो हम तो अभी छोटी छोटी दो चीजें ही मांग रहे हैं । हमको हवाई सेवा के लिए 300 एकड़ जमीन चाहिए । आप तो वित्त मंत्री हैं, आप सौ क्या, डेढ़ सौ करोड़ दे सकते हैं । बिलासपुर के लिए देना आपका धर्म है । लोग

आपकी तरफ भी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं यह मामला जब अटकता है तो आप भी प्रश्नवाचक चिह्न में आते हैं कि वित्त मंत्री जी हमारे होकर क्या कर रहे हैं ? इसलिए हवाई सेवा और अरपा विकास प्राधिकरण दोनों को मजबूत करने, बनाने के लिए काम करिये । इसका तो हम समर्थन कर रहे हैं । हमारा रायपुर पूरे देश में चौथा आया है । हमारा बिलासपुर भी आया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी वहां से बोल नहीं पाते, राजनांदगांव भी शामिल होने में संभावित है, उसमें भी भाषण करिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो कर रहा हूं न। पहले डोंगरगढ़ को याद किया। उसके बाद तो मध्यप्रदेश लगता है, डोंगरगढ़ में दुनियाभर के लोग आते हैं, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, डोंगरगढ़ की मां, भोरमदेव, ये सब तो हमारे आराध्य हैं, हम सब तो बचपन से जाते हैं, जब से होश संभाले हैं तब से जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि हमारी माता डोंगरगढ़ का....।

श्री अजय चंद्राकर :- आप बचपन से जाते हो तो अभी तो आपको जवान माना जाएगा न।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, अभी बताया न, श्रद्धासुमन अर्पित करने का समय मत आ जाए। बिलासपुर को पहले बना दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं अभी उसके लिए समय है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि आप बिलासपुर की हवाई सेवा के लिए पैसा जरूर दीजिए। हमारे साथ हमेशा अन्याय होता है। हम हमेशा रायपुर के सामने ठगे जाते हैं, हम रायपुर के सामने दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाते हैं, यह नहीं होना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- यह रायपुर बिलासपुर जिला है, इसमें विभाजनकारी बात नहीं होनी चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, मैं विभाजन नहीं कर रहा हूं। मैं तो मांग कर रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- उस समय जब प्रक्रिया चल रही थी, हम उसमें थे। माननीय लखीराम अग्रवाल जी ने ही यह बात कही कि रायपुर राजधानी बने और बिलासपुर न्यायधानी बने। हम छोटे से राज्य में विभाजनकारी बात न करें।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आपस में बात नहीं करेंगे। क्या आपको बताने की जरूरत है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- वित्त मंत्री जी, मैं बहुत उम्मीद से आपके लिए बोल रहा हूं, हमारे अरपा विकास प्राधिकरण को पैसा देकर मजबूत करिए, सम्मान दीजिए और हमको हवाई सेवा देने के लिए 100 करोड़ का इंतजाम करिए।

अध्यक्ष महोदय :- हवाई दे दीजिए। राजेश जी जल्दी बोलिए। प्वाईंट वाईज दनादन बोल दीजिए।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक रूप से माननीय मंत्री जी ने एक दूरदृष्टि कल्पना को मूर्त रूप देने की दृष्टि से 2047 की विजन कल्पना प्लान

को देखा, इसको सोचकर एक योजना लेकर आए हैं। सामान्यत: नई राजधानी से लेकर अगर हम राजनांदगांव की एक कल्पना करें, एक मास्टर प्लान की योजना बना रहे हैं, कुछ छोटे-छोटे प्वाईंटों के आधार पर हम लोगों ने इसके अंदर बहुत कुछ काम किया था। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम किस मॉडल पर जाएंगे। मॉडल का निर्माण करना है, माननीय अजय चंद्राकर जी ने पूरी की पूरी बायलॉज के उपर अपनी बात रखी। कंपनी कैसे बनेगी, क्या करेगी, अधिकार क्या होगा, उस कंपनी में कौन-कौन सम्मिलित होंगे, उदाहरण स्वरूप बात कही। चाहे एन.सी.आर. की बात कर लें, अगर नहीं और आप एक डेव्हलपमेंट के उपर जाना चाहते हैं तो सिर्फ डेव्हलपमेंट विजन है उस दृष्टि से काम करना है तो मारडा को जाकर देख लीजिए। मुंबई महाराष्ट्र विकास प्राधिकरण हिन्दुस्तान में उससे अच्छा कोई प्राधिकरण है ही नहीं, उसकी एक कंपनी बनी है जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके सचिव होते हैं, उसके सी.एस. होते हैं, उसके अधीन पूरी कंपनी का संचालन होता है, उसमें 5-7 जितने बड़े-बड़े विभाग हैं, उस विभाग के जो भी सचिव रहते हैं, उसके अंदर सम्मिलित रहते हैं, वे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर निर्णय कर देते हैं। चाहे वह नगरीय प्रशासन का हो, चाहे वह आवास पर्यावरण का हो, चाहे वह पी.एच.ई. का हो, चाहे वह एरिगेशन का हो, उस कंपनी के अंदर एक बार निर्णय होने के बाद फिर वह फाईल किसी विभाग के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको संपूर्ण शक्तियां दी गई है, वह अधिकार उनके पास है। इसीलिए अगर हम इस प्रोजेक्ट को गति बढ़ाने की दृष्टि से काम करना चाहते हैं, जिस गति से हमारे छत्तीसगढ़ के विकास का डेव्हलपमेंट मॉडल दिखना चाहिए तो उन सब चीजों को लेने के लिए एक संकलन चाहिए। दूसरा, कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी के उपर भी बहुत बड़ी कहानी है। असली चीज है कि किसने किस विजन के साथ क्या काम किया। इनफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट एक अलग कंसल्टेंसी होती है, फ्यूचर प्लान करने वाला एक अलग कंसल्टेंसी होती है, जैसे हमने नया रायपुर गठन किया, सबसे पहले एक मास्टर प्लान बना, हम मास्टर प्लान में कौन-कौन सी चीज, कहां-कहां लेकर आएंगे, हम आने वाले फ्यूचर में किस दृष्टि से वहां की आबादी को बढ़ाएंगे, वहां किन-किन चीजों की आवश्यकता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे अजय जी ने कहा कि वहां पंचायत है, स्वाभाविक रूप से हमें मालूम था कि वहां ग्राम पंचायत है लेकिन उस ग्राम पंचायत को हमने संपूर्ण सुविधा नया रायपुर अथारिटी के माध्यम से दी है, चाहे वहां पर उनके लिए गार्डन बनाने की बातचीत हो, चाहे वहां पर छोटे-मोटे मार्केट की व्यवस्था हो, चाहे वहां पर अंदर का विकास हो, ये एक फ्यूचर प्लान था। जब हम इतने बड़े शहर के उपर बातचीत कर रहे हैं, लगभग 60 किलोमीटर लंबा है, अगर राजनांदगांव नया रायपुर से जाऊंगा तो 100 किलोमीटर है। अगर 100 किलोमीटर परिधि का प्लान कर रहे हैं तो फ्यूचर प्लान में 100 किलोमीटर में कौन-कौन से सेक्टर में हम कौन-कौन सा काम करेंगे, हमारा यह विजन क्लियर होना चाहिए। हमारी भारत माला परियोजना आ गई है, आप यह मान लीजिए पोर्ट आ गया, कहीं न कहीं जा करके हमारा रायपुर बहुत बड़ा हब बनेगा। रायपुर हब बनेगा तो हब में

कौन-कौन सी चीजों की आवश्यकता है तो उसकी कार्य योजना किस तरह की बनायी जाये और उसके लिए कितनी बड़ी लैण्ड बैंक की जाए? यदि आप लैण्ड बैंक के मॉडल पर जाएंगे तो मैं पूरे हाऊस के अंदर आपसे क्षमा चाहते हुए कहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने रायपुर के अंदर कमल विहार जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर 9 स्कीम लाई थी। उसके पीछे लॉजिक स्पष्ट था। उसके पहले भी कई लोगों ने काम किया, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज था। मैं इस बात को यहां पूर्ण रूप से कहता हूं कि हम कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आए तो इस शहर के अंदर उतने ही लोग विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं। न किसी का डेव्हलमेंट विजन है और न ही कोई दूरदृष्टि है। यह जो आपने संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जी.डी.पी. कैसी होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति कैपिटल आमदनी कितनी होनी चाहिए और रिसोर्सेस कहां से आएंगे? जब हम इसपर काम करने की बात करे तो हमें कुछ चीजों को किनारे करना पड़ेगा और दृढ़ता के साथ काम करना पड़ेगा। मैंने रायपुर में 8 टी.डी.एस. लाये थे, लेकिन मैं 1,600 एकड़ के अंदर केवल 1 टाउनशिप कमल विहार बसा पाया हूं। जब कमल विहार बसा तो उसके लिए यही बात कही गयी थी कि अब पूरे शहर के अंदर झोपड़पट्टी बस गई और पूरे शहर में अवैध प्लॉटिंग हो गई। जहां कोई अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न रोड है, न नाली है और न खम्भा है। यदि यहां यह मूल सुविधा नहीं होगी तो रायपुर शहर राजधानी के रूप में विकसित कैसे होगा? जब हमने इसपर काम करना शुरू किया तो ये जितने भी लैण्ड बैंकिंग करने वाले हैं, वह सब मैदान में कूद गये। उन सब लोगों का यही प्रयास था कि टी.डी.एस. स्कीम कैंसिल करो। मैं आपको इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि जब सन् 1978-1979 में शैलेन्द्र नगर व देवेन्द्र नगर की स्थापना हुई थी तो वही रायपुर विकास प्राधिकरण उसकी स्थापना करता है और उसका सेटअप खड़ा करता है। वह लैण्ड को एक्वायर करता है और नॉन डेव्हलपमेंट प्लान के कुल 40 प्रतिशत लैण्ड को वापस करता है। जब चाहे उसका डेव्हलपमेन्ट चार्ज ले लो। हमने बड़े से बड़े प्लॉट के अंदर मिनिमम 35 प्रतिशत लैण्ड वापस की और छोटे प्लॉट में मिनिमम साढ़े 700 वर्ग फीट से कम का किसी को प्लॉट नहीं दिया। वह 1000, 1500, 2000 वर्ग फीट के प्लॉट थे। हमने एकड़ों में नहीं लिया, लेकिन यदि यह स्कीम आज रायपुर के अंदर आती तो हम जो बातचीत करते हैं कि यहां पर रोड नहीं बनी, वहां पर खम्भे नहीं लगे, यहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, वहां पर पानी नहीं पहुंचा, इन सारी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती और इसीलिए जब हम यह काम करने जा रहे हैं तो आप कौन-कौन से सेक्टर में काम करेंगे? कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काम करेंगे। माननीय अजय जी ने कहा कि नया रायपुर के अंदर बहुत बड़े-बड़े लोग आये हैं। आज हम यह जरूर कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। सिर्फ नाम परिवर्तित करने का कमा किया और फोटो लगाने का काम किया और इतने बड़े प्रोजेक्ट को सिर्फ सड़ाने का काम किया। इसमें जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो ट्रैफिक का एनालिसिस करना होगा। आज यदि मैं रायपुर के मास्टर प्लान के ऊपर चर्चा करूं तो आपने भी इसपर कहा कि आपको सबसे

पहले नियमितीकरण का एक नियम स्पष्ट करना चाहिए कि इस तारीख तक नियमितीकरण करना है, इसके बाद नियमितीकरण की यह पूरी गुंजाइश खत्म करनी चाहिए। लेकिन वह अभी भी चालू है। हमने पहले भी नियमितीकरण किया। हमने टाइम पीरियेड फिक्स किया था कि 6 महीने या 1 साल के लिए नियमितीकरण होगा, उसके बाद नियमितीकरण नहीं होगा। आज स्थिति क्या हो गयी है कि जिसकी इच्छा हो बना लो और जाकर प्रस्तुत कर दो। उसने एक फ्लोर ऊपर नहीं बनाया तो भी उसने अपनी तरफ से नियमितीकरण का आवेदन लगा दिया और ले जाकर पैसे पटा दिये। लोग नियमितीकरण के नाम पर फ्यूचर प्लान करके भी रख रहे हैं और इसीलिए टाइम पार्ट पीरियेड स्पष्ट होना चाहिए कि इतने समय में नियमितीकरण होगा। हमारा पूरा जोनल प्लान बन जाए। यह पूरा जोनल प्लान बनेगा और अलग-अलग क्षेत्रों का बनेगा। कौन-कौन से क्षेत्र में कौन-कौन सी स्कीम आ सकती है। कहीं पर आपको इंडस्ट्रीज बेल्ट चाहिए, कहीं पर हब बनाना पड़ेगा। ग्रीन बेल्ट को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे अजय जी ने उदाहरण देकर कहा कि आज हम एन.सी.आर. की बात करते हैं। आज हम बॉम्बे, दिल्ली, पूना की बात करते हैं, लेकिन आज वाकई में हमारा ग्रीन बेल्ट एक प्रकार से खत्म होते जा रहा है। अवैध कब्जों की भरमार है। यदि हमें कोई बड़ा अस्पताल बनाना है, बड़ा सामुदायिक भवन बनाना है, कॉलेज बनाना है और आज हम गांव व शहर में शासकीय भूमि खोजने जाएं तो जगह नहीं है। मेरा आपसे एक आग्रह है कि हमें एक प्रतिबंध लगाना चाहिए कि एक समाज का एक भवन बनना चाहिए। जन प्रतिनिधि होने के नाते आवश्यकतानुसार जितने भवन बनाने हैं, बना दीजिये। 5 लाख रूपये में एक कमरे का भवन नहीं बनता है। हमने इतने भवन बना दिये हैं, लेकिन उसको मेन्टेन कौन करेगा? इसलिए इन सब चीजों के ऊपर कार्ययोजना बनाते समय हम फ्यूचर प्लान को लेकर चले, इसलिए हमें चीजों को कठोरता के साथ लागू करना पड़ेगा। मैं इसके लिए आग्रह करूंगा कि आपकी सोच अच्छी है, आपकी कल्पना अच्छी है तथा बायलॉज में ऐसे ही नियम बनने चाहिए। मैं एक्सप्रेस हाईवे को लेकर उदाहरण देना चाहता हूं। सर, मैंने बहुत गालियां खाईं हैं। लोग आज भी कहते हैं कि अगर रायपुर में केनाल रोड नहीं बनता, रायपुर में एक्सप्रेस वे नहीं बनता तो रायपुर में ट्रैफिक का क्या हाल होता ? वह इसलिए हुआ क्योंकि कैबिनेट ने एक निर्णय कर दिया कि हम एक्सप्रेस वे में किसी को भी एन्ट्री नहीं देंगे। उस निर्णय के कारण वह क्षेत्र वंचित पड़ा है, इसीलिए आज तक वहां कोई नहीं आ पाया। जब भी कोई प्लान बनाये तो ऐसे कठोर नियम बनाये जिससे नियमों में कोई संशोधन ना कर सकें, उसका दुरूपयोग ना कर सकें। हम आने वाले भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं। सन् 2024 तक परिकल्पना को साकार करने की बात कर रहे हैं। आप जिस दिन इस प्रोजेक्ट को लेकर आए तो जनप्रतिनिधि के बीच बात करें। अगर 4-5 राज्य, हरियाणा राज्य ने भी इसके ऊपर अच्छा काम किया है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इन सब चीजों से भुगत चुका हूं। मैं जब रायपुर विकास प्राधिकरण के अंदर डेवलपमेंट स्कीम के लिए काम करना चालू किया तो कई

प्रकरणों का सामना किया हूं। टाऊन एण्ड प्लानिंग एक्ट के कई प्रावधानों में संशोधन करना पड़ेगा, कई विभागों के एक्ट को समावेश करना पड़ेगा। जब इसके डाक्यमेंट पेपर बनाये, तो इन विभागों की कौन-कौन सी चीजें इसके अन्तर्गत आती है, उन नियमों को शिथिल करें। उन नियमों को जो एच.ओ.डी. टीम होगी, वह देखेगा। क्योंकि मालूम पड़ा कि उस विभाग का सचिव अलग निर्णय करेगा। जब माननीय सी.एस. की अध्यक्षता में, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बन गई और यदि मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं और उस कमेटी ने निर्णय कर दिया तो उसके ऊपर किन्तु, परन्तु नहीं होना चाहिए। निर्णय यानि निर्णय। तभी जाकर आज महाराष्ट्र में चाहे sea linking की बात करें, चाहे फ्लाईओवर की बात करो, चाहे बायपास की बात करो, मुम्बई के अंदर जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुम्बई में महाराष्ट्र विकास प्राधिकरण बनाया गया है, उसके अन्तर्गत काम चल रहा है। अगर हम उसी तरीके से बातचीत करें, अगर आज हम हरियाणा में जाकर बातचीत करेंगे तो हरियाणा के अंदर एन.सी.आर. से लेकर वह पूरा क्षेत्र, वहां एन.सी.आर. में कितनी बड़ी रोड बनी है, आउटर की रोड लगभग ढाई सौ किलोमीटर की बनी है। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी रोड बनी है। इसलिए इन सब चीजों के लिए एक स्टडी टीम जाये, उसको विभाग समझे, यहां के टीम के लोग समझे। इसको हम और आप मिलकर करें। मैं आप सबसे कहूंगा कि हम आने वाले भविष्य की कल्पना कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ देश के भीतर एक अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर, विकसित राज्य के रूप में खड़ा हो। अगर उसके लिए कुछ बड़ा फैसला करना पड़े तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको फैसला करना चाहिए। आज आप एक बहुत अच्छा विजन के साथ इस विधेयक को लाये हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने दूरदृष्टि रखकर छत्तीसगढ़ के विजन को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सबके प्रति आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुश्री लता उसेण्डी (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं कि आपने छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 लाया है। नये विजन के साथ इस सदन में उस विषय को रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि जब हम लोग सन् 2003 में रायपुर में आते थे और रायपुर में जिस तरह की परिस्थितियां थीं, वैसे तो हम लोग गांव से आते थे तो वहां 4 किलोमीटर चलने में 10 मिनट लगता था, उसी सोच के साथ रायपुर शहर में निकलते थे तब पता लगता था कि रायपुर में 4 किलोमीटर पार कर पहुंचने में 45 मिनट लग रहा है। हमें कुछ समय बाद समझ में आया कि अगर यहां चलना है तो 45 मिनट, 1 घंटा पहले चलिये तब आप सही समय में गंतव्य तक पहुचेंगे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में आप तथा तात्कालीन मंत्री को भी बधाई देती हूं, जिन्होंने नई-नई सड़कों का विस्तार किया, कनेक्टिविटी का विस्तार होने से बहुत सारी चीजें रायपुर में आसान हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आपका विजन आने वाले समय में पूरी तरीके से फलीभूत हो, उसके लिए नियमों को कड़ा बनाना पड़ेगा। क्योंकि रायपुर शहर की स्थिति ऐसी है कि अगर एक कालोनी बन गई तो बाजू में दूसरी कालोनी को अनुमति मिल जाता है और दूसरी कालोनी का रास्ता पहले कालोनी के रास्ते से निकल जाता था। पहले जहां 1000 मकान था, वहां पर बाजू की कॉलोनी में 500 मकान बन गये, लेकिन सड़क एक ही हो गया। ऐसे ही आप एक्सप्रेस हाईवे की बात कह रहे थे। एक्सप्रेस हाईवे में सरकार बदल गया तो एक्सप्रेस हाईवे में एक रोड निकल गया। फिर सरकार आ गई तो वह बंद पड़ी है, नहीं तो शायद वहां पर भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जब भी बात आती है, यहां हमारे वरिष्ठ सदस्य लोग भी हैं, वे सारे लोग अपनी बात रखते हैं। रायपुर की बात आ गई, बिलासपुर की भी बात आई, लेकिन बस्तर की बात कब पहुंचेगी, मैं वहां की बात भी कहना चाहूंगी। विषय से थोड़ा विषयांतर है। हालांकि मुझे इसी विषय में ही इंगित रहना चाहिए, लेकिन मैं बस्तर एवं सरगुजा संभाग के विषय में दो लाईन कहना चाहूंगी। जब बस्तर संभाग की बात आती है। जो दंतेवाड़ा जिला है। माननीय ओ.पी. चौधरी जी वहां के लंबे समय तक कलेक्टर रहे हैं। वहां की जो शंखनी व डंकनी नदी है, गीदम है, गीदम से दो किलोमीटर शहर से बाहर लगा हुआ नदी है। वहां पर एक पुलिया की आवश्यकता थी। वर्ष 2015-16 में उसका 3 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट था। वह आज तक नहीं बना है। उसके नहीं बनने से आज बारिश के मौसम में कम से कम 20 गांवों की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल जब हम विजन@2047 कार्यक्रम में प्रेजेंटेशन देख रहे थे, उसमें यह कहा गया कि जब आप यहां की डेव्हलपमेंट की बात करें, तो आप उस छोरों की डेव्हलपमेंट की भी बात करें। जब तक हम उन सारी चीजों को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे। आज रायपुर के शहर और ग्रामीण के जनसंख्या को ठीक किया जाएगा। जो नये लोग आयेंगे, चाहे वह माइग्रेट शिक्षा के लिए आये, चाहे स्वास्थ्य के लिए आये या रोजगार के लिए आये, उनके लिए जो व्यवस्थाएं डेव्हलप करने की बात है। इस विजन में सारी चीजें हैं। लेकिन हमारी जो अन्य शहर हैं, जैसे जगदलपुर है, अंबिकापुर है व अपने जितने भी इस तरह से बड़े-बड़े शहर आते हैं, वहां पर भी इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए। मैं इसमें देख रही थी कि छत्तीसगढ़ राजधानी विकास प्राधिकरण में दुर्ग, भिलाई और अटल नगर, नया रायपुर को इंगित किया गया है। चम्पारण्य पंचायत की बात आई, नगर पालिका की भी बात आई। हम सब लोग चम्पारण्य यहां से 45 मिनट में पहुंचते हैं और चम्पारण्य एक ऐसा स्थल है, जहां पर लोग वल्लाभाचार्य जी के दर्शन के लिए आते हैं, शंकर जी के दर्शन के लिए आते हैं। वहां सिर्फ भारत के लोग ही नहीं आते हैं, बल्कि विदेश के लोग भी आते हैं। लेकिन जब वे वहां जाते हैं, तो दर्शन करने के बाद समय कहां काटे, यह सारी विषय हैं। मुझे लगता है कि कैसे स्थलों का चयन करना चाहिए और इस विजन में उसको भी सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि जब एक ब्रॉड विजन बन रहा है तो हमारे

छत्तीसगढ़ को 2047 तक हम जिस तरह से देखना चाहते हैं, उस तरह से रायपुर के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों का भी डेव्हलपमेंट हो। मैं विशेषकर इस बात को कहना चाहूंगी कि जब बजट प्रस्ताव पारित होता है, बजट स्वीकृत हो जाता है। उसको वित्त मंत्रालय तक पहुंचाते-पहुंचाते, जो ट्राइबल क्षेत्र का जो काम होता है, वह पहले विभाग में जाता है, विभाग से पूरा फाईल कम्प्लीट होकर ट्राइबल विभाग में जाता है, ट्राइबल विभाग से सारे फाईल कम्प्लीट होकर फिर से वह विभाग में जाता है, फिर वित्त विभाग को जाता है। इस प्रक्रिया में कभी-कभी काम निकलवाते-निकलवाते पसीना छूट जाता है और माननीय मंत्री जी को फोन करना पड़ता है। इसलिए नियमों को कैसे सरलीकरण किया जाये, ताकि इस तरह की दिक्कतें भविष्य में अन्य कामों के न आये, यह कहीं न कहीं सब लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक विजन पेश किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं। मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि राजधानी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों की भी इस तरह से कोई स्पष्ट प्लानिंग हो, ताकि उसका वहां के सभी लोगों को लाभ मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। धन्यवाद। श्री सुनील सोनी जी।

श्री सुनील सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 लाया है, मैं उसका समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। अभी राजेश मूणत जी ने कमल विहार के संबंध में बात कही थी। माननीय अध्यक्ष जी, जब आप मुख्यमंत्री थे और मूणत जी मंत्री थे, तब आप लोगों ने कमल विहार को बनाने के लिए एक जिम्मेदारी दी थी। उस समय मैं चेयरमेन बनने के बाद मैं मगरपट्टा देखने पुना गया। आप देखेंगे तो कमल विहार और मगरपट्टा में बहुत अंतर नहीं है। जब मगरपट्टा देखने गया तो वहां के मेयर को मैंने कहा था कि आप से अच्छा हम कमल विहार बनायेंगे और यह बात इन्होंने सही कहा है कि जिस चीज के लिये जो प्रावधान था, वह सारी चीजें प्लॉटिंग के अंदर में बिक गई । अगर हम प्राधिकरण बना रहे हैं तो इसके नियम भी हमारे सशक्त होने चाहिये । आप आज जो है नया रायपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, जब इतना बड़ा क्षेत्र ले रहे हैं तो इसका नया मास्टर प्लॉन बनना चाहिये और नया मास्टर प्लॉन बनाने के लिये कोई सरकार की जरूरत नहीं है । आप बाहर से हायर करिये और हायर करके अच्छे आर्किटेक्ट के माध्यम से मास्टर प्लॉन बनाईये । मैं जब नगर निगम में मेयर था तो हमने भी आर्किटेक्ट हायर किये थे और उस समय हमने सीटेक बनाया था । सिटी टेक्नीकल ग्रुप । आप एडवाईजरी कमेटी बना रहे हैं, प्राधिकरण बना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके चेयरमेन रहेंगे, आप अधिकारियों की सलाहकार समिति बनायेंगे । वह अधिकारी रायपुर के बारे में उतना नहीं जानता, वह दुर्ग के बारे में, भिलाई के बारे में उतना नहीं जानता, राजनांदगांव के बारे में उतना नहीं जानता, एक एडवाईजरी कमेटी जिसके अंदर में चार्टड एकाऊंटेंट हो, वकील हो, अच्छा आर्किटेक्ट हो, इंजिनियर हो, ऐसा जब शामिल करेंगे तो हमारा शहर कैसा होना

चाहिये, वह आपको उसके अंदर अच्छा सुझाव देगा, जिससे आप आगे बढ़ेंगे । अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक कल्पना थी, मैं भी उस अर्बन स्टैंडिंग कंपनी का सदस्य था, उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत 100 शहरों को शामिल किया तथा लांग टर्म विजन में कैसे काम हो, यह स्मार्ट सिटी का उद्येश्य था। मैं इसमें नहीं जाऊॅंगा कि रायपुर के अंदर लूट हो गयी और जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया, वह लूटा गया । भ्रष्ट्राचार नहीं हुआ है, लूट हुई है ।

श्री राजेश मूणत :- कैसे हुआ ? ये ही तो सांसद थे ।

श्री सुनील सोनी :- बैठ जाओ । मैं कमेटी में भी था और जांच भी करवाया था। आज नरेन्द्र मोदी जी की बड़ी कल्पना है और बड़ी कल्पना यह है कि गति शक्ति, एक गति शक्ति योजना को उन्होंने लेकर आये, जिसके तहत 100 लाख करोड़ रूपये का बजट रखा । अध्यक्ष महोदय, आने वाले वर्ष 2047 में विकसित भारत कैसा होगा, उसके शहर कैसे होंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई दूँगा कि आपने प्राधिकरण बनाने की जो कल्पना की है, यह मोदी जी की कल्पना है और इसके अंदर एक छत के नीचे की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है । उनकी कल्पना है कि एक छत के नीचे सारे विभाग बैठ जायें । होता यह है कि हम आपको सड़क के लिये पैसा देते हैं, फिर दोबारा नाली खोदने के लिये पैसा देते हैं, फिर पता लगा कि जल जीवन अमृत मिशन के अंदर में पानी के लिये पैसा आया है, हम एक छत के नीचे सारे विभाग के लोगों को बिठायें और बिठाकर लांग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर, उसमें विध्वंश नहीं, केवल विकास होगा । इसे लेकर अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर कम समय में अच्छा काम होगा । यह बहुत जरूरी नहीं है, यह मेरा सुझाव है । अध्यक्ष महोदय, आज हमने सिंगापुर की मेनाड्स कंपनी बुलाकर रायपुर का सर्वे करवाया था । हमने पैसा दिया था । राजधानी में अंडरग्राऊंड ड्रेनेज होना चाहिये, राजधानी है अंडरग्राऊँड ड्रेनेज जरूरी है । मेनाड्स कंपनी को बुलाकर उसका सर्वे किया था, यदि बिलासपुर के अंदर वह असफल हुआ है, इसका यह मतलब नहीं है कि हिन्दुस्तान की कंपनियों को बुलाकर उसका प्रयोग करें । अध्यक्ष महोदय, हम इंटरनेशनल टेंडर के माध्यम से अनेक कंपनियों को हम बुला सकते हैं । मुझे कुछ जगह जाने का अवसर भी मिला, माननीय अध्यक्ष जी ने ही मुझे पहली बार 3 देश भेजा था, जिसमें मुझे समझने का अवसर मिला था । बगैर सड़क खोदे ड्रिल के माध्यम से वहां पर अंडरग्राऊँड ड्रेनेज वहां पर डल जाती है, मलेशिया के अंदर देखेंगे कि 43 किलोमीटर का केवल सिंगापुर है, सिंगापुर के अंदर में कुछ बन रहा था, उसमें टाईम लिखा था कि इस टाईम में हमने भूमि पूजन किया और इस टाईम में हम इसका लोकार्पण करेंगे । राजनांदगांव के महाराज ने जिस टंकी को तोड़ दिया, जहां पर मेयर हाऊस बना है, उसके अंदर में इंजिनियर का नाम लिखा था, किसी नेता का नाम नहीं लिखा था ।

समय :-

6:00 बजे

अध्यक्ष महोदय, किसी नेता का नाम नहीं लिखा था । राजा ने अपना नाम नहीं लिखाया । उन्होंने लिखा था कि इतने समय में यह टंकी चालू हुई, 11 महीने में या एक साल में टंकी बनाई गई, वह मिट्‌टी की टंकी थी। वह आदर्श था, जिसको तोड़ दिया गया और वहां पर सुभाष स्टेडियम बनाया गया, जिसमें कोई खेलता भी नहीं है । यह जो विध्वंश है, आज हम डिवाईडर बनाते हैं, डिवाईडर तोड़ देते हैं । सड़क का कोई विजन नहीं है, पर्यावरण का कोई विजन नहीं है । जो कमल विहार बना, वहां डक्ट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, सीवरेज सिस्टम सारे सिस्टम के तहत बना । वह एक अच्छी योजना थी । मैं कहता हूं कि वह एक ऐसी योजना थी, जिसको हमने एन. एण्ड टी. को दिया गया था कि वहां पर ईमानदारी के साथ काम हो । अगर आज भी उन सड़कों को देखेंगे, रायपुर की सड़कों को देखेंगे तो हमने 6 बार सड़क बना दी, लेकिन आज भी वहां सड़क दोबारा रिपेयर नहीं हुई है । इस आधार पर आने वाले समय में हमारा जो विजन हो, हमारा विध्वंश न हो, हम तेजी से विकास की ओर बढ़ें, अगर हम इसको लेकर काम करेंगे । जोनल मास्टर प्लान के बाद में राजेश मूणत जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि अगर हम नियमितिकरण करते हैं, उसके बाद में हम बार-बार नियमितिकरण के अंदर में आ जाते हैं । सरकारें बदलती हैं, फिर पैसे के लिए नियमितिकरण में आ जाती हैं, इससे विकास नहीं होना है । इसके लिए सशक्त नियम बनने चाहिए । विधान सभा में मैं नया सदस्य हूं, इसे विधान सभा में लाने की जरूरत है । अंत में इतना ही कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, हमारा नारा था कि हमने बनाया, हम ही सॅवारेंगे । इसके लिए गति शक्ति योजना के तहत 100 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान है । अगर हम आज इसको केन्द्र सरकार को भी देंगे तो इसके अंदर हमें पूरा पैसा मिलेगा और आने वाले समय में हमारी जो कल्पना है, आज हम बैंगलौर, दिल्ली, मुम्बई का उदाहरण देते हैं, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजधानी भी उदाहरण के लायक बनेगी, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वैसे चर्चा तो बहुत विस्तार से हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज से 25 साल पहले जब इस राज्य का निर्माण हुआ, उस समय हमारे पूर्वजों ने जरूर कोई कल्पना की होगी कि आने वाले दिनों में इस राज्य का गौरव किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है । इतना बड़ा विजन, जिसमें रायपुर से लेकर दुर्ग तक और जैसे बात आ रही है कि राजनांदगांव भी शायद जुड़ जाएगा । यह एक ऐसे स्पेशल क्षेत्र के रूप में विकसित होने जा रहा है, जिसके बारे में हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उनके शिक्षा की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके व्यापार-व्यवसाय की व्यवस्था और एक सुन्दर क्षेत्र की व्यवस्था होगी । हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इसमें जो हरित क्षेत्र रहेगा, पर्यावरण को सम्हालने वाला जो क्षेत्र रहेगा, उसका समावेश जरूर करना चाहिए । इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी, मैं यही सुझाव दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक्ट को पढ़ रहा था तो मुझे दो चीजें मीसिंग दिखी कि प्राधिकरण के पास यहां की सुरक्षा को लेकर भी कोई अधिकार रहेगा क्या ? क्योंकि अपराध का जो ग्राफ है, वह अलग-अलग प्रकार से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साईबर क्राईम बढ़ता जा रहा है । जब इतना बड़ा क्षेत्र विकसित होगा तो कोई मंच होना चाहिए, कोई प्लेट फार्म होना चाहिए । मेरे ख्याल से प्राधिकरण के पास यह अधिकार होना चाहिए कि हम सुरक्षा व्यवस्था को भी यहां से नियंत्रित करें । मुझे इसमें एक चीज की और कमी नजर आ रही है । इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की बात नहीं की गई है क्योंकि जब हम 50 लाख जनसंख्या के बारे में योजना तैयार कर रहे हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में हम योजना तैयार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें आपदा प्रबंधन की भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है । यदि कोई प्रश्न है कि यह कैसे होगा, क्यों होगा ? जब तक हम कोई प्लान नहीं करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में आज से साढ़े चार हजार साल पहले जब एक बेहतर नगर की कल्पना की जा सकती है, मौर्य काल में जब चाणक्य ने कहा है कि एक नगर की व्यवस्था की व्यवस्था की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती है तो उस समय जब ऐसा सोचा जा सकता है तो आज हम 2025 में खड़े होकर वर्ष 2047 में हमारा जो भविष्य है, उसे देख रहे हैं और उसके लिए ये जो विचार लाया गया है, निश्चित तौर पर सफल होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। इस अवसर पर मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओ.पी.चौधरी- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, उन सबको मैं सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय राजेश मूणत जी, आदरणीय सुश्री लता उसेंडी जी, आदरणीय सुनील सोनी जी, आदरणीय नीलकंठ टेकाम जी, सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ये कोई विधेयक पर विषय रखने की बात नही है बल्कि एक दृष्टिकोण को आज सदन के समक्ष साक्षा करने की बात है। एक विज़न को साक्षा करने की बात है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंट की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया आज बूढ़ी हो रही है। आज जापान की औसत आयु 47 वर्ष है, यूरोप की औसत आयु 46 वर्ष है जबकि भारत देश की औसत आयु मात्र 29 वर्ष है और इसी कड़ी में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की औसत आयु मात्र 24 वर्ष है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। निश्चित रूप से इस मानव संसाधन के बल पर भारत देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी तेजी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ की आबादी अभी लगभग 3 करोड़ है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2 प्रतिशत हिस्सा है। आज की तारीख में यहां शहरी जनसंख्या 27 प्रतिशत है।

वर्ष 2047 तक यह 3 करोड़ की आबादी बढ़कर 3.8 करोड़ होने का अनुमान है और ये शहरी जनसंख्या बढ़कर 45 से 47 प्रतिशत तक हो सकती है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़ती शहरी जनसंख्या और शहरीकरण की गति जिस तेजी से बढ़ रही है, उस दृष्टिकोण से हमें भविष्य की प्लॉनिंग करने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास जिस तेजी से हो रहा है, उस दृष्टिकोण से ग्रोथ इंजन भी निर्मित करने की आवश्यकता है। हम सभी मानते और जानते हैं कि भारत गांवों में बसता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी गांवों की अपनी बहुत बड़ी महत्ता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को भी तेजी से विकास के रथ पर चलाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए तीव्र आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए ग्रोथ इंजन, अर्बन सेंटर्स के लिए आज की दुनिया में जो विभिन्न राष्ट्रों के अनुभव हैं, उसके अनुसार से बहुत जरूरी है। आज की परिस्थिति में हम बिना हैदराबाद के तेलंगाना के अर्थव्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते। बिना बैंगलौर के कर्नाटक के अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। आज मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए ही एक डेटा आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन का जो रेवेन्यू आता है, पूरे छत्तीसगढ़ के लैंड रजिस्ट्रेशन का 35 प्रतिशत केवल रायपुर से आता है, तो और भी बड़े ग्रोथ इंजन की आवश्यकता है, तभी हम राज्य के आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं और उस आर्थिक विकास से प्राप्त होने वाले राजस्व से हम ज्ञान के लिए वेलफेयर स्कीम चला सकते हैं, गांवों का विकास कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बस्तर, सरगुजा हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। जैसा कि हमने पहले बजट में ही अपने पिलर के रूप में रखा था लेकिन साथ ही साथ एक बड़े अर्बन ग्रोथ सेंटर की आवश्यकता प्रदेश के बढ़ते शहरीकरण की दृष्टि से, प्रदेश के आर्थिक इंजन की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों दृष्टिकोणों - बढ़ते शहरीकरण की जनसंख्या की योजना, नियोजन, प्लानिंग की दृष्टि से और तीव्र आर्थिक विकास की गति को तेजी प्रदान करने वाले ग्रोथ इंजन की दृष्टि से इस स्टेट कैपिटल रीज़न की परिकल्पना की गई है। ये मोदी की गारंटी के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का हिस्सा है, जिसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तेजी से काम करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी देश के बड़े-बड़े शहरों में इकोनॉमिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, इसके लिए देश का नीति आयोग भी बड़ी तेजी से काम कर रहा है। इस इकोनॉमिक मास्टर प्लान का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। जैसे दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों के लिए किया गया है, मुंबई के लिए, बैंगलोर के लिए, चेन्नई के लिए, हैदराबाद के लिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप तेजी आये और ग्रोथ हो ऐसा बोल रहे हैं। आप सरकारी काम में ही तेजी और ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आपकी सदस्यों के लिए चिंता नहीं है। आप वित्त मंत्री हैं। आप पुन्नूलाल जी के ग्रोथ और तेजी के बारे में बात करिये न। उधर दयाल दास जी,

इधर भईयाला राजवाड़े जी, उधर कोर्सेवाड़ा गुरू जी बैठे हैं। इन लोगों की ग्रोथ और तेजी कैसे आयेगी ? धीरे से राम विचार नेताम जी भी उस क्लब में शामिल हो रहे हैं। आप सदस्यों की चिंता कीजिए। हम दिन भर से सरकारी कामकाज कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी न चलेगा।

श्री रामविचार नेताम :- मैं शामिल हो रहा हूं तो आप कौन सा पीछे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सुबह से लगातार भाषण ही भाषण चल रहा है। बुढ्ढे को बुढ्ढा बोल देता हूं तो वह मेरे ऊपर भड़क जाते हैं। वित्त मंत्री जी, आप उनके ग्रोथ की चिंता करिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इकोनॉमिक मास्टर प्लान बनाने वाले शहर है, इसमें बनारस जैसा शहर भी आज शामिल हो चुका है, गुजरात का सूरत जैसा शहर भी शामिल हो चुका है और अमरावती भी इसमें शामिल होने जा रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक इकोनॉमिक मास्टर प्लान के साथ इस क्षेत्र का विकास हो, एक बड़ी प्लानिंग के साथ इस क्षेत्र का विकास हो। अभी नवा रायपुर में मान लीजिए कि बाई पास योजना बनती है तो नवा रायपुर वाला बाई पास के बारे में सोचता है, बीरगांव वाला बीरगांव के बाई पास के बारे में सोचता है, रायपुर वाला रायपुर के बारे में सोचता है, भिलाई वाला भिलाई के बाई पास के बारे में सोचता है, राजनांदगांव वाला राजनांदगांव वाले बाई पास या रिंग रोड के बारे में सोचता है। इस तरह की योजनाओं को एक इंटीग्रेटेड वे में एक यूनिफाईट इंटीग्रेटेड प्लानिंग के रूप में किया जायेगा तो चाहे आदरणीय अजय चन्द्राकर जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाना हो, अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना हो, यहां की इकोनॉमिक प्लानिंग करना हो, यहां की ग्रीनरी प्लानिंग का सब ने जिक्र किया, उसकी प्लानिंग करना हो तो यह एक इंटीग्रेटेड वे में ज्यादा अच्छे तरीके से प्लान हो पायेगा और अच्छे तरीके से काम होगा। इसी दृष्टिकोण के साथ हमारे मेनिफेस्टो में स्टेट कैपिटल रिजन, जो आज देश के अलग-अलग क्षेत्रों में हो रही है, उसी के अनुरूप यह एक परिकल्पना की गयी थी और इसे हम हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अमली जामा पहनाने जा रहे हैं।

श्री सुनील सोनी :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जैसे बाई पास का कहा वैसे ही इंडस्ट्री का भी विकेन्द्रीकरण हो। बीरगांव में आज लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हम भी जब छत पर खड़े होते हैं तो पांव काले हो जाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी निर्णय हो रहा है। जो निर्णय हो सकता है, उसमें बात करिये न। लखनलाल जी को देखिये, वह कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें हैं या नगर पंचायतें हैं या नगर निगम है, उनका कार्य यथावत चलता रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वह बॉडी बनी रहेगी। आदरणीय मूणत जी जो महाराष्ट्र का उदाहरण देकर कह रहे थे कि अगर प्राधिकरण कोई निर्णय ले लेता है तो उसके पश्चात उस प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस, रूकावट,

विभिन्न विभागों का एन.ओ.सी. और फाईल की स्थिति निर्मित न हो, यह प्रावधान इस विधेयक में भी किया जा रहा है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, जो हमारे आवास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है, उसको भी सुपर सीट करके कोई भी अपना नियम बना सकता है और उसका सबको पालन करना होगा। इस पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जैसे एक्ट बंधनकारी नहीं होंगे। यह जो स्टेट कैपिटल रिजन होगा, वह आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगा और यह एक तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को अंतिम निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा, चाहे वह लैंड इक्वीजिशन हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए कंपलसरी इक्वीजिशन के माध्यम से जमीन लेनी हो या आपसी समझौता करके जमीन लेनी हो, इस तरह की किसी भी प्रकार के लिए अधिकृत होगी और जो सारे नियम कानून बहुत तेजी से पुराने हो गये हैं और आज देश की जरूरतें बहुत तेजी से बदल रही है। हम वर्ष 1947 के पहले अंग्रेजों के कोनोनल मानसिकता से प्रभावित थे और आज 1960, 1970 के दशक में कहीं न कहीं हमारी बंद आर्थिक सोच के साथ सारे नियम कानून बने हैं। जितने एक्ट हमारे बने हैं, वह वर्ष 1950, 1960, 1970 में बने हैं, वह सारे एक्ट कहीं न कहीं एक बंद आर्थिक मानसिकता के साथ बनाये गये हैं इसीलिए आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी सारे नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं और आज हमारे उद्योग मंत्री जी जन विश्वास बिल लेकर आएं। यह सब इसी वर्ष 1960, 1970 के दशक की जो बंद आर्थिक सोच वाली मानसिकता थी, आज उससे देश, प्रदेश को बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है उस दृष्टिकोण से भी इसमें सारे प्रावधान किये गये हैं। हमारे आदरणीय सभी सदस्यों, माननीय मूणत जी ने जोनिंग के नियम, जोनल प्लानिंग के बारे में जिक्र किया है। यह प्राधिकरण जोनल प्लानिंग के लिए भी सक्षम होगा, लैण्ड यूज की प्लानिंग के लिए भी यह सक्षम होगा और जो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग (एकीकृत योजना) के साथ इसमें पूरी तरह से काम हो पाएगा। निवेश प्रोत्साहन, आई.टी., एआई डाटा, औद्योगिक कॉरीडोर, स्टार्टअप, कौशल विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, नयी टाऊनशिप की दृष्टि से होगा। आदरणीय मूणत जी टाऊनशिप स्कीम, कमल विहार का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने अपने दायित्व में रहते हुए, इतने बड़े प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाया। उन्होंने रायपुर पश्चिम के पुराने शहर को किस शिद्दत के साथ सुधारने का काम किया, मैंने प्रशासन में रहते हुए बहुत करीब से उस चीज को देखा है और इस तरह की जो बड़ी जरूरतें हैं उसको मीट-आउट करने के लिए प्राधिकरण गठित किया जा रहा है, यह विधेयक लाया गया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह लाया गया है जो बहुत प्रभावी तरीके से काम करेगी। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदन को पूरा विश्वास दिलाता हूँ..।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। आपने जो कहा वह सब अपनी जगह है। सामान्यत: जितनी भी चुनी हुयी संस्थाएं हैं, जिसमें नगर निगमें और नगर पंचायतें हैं। वह अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग पर चलते हैं। सामान्यत: सड़क, नाली,

खम्भा लगा देना, यह नहीं है, लेकिन अगर ज्वलंत प्लान बना रहे हैं, कोई बड़े प्लान बना रहे हैं तो इनके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनसे भी एक बार संवाद किया जाये, जिस सेक्टर का जोनल प्लान बन रहा है उसमें उनका इंवाल्वमेंट किया जाये और जब जोनल प्लान बने तो उसका पूरा publicly यह क्लियर होना चाहिए कि अब किसी को यह लैण्ड यूस चेंज करने का पावर नहीं है। यह जो सबसे बड़ी चीज है कि हम पावर को सेन्ट्रलाईज नहीं करेंगे। जोनल प्लान के ऊपर मोहर नहीं लगायेंगे तो आने वाले समय में आप कितना भी अच्छा कर लें, लोकल बॉडी उसको अपने हिसाब से डायवर्ट कर देगी। तो हमारा जो भविष्य का प्लान है, वह कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए हम बड़ी चीजों पर जायें, हम छोटी-छोटी चीजों पर न जायें। हम उसके सड़क, नाली की चिंता न करें, लेकिन वहां जो बड़े फ्लाई ओव्हर बनना है, एक्सप्रेस वे बनाना है, कहीं पर आई.टी. हब आना है, कहीं पर बड़ी टाऊनशिप आना है ऐसी योजनाओं में हो। मैं आपको दो चीजों में और आग्रह करना चाहता हूँ। यहां नगरीय प्रशासन विभाग भी बैठा है। महोदय, हम छोटी-छोटी कॉलोनियां बना देते हैं, लेकिन पूरे देश और प्रदेश में उसका ड्रेनेज सिस्टम कहीं नहीं है। जब पड़ोस वाला प्लाट खाली पड़ा रहता है वह वहां तक लाकर छोड़ कर चला जाता है। वहां से पानी, कहां से निकलकर कहां जाएगा, उसका कोई प्लान नहीं है। अगर हम वाटर सप्लाई देंगे तो मैंने अपना प्लान पास करवाया और आपने मेरे प्लान में कह दिया, आपने लिखकर दे दिया कि हम वाटर सप्लाई करेंगे, जिस दिन बोर सूख गया वहां पानी कहां से आएगा? आप यह सब छोड़िये, यह सब अमृत मिशन वगैरह आपके कार्यकाल का है, आप याद करिये। अभी जो असली चीज है, आप उसकी बात करिये। इसलिए अगर जोनल प्लान बनता है और भविष्य में एन.सी.आर. में सब चीज का प्रावधान है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत घूमा हूँ। जब मैंने चीजों को फेस किया है तो मेरा आग्रह है कि अगर भविष्य में इन चीजों पर तकलीफ न आये। इन चीजों पर जरूर विचार करते जाना चाहिए। मेरा आपसे यही आग्रह है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। निश्चित रूप से उन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए, उसी अनुसार ही एस.सी.आर. कार्य करेगा। आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने बजट का जिक्र किया था मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी यह केवल टोकन है और इस पर सेटअप भी स्वीकृत किया जा रहा है। अभी कुछ महीनों के अंदर ही पूरा सेटअप भी स्वीकृत किया जा रहा है। इसका कार्यालय भी बनेगा, इसकी पूरी प्लानिंग टीम और सब कुछ टीम बनने जा रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये साहब, अच्छा काम करना है तो जो महत्वपूर्ण पोस्ट है, उसको कैडर पोस्ट करिये। भारत सरकार से मांगिये। कैडर रिव्यू हो। कैडर पोस्ट रहे। टेम्परेरी व्यवस्था में वह काम नहीं होगा। ये-ये चीजों कैडर पोस्ट होंगी, ये बोलिये।

श्री ओ.पी.चौधरी :- जी। अध्यक्ष महोदय, टाउन प्लानर का विषय आदरणीय अजय चन्द्राकर ने उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण है। सेटअप का रिवीजन टाउन प्लानिंग का कभी हो ही नहीं पाता था। इस बार दशकों बाद हम लोगों ने टाउन प्लानर्स के सेटअप का पूरा रिवाइज किया है और 239 पदों की नई स्वीकृति ली है और उसके भर्ती की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। हमने पी.एस.सी., व्यापम को पद अनुसार नई भर्ती के लिये लिख भी दिये हैं और प्रक्रियारत है। आदरणीय राजेश मूणत जी ने प्राधिकरण के निर्णयों की शक्ति की बात कही, उसका मैंने स्पष्ट रूप से जिक्र किया है। इसके अलावा आदरणीय सुनील सोनी जी ने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को रखा है, उन सब विषयों को भी हमने नोट किया है। नियमितिकरण की बात आई। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पुराने आवेदन आयें उसी पर काम हो रहा है, नया कोई नियमितिकरण हम अभी नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- आपसे इतना आग्रह है कि इसकी डेटलाइन आप तय करें। पुराने केस बैक डेट में भी आ जा रहे हैं।

श्री ओ.पी.चौधरी :- गूगल सीट से चेक कर लिये हैं।

श्री राजेश मूणत :- विगत 3 साल, 4 साल से, महीनों से कलेक्टर के यहां पर केसेस रखे हुए हैं। वह केस का निराकरण एक बार 500 केसेस, इसके बाद में इस तारीख के बाद में कोई निराकरण नहीं होगा। यह अगर आप कर देंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जायेगी।

श्री ओ.पी.चौधरी :- जी, निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखकर विभाग कार्रवाई करेगा। इसके अलावा आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने अरपा प्राधिकरण की बात कही है। आदरणीय यहां पर अमर अग्रवाल जी, धरमलाल कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी, सुशांत शुक्ला जी उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय उपमुख्यमंत्री अरूण साव जी वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं। आप लोग उनके साथ बैठकर के अरपा प्राधिकरण की दृष्टि से जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, वह करेंगे।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, अरपा विकास प्राधिकरण में चूंकि इंटल डिपार्टमेंट की मीटिंग करना जरूरी है। जिनका नाम लिया, उनको तो बुलवा लीजिए। मुख्यमंत्री जी और आप भी रहें। उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, क्योंकि नदी के नीचे की जमीन जब तक उसमें शिफ्ट नहीं होगी, लैंड पुलिंग में उसमें काम हो नहीं सकता। तो मेरा आग्रह है कि विषय आपने छेड ही दिया नहीं तो मैं तो अन्य माध्यम से आता। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जितने नाम आप लिये हैं, अरूण साव जी का है, मेरा है, धरमलाल कौशिक जी का है, सबको बुला लीजिए। उसका पूरा 4 हजार करोड़ की योजना बनी हुई है। उसमें लैंड पुलिंग से कितना आयेगा, गैप फंडिंग से कितना आयेगा और उसमें बहुत से डिपार्टमेंट शामिल होंगे। उन सारे डिपार्टमेंट की इंटरनल कमेटी की बैठक में आप, मुख्यमंत्री जी, हम लोग रह जायें। चर्चा कर लेंगे तो उसका पूरा बेस बना हुआ है, केवल जरूरत है उसको आगे खसकाने की।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए..।

श्री राजेश मूणत :- खारून पर भी।

श्री ओ.पी.चौधरी :- जी, खारून पर भी आदरणीय मूणत जी ने विषय रखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस प्रोजेक्ट पर भी हम लोग जरूर अच्छा intiate करेंगे। बिलासपुर एयरपोर्ट का भी विषय आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने रखा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उसमें भी उचित कार्रवाई करने का पूरा प्रयास हमारी सरकार करेगी। अध्यक्ष महोदय, कल हमने छत्तीसगढ़ का विजन डाक्यूमेंट "छत्तीसगढ़ अंजोर विजन- 2047" आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लांच किया है। इसमें तीन enablers की बात कही गई है। एक Technology आधारित Good Goverance, एक Infrastructure और एक private investment। तो इसमें Infrastructure की दृष्टि से आने वाले organization के challenges को फेस करने की दृष्टि से rapid economic growth को achieve करने की दृष्टि से भारत सरकार की मंशा अनुरूप नीति आयोग ने भी कल कमिट किया है कि इस क्षेत्र की economic planning के लिये पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। सी.ई.ओ. ने सार्वजनिक मंच से एलान किया है और नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप करके SSCR के project को एक अच्छी economic planning के साथ आगे बढ़ा करके छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को एक नई ऊचांई पर पहुंचाने के लिये 2047 तक विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिये ये प्रोजेक्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित होगा। आज इसको हम इस तरह से आगे बढ़ायेंगे कि आने वाले दशकों में आज के दिन को याद किया जाये और स्टेट केपिटल रीजन के कान्सेप्ट को आने वाले दशकों में इसके महत्व को समझा जायेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सम्माननीय सदन ने मेरे विभागों से संबंधित 3 मूल विधेयकों को और 2 संशोधन विधेयकों को यानी कुल 5 विधेयकों को एक दिन में ही पारित किया है इसके लिये मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक 26 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 55 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 से 55 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक 26 सन् 2025) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक 26 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

(15) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । माननीय अजय चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा लगता है कि आज आप थक गये हैं तो थोड़ा कम बोलेंगे । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बोलने लायक कुछ नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जैसे-जैसे थकते हैं इनकी ऊर्जा और तेजी के साथ बढ़ती है, अब यह बहुत बोलेंगे ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से शायद यह हाऊस का यहां का आखिरी दिन है और आज अजय जी पूरा रिकॉर्ड बनाने के लिये लगे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, अजय जी ने आज सही में रिकॉर्ड बनाया है कि लगातार सभी विधेयकों पर और उसके पहले सभी प्रस्तावों पर चर्चा की है तो मैं अजय जी को बधाई देता हूं कि आपने शानदार कीर्तिमान स्थापित किया है । (मेजों की थपथपाहट) और हो सकता है कि यह सदन का नये विधानसभा

में जाने के पहले यह आखिरी होगा तो आज की रिकॉर्ड की हुई सारी चीज को दस्तावेज के रूप में हमेशा याद रखा जायेगा और चौधरी जी को भी एक-साथ इतने सारे विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिये याद रखेंगे । चलिये । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम की उपधारा-2 में जो नया स्थापित किया जा रहा है जिसके अनुसार मोटरयान के स्वामित्व के अंतरण पर लगाये जाने का प्रावधान पूर्व में नहीं था । अब अंतरण पर भी नवीन धारा द्वारा लगाया जा रहा है उसके बाद मूल अधिनियम की उपधारा में जो नवीन धारा स्थापित की जा रही है उसमें अनुसूची में उल्लेख है । मूल विधेयक में अभी प्रथम अनुसूची में 9 मद हैं । इस विधेयक में प्रथम अनुसूची में 10 जोड़ा जा रहा है । विधेयक में यह है, जो दसवां जोड़ा जा रहा है। गैर परिवहनयान, पंजीयन के समययान के मानक मूल्य 1 प्रतिशत, परिवहनयान पंजीयन के समययान के मानक मूल्य का 5 प्रतिशत यह एक जोड़ा जा रहा है और उसके बाद मूल अधिनियम की धारा-4 में संनिर्माण उपस्कर यान की परिभाषा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है और इससे बड़ी स्पष्टता आयेगी अर्थात् ऐसे यान जो कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट की श्रेणी में आते हैं अर्थात् संनिर्माण उपस्कर यान से रबड़ की टायरवाली (न्यूमेटिक टायर सहित), स्वयं प्रणोदित मशीन, रबड़ पैडवाला या रबड़ अथवा स्टील ड्रम वाला, पहिएदार माउंटेड कॉम्पैक्टर, पहिएदार हाईड्रोलिक उत्खनक ऐसे बहुत सारे उपस्कर को परिभाषित किया गया है और मैं सोचता हूं कि इसके परिभाषित होने के बाद दुर्घटना के समय आम आदमी को बीमा का लाभ भी मिलेगा। इसके परिभाषित होने के बाद करारोपण होगा तो राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमा की जो स्थिति है, परिभाषित नहीं होने के कारण जो क्लेम नहीं होती थी, अब परिभाषित होने के बाद ये वाहन भी उस श्रेणी में आ जाएंगे तो आदमी को उससे सुविधा होगी, आम जनता को सुविधा होगी और टैक्सेशन के बाद जो व्यावसायिक उपयोग में हो रहे हैं तो उससे राजस्व भी बढ़ेगा। एक छोटा सा संशोधन है और इसमें ज्यादा बहस के विषय नहीं हैं। तो आपसे अनुरोध है, आपने जो विधेयक लाया है, स्पष्ट किया है, उसके लिए आपको बधाई देते हुए और आम जनता को सुविधा देने के लिए एक अच्छा प्रयास शासन का है, यह बात कहते हुए मुख्यमंत्री जी को इस विधेयक के लिए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मोतीलाल साहू जी।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाया गया है, मैं उनका समर्थन करता हूं। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ रही है तो वाहनों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है और हम परिवहन विभाग को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से रीढ़ मानते हैं। विभाग सड़क सुरक्षा, पंजीयन और कर संग्रहण के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहनों की भी

व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करता है। इसके बावजूद भी जो संशोधान आया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे निर्माण कार्यों और उत्खनन कार्यों में ऐसे परिवहन लगे हुए हैं, जिनका पंजीयन नहीं रहता और किसी प्रकार का उसके द्वारा कर संग्रहण नहीं होता। ऐसे निर्माण कार्यों में लगे हुए वाहनों को चिन्हांकित कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जिसके कारण दुर्घटना होती है और दुर्घटना होती है तो पीड़ित को बीमा के लिए या जो अन्य और लाभ लेना रहता है, उसमें दिक्कतें आती हैं। इन सब चीजों को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामित्व अंतरण के अंतर्गत बहुत से पुराने वाहनों की खरीदी-बिक्री भी होती है और इसमें स्वामित्व अंतरण के लिए भी दिक्कतें आती हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए जो संशोधन आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री गुरू खुशवंत साहेब।

श्री गुरू खुशवंत साहेब (आरंग) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 3 (1) की द्वितीय अनुसूची के सरल क्रमांक 8 में उल्लेखित अनुसार क्रेन एवं यांत्रिक खुदाई वाहन (आगे की ओर बेलचा और पीछे की ओर खोदने वाला हस्त सहित अथवा अन्यथा संस्थापित काम करने वाली मशीन), जो सामान्य रूप से जेसीबी अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित खोदक मशीन के रूप में जानी जाती हो। ऐसे यानों पर यान की कीमत का 7 प्रतिशत जीवनकाल कर वर्ष 2016 से लिया जाना प्रावधानित है। वर्तमान में उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्यों में उपयोग आने वाले यंत्र जैसे पोकलेन, रोड रोलर, क्रेन, लोडर, सीमेंट, कांक्रीट मिक्सर मशीन, अर्थ मूविंग यान इत्यादि जिन्हें केंद्रीय मोटरयान नियम, 1991 के नियम 2 में उल्लेख अनुसार परिभाषित किया गया है। ऐसे वाहन निर्माण स्थलों पर उपयोग के साथ-साथ लोक सड़क पर भी अपनी शक्ति से यात्रा करने के लिए सुसज्जित न होने के बावजूद संक्षिप्त अवधि के लिए लोकमार्गों पर भी चलते हैं। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 धारा 3 (1) की द्वितीय अनुसूची के सरल क्रमांक 8 में शामिल करते हुए इन पर भी यान की कीमत का 7 प्रतिशत की दर से आजीवन कर लिए जाने हेतु यह विधेयक लाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि समर्थन करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो वरिष्ठ विधायक श्री अजय चन्द्राकर जी, माननीय मोती लाल साहू और गुरू खुशवंत साहेब जी को बहुत धन्यवाद् देता हूं जिन्होंने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक, 2025 (क्रमांक 27, सन् 2025) की चर्चा में भाग लिया और संशोधन विधेयक का समर्थन किया है । अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के अनुरूप राज्य में मोटर यानों पर कर अधिरोपण, निर्धारण एवं राजस्व अर्जन परिवहन क्षेत्रों में तकनीकी विकास, वाहन श्रेणियों में वृद्धि, निर्माण यंत्रों के उपयोग, पर्यावरणीय

प्रतिबद्धताओं तथा ई-गवर्नेंस आधारित कर संग्रह प्रणाली की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए आज इस सदन में कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट एवं अंतरण कर से संबंधित यह संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है । छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 3(1) की द्वितीय अनुसूची के सरल क्रमांक 8 में उल्लेखित अनुसार क्रेन एवं आंतरिक खुदाई वाहन आगे की बोर बेचला और पीछे की ओर खोदने वाला हस्त सहित अथवा अन्य संस्थापित काम करने वाली मशीन जो सामान्य रूप से जेसीबी अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित खोदक मशीन के रूप में जानी जाती है । ऐसे यानों पर यान की कीमत का 8 प्रतिशत जीवनकाल कर वर्ष 2016 से लेने का प्रावधान है । वर्तमान में उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्यों में उपयोग आने वाले यंत्र जैसे पोकलेन, रोड रोलर, क्रेन, लोडर, सीमेंट कांक्रीट मिक्सर मशीन, अर्थ मूविंग यान इत्यादि जिन्हें केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 2 में उल्लेख अनुसार परिभाषित किया गया है । ऐसे वाहन निर्माण स्थलों में उपयोग के साथ-साथ लोक सड़क पर यात्रा करने के लिए सुसज्जित न होने के बावजूद कुछ समय के लिए लोक मार्गों पर चलते हैं, जिन पर त्रैमासिक कर लिया जा रहा है । जिनमें एकरूपता, सरलीकरण एवं एक समान कर की दर लागू करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 3(1) की द्वितीय अनुसूची के सरल क्रमांक 8 के कॉलम नम्बर 2 में शामिल करते हुए इन पर भी यान की कीमत के 8 प्रतिशत की दर से आजीवन कर लिए जाने हेतु यह विधेयक लाया गया है । कंस्ट्रक्शन इक्युपमेंट श्रेणी के वाहनों में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज हुई है । वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमश: 470, 629 एवं 765 पंजीकृत हुए हैं । छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत वाहनों के स्वामित्व अंतरण हेतु कोई कर देय नहीं है जबकि कई प्रदेशों में है । राज्य में मोटरयानों की संख्या में प्रतिवर्ष हो रही वृद्धि, वाहनों के स्वामित्व में परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है । वर्तमान में स्वामित्व अंतरण के समय कर की कोई व्यवस्था न होने से विधिक स्वरूप देने के लिए पुराने वाहनों के स्वामित्व अंतरण के समय गैर परिवहन यानों से पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का 1 प्रतिशत अथवा परिवाहन यानों से यान के मानक मूल्य का आधा प्रतिशत अंतरण कर लिए जाने हेतु यह विधेयक लाया गया है । यद्यपि निर्माण कार्यों की उपयोगिता में आने वाले यंत्रों का मुख्यत: निजी परिसरों में उपयोग किया जाता है, परंतु कुछ समय के लिए लोक मार्गों पर भी इनका परिचालन होता है । ऐसे वाहनों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए यान का पंजीयन कराया जाकर नियमानुसार आजीवन कर लिए जाने से यान स्वामी बार-बार त्रैमासिक कर देने की असुविधा से मुक्त होंगे तथा कर सरलीकरण हो सकेगा । इसी प्रकार पंजीकृत वाहनों के स्वामित्व अंतरण के समय उपरोक्त उल्लेखित दर अनुसार कर संग्रहण किया जाना आवश्यक है । जिससे राज्य की कर संरचना में पारदर्शिता, समानता एवं प्रभावशीलता बनी रहे । अत: मैं इस विधेयक को सदन के समक्ष रखता हूं । मुझे विश्वास है कि सदन इस विधेयक पर सकारात्मक विचार कर पारित कर प्रक्रिया को पारदर्शी तथा जनहित को सशक्त करेगा, धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27, सन् 2025) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अशासकीय संकल्प, श्री अजय चंद्राकर।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- आप अशासकीय संकल्प तो प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन समझबूझ कर प्रस्तुत करिएगा, आपने प्रस्ताव दिया है या नहीं ?

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, मैं प्रस्ताव दिया हूं तभी तो बोल रहा हूं।

समय :
6.37 बजे

अशासकीय संकल्प

सदन का यह मत है कि "प्रसंस्कृत अनाज (पक्का माल) के विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाय।"

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संक्षिप्त सा विषय है, आप भी इससे प्रभावित हैं। राजनांदगांव, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी ये सब जिले इससे प्रभावित हैं। पोहा मिल सबसे ज्यादा उधर ही है। आज विधान सभा में इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चर्चा का विषय रहा। आपने 145 कानून शास्ति में समाप्त किए। छत्तीसगढ़ के आस पास किसी भी राज्य में प्रसंस्कृत माल पर अनुज्ञा पत्र अनिवार्य नहीं है। झारखण्ड, बिहार, गुजरात, उड़ीसा जो आजू बाजू लगे हो उत्तर प्रदेश कहीं पर भी अनिवार्य नहीं है। इसके खत्म कर देने से किसी प्रकार की भी राजस्व क्षति मंडी को नहीं होने वाली है। माननीय रामविचार नेताम जी वरिष्ठतम नेता बतायेंगे कि कैसे मण्डी को क्षति होगी और इससे उसको क्या लाभ है उसको भी बताएंगे ? मेरा एक आग्रह है जब देश में कहीं नहीं है तो छत्तीसगढ़ में हम इसको क्यों ढो रहे हैं ? इसको समाप्त किया जाये जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। पोहा मालिक मिल, राईस मिल वाले छोटे-छोटे उद्योग यह छत्तीसगढ़ के लोगों के हैं और जबर्दस्ती भयादोहन के शिकार होते हैं। चलिये अभी सिलतरा घूमिए। असल में मैं जातिगत विषय नहीं बोलता, यह मेरे स्वभाव में नहीं है लेकिन कोई भी स्थानीय आदमी या एकाध उद्योगपति दिख जायेगा तो मुझे बताईए। अभी सिलतरा चलते है, बीरगांव स्टेशन में चल देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप रामविचार को संबोधित मत करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- पोहा मिल, राईस मिल, हम छोटे-छोटे लोग इसी में तो है और यह छोटे-छोटे लोगों का अनुज्ञा पत्र के नाम पर क्या होता है, आप उसको भूल जाईये, मैं उसे नहीं बोलूंगा। क्योंकि यहां हम लोग ही बैठे हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ क्यों बोलेंगे ? मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं वह कम है। बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करके ज्यादा भाषण मत करवाईये, सब का जाने का मूड है। आप खड़े होकर घोषणा कर दीजिये, कोई भाषण भी नहीं होगा और अनुज्ञा पत्र समाप्त किया जाता है।

समय :
6.39 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री राजेश मूणत :- आप दोनों आपस में निपट लीजिये कि हां या ना।

सभापति महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- सदन का यह मत है कि प्रसंस्कृत अनाज (पक्का माल) के विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाये। श्री अनुज शर्मा जी।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की मण्डी समितियां मण्डी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगमित निकाय हैं और मण्डियों की आय का प्रमुख स्रोत मण्डी शुल्क है। प्रदेश की मण्डी समितियों को अपने सामान्य कारोबार के संचालन के लिए राज्य शासन या केन्द्र शासन से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। मण्डी अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-1 में अधिसूचित कृषि उपज की परिभाषा के अनुसार अनाज, दलहन, तिलहन, वनोपज, फल, सब्जी, चटनी, मसाले, गन्ना इत्यादि अधिसूचित कृषि उपज हैं। मण्डी अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-1 के अनुसार मण्डी समितियां राज्य से बाहर या राज्य के भीतर लाये गये अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय या प्रसंस्करण या विनिर्माण के पश्चात प्रसंस्कृत या विनिर्मित उत्पाद के विक्रय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर पर मण्डी शुल्क तथा कृषक कल्याण शुल्क क्रेताओं से उद्ग्रहित करती हैं। राज्य शासन द्वारा धान पर 1.5 प्रतिशत मण्डी शुल्क तथा 0.5 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क और धान को छोड़कर शेष समस्त अधिसूचित कृषि उपजों पर 1 प्रतिशत मण्डी शुल्क तथा 0.5 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क निर्धारित किया गया है। धारा-19 की उपधारा-4 के अनुसार कोई भी अधिसूचित कृषि उपज या उससे प्रसंस्कृत किया गया उत्पाद यदि बिना मण्डी शुल्क जमा कराये विक्रय कर दिया जाता है या पुनः बेच दिया जाता है तो बाजार दर से 5 गुना दर से मण्डी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क वसूल की जावेगी। मण्डी अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-6 के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज या उससे प्रसंस्कृत उत्पाद जिसे पक्का माल कहते हैं, मण्डी क्षेत्र से अनुज्ञा पत्र के अनुसार हटाया जाएगा और प्रसंस्कृत या विनिर्मित उत्पाद का अनुज्ञा पत्र प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता द्वारा जारी किया जायेगा। पक्के माल के विक्रय का अनुज्ञा पत्र समाप्त किये जाने से मण्डी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क के अपवंचन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है और मण्डी शुल्क या कृषक कल्याण शुल्क अपवंचन होने से मण्डियों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा मण्डी समितियां किसानों तथा मण्डी कृत्यकारियों के हित में मण्डी निधि से किये जाने वाले कृषक कल्याणकारी गतिविधियों पर व्यय करने हेतु सक्षम नहीं रह पायेंगी। प्रदेश में समस्त मण्डियों में दिनांक 01.04.2025 से ई-मण्डी सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू की गई है, जिसके माध्यम से मण्डियों की समस्त गतिविधियां जैसे-आवक, तौल, मण्डी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं, विनिर्माताओं के स्कंद इत्यादि ऑनलाइन संधारित हैं।

समय :
6.41 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय :- आप पूरा मंत्री जी का जवाब मत पढ़िये। उनको भी पढ़ना है। आपको जो बोलना है, उसको हट के बोलिये।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, मैं वही पढ़ रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अनुज जी, आप उसके सारांश को बताइये। आप किस दिशा में जा रहे हैं?

श्री अनुज शर्मा :- अध्यक्ष महोदय जी, मैं सारांश में यही कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी पूरा जवाब देंगे। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप संक्षिप्त में एकाध-दो बिंदुओं पर बोल लीजिये।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ही बिंदु पर बोलूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। माननीय अजय चंद्राकर जी जो अशासकीय संकल्प लेकर आये हैं और जिस दिशा में आप जा रहे हैं, वह विपरीत दिखाई दे रहा है। (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं। मैं उसी दिशा में जा रहा हूं। माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं और मण्डी बोर्ड से हमारे क्षेत्र में भी माननीय मंत्री जी काफी काम कराते हैं। रायपुर मण्डी से हमारे क्षेत्र में काम होता है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृषक और मण्डी हित में इस अशासकीय संकल्प को आप वापस लेने का कष्ट करियेगा। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से जो काम मंत्री जी को करना चाहिए, उसको वह सदस्य से बोलवा रहे हैं। आपकी क्षमता कहां गई? आप परंपरा के विपरीत भाषण करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उनको रोक दिया है। प्रबोध जी, बोलिये।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अजय चंद्राकर जी के अशासकीय संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह हमारा पूरा भारत देश कृषि प्रधान देश है तथा छत्तीसगढ़ भी कृषि आधारित प्रदेश है। कृषि उपज के ऊपर, वह चाहे धान का पैदावार हो, मक्का, गेहूं और अन्य बहुत सारी चीजों का पैदावार है, उन फसलों के ऊपर हमारे किसान लोग निर्भर रहते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश 44 प्रतिशत वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है, यहां जंगल पहाड़ हैं। यहां पर वनोपज में इमली, चिरौंजी और तमाम प्रकार के वन उपज होते हैं, जिसका उपयोग मण्डी में करते हैं। कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1972) की उप धारा 1 में कृषि उपज की परिभाषा में धान, दलहन, तिलहन, गन्ना, फल, सब्जी और वनोपज चटनी मसाले वगैरह सब अधिसूचित हैं। छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग द्वारा प्रसंस्करण विनिर्माण प्रयोजन के लिए राज्य के व्यापारियों या अर्द्धशासकीय निकायों

के द्‌वारा अन्य राज्य से हमारे प्रदेश में दलहन, तिलहन, मक्का, बाजरा वगैरह, दो वर्ष के लिए मण्डी शुल्क एवं कृषक कलयाण शुल्क से पूर्णत: छूट दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रसंस्कृत और विनिर्मित उत्पादन, जिसे हम पक्का माल कहते हैं, की अनुज्ञा-पत्र से मुक्त किए जाने पर मण्डी शुल्क का अपवंचन होगा, इससे इन्कार भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्रसंस्कृत उपज, जो हमारा पक्का माल है, उसका अनुज्ञा-पत्र जारी नहीं होगा तो उससे यह स्पष्ट नहीं हो पायेगा कि व्यापारियों के द्‌वारा बाहर से माल लाया गया है। हमारे यहां जैसे धान से चावल बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, गेहूं का आटा बनाते हैं, जो प्रसंस्कृत चीजें हैं, उन सारी उपजों का विक्रय किया गया है या विक्रय कर दिया गया है, स्थिति पता नहीं चल पायेगा। मण्डी शुल्क के अपवंचन को रोकने की दृष्टि से मण्डी अधिनियम में अधिसूचित कृषि उपज या उसके प्रसंस्कृत अनाज, पक्का माल को मण्डी क्षेत्र से बाहर ले जाने हेतु जो अनुज्ञा-पत्र का प्रावधान किया गया है। व्यापारी प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता मण्डी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार स्वयं अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकता है। दिनांक 1.4.2025 से ई मण्डी साफ्टवेयर संचालित होने के प्रसंस्कृत अनाज का अनुज्ञा-पत्र प्रसंस्करणकर्ता द्‌वारा स्वयं ऑनलाईन जारी किया जा रहा है। इसलिए व्यापारियों के ऊपर कोई अनावश्यक बोझ भी नहीं है और ना ही आर्थिक रूप से नुकसानदेह है।

अध्यक्ष महोदय:- आप प्रस्तावकर्ता का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं ?

श्री सुनील सोनी :- अध्यक्ष जी, मंत्री जी के जवाब का फोटोकॉपी कराकर बांट दिया गया है।

श्री प्रबोध मिंज :- मेरा माननीय चन्द्राकर जी से अनुरोध है कि जो मण्डी शुल्क मिलता है, उससे बहुत सारे विकास के कार्य होते हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसको वापस ले लें। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी जवाब देंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे विद्‌वान सदस्य ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय विद्‌वान सदस्य का तो बाजा बजवा दिया। (हंसी)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण अशासकीय संकल्प लेकर आते हैं। अशासकीय संकल्प इस उम्मीद के साथ लाते हैं मंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे, सहमति देंगे। मंत्री जी सहमति देंगे या असहमति देंगे, यह अलग विषय है। लेकिन आज जिस प्रकार से यहां पर माननीय सदस्यों को पत्र भेजा गया और उस पत्र को यहां पढ़वा रहे हैं, सदस्य बोल रहे हैं कि इसको वापस ले लिया जाये तो मंत्री जी क्या करेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से आज तक जितने भी अशासकीय संकल्प आये हैं, मंत्रीगणों के अतिरिक्त माननीय सदस्य पहली बार किसी किसी अशासकीय संकल्प में आग्रह कर रहे हैं कि आप वापस ले लें। आज यह भी संसदीय परम्परा स्थापित हो

गई। मंत्री जी, आप सन् 1990 से चुनकर आ रहे हैं। आपको नई परम्परा और इस तरह की परम्परा डालने का कोई अधिकार नहीं था। आपने आज सदन की गरिमा गिराई है।

श्री राम विचार नेताम :- नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सदन की गरिमा कहां से गिर गई ?

श्री अजय चन्द्राकर :- तो मैं मान लेता हूं कि इनके उत्तर के पहले वापस ले लेता हूं। मंत्री जी का उत्तर नहीं आना चाहिए।

श्री राजेश मूणत :- हां, एग्री, वह आपके ऊपर है। सदस्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए आपसे आग्रह किया है। उनके यहां मण्डी में टैक्स मिलता है, उसका विकास के कार्य में खर्च होता है। उसने आपसे आग्रह किया है कि आप वापस ले लें। मंत्री का उत्तर आये या ना आये, उससे क्या फर्क पड़ता है? यह तो आपको निर्णय करना है।

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष महोदय, मण्डी शुल्क से क्षेत्र का भी बड़ा विकास हो रहा है।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय विद्वान सदस्य ने एक अशासकीय संकल्प के माध्यम से मंडी अधिनियम के तहत जो पक्का माल के विक्रय हेतु जो अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते हैं, उसकी अनिवार्यता को समाप्त करने के संबंध में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है। हम सबकी भावना कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी सम्मान को कोई चोट पहुंचा सकें। मैं ऐसा मानता हूं कि आज का माहौल आपके अनुकूल है। हम आपके सम्मान में जितने तशीदे गढ़ेंगे, उतने ही कम है। चूंकि उधर विपक्ष नहीं है इसलिए कभी-कभी आपको उस दृष्टि से भी देख लेते हैं। (हंसी) अगर आप वहां कभी बैठ जायेंगे। वैसे ऐसे मौका न मिले। हम लोग इतने वर्षों से साथ में हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की है, उसके अनुसार इसे एक तरह से समाप्त ही कर दिया गया है। दिनांक 01.04.2025 से सभी मण्डियों में ई-मण्डी सॉफ्टवेयर के तहत डेव्हलप किया गया है। हमने निर्देश दिया था कि इसे समाप्त करना चाहिए। उसके तहत व्यापारी अपना अनाज पक्का माल के विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र स्वयं ऑनलाईन भरते हैं व जमा करते हैं। एक तरह से इसे समाप्त कर दिया गया है। अब इसके बावजूद आपको भी मालूम है, यह सभी को मालूम है कि मण्डियों में अनुज्ञा के नाम से जो राशि जमा होती है, वह 50 प्रतिशत मण्डियों के डेव्हलपमेंट के लिए जमा होती है और 50 प्रतिशत राशि मण्डी बोर्ड में आता है। मण्डियों एवं समितियों में जो राशि जमा होते हैं, वह मण्डी क्षेत्र में ही डेव्हलपमेंट के काम होते हैं, किसान से संबंधित काम होते हैं, किसानों की बेहतरी के लिए ही काम होते हैं, जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों के आधार पर ही काम होते हैं। बोर्ड में भी जितनी राशि आती है, उसमें भी आपकी सबसे ज्यादा अनुशंसा होती है। आप मुझे यह बताईये कि क्या मैं उसमें से कोई अनुशंसा काट दूं? (हंसी) वैसे किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके प्रस्ताव को कोई काट सके। मैं समझता हूं कि आज उसकी जरूरत है। फिर भी आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इसके बावजूद बहुत जरूरी होगा कि

इस पर विचार किया जाना चाहिए। हम भविष्य में इस पर विचार करेंगे। मैं आपकी भावना को सम्मान देता हूं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। अभी बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, इसलिए मुझे आगे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं यही कहता हूं कि फिलहाल आप इस सत्र के बहुत ही सम्माननीय सदस्य हैं। आप हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। जब आप सदन में होते हैं तो हम सबका सम्मान बढ़ता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे वापस कर लीजिये, बाकी हम इस पर विचार करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रतिबद्ध सिपाही हूं। जो शासन पक्ष कहेगा, जो मंत्री जी कहेंगे, उसको मैं मानूंगा ही। माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपने बोला है और आपने जो बोलवाया है, उसमें कहीं पर यह स्पष्ट नहीं हुआ कि अनुज्ञा पत्र से मण्डी की कितनी Income होती है और उसमें कितना व्यय होता है? बाकी आपने कहा कि इतना प्रतिशत राशि आता है और जाता है। दूसरा, आपने कहा कि मेरा प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बड़े गर्व के साथ बता देता हूं कि आपके राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ में अंडे का रेट खुलता है। कृषि सेक्टर में जो एलाईट सेक्टर होते हैं। कुरूद मण्डी धान का भाव खोलती है। आज आप उस मण्डी में जायेंगे तो वहां 10 हजार बोरा आवक होगी। इनको सबसे ज्यादा टैक्स मैं देता हूं। बताईये, नहीं तो उधर पूछ लीजिये। दूसरी बात, आपके एलाईड सेक्टर में बता दूँ कि छत्तीसगढ़ में मछली का रेट कुरूद खोलता है और आप कृषि मंत्री हैं तो इसलिये किसके प्रस्ताव में ज्यादा या कम होता है, यह विषय नहीं है । अनुज्ञा पत्र से कोई इंकम नहीं होती है, वह प्रक्रिया जिन्दा क्यों है, मैं यह जानता हूँ । मैं तो आपको पैदाईशी विवेकवान समझता हूँ और आप विवेकवान हैं । आज आप प्रभावित दिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं । मुझे उससे कुछ नहीं कहना है । जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी, कृषि मंत्री जी का निर्देश है, विनम्रतापूर्वक इस अशासकीय संकल्प के प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

श्री केदार कश्यप :- आप से प्रभावित हैं, किसी और से प्रभावित नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह किनसे प्रभावित हैं, इसे जानते हैं ।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो फिर से न केवल अपनी विद्वता को साबित किया है, बल्कि हम सभी का सम्मान बढ़ाया है, हम लोगों ने जो निवेदन किया है उसे स्वीकार किया । मैं उसके लिये माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूँ । मैंने इस बात को भी इंगित किया है कि हमें जैसी जरूरत होगी हम आगे जो आपके प्रस्ताव आये हैं, उसके आधार पर हम विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लिया । क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है ?

अनुमति प्रदान की गई ।

संकल्प वापस हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

सत्र समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ विधान सभा के षष्ठम विधान सभा के षष्ठम सत्र का आज अंतिम दिवस है और यदि सब कुछ कार्ययोजना के हिसाब से हुआ तो आज के यह सत्र का समापन इस विधान सभा का अंतिम दिन होगा, अंतिम समय होगा, इसलिये इसके बाद अब हम नई विधान सभा में बैठेंगे, यह उम्मीद हम करते हैं । (मेजों की थपथपाहट) मगर इस विधान सभा में आप सब ने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ व्यक्त किया है और अपनी क्षमता के अनुरूप इस विधान सभा को गौरवान्वित भी किया है, इसलिये इस सत्र में जो आज अंतिम दिवस है, 14 जुलाई से 18 जुलाई के मध्ययह बैठक आहूत रहा। कुल 5 दिवसीय सत्र में 5 बैठकें संपन्न हुई । सर्वप्रथम सफलतापूर्वक सत्र संपन्न होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में अपना अधिकतम सहयोग मुझे प्रदान किया ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की स्थापना का यह रजत जयंती वर्ष है, मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की वर्तमान षष्ठम विधान सभा संसदीय मूल्यों को निरन्तर मजबूत देने का प्रयास कर रही है और इस कार्य में आप सभी की भागीदारी प्रशंसनीय है ।

मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का संसदीय आचरण और व्यवहार ही लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में गरिमा को संवर्धित करने का सशक्त माध्यम सिद्ध होगा। लोक कल्याण के प्रति एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, उसकी पूर्ति करने के लिये आप कृत संकल्पित हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में पूरी निष्ठा के साथ आप काम कर रहे हैं । हमारे लिये यह उपलब्धि है कि इस मानसून सत्र में राज्य के विकास से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी ने व्यापक, विस्तृत, परिणाममूलक चर्चा की । इसका प्रभाव भविष्य में छत्तीसगढ़ के विकास में अवश्य परिलक्षित होगा । आपने इस सत्र में राज्य के विकास में जुड़े हुये प्रत्येक विषय पर आपने विचार किया और निष्कर्ष तक पहुंचे ।

आज इस मानसून सत्र के समापन अवसर पर आप समस्त सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि सदन की गरिमा को बनाए रखने में आप सदैव गम्भीर रहें, क्योंकि सदन के सम्मान से ही आपका सम्मान जुड़ा हुआ है । आपकी भूमिकाएं और प्रतिबद्धतायें भले ही भिन्न-भिन्न हों पर उद्येश्य एक ही होना चाहिये कि लोकतन्त्र को आपके कार्य, विचार और व्यवहार से मजबूती मिले ।

आज इस मानसून सत्र में दिनांक 16 जुलाई, 2025 को माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में वर्ष 2024 के उत्कृष्ट विधायक, पक्ष के रूप में माननीया श्रीमती भावना बोहरा जी, प्रतिपक्ष से माननीय श्री लखेश्वर बघेल जी, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार , प्रिंट मीडिया से दैनिक भास्कर के श्री राकेश पाण्डेय जी, इलेक्ट्रानिक मीडिया संवाददाता सुदर्शन न्यूज के श्री योगेश मिश्रा जी एवं कैमरामैन श्री विश्व प्रकाश पुरेना जी को पुरस्कृत किया गया । मैं सभी पुरस्कृत विभूतियों को अपनी ओर से पुन: बधाई देता हूं । उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत लोक गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर जी का सुगम संगीत गायन हुआ, जिसका आप सभी ने आनंद लिया ।

अब मैं आपको इस मानसून सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों का संक्षेप में सांख्यिकी आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा । इस सत्र की कुल 5 बैठकों में लगभग 20 घंटे 07 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की संख्या 516 एवं अतारांकित प्रश्नों की 480 इस प्रकार कुल 996 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 28 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए । ध्यानाकर्षण की कुल 385 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 153 सूचनाएं ग्राहय हुईं । 28 सूचनाएं शून्यकाल की सूचना में परिवर्तित की गई । स्थगन की कुल 155 सूचनाएं प्राप्त हुईं । शून्यकाल की 74 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 14 सूचनाएं ग्राहय हुईं । इस सत्र में माननीय सदस्यगणों द्वारा 236 याचिकाएं प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 36 याचिकाएं ग्राहय एवं 128 याचिकाएं विचाराधीन है । इस सत्र में 13 विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई और सभी चर्चा उपरांत पारित हुए । इसके साथ ही अशासकीय संकल्पों की 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 1 सूचना पर सभा में चर्चा हुई ।

इस सत्र में हमारे लिए उपलब्धि का विषय रहा कि देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा और देश के सम्मान से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय **"आपरेशन सिंदूर"** के संदर्भ में भारतीय सेना के अदम्य साहय एवं वीरता तथा देश के यशस्वी प्रधान मंत्री की रणनीतिक दक्षता के लिए उनके अभिनंदन का प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा, जिस पर माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कीं ।

प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधान सभा के कार्यकरण से राज्य की आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर दिया जाता है । इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं, जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 5295 लोगों ने एवं 454 छात्र-छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे सहयोग प्रदान किया । मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया ।

इस सत्र के समापन अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र के दौरान कायम रखीं ।

मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा जी सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया । परम्परा अनुसार सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्रों की सम्भावित तिथि घोषित की जाती है, तदनुसार आगामी सत्र जो शीतकालीन सत्र होगा, जिसकी तिथि दिसम्बर, 2025 में सम्भावित है । मैं आपके एवं प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूं ।

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ । (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 जुलाई से शुरू हुए विधान सभा के पावस सत्र का आज समापन हो रहा है । मैं इस सत्र के सफल संचालन के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय आपको और आसंदी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं । मैं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत जी सहित सभी सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पावस सत्र में हिस्सा लिया और राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव से हम सबको अवगत कराया । मैं संसदीय कार्यमंत्री श्री केदार कश्यप जी, सभी मंत्रियों और सभी विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही और राज्य सरकार द्वारा इस सत्र में प्रस्तुत किए गए जनकल्याणकारी विधेयकों के संबंध में जानकारी विभिन्न माध्यमों से आम जन तक पहुंचाई।

अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के सफल संचालन के लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव और सभी अधिकारियों तथा राज्य सरकार के सी.एस. सहित सभी अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ये पावस सत्र कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस सत्र में हम लोग कई महत्वपूर्ण विधेयक और संशोधन विधेयक पास किए। जैसे छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025; छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025; छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025; छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025; छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025; छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025; मोर जमीन मोर मकान आदि अनेक विधेयक और संशोधन विधेयक पास किए।

अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह भी संपन्न हुआ और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हम लोगों ने सदन में सार्थक चर्चा की और प्रधान मंत्री तथा सेना के जवानों के प्रति सदन

में धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। हमने नए विधान सभा परिसर में वृक्षारोपण भी किया। शायद ये भवन हम लोगों के लिए विधान सभा बैठक के हिसाब से अंतिम होगा। अगला सत्र शायद नए विधान सभा में होगा, लेकिन यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, इसके लिए मैं फिर से आपको, आपके कुशल संचालन के लिए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़। मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज षष्ठम विधान सभा के समापन अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे इस विधान सभा के सभी सम्माननीय सदस्यगण और नेता प्रतिपक्ष जी, अभी तो नहीं हैं, लेकिन मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्गदर्शन में हम सभी के लिए ये सत्र लाभकारी रहा और आपके संसदीय ज्ञान और अनुभव से हम सभी लाभान्वित हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मानसून सत्र अपेक्षाकृत एक छोटा सत्र होता है परंतु उसके बावजूद भी सरकार ने जिस तीव्र गति के साथ काम किया है कि एक छोटे से सत्र में 13 विधेयकों का आना और छत्तीसगढ़ के भविष्य की दृष्टि से जिन विधेयकों की प्रस्तुति हुई और जो कि रिफॉर्म्स की दृष्टि से यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लाये गये हैं, मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी समेत समस्त माननीय मंत्रीगणों, विधायकगणों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विशेष तौर पर हमारे विधान सभा के सचिव और उनकी पूरी टीम, साथ ही साथ हमारे मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारीगण, हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीड़िया के पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

छत्तीसगढ़ के इस सदन में हम सबको प्रदेश की जनता की आवाज़ को यहां पर बुलंद करने के लिए भेजा जाता है और जिस उद्देश्य के साथ यहां पर भेजा जाता है, उसमें हमारे समस्त विधायकगण बहुत बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मानसून सत्र के समापन के अवसर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि -

अटल है हमारा विश्वास, अटल है संकल्प हमारा
हम घर-घर अलख जगायेंगे, इसलिए ही कहते हैं हम
हमने बनाया है हम ही संवारेंगे।

धन्यवाद, जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित।

(07 बजकर 10 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 18 जुलाई, 2025

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं